दशम माला, खंड 39, अंक 16

मंगलवार, 25 अप्रैल, 1995
5 बैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा के दिनांक 25 अप्रैल, 1995 के वाद-विवाद

{हिन्दी संस्करण} का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
60	नीचे से 2	{ख} से {ग}	{ख} से {घ}
65	6	श्री एस•एम•लालजान बाशा	श्री एस•एन•लालजान वाशा
67	2	श्री माणिकराव होडल्या भावीत	श्री माणिकराव होडल्या गावीत
87	नीचे से 10	श्री महादीपक सिंह शाक्य	डा० महादीपक सिंह शाक्य
०1	नीचे से 17	श्री रबि राय	श्री रवि राय
127	12	श्री राम सिंह कास्वा	श्री राम सिंह कस्वा
139	11	श्री एस•एम•लालजान बाशा	श्री एस•एम•लालजान वाशा
168	1	श्री द्वारका नाथ वास	श्री द्वारका नाथ दास
172	पंक्ति संख्या 10 के बाद बीच में विवरण शीर्षक दीजिए		
177	नीचे से .	श्री आर•अन्बारासु	श्री आर•अन्बारासु
188	10	डा०श्रीमती ..एस•सौन्दराम	डा०{श्रीमती}के•एस•सौन्दरम
221	नीचे से 11	श्री विलासराव ने..नाथराव गुंडेवार	श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार
222	8	{क}	{क} और {ख}
226	नीचे से 17	..51	3252
259	7	श्री .ल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी
270	पंक्ति संख्या 5 के बाद बी. में विवरण शीर्षक दीजि. ।		
275	11	श्री एस.•.लालजान बाशा	.ी एस•एम•लालजान वाशा
283	6	श्री वी•ए• विजयराघवन	श्री •वी•एस•विजयराघवन
379	नीचे से 4	1•00 म•प•	4•00 .•प•

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 39, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 16, मंगलवार, 25 अप्रैल, 1995/5 बैशाख, 1917 (शक)

विषय			कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :			**1-26**
*तारांकित प्रश्न संख्या :		301–303	1-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :			**26-324**
तारांकित प्रश्न संख्या :		304–320	26-65
अतारांकित प्रश्न संख्या :		3102–3331	67-324
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में कथित अनियमितताओं के बारे में			**324-333**
तमिलनाडु के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच कथित तनाव के बारे में			**333-342**
सभा पटल पर रखे गए पत्र			**342-350**
विधेयकों पर अनुमति			**351**
प्राक्कलन समिति			**351**
अड़तालीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	–	प्रस्तुत	351
लोक लेखा समिति			**351**
95वां और 96वां प्रतिवेदन	–	प्रस्तुत	351
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति			**351**
की गई कार्रवाई विवरण	–	प्रस्तुत	351
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति			**352-353**
चवालीसवां, पैंतालीसवां, छियालीसवां और सैंतालीसवां प्रतिवेदन	–	प्रस्तुत	352
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति			**353**
सातवां प्रतिवेदन	–	प्रस्तुत	353
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति			**353**
सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन	–	प्रस्तुत	353

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	कालम
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	**354**
दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत	354
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	**354**
सत्रहवां, अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गये	354
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	**354**
तेरहवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया	354
समितियों के लिए निर्वाचन	**354-356**
(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट	354
(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद	355
(तीन) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड	355
(चार) पशु कल्याण बोर्ड	356
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1992-93	**356**
राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित	**357**
नियम 377 के अधीन मामले	**357-361**
(एक) असम के धूबरी जिले में रूपसी विमान पत्तन को चालू किए जाने की आवश्यकता। – श्री नुरूल इस्लाम	357
(दो) कर्नाटक में विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील्स लिमिटेड को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता। – श्री के.जी. शिवप्पा	358
(तीन) महाराष्ट्र के पाटन में कम शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता। – श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण	358
(चार) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। – श्री खेलन राम जांगड़े	358
(पांच) हिमाचल प्रदेश में 'गिरिपार क्षेत्र' को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता। – प्रो. प्रेम धूमल	359

विषय	कालम
(छह) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य सरकारों से पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।	
– श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"	360
(सात) पूर्वी क्षेत्र में बागडोगरा विमान पत्तन का दर्जा शीघ्र बढ़ाये जाने की आवश्यकता।	
– श्री सुब्रत मुखर्जी	360
(आठ) बिहार में सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को बाल विकास तथा आंगनवाड़ी परियोजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता।	
– श्री नवल किशोर राय	360
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	**361-466**
श्री मणिशंकर अय्यर	361-377
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	377-392
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	392-402
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	458-466

लोक सभा

मंगलवार, 25 अप्रैल, 1995/5 बैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेल लाइनें

*301. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिछड़े क्षेत्रों में रेल-लाइनें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संदर्भ में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश कम विकसित राज्य हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों में रेल-लाइनें बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) इस समय पिछड़े क्षेत्रों में निम्नलिखित नई लाइनें निर्माणाधीन हैं :

(1) अमरावती-नरखेड (महाराष्ट्र में 138 कि.मी.)

(2) जोगीघोपा-गुवाहाटी (असम में 142 कि.मी.)

(3) पेदापल्ली-निजामाबाद (आंध्र प्रदेश में 117 कि.मी.)

(4) लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ (उड़ीसा में 54 कि.मी.)

(5) खोरधा रोड-बोलनगीर (उड़ीसा में 28 कि.मी.)

(6) दुमका-मंदार हिल-रामपुरहाट (बिहार में 130 कि.मी.)

निम्नलिखित लाइनें यद्यपि परियोजना लाइनों के रूप में शुरू की गई हैं, तथापि ये पिछड़े क्षेत्रों को सेवित करेंगी तथा उनके विकास में मदद करेंगी।

(1) कोरापुट-रायगडा (उड़ीसा में 164 कि.मी.)

(2) तालचेर-संबलपुर (उड़ीसा में 174 कि.मी.)

(3) एकलाखी-बालूरघाट (पश्चिम बंगाल में 87 कि.मी.)

(4) दिल्ली राजहरा-जगदलपुर (मध्य प्रदेश में 235 कि.मी)

(5) इंदौर-दाहोद-देवास-मकसी (मध्य प्रदेश तथा गुजरात में 316 कि.मी.)

(6) दैतारी-बांसपानी (उड़ीसा में 147 कि.मी.)

(ग) जी नहीं, देश के अधिकांश राज्यों में कम विकसित क्षेत्र हैं, प्रश्न में उल्लिखित चार राज्यों में प्रति लाख जनसंख्या का मार्ग कि.मी. तथा उसका राष्ट्रीय औसत इस प्रकार है :

आंध्र प्रदेश	7.61
उत्तर प्रदेश	6.43
बिहार	6.12
मध्य प्रदेश	9.05
राष्ट्रीय औसत	7.40

(घ) इन राज्यों में निम्नलिखित नई लाइनें निर्माणाधीन हैं, जिससे इन राज्यों में रेल लाइन किलोमीटर में वृद्धि होगी।

आंध्र प्रदेश

पेदापल्ली-निजामाबाद 177 कि. मी.

बिहार

दुमका-मंदारहिल-रामपुरहाट 130 कि. मी.

मध्य प्रदेश

दल्ली राजहरा-जगदलपुर 235 कि. मी.

देवास-मकसी-दाहोद-इंदौर- 316 कि. मी. (आंशिक रूप से गुजरात में)

उत्तर प्रदेश

छितौनी-बगहा 28 कि. मी.

कटरा-फैजाबाद 7 कि. मी.

श्री दत्तात्रेय बंडारू : रेल मंत्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में देश में 12,000 किलोमीटर लम्बी रेल लाइनें बिछाने का प्रस्ताव किया है। अभी भी बड़ी संख्या में पिछड़े क्षेत्र छोड़ दिए गए है। जिला केन्द्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कोई रेल लाइन नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब स्थिति ऐसी हो कि पिछड़ों क्षेत्रों में रेलवे लाइन नहीं है तो मंत्रालय ने आमान परिवर्तन को क्यों प्राथमिकता दी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में बहुत अधिक किलोमीटर लम्बी मीटर गेज लाइन को बड़ी

रेल लाइन में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दी गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह प्राथमिकता क्यों दी गई है।

प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में आपने 12000 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन का उल्लेख किया है; इसमें से कितनी किलोमीटर लम्बी रेल लाइन पिछड़े क्षेत्रों में दी हैं? कितना बजट प्रावधान है? क्या बजट प्रावधान में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई हैं?

यह प्रश्न दो भागों में है; पहला है सरकार ने आमान परिवर्तन को प्राथमिकता क्यों दी हैं; पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा क्यों की गई और बजट प्रावधान समुचित रूप से क्यों नहीं किया गया है?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह प्रश्न से बिल्कुल अलग है। प्रश्न नई रेल लाइनों के बारे में है। माननीय सदस्य आमान परिवर्तन के बारे में कह रहे हैं। मैं उस बात का उत्तर दे रहा हूं जो उन्होंने अभी इस सबसे पहले कहीं हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : नई लाइनें तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि जब देश में बहुत अधिक जिलों अर्थात पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है तो इस सरकार ने आमान परिवर्तन को प्राथमिकता क्यों दी है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं आपको इसका उत्तर दे रहा हूं कृपया मेरी बात सुनिए। आमान परिवर्तन, नई लाइनें और लाइनों को दोहरा करना तीनों मिल कार्यक्रम है। नई रेल लाइनें तो जाती हैं।...

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : पिछड़े क्षेत्रों में लाइनें नही हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : इतना बड़ा देश है। कहीं रहती हैं, कहीं नहीं रहती हैं। मांगें हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं आपकी बात को मानता हूं।

[अनुवाद]

अतः जब भी नई रेल लाइनें बिछाने की मांग की जाती है तो उसका सर्वेक्षण कराया जाता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर यदि रेल लाइन आर्थिक रूप से व्यवहार्य होती है और लाभदायक होती है, और यदि इससे आर्थिक लाभ नहीं होता है और यदि यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है जहां विकास के लिए लाइन बिछाना आवश्यक है तो ऐसी लाइनें योजना आयोग के पास भेजी जाती हैं। योजना आयोग इन लाइनों की स्वीकृति देता है, तभी रेल मंत्रालय उन पर कार्य आरम्भ करता है। जहां तक हमारे मंत्रालय को भेजे गए प्रश्न का सम्बन्ध है तो उसका यह उत्तर है :

(क) जी, हां।

(ख) इस समय पिछड़े क्षेत्रों में निम्नलिखित नई लाइनें विचाराधीन है :

(1) अमरावती-नरखेड़ (महाराष्ट्र में 138 कि.मी.)

(2) जोगीघोया-गुवाहाटी (असम में 142 कि.मी.)

(3) पेदाक्षेल्ली-निजामाबाद (आंध्र प्रदेश में 117 कि.मी.) ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : यह जवाब में लिखा हुआ है, यह तो हमने पढ़ लिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनको अपनी पद्धति से जवाब देने दीजिए आप जारी रखें।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : तो महोदय, आपके सहयोग से प्रश्न आते हैं और बाहर लोग सुनते हैं। यदि हम उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दें तो बाहर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए हम इसकी अनुमति दे रहे हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता हैं।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : बाहर से जो लोग देखते है उनको देखकर जवाब दे सकते हैं?

[अनुवाद]

क्या वह बाहर वालों के उल्लेख कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : वह बाहर के लोगों को भी सम्बोधित करते हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं केवल आपको सम्बोधित कर रहा हूं और यह सम्बोधन बाहर के लोगों के लिए भी हो जाता है। यह आपके और मेरे लिए दोनों के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री महोदय, तर्कजाल में मत पड़िए। कृपया प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : धन्यवाद, महोदय।

(4) लोजीगढ़ रोड-जूनागढ़ (उड़ीसा में 54 कि.मी.)

(5) खोरछा रोड-बोलनगीर (उड़ीसा में 28 कि.मी.)

(6) दुमका मंदार हिल-रामपुरहाट (बिहार में 130 कि.मी.)

निम्नलिखित लाइनें यद्यपि परियोजना लाइनों के रूप में शुरू की गई हैं, तथापि ये पिछड़े क्षेत्रों को सेवित करेगी तथा उनके विकास में मदद करेंगी।

(i) कोरापुट-रामगडा (उड़ीसा में 164 कि.मी.)

(ii) तालचेर-संबलपुर (उड़ीसा में 174 कि.मी.)

(iii) एकलाखी- बालूरघाट (पश्चिम बंगाल में 87 कि.मी.)

(iv) दल्ली राजहरा-जगदलपुर (मध्यप्रदेश में 235 कि.मी.)

(v) इंदौर-दाहोद-देवास-मकसी (मध्य प्रदेश में 316 कि.मी.)

(iv) दैतारी-बांसयानी (उड़ीसा में 147 कि.मी.)

(ग) देश के अधिकांश राज्यों में कम विकसित क्षेत्र हैं। प्रश्न में उल्लिखित चार राज्यों में प्रति लाख जनसंख्या का मार्ग कि.मी. तथा उसका राष्ट्रीय औसत इस प्रकार है :

आंध्र प्रदेश	7.61
उत्तर प्रदेश	6.43
बिहार	6.12
मध्य प्रदेश	9.05
राष्ट्रीय औसत	7.40

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मेरा विशेष प्रश्न यह था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित 12000 कि.मी. लम्बी नई रेल लाइनों में से कितने कि.मी. पिछड़े क्षेत्रों में है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आंध्रप्रदेश सरकार ने तीन वर्ष पहले विशेषकर आंध्रप्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के सन्दर्भ में रेल मंत्रालय के पास अपनी सिफारिशें भेजी हुई है। प्रस्तावित और चालू नई रेल लाइनों के बारे में, जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है पेदापल्ली-निजामाबाद रेल लाइन के लिए बजट प्रावधान केवल 2 करोड़ रुपये का है जबकि परियोजना अनुमान लगभग 140 करोड़ रुपये का है। अतः ऐसी स्थिति में इस परियोजना को पूरा होने में कितने वर्ष लगेंगे? यह नम्बर एक है।

अध्यक्ष महोदय : यह नम्बर एक है; तो नम्बर दो!

श्री दत्तात्रेय बंडारू : इसी प्रश्न का भाग (ख) यह है। मेडक जिला बहुत अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। पहले, जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं तब उन्होंने यहां के लोगों से वादा किया था कि मेडक जिले में नई रेल लाइन बिछायी जायेगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कम से कम श्रीमती गांधी के स्वप्नों को पूरा करने के लिए क्या रेल लाइनों की परियोजना में इसे भी शामिल करेंगे?

अन्त में, आंन्ध्र प्रदेश कोटीपल्ली-काकीनाड़ा लाइन थी। यह देश राज्य में थी। लेकिन इसे किसी कारणवश हटा दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके प्रश्न की अनुमति दी थी, लेकिन इस तरह से नहीं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या तटीय क्षेत्र के विकास के लिए कोटीपल्ली-कावीनाड़ा रेल लाईन को पुनः चालू करेंगे।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, माननीय सदस्य आंध्र प्रदेश के हैं और मुझे प्रसन्नता है कि वह केवल पेदापल्ली-निजामाबाद लाइन को याद नहीं रखते, बल्कि उन्हें कोटीपल्ली-काकीनाड़ा लाइन की भी चिंता है। यह भी किया जा रहा है और बजट भाषण में इसका भी उल्लेख किया गया है। ये आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र हैं। जिनके बारे में उन्हें विशेष ध्यान है। आंध्र प्रदेश रेलवे नेटवर्क के सम्बन्ध में पूरी तरह से सेवित है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमने आंध्र प्रदेश का पक्ष किया है किन्तु हमने इसके आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। सिंगेनी से कोयला देश के दक्षिण भाग को ले जाना होता है और इसके लिए रेलवे के मूल ढांचे का विकास करना आवश्यक होता है।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, उत्तर से मुझे पता चलता है कि लाइनों के दो वर्ग है, जैसा कि उल्लेख किया गया है—वे लाइनें जो पिछड़े क्षेत्रों में निर्माणाधीन हैं और वे लाइनें जो पिछड़े क्षेत्रों की सेवा कर रही हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है मैं यह भी पाता हूं कि अमरावती-नरखेड लाइन पिछड़े क्षेत्रों की ओर से निर्माणाधीन है। यदि मैं इनकी गिनती करूं तो ये लाइनें हैं-वरधा-यवतमाल-पुसाड़-नान्देड, अमरावती-नरखेड, खामगांव - जालना, पंढ़रपुर-लोनांड, कोल्हापुर-रत्नगिरि, शोलापुर- बीड-औरंगाबाद-चालीसगांव, पुणे-नासिक,अहमदनगर-बीड-परली, मनमाड़-इन्दौर, नासिक- सिन्नार-शिरड़ी औरंगाबाद। मैं जानना चाहता हूं रेलवे लाइनों के बारे में यह निर्धारण करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं कि ये रेलवे लाइनें पिछड़े क्षेत्रों से हैं अथवा पिछड़े क्षेत्रों की सेवारत हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिफारिश की गई दस रेल लाइनों में से आप केवल एक ही लाइन को क्यों लेते हैं और बाकी लाइनों को छोड़ देते हैं? क्या इसके कोई विशेष कारण हैं अथवा क्या ऐसा केवल आर्थिक कठिनाई से किया जाता है?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, यह सार्वभौम सत्य है; संसाधन-विवशता मुख्य कठिनाई है जो इस कार्य में बाधक है। हमारे माननीय श्री दिघे जी इसे भली प्रकार जानते हैं कि महाराष्ट्र से अन्य किसी महानगर की तरह बम्बई उपनगर के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाएं आरम्भ करने का हमेशा दबाव पड़ता रहता है। हमने बजट में अहमदनगर वीड-लाइन का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त हमने महाराष्ट्र में आमान परिवर्तन का कार्य आरम्भ किया हुआ है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें चयनात्मक आधार अपनाना होगा, जो हमारे

रेल लाइन में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दी गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह प्राथमिकता क्यों दी गई है।

प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में आपने 12000 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन का उल्लेख किया है; इसमें से कितनी किलोमीटर लम्बी रेल लाइन पिछड़े क्षेत्रों में दी हैं? कितना बजट प्रावधान है? क्या बजट प्रावधान में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई हैं?

यह प्रश्न दो भागों में है; पहला है सरकार ने आमान परिवर्तन को प्राथमिकता क्यों दी हैं; पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा क्यों की गई और बजट प्रावधान समुचित रूप से क्यों नहीं किया गया है?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह प्रश्न से बिल्कुल अलग है। प्रश्न नई रेल लाइनों के बारे में है। माननीय सदस्य आमान परिवर्तन के बारे में कह रहे हैं। मैं उस बात का उत्तर दे रहा हूं जो उन्होंने अभी इस सबसे पहले कहीं हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : नई लाइनें तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि जब देश में बहुत अधिक जिलों अर्थात पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है तो इस सरकार ने आमान परिवर्तन को प्राथमिकता क्यों दी है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं आपको इसका उत्तर दे रहा हूं कृपया मेरी बात सुनिए। आमान परिवर्तन, नई लाइनें और लाइनों को दोहरा करना तीनों मिल कार्यक्रम है। नई रेल लाइनें तो जाती हैं।...

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : पिछड़े क्षेत्रों में लाइनें नही हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : इतना बड़ा देश है। कहीं रहती हैं, कहीं नहीं रहती हैं। मांगें हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं आपकी बात को मानता हूं।

[अनुवाद]

अतः जब भी नई रेल लाइनें बिछाने की मांग की जाती है तो उसका सर्वेक्षण कराया जाता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर यदि रेल लाइन आर्थिक रूप से व्यवहार्य होती है और लाभदायक होती है, और यदि इससे आर्थिक लाभ नहीं होता है और यदि यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है जहां विकास के लिए लाइन बिछाना आवश्यक है तो ऐसी लाइनें योजना आयोग के पास भेजी जाती हैं। योजना आयोग इन लाइनों की स्वीकृति देता है, तभी रेल मंत्रालय उन पर कार्य आरम्भ करता है। जहां तक हमारे मंत्रालय को भेजे गए प्रश्न का सम्बन्ध है तो उसका यह उत्तर है :

(क) जी, हां।

(ख) इस समय पिछड़े क्षेत्रों में निम्नलिखित नई लाइनें विचाराधीन है :

(1) अमरावती-नरखेड़ (महाराष्ट्र में 138 कि.मी.)

(2) जोगीधोया-गुवाहाटी (असम में 142 कि.मी.)

(3) पेदाक्षेल्ली-निजामाबाद (आंध्र प्रदेश में 117 कि.मी.) ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : यह जवाब में लिखा हुआ है, यह तो हमने पढ़ लिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनको अपनी पद्धति से जवाब देने दीजिए आप जारी रखें।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : तो महोदय, आपके सहयोग से प्रश्न आते हैं और बाहर लोग सुनते हैं। यदि हम उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दें तो बाहर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए हम इसकी अनुमति दे रहे हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता हैं।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : बाहर से जो लोग देखते है उनको देखकर जवाब दे सकते हैं?

[अनुवाद]

क्या वह बाहर वालों के उल्लेख कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : वह बाहर के लोगों को भी सम्बोधित करते हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं केवल आपको सम्बोधित कर रहा हूं और यह सम्बोधन बाहर के लोगों के लिए भी हो जाता है। यह आपके और मेरे लिए दोनों के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री महोदय, तर्कजाल में मत पड़िए। कृपया प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : धन्यवाद, महोदय।

(4) लोजीगढ़ रोड-जूनागढ़ (उड़ीसा में 54 कि.मी.)

(5) खोरछा रोड-बोलनगीर (उड़ीसा में 28 कि.मी.)

(6) दुमका मंदार हिल-रामपुरहाट (बिहार में 130 कि.मी.)

निम्नलिखित लाइनें यद्यपि परियोजना लाइनों के रूप में शुरू की गई हैं, तथापि ये पिछड़े क्षेत्रों को सेवित करेगी तथा उनके विकास में मदद करेंगी।

(i) कोरापुट-रामगडा (उड़ीसा में 164 कि.मी.)

(ii) तालचेर-संबलपुर (उड़ीसा में 174 कि.मी.)

(iii) एकलाखी- बालूरघाट (पश्चिम बंगाल में 87 कि.मी.)

(iv) दल्ली राजहरा-जगदलपुर (मध्यप्रदेश में 235 कि.मी.)

(v) इंदौर-दाहोद-देवास-मकसी (मध्य प्रदेश में 316 कि.मी.)

(iv) दैतारी-बांसयानी (उड़ीसा में 147 कि.मी.)

(ग) देश के अधिकांश राज्यों में कम विकसित क्षेत्र हैं। प्रश्न में उल्लिखित चार राज्यों में प्रति लाख जनसंख्या का मार्ग कि.मी. तथा उसका राष्ट्रीय औसत इस प्रकार है :

आंध्र प्रदेश	7.61
उत्तर प्रदेश	6.43
बिहार	6.12
मध्य प्रदेश	9.05
राष्ट्रीय औसत	7.40

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मेरा विशेष प्रश्न यह था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित 12000 कि.मी. लम्बी नई रेल लाइनों में से कितने कि.मी. पिछड़े क्षेत्रों में है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आंध्रप्रदेश सरकार ने तीन वर्ष पहले विशेषकर आंध्रप्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के सन्दर्भ में रेल मंत्रालय के पास अपनी सिफारिशें भेजी हुई है। प्रस्तावित और चालू नई रेल लाइनों के बारे में, जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है पेदापल्ली-निजामाबाद रेल लाइन के लिए बजट प्रावधान केवल 2 करोड़ रुपये का है जबकि परियोजना अनुमान लगभग 140 करोड़ रुपये का है। अतः ऐसी स्थिति में इस परियोजना को पूरा होने में कितने वर्ष लगेंगे? यह नम्बर एक है।

अध्यक्ष महोदय : यह नम्बर एक है; तो नम्बर दो!

श्री दत्तात्रेय बंडारू : इसी प्रश्न का भाग (ख) यह है। मेडक जिला बहुत अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। पहले, जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं तब उन्होंने यहां के लोगों से वादा किया था कि मेडक जिले में नई रेल लाइन बिछायी जायेगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कम से कम श्रीमती गांधी के स्वप्नों को पूरा करने के लिए क्या नई लाइनों की परियोजना में इसे भी शामिल करेंगे?

अन्त में, आंन्ध्र प्रदेश कोटीपल्ली-काकीनाड़ा लाइन थी। यह ब्रिटिश राज्य में थी। लेकिन इसे किसी कारणवश हटा दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके प्रश्न की अनुमति दी थी, लेकिन इस तरह से नहीं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या तटीय क्षेत्र के विकास के लिए कोटीपल्ली-कावीनाड़ा रेल लाईन को पुनः चालू करेंगे।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, माननीय सदस्य आंध्र प्रदेश के हैं और मुझे प्रसन्नता है कि वह केवल पेदापल्ली-निजामाबाद लाइन को याद नहीं रखते, बल्कि उन्हें कोटीपल्ली-काकीनाड़ा लाइन की भी चिंता है। यह भी किया जा रहा है और बजट भाषण में इसका भी उल्लेख किया गया है। ये आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र हैं। जिनके बारे में उन्हें विशेष ध्यान है। आंध्र प्रदेश रेलवे नेटवर्क के सम्बन्ध में पूरी तरह से सेवित है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमने आंध्र प्रदेश का पक्ष किया है किन्तु हमने इसके आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। सिंगेनी से कोयला देश के दक्षिण भाग को ले जाना होता है और इसके लिए रेलवे के मूल ढांचे का विकास करना आवश्यक होता है।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, उत्तर से मुझे पता चलता है कि लाइनों के दो वर्ग है, जैसा कि उल्लेख किया गया है–वे लाइनें जो पिछड़े क्षेत्रों में निर्माणाधीन हैं और वे लाइनें जो पिछड़े क्षेत्रों की सेवा कर रही हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है मैं यह भी पाता हूं कि अमरावती-नरखेड लाइन पिछड़े क्षेत्रों की ओर से निर्माणाधीन है। यदि मैं इनकी गिनती करूं तो ये लाइनें हैं-वरधा-यवतमाल-पुसाड़-नान्देड, अमरावती-नरखेड, खामगांव - जालना, पंढ़रपुर-लोनांड़, कोल्हापुर-रत्नगिरि, शोलापुर- बीड-औरंगाबाद-चालीसगांव, पुणे-नासिक,अहमदनगर-बीड-परली, मनमाड़-इन्दौर, नासिक- सिन्नार-शिरड़ी औरंगाबाद। मैं जानना चाहता हूं रेलवे लाइनों के बारे में यह निर्धारण करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं कि ये रेलवे लाइनें पिछड़े क्षेत्रों से हैं अथवा पिछड़े क्षेत्रों की सेवारत हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिफारिश की गई दस रेल लाइनों में से आप केवल एक ही लाइन को क्यों लेते हैं और बाकी लाइनों को छोड़ देते हैं? क्या इसके कोई विशेष कारण हैं अथवा क्या ऐसा केवल आर्थिक कठिनाई से किया जाता है?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, यह सार्वभौम सत्य है; संसाधन-विवशता मुख्य कठिनाई है जो इस कार्य में बाधक है। हमारे माननीय श्री दिघे जी इसे भली प्रकार जानते हैं कि महाराष्ट्र से अन्य किसी महानगर की तरह बम्बई उपनगर के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाएं आरम्भ करने का हमेशा दबाव पड़ता रहता है। हमने बजट में अहमदनगर वीड-लाइन का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त हमने महाराष्ट्र में आमान परिवर्तन का कार्य आरम्भ किया हुआ है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें चयनात्मक आधार अपनाना होगा, जो हमारे

पास उपलब्ध धन पर आधारित होगा। संसाधन प्राप्त करने की समस्या कार्य आरम्भ करने में बाधक होती है और यदि अधिक धन उपलब्ध हो तो मैं सहर्ष अधिक से अधिक अपेक्षित कार्य करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आज तक मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि बैकवर्ड एरिया की परिभाषा क्या है, क्योंकि अलग-अलग विभागों के द्वारा अलग-अलग परिभाषा दी गयी है। एक में जो बैकवर्ड रहता है दूसरे एरिया में नहीं रहता है। सब लोग अपने स्टेट की बात करते हैं लेकिन मैं अगरतला की बात कर रहा हूं। अगरतला राजधानी है, लेकिन वहां से न तो कलकत्ता के लिए और न ही दिल्ली के लिए किसी ट्रेन की व्यवस्था है। तो क्या भारत सरकार इस बात को समझती है कि अगरतला पिछड़ा हुआ है और पिछड़े क्षेत्रों में आता है? यह वह एरिया है जहां बंगलादेश से घुसपैठ होती है। अगरतला को दिल्ली या कलकत्ता से जोड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय मैं समझता हूं कि आप मुझे अपने तरीके से उत्तर देने की अनुमति देंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे सम्मानीय मित्र श्री रामविलास पासवान बिहार की बजाए अपना ध्यान अगरतला की ओर ले जा रहे हैं । वह मेरे से बिहार के लोगों के पिछड़ेपन की परिभाषा जानना चाहते हैं न कि श्री रामविलास पासवान के पिछड़ेपन की।

श्री रामविलास पासवान : मैं भी पिछड़ा हुआ हूं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, आपने सही कहा है कि त्रिपुरा को पड़ौसी राज्यों से जोड़ने की आवश्यकता है तथा राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने की भी। हम इस पर ध्यान देंगे। लेकिन यह बहुत लागत वाला प्रस्ताव होगा, लगभग 600 करोड़ रुपये का। इसके लिए हमें इतना धन शामिल करना होगा। लेकिन पहले इसे छोड़ दिया गया था लेकिन हमने अब इसे ले लिया है। हमने कोंकण रेल परियोजना से प्रेरणा ले ली है। इससे यह सिद्ध हो गया है कि जहां चाह है वहां राह है। संसाधनों की तो सदा कमी रहती है लेकिन फिर भी हमें लोगों की परेशानियों को समझना है जो विभिन्न राज्यों में रहते हैं और आर्थिक विकास चाहते है। हम इस परियोजना पर विचार कर रहे हैं और इस पर कार्य कर रहे हैं तथा हम पुनः योजना आयोग से आग्रह कर रहे हैं।

फसल पद्धति

*302. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में "फसल पद्धति में परिवर्तन" के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती अधिक की जा रही है;

(ग) खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की किस हद तक अधिक खेती की जा रही है और इसका खाद्यान्नों, दलहनों तथा खाद्य तेलों के उत्पादन और उपयोग पद्धति पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने खाद्यान्न फसलों और नकदी फसलों के उत्पादन में समुचित सन्तुलन बनाए रखने के लिए फसल पद्धति संबंधी कोई नीति बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) फसल पद्धति का कृषि-उत्पादों के आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों की फसल प्रणाली का अध्ययन करने के लिए 1985 के दौरान डा.सी.सच. हनुमन्त राव, तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था।

(ख) हाल ही में अनाज के अधीन आने वाले क्षेत्र को कुछ नकदी फसलों के लिए इस्तेमाल किया गया है।

(ग) मोटे अनाज के अधीन के कुछ क्षेत्र को अन्य फसलों के लिए इस्तेमाल करने के कारण उत्पादकता में काफी वृद्धि होने से खाद्यान्न के कुल उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है। तिलहन के अधीन क्षेत्र स्थानान्तरित करने से तिलहन के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। खपत के प्रतिमान में भी काफी सुधार आया है।

(घ) और (ङ) खाद्यान्न और नकदी फसल के उत्पादन में वृद्धि को कार्यनीति में विभिन्न महत्वपूर्ण फसलों पर अभिवृद्धि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करके "फसल प्रणाली दृष्टिकोण" को अपनाकर वर्तमान कृषि भूमि से स्थायी आधार पर सभी फसलों में उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

(च) हाल के वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा दलहनों को छोड़कर आयात में कमी आई है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मंत्री जी आप फसल के अच्छे जानकार हैं। आप यह भी जानते हैं कि फसल के उत्पादन में लागत वृद्धि बहुत ऊंची उछाल लेती जा रही हैं। किसान को बाजार में अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। फसल जब कारखाने में जाती है और उत्पादन का जो लाभ होता है उसमें

किसान का हिस्सा एक नगा पैसे के बराबर का भी नहीं होता है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि फसल प्रणाली का अध्ययन करने के लिए 1985 में डा. सी.एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता में जो दल गठित किया गया था, उसकी रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों के आधार पर देश में किन-किन क्षेत्रों में नगदी फसलों के उत्पादन के लिए क्या-क्या कार्य किया गया है और नगदी फसल के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा किस-किस प्रकार का तथा कितना-कितना अनुदान दिया गया है? क्या उसमें उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है?

श्री बलराम जाखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब जो उनको स्वयं मालूम होगा, क्योंकि वे लगातार चार बरस से इस सदन के सदस्य हैं

...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मंत्रीजी मैं रो रहा हूं तबसे कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता।

श्री बलराम जाखड़ : आपके आंसू पोंछने की चेष्टा कर रहा हूं। सीधी सी बात है कि जितना कुछ इस उद्यम के लिए सरकार ने इन तीन सालों में किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो पहले मिलता था...

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : हमारा प्रश्न क्या था?

श्री बलराम जाखड़ : आपने पूछा था कि उनको भाव क्या मिल रहा है?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं करें।

श्री बलराम जाखड़ : आपने पूछा था कि भाव पूरा नहीं मिल रहा है। इन तीन-चार बरसों में जितना भाव को ऊंचा किया गया है वह आज तक नहीं हुआ। उसका हिसाब आप देख सकते हैं, आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने राव कमेटी के बारे में प्रश्न किया। वह सारा का सारा मसला उसी कमेटी के अनुसार और आवश्यकतानुसार किया गया है। आपने जिस प्रकार से पूछा है तो मैं आपको बताता हूं कि हमने छः प्रकार की चीजें की हैं कि जहां पर सीरियल्स की कमी थी, उसमें उत्पादन बढ़ा है लेकिन जहां तक आयल सीड्स का प्रश्न है, उनमें बढ़ोत्तरी तो हुई है फिर भी हमने 6-प्वायंट प्रोग्राम बना रखा है।

[अनुवाद]

ये छः प्वायंट हैं :

(1) फसल प्रणाली दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना तथा उसका निरूपण;

(2) जैविक खाद के उपयोग पर बल देते हुए समेवित पोषण तथा कीट बन्दोबस्त व्यवस्था को बढ़ावा देना;

(3) यथावत नमी संरक्षण तकनीक, खेत में समुचित जल बन्दोवस्त तथा जल सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग का प्रचार;

(4) प्रभावकारी तथा सामयिक खेत कार्यों के लिए खेती के उन्नत उपकरणों तथा मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना;

(5) उन्नत किस्म के बढ़िया बीज का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना; और

(6) परपरागण फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मधुमक्खी पालन का प्रचार करना जिससे किसानों की आय बढ़े।

[हिन्दी]

दूसरी बात यह है कि जहां कि क्रापिंग पैटर्न की बात है, जब हम किसी भाव के लिये प्रोत्साहन देते हैं तो समयानुसार किसान सोचता है। जैसे हमारे देश में पहले ऑयल सीड्स कम होता था, हम बाहर से मंगाते थे और करोड़ों रुपया खर्च करते थे और जब हमने किसानों को प्रोत्साहन दिया तो उसका उत्पादन बढ़ गया लेकिन अब 99 प्रतिशत सैल्फ रीलायंस होने के बाद भी बाहर से मंगाते हैं ताकि होर्डर्स कंज्यूमर्स को परेशान न करें। इसी प्रकार सारी पल्सेज के लिये कोशिश कर रहे हैं कि उसके बीज का उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जाये और उसकी कीमत पूरी मिले ताकि पल्सेज बढ़ सके। एक क्रापिंग पैटर्न बनाया है, जिसके अन्तर्गत हम किसानों को क्लायमैटिक कंडीन्शस के अनुसार प्रोत्साहन देने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको पूरा-पूरा फायदा मिले। जो उसे अनुदान मिलता हैं, वह पूरा हो जाये। हम उनको बीच में अनुदान देते हैं, इंप्लीमेंटेशन में देते हैं और वाटर कंजरवेशन प्रोग्राम में भी दे रहे हैं। अब हमने 50 प्रतिशत आम भाइयों के लिये, 75 प्रतिशत हरिजन गिरिजनों और 75 प्रतिशत बहनों के लिये जिनके पास जमीन है, उनको वाटर सेविंग डिवाइसेज, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन से अनुदान देते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी का यह सुनिश्चित मत है कि नकदी फसल को उद्योग का दर्जा देंगे और उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिये जो सुविधायें दे रहे हैं, क्या उसी प्रकार की सुविधायें तथा नीतियां नकदी फसल उत्पादकों पर लागू करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बलराम जाखड़ : मैंने फसल के संबंध में यहां पर कृषि नीति रखी थी और उसमें यह मान लिया था जिसे कैबिनेट ने एप्रूव कर दिया हैं कि जो सुविधायें इंडस्ट्रीज को मिलती हैं, वहीं कृषि को मिलें। यह मान लिया गया है और उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। जब लिबरलाईजेशन की बात हो रही है तो उसमें आपकी भी चेष्टा हो, और उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : कब से लागू करेंगे?

श्री बलराम जाखड़ : मैं तो लागू करके बैठा हूं और आप अब उसमें फायदा उठाइये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : किसानों तक ये नीतियां कब कर पहुंचेगी?

श्री बलराम जाखड़ : आप चेष्टा करें। आप इस पर बहस नहीं कर पाते हैं। तीन बार ऐसा हो गया है। मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, आप चेष्टा नहीं करते हैं उसकी यहां पर डिस्कशन कर लें। आप कृपा कर दें तो हो जाये।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन्तु दुर्भाग्यवश, कृषि मंत्री ने इसकी उपेक्षा की और समुचित उत्तर नहीं दिया।

हमारी कृषि की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? क्या हमें केवल फसलों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए या कोई और तरीका अपनाना चाहिए? इसका यह तात्पर्य नहीं है कि फसलों पर जोर नहीं देंगे। किन्तु सरकार को कृषि की अन्य प्रणालियों को भी अपनाना चाहिए जैसे नकदी फसल, सब्जियां, फल या ऐसी ही फसलें जिससे फसल के उत्पादों में भी वृद्धि हो। और यह सम्भव है।

महोदय, मंत्री महोदय ने कुछ कार्यक्रम पढ़ कर सुनाए हैं। ये कार्यक्रम फसल उत्पादों में वृद्धि करने के कार्यक्रम हैं। लेकिन इनके लक्ष्य क्या हैं? क्या सब को मिलाकर सरकार की कोई ठोस नीति बनती है? लेकिन खेद है ऐसा नहीं है। डा. हनुमंता राव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वर्ष 1985 में अर्थात 10 वर्ष पहले अध्ययन किया गया था। इस दौरान फसल उत्पादन में बहुत अधिक सुधार हुए हैं तथा अन्य बहुत से परिवर्तन भी हुए है। हमने "गैट" समझौता किया है और अब हमारे कृषि उत्पादों के निर्यात एवं आयात पर इस समझौते का क्या प्रभाव पड़ा है? कृषि मंत्रालय को इन सब पहलुओं पर विचार करना है लेकिन उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है।

दूसरे, अब नए वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि मानव जाति को खाद्यान्नों के अलावा भी आहार की आवश्यकता है। उन्हें पोषाहार की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन दस वर्षों में समग्र पोषाहार विज्ञान ने बहुत अधिक विकास किया है। कृषि विभाग को यह देखना है कि किस फसल को कितनी मात्रा में उगाया बोया जाए तथा किस फसल के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त रहेगी। उन्हें लोगों की भोजन की आदत या प्रकृति में भी परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि क्या कृषि मंत्रालय फसल प्रणाली, कृषि विज्ञान और नई मांग आदि को दृष्टि में रखते हुए एक अन्य विशेष अध्ययन कराने जा रहा है। पिछले दस वर्षों में हुए विकास को ध्यान में रखते हुए क्या पोषाहार पर जोर दिया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लोगों को उचित पोषाहार मिले न कि केवल खाद्यान्न?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे उनसे ऐसे प्रश्न की आशा नहीं थी। वह जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई उपलब्धि नहीं हुई है। आज हमारा खाद्यान्न का उत्पादन 18.64 करोड़ मीट्रिक टन है। यह बहुत प्रशंसनीय उपलब्धि है। इसका श्रेय मैं देश के किसानों को देता हूं जिन्होंने इतना अधिक परिश्रम किया। वह यह कैसे कहते हैं कि हमने खाद्यान्न उत्पादन की उपेक्षा की है? केवल खाद्यान्नों के मामले में 5 करोड़ टन से बढ़कर 18.6 करोड़ टन हो गया है। कृपया मेरी बात सुनिए। उत्पादकता में वृद्धि हुई है। मोटे अनाज का उत्पादन साढ़े तीन गुना बढ़ा है। माननीय सदस्य पोषाहार उपलब्ध कराने के बारे में बोल रहे हैं। जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप पोषाहार कहां से उपलब्ध कराएंगे ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : लेकिन ये लक्ष्य अस्सी के दशक के थे।

श्री बलराम जाखड़ : मैं 1995 की बात कर रहा हूं।

श्री अमल दत्त : हमने आपसे उत्पादकता के बारे में कुछ नहीं पूछा है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इन मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए कोई अन्य विशेषज्ञ से अध्ययन कराया जाएगा।

श्री बलराम जाखड़ : कृपया मेरी बात सुनिए। हम जानते हैं हमें क्या करना है। मेरे विशेषज्ञ और वैज्ञानिक तथा हम सब एक साथ हैं। हमने सभी पहलुओं पर चर्चा की है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। खाद्यान्न उत्पादन की कितनी मात्रा होनी चाहिए कितने तिलहन और कितनी दालों का उत्पादन किया जाना चाहिए। तिलहनों में भी पोषक तत्व होते हैं और इनकी हमें आवश्यकता होती है। इसी प्रकार दालों की आवश्यकता होती है। हम यह सब कर रहे हैं और इस देश में हमने इतनी उपलब्धि प्राप्त की है। हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। देश के किसानों ने देश को सम्मान दिया है और वे आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमें इसके लिए गर्व करना चाहिए। कृपया मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। हम कृषि को बहुआयामी बना रहे हैं। हमने मोटे अनाज और तिलहनों के उत्पादन पर जोर देना शुरू कर दिया है। मोटे आनाज का लगभग साढ़े तीन गुना उत्पादन बढ़ाया है। हम इस प्रयोजन के लिए परती भूमि में खेती कर रहे हैं। हम वर्षा पर आधारित खेती प्रणाली आरंभ कर रहे हैं। एक जानकार किसान ही इन सब बातों को जानता है। जिसको खेती से कोई सरोकार नहीं वह इन बातों को कैसे समझेगा। हम उच्च पोषाहार तथा मूल्य वर्धन का लक्ष्य प्राप्त करने

का प्रयास कर रहे हैं, इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

श्री अमल दत्त : वह इतने अधिक उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : महोदय वह क्यों हंस रहे हैं ? यदि ये इसी तरह रहे तो मैं उत्तर बिलकुल नहीं दे पाऊंगा।

श्री अमल दत्त : मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि मेरे दो विशिष्ट प्रश्नों का अभी तक उत्तर नहीं मिला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय सभी संगत मुद्दों की जांच करने के लिए अध्ययन दल का गठन करने जा रहा है।

श्री बलराम जाखड़ : हमने इन सभी मुद्दों का अध्ययन किया है। हमने पहले ही कार्य करना आरंभ कर दिया है। हमने निर्णय ले लिया है कि क्या करना है और सभी कुछ सुव्यवस्थित चल रहा है। जब आप कुछ जानते ही नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए दस वर्ष व्यतीत हो गए हैं, किंतु उस समिति की सिफारिशें अभी तक समुचित रूप से लागू नहीं की गई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों तथा विभिन्न राज्यों में ऊंची भूमि वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों और 'पोडू' की फसल होती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फसल प्रणाली को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। इसमें और कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी एक प्रणाली है। केवल पर्वतीय क्षेत्र ही नहीं है, मरुस्थल भी है, वर्षा पर आधारित तथा सिंचाई वाले क्षेत्र भी हैं। इन सभी को इस प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। उस समिति की सिफारिशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मेरा प्रश्न पर्वतीय तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों के बारे में है।

श्री बलराम जाखड़ : तो फिर क्या हुआ? ये सभी क्षेत्र हैं। केवल सिंचित क्षेत्र ही नहीं हैं। हम लगभग 70 प्रतिशत गैर-सिंचित क्षेत्रों से फसल लेते हैं। हम पर्वतीय तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हैं। कुछ चीजें पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा होती हैं जो मैदानी इलाकों में नहीं होती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी योजना का निर्धारण करते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामनिहोर राय : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी ने जो कहा है कि हमने उत्पादन में वृद्धि की है तो यह किसानों की देन और मेहनत है। आप जो खाद महंगा कर रहे हैं उसके लिए क्या किसानों को सब्सिडी देने का विचार कर रहे हैं?

मान्यवर, जो गेहूं का उत्पादन किसानों ने किया, जो विदेशों को लेवी का गेहूं भेजा जा रहा है, यहां खाद्य मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि किसान इस समय गल्ला पैदा करके अपने खलिहान में निकालकर बेचने जा रहा है तो वह पानी के भाव बिक रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन गरीब किसानों के लिए आप सभी ब्लाकों में बफर गोदाम बनाएंगे और वहां अनाज स्टोर करने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत ऋण दिया जायेगा? वे किसान यदि स्टोर कर सकेंगे तो उनको अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकता है। क्या आप इस तरह की व्यवस्था हर ब्लॉक में करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपने पूछ लिया।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो दे दीजिए। वैसे यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। वह किसानों के समर्थक हैं अतः आपको इन प्रश्न का उत्तर दे देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सदस्य जानने की चेष्टा करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस बीमारी का इलाज है। 215 की बजाए 360 रुपया न्यूनतम गेहूं का मूल्य रखा गया है और उसी हिसाब से रखा गया है क्योंकि खाद का मूल्य ज्यादा हो गया है।

श्री रामनिहोर राय : मैं गोदामों के लिए कह रहा हूं, जो किसान गरीब है उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री इंद्रजीत : महोदय, क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि उत्तरी बगांल और विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र दार्जिलिंग में इस्लामपुर और चोपड़ा में विशाल क्षेत्रों में धान के खेतों को चाय के बागानों में परिवर्तित कर दिया गया है। क्या यह सब इसी समग्र नीति के अनुरूप है। क्या यह किसानों के हित में है? इस क्षेत्र में यह बहुत चिंता का विषय हो गया है। क्योंकि वहां किसान बेरोजगार हो रहे हैं जो खेती की प्रणाली में परिवर्तन का परिणाम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की समग्र नीति के परिणाम का फल है? क्या यह राज्य तथा देश के हित में है?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, यदि अधिक उत्पादन होता है और आय भी अधिक होती है तो यह लोगों के विरुद्ध कैसे हो सकता है। बदलाव तभी आता है जब लोग चाहते हैं। भूमि के स्वामी किसान होते हैं सरकार नहीं। इसीलिए ऐसा हो रहा है। यदि वहां के लोगों के पास चाय के बागान हैं तो हैं। उन पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। यह तो बहुत सरल है। जिसमें लोगों को अधिक आय होगी वे वहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री केसरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में जो विदेश से गेहूं अपने देश में मंगाया गया था वह 415 रुपए में वहां से खरीदा गया था और ट्रांसपोर्ट में बंदरगाह से उतरकर उपभोक्ताओं को रुपए प्रति क्विंटल में दिया गया था। क्या आप 360 रुपए में देश के किसानों से इतना सस्ता गेहूं लेकर उन किसानों को मारना चाहते हैं या उनका मनोबल कमजोर करना चाहते हैं? आपसे अनुरोध है कि विदेशों से पिछले वर्षों में जो गेहूं मंगवाया गया है उसी भाव से देश के किसानों से गेहूं लेने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : यह क्रॉपिंग पैटर्न का सवाल है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं माननीय भगवन, आप से सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इतना ध्यान रखिये कि यह प्रश्न एग्रीकल्चर से संबंधित है, आयुर्वेद का नहीं है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत पांच सालों में राजस्थान में भी किसानों की उपज का पैटर्न बदला है, जहां किसान पहले चना और गेहूं पैदा करते थे, आज उसके बदले किसान सोयाबीन और सरसों जैसी तिलहन की फसलें और कैश क्रॉप ज्यादा पैदा कर रहे हैं। इसके साथ-साथ आपके ही वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि अगर यही पैटर्न बना रहा तो निश्चित रूप से आने वाले तीन सालों बाद देश को विदेशों से खाद्यान्न गेहूं और चने का आयात करना पड़ेगा। यदि ऐसा है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दृष्टि से उन्होंने क्या तैयारी की है। हमारा वर्तमान पैटर्न बना रहे, कैश क्रॉप के जरिये किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार लें, इसके तो हम हामी हैं लेकिन गेहूं और खाद्यान्न के मामले में हमारा देश फिर से विदेशों की तरफ देखे, विदेशों पर निर्भर हो जाये तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस दृष्टि से स्पष्ट तौर से बतायें कि आपके वैज्ञानिकों ने जो आने वाले तीन सालों में खाद्यान्न की कमी की घोषणा की है, उस संबंध में आपने क्या कदम उठाये हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप वैज्ञानिकों का नाम बता सकते हैं, जिन्होंने ऐसी घोषणा की है।

श्री बलराम जाखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी तरफ से माननीय सदस्य को आश्वस्त कर दें कि ऐसा कोई खतरा नहीं है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्यों दिशा-भूल करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि फसल प्रणाली में जो कुछ हो रहा है उस पर मार्किट का नियंत्रण है। खेती की प्रणाली उपलब्ध सापेक्ष मूल्यों से नियंत्रित है। जहां योजना संगत हो जाती है तो वहां समस्या पैदा हो जाती है। उदाहर्णार्थ हमने 1980 में 18.5 करोड़ टन खाद्यान्नों का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे हम प्राप्त नहीं कर सके और इसीलिए खाद्यान्नों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में कमी आ रही है। जब मेरे सहयोगी योजना की बात करते हैं तो वह केवल यही उल्लेख करते हैं। पश्चिम बंगाल में बाजार की अपनी ही समस्या है। उन्होंने बड़ा स्टीक प्रश्न उठाया है कि उन्होंने चाय की खेती करनी शुरू कर दी है और मंत्री महोदय ने कह दिया है कि यदि यह लाभप्रद है तो वह कुछ नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल तथा अन्यत्र झींगा मछली उत्पादन के संबंध में भी वैसी स्थिति हो रही है। किंतु इससे साथ वाले भूमि में पारंपरिक खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इसमें योजनाबद्ध या सुनियोजित हस्तक्षेप की आवश्यता है। सुनियोज्ति हस्तक्षेप के बारे में आपका क्या प्रस्ताव है। ताकि बाजार नियंत्रित पद्धति के स्थान पर कोई संतोषजनक प्रणाली अपनाई जाए?

श्री इन्द्रजीत : लेकिन किसानों पर दबाव न डाला जाए।

श्री बलराम जाखड़ : उन पर दबाव डालने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमें इस पहलू को देखना है। किसान एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। वह बुद्धिमान है, वह जानता है उसे क्या करना चाहिए। आप उस पर कोई बात थोप नहीं सकते। हम उन्हें सलाह दे रहे हैं। हम उसके साथ संबंध बनाए हुए हैं। हमारी विस्तार सेवाएं हैं। हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं जो इस देश के लिए और किसान के लिए सही है। माननीय सदस्य ने मछली पालन तथा साथ वाली भूमि के बारे में मुद्दा उठाया है। ...**(व्यवधान)** आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। हम राज्य सरकारों को सलाह दे रहे हैं कि पर्यावरण की समस्याओं के बारे में ऐहतियाती कदम उठाएं, क्योंकि हमने लेटिन देशों तथा अन्य देशों से इस संबंध में यह सीख ली है। ऐसी बातें उत्पन्न नहीं हो, इस बात का हम ध्यान रख रहे हैं। इस संबंध में मैं पर्यावरण मंत्रालय से संपर्क कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कई माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में यह कहा कि पिछले चार वर्षों में इस देश में मानसून काफी फेवरेबल रहा है, परंतु जब हम देश में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की फीगर्स की ओर देखते हैं तो उनमें कोई खास परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता है, वे लगभग वहीं पर चल रही है, जबकि हर वस्तु का उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इसके मूल में कुछ कारण अवश्य छिपे हुए हैं कि मौसम अनुकूल होने के बावजूद उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। आज पल्सेज के दाम राष्ट्रभर में पिछले

साल की तुलना में दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं। जो दाल पहले 12-13 रुपए किलो मिलती थी, आज 30 रुपए किलो को टच कर रही है जिससे गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कृषि से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि हमारे मंत्रालय ने जो टार्गेट फिक्स किया था, हम उसका दसवां भाग भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

उसके अंदर जो हमारे सीड्स हैं, चाहे वे फाउंडेशन सीड्स हैं, चाहे वे सर्टीफाइड सीड्स हैं, इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इनकी पूर्ति करना आज की सबसे बड़ी अनिवार्यता है। इसका उत्तर दें ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न क्रापिंग पैटर्न के ऊपर है।

श्री राजेंद्र कुमार शर्मा : महोदय, यह सवाल उसी के ऊपर है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आपका सवाल किसी और तरफ जा रहा है।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में सीड्स मुतल्लिक सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और हमारा विचार तो यह है कि हम सीड्स के माध्यम से न केवल हिंदुस्तान पर ही कब्जा करें बल्कि विश्वव्यापी मंडियों में हम इसके माध्यम से कब्जा करें क्योंकि हमारे पास हाथ हैं। हमारे पास आदमी हैं। हमारे पास तकनीक है।

श्री राजेंद्र कुमार शर्मा : आप पल्सेस की पूर्ति कैसे करेंगे?

श्री बलराम जाखड़ : मैं बता तो रहा हूं अब आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। जब तक किसान को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तब तक वह दालों का उत्पादन नहीं करेगा। ये रेन फैड क्राप्स हैं और मोर अमीनेबल टू डिजीजेज एंड व्हिम्स आफ नेचर हैं। इसलिए इनकी खेती रेन फैड में होती है। हम ऐसी तकनीक बना रहे हैं ताकि ज्यादा उत्पादन हो सके और उसी हिसाब से हम उत्पादन करने वाले हैं। हम ऐसे बीज तैयार कर रहे हैं जिन के ऊपर बीमारियों का कम प्रभाव पड़े और ज्यादा उत्पादन हो। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इसको हम सब जानते हैं। तेल का पूरा हो गया। खद्यान्न का पूरा हो गया। दाल का बचा है। वह भी पूरा करेंगे।

आंगनवाड़ी कर्मचारी

[अनुवाद]

*303. **श्री मोहन रावले :**
श्री चिन्मयानंद स्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं;

(ख) इन केंद्रों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है?

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक आंगनवाड़ीं केंद्र खोलने का है?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या आंगनवाड़ी कर्मचारी अपने वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं?

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? और

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) से (छ) एक विवरण लोकसभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

31-12-1994 की स्थिति के अनुसार, देशभर में लगभग 2.85 लाख आंगनवाड़ियों में अनुमानतः 5.62 लाख महिला कार्यरत थीं। 31-12-1994 की स्थिति के अनुसार, आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध में दिया गया है।

आठवीं योजना में अनुमोदित विस्तार दर के अनुसार, विभाग द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वालों की जनसंख्या के आधार पर वर्ष 1995-96 के दौरान देश में 100 नई आई सी डी एस परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारियों का दर्जा तथा उन्हें देय वेतनमान एवं भत्तों की मांग कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंशकालिक अवैतनिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें स्थानीय समुदाय से चुना जाता है। उनके कार्य की स्वैच्छिक प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, उन्हें सरकारी कर्मचारी की भांति नियुक्त करना अथवा नियमित वेतनमान देना संभव नहीं है।

अनुबंध

31-12-1994 की स्थिति के अनुसार देश में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	27562
2.	अरुणाचल प्रदेश	2162

1	2	3
3.	असम	9074
4.	बिहार	34224
5.	गोवा	1103
6.	गुजरात	25130
7.	हरियाणा	12207
8.	हिमाचल प्रदेश	3861
9.	जम्मू और कश्मीर	5486
10.	कर्नाटक	31292
11.	केरल	14045
12.	मध्य प्रदेश	32044
13.	महाराष्ट्र	35957
14.	मणिपुर	2628
15.	मेघालय	2006
16.	मिजोरम	1294
17.	नागालैंड	1554
18.	उड़ीसा	24418
19.	पंजाब	7544
20.	राजस्थान	21664
21.	सिक्किम	413
22.	तमिलनाडु	11182
23.	त्रिपुरा	2426
24.	उत्तर प्रदेश	48890
25.	पश्चिम बंगाल	34038
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	255
27.	चंडीगढ़	200
28.	दिल्ली	3262
29.	दादर और नगर हवेली	125
30.	दमन और दीव	79
31.	लक्षद्वीप	60
32.	पांडिचेरी	677
	जोड़	2,85,000

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया है, उसके अनुसार देशभर में 2 लाख 85 हजार आंगनवाड़ियां हैं उनमें 5 लाख 62 हजार महिलाएं कार्यरत हैं और उन्हें सिर्फ 400 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं और उनकी सहायक महिलाओं को मात्र 200 रुपए प्रतिमास दिए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सौभाग्य से इस विभाग की मंत्री महोदया स्वयं एक महिला हैं और ये महिलाएं इन आंगनवाड़ियों में 18-19 वर्षों से कार्य कर रही हैं तथा प्रति दिन 7-8 घंटे इनको काम करना पड़ता है। बच्चों को संभालना पड़ता है, उन्हें आहार देना पड़ता है, गर्भवती महिलाओं को संभालना पड़ता है, उनकी मृत्यु दर को लिखना पड़ता है। लेकिन इतना काम करने के बावजूद उन्हें इतना कम वेतन दिया जाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इन आंगनवाड़ियों में कार्यरत महिलाओं को वेतनमान देने के लिए, उनके प्रमोशन के लिए और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए वे क्या सोच रही हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, यह योजना 1975 से लागू की गई थी। यह सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम है। आज की स्थिति तक आंगनवाड़ी कर्मचारी अवैतनिक तथा अस्थायी कार्यकर्ता हैं। हाल ही में, मैं समझती हूं 1992 में, हमने इनके वेतनमान संशोधित किए हैं। अन्य मामलों के बारे में महाराष्ट्र से एक अभ्यावेदन आया था जिस पर मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया था। मैंने उन्हें बता दिया था कि यह सेवाएं स्थाई नहीं की जा सकतीं। जहां तक मानदेय का संबंध है, मैंने उन्हें बता दिया था कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। मैंने इस पर विचार करने के लिए वित्त विभाग के पास भेज दिया है कि मानदेय में वृद्धि पर विचार किया जाए। इसके अलावा हम अवकाश, मातृत्व/प्रसव अवकाश, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता भी इन कर्मचारियों को दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जवाब है। आप खुद महिला हैं। आपको तो उन्हें नियमित करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यूनीसेफ की ओर से आपको कितनी मदद दी जाती है। उसमें से कितना धन आप राज्यों को देती हैं और हर राज्य को कितना धन दिया

गया है तथा महाराष्ट्र राज्य के बारे में मैं विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि आपने कितना धन दिया है।

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, हम यूनीसेफ से सहायता ले रहे हैं लेकिन यह वेतन के भुगतान के लिए नहीं है। श्रेणी 'ग' और 'घ' के पर्यवेक्षकों के वेतन के बारे में हम प्रत्येक ब्लाक को 14.50 लाख रुपये दे रहे हैं। यूनीसेफ से मिलने वाली सहायता से हम आंगनवाड़ी केन्द्रों को वाहन, बरतन तथा गोदाम आदि की सुविधायें प्रदान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि अभी पिछले हफ्ते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आपको कोई ज्ञापन दिया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर आप क्या विचार कर रही हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महानिगम संघ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि 6.2.94 को मुझसे मिले थे। उनकी मांग थी कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाये और उनके मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : अध्यक्ष जी, सारे देश में केन्द्र सरकार के द्वारा...

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : इसका हमें उत्तर नहीं मिला हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसका उत्तर दिया है। असल में आपके सवाल का जवाब रावले के जवाब में था।

प्रो. प्रेम धूमल : मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में बताया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में ICDS का 100 नये प्रोजेक्ट खोलने का प्रस्ताव है और जहां कोन्सेनट्रेशन शैडयूल्ड और शैड्यूल्ड ट्राइब्स ज्यादा हैं वहां ये प्रोजेक्ट खोले जायेंगे। शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आपने जो महत्व दिया, उसका मैं स्वागत करता हूं। क्या आप पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों से जो प्रस्ताव आये हैं, उनको भी प्राथमिकता देंगे?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जो प्रस्ताव आये हैं, उनके बारे में आपने वित्त मंत्रालय को कहा है कि उनका वेतन बढ़ाया जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके मंत्रालय ने 400 रुपये से और कितने अधिक रुपये देने का प्रस्ताव दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब तक मंत्री महोदय अन्तिम निर्णय नहीं लेती मैं उनसे किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं करता हूं।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : मैं केवल प्रथम प्रश्न का ही उत्तर दूंगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : इनका प्रथम प्रश्न क्या था ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने पहाड़ी इलाके के बारे में पूछा है।

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि हम आठवीं अवधि के अंत तक इस कार्यक्रम को सार्वभौम बनाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जहां आंगनवाड़ियां नहीं हैं, वहां हम सामुदायिक पोषाहार कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। जब वहां आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हो जाएंगे तो हम सामुदायिक पोषाहार कार्यक्रमों को आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर देंगे। हम आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए योजना आयोग से अनुरोध कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या यह सच नहीं है कि पिछले वर्षों से इन लड़कियों को अधिकाधिक उत्तरदायित्व सौंपे जा रहे हैं, जिसके कारण इन्हें प्रतिदिन 12 घंटे तक कार्य करना पड़ता है ? क्या आप मुझे बताएंगी कि कौन-सा सरकारी कर्मचारी इतना कार्य करता है।

दूसरे मैं महोदय के बारे में बताना चाहूंगी। हम वर्षों से चिल्लाते आ रहे हैं। आपने इसमें कितनी वृद्धि की? आज तक महाराष्ट्र में यह केवल 400 रुपए हैं। अन्य क्षेत्रों में भी इससे अधिक कुछ नहीं किया गया है। इसलिए यह मुद्दा केवल वित्त आयोग को भेजने का नहीं है। मेरा विश्वास है कि संपूर्ण सदन आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर है। अतः उन्हें वे सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए जिनकी वे मांग कर रहे हैं। इस तथाकथित मानदेय को सरकारी कर्मचारियों के स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसके प्रति मुझे पूरी सहानुभूति है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये अंशकालिक अवैतनिक कार्यकर्ता हैं जो एक दिन में लगभग 4 घंटे काम करते हैं। इसलिए इन्हें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन देने पर विचार करना संभव नहीं है।

माननीय सदस्या ने कहा है कि उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों से भोजन तथा अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि हमने किशोर बालिका योजना आरंभ की है। इस योजना

के अंतर्गत हम उन्हें 150 रुपए दे रहे हैं। यह राशि उससे अधिक है जो अब प्राप्त कर रही हैं। हमने राज्य सरकारों से कह दिया है कि पर्यवेक्षकों की भर्ती के समय कुछ प्रतिशत पर्यवेक्षक उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से नियुक्त किए जाएं जिन्होंने दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और जो मैट्रिक पास हैं।

श्री ए. चार्ल्स : मुझे खेद है कि दिया गया उत्तर न तो विस्तृत है और न ही संतोषजनक है। मैं महसूस करता हूं कि संपूर्ण सदन इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। आगनवाड़ी कार्यकर्त्ता देशभर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को प्रथम कक्षा में जाने के लिए तैयार करने में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि इनके मानदेय में वृद्धि करने तथा अन्य सुविधाओं के लिए आठवीं लोकसभा से ही आंदोलन जारी है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी मांगे समयावधि के भीतर पूरी हो जाएंगी और क्या 10,000 की जनसंख्या या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आगनवाड़ी स्थापित करने के लिए कोई मार्ग निर्देश जारी किए जाएंगे? चूंकि कोई नई आंगनवाड़ी स्थापित नहीं की गई है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन दूर दराज के क्षेत्रों में जहां कमजोर वर्गों के लोग रहते हैं, नई आंगनवाड़ियां आरंभ की जाएंगी और क्या यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका ध्यान रखा जाएगा ?

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : मानदेय के बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुकी हूं और उसको मैं दोहराना नहीं चाहती। आदिवासी तथा ग्रामीण जिलों में आंगनवाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में हम इस वर्ष 100 परियोजनाएं आरंभ करने जा रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष 206 परियोजनाएं आरंभ की गई थी। इसके अलावा अनुसूचित जातियों तथा जनजाति बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में हम सामुदायिक केंद्र आरंभ करने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के लिखित जवाब से ऐसा आभास होता है जैसे यह बहुत हल्के किस्म का काम है, इसीलिए उनको वोलंट्री वर्कर्स कहा जाए। पैसे की भी बात है, जैसे बहुत बड़ी समस्या है, इस प्रकार का भाव निर्माण किया गया है।

सरकार का दस्तावेज आंगनवाड़ियों के बारे में यह कहता है।

[अनुवाद]

"अनेक मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय शिशु विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) से इस समय बहुत बड़ी राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और शिशु मृत्युदर में गिरावट आई है। इस योजना वाले क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य प्रतिरक्षण व्याप्त हुआ है और परिवार नियोजन को भी बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है।"

[हिन्दी]

इतने महत्वपूर्ण काम करने वाले कर्मचारियों को आप वोलंट्री वर्कर्स कह रहे हैं क्योंकि उनसे 300-500 रुपए में काम कराना चाहते हैं दफ्तर में बैठा हुआ बाबू, जो काम की निगरानी करता है, उसे दो ढाई हजार रुपए मिलते हैं और जिनकी हाजिरी लिखी जाती है वह 300 रुपए में रखा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं, जो स्वैच्छिक कार्य करते हैं।

मैं तीन सुझाव देता हूं। क्या मंत्री जी इन बातों पर कम से कम गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए तैयार हैं?

पहला, 3 लाख 90 हजार सैक्शंड आंगनवाड़ियां हैं, लेकिन आपके उत्तर के अनुसार काम करने वाली आंगनवाड़ियां आज मात्र 2 लाख 85 हजार हैं। आपकी जिन सैक्शंड आंगनवाड़ियों का निर्माण नहीं हुआ है, क्या आप उनका निर्माण करने के बारे में सोचेंगे? दूसरा जो महिलाएं आज वहां पर काम कर रही हैं, क्या आप उनकी तनख्वाह, सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर जाने से पहले, हर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है उस पर देने के लिए तैयार होंगे? तीसरा, जो गांवों के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं और जिनका राष्ट्रीय आवश्यकता का काम है, यह आपके मंत्रालय की रिपोर्ट में महसूस किया गया है, क्या आप हर क्षेत्र में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए तैयार हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, पहले प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि हमने अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। राज्य सरकारों को उन्हें कार्यरूप देना है। कुछ राज्यों ने इन परियोजनाओं पर कार्य आरंभ नहीं किया है और न ही उन्होंने पर्यवेक्षक की भर्ती की है तथा न ही आंगनवाड़ियां खोली हैं। अतः राज्य सरकारों ने विलंब किया है जिसका मैं पहले ही उत्तर दे चुकी हूं। मैं महिला हूं और इस नाते मुझे महिलाओं के प्रति बहुत सहानुभूति है। लेकिन चूंकि ये अंशकालिक तथा अवैतनिक कार्यकर्ता हैं इसलिए उन्हें केवल मानदेय ही दिया जाता है। हम यह मामला पहले ही वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर चुके हैं। मैं उसका ब्यौरा नहीं बता सकती। मैं समझती हूं माननीय सदस्य इस उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे।

श्रीमती सुशीला गोपालन : सरकार द्वारा आरंभ किया गया वास्तव में यह बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम है क्योंकि इससे लाखों लोग और बालक लाभान्वित हो रहे हैं। इस स्थान पर आप अपर प्राइमरी तथा प्रि-प्राइमरी की तथा निम्न मध्य वर्ग तथा मध्यवर्ग के बालकों को मिल रही श्रेष्ठ सुविधाओं की बात कर सकते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक निर्धन लोग रहते हैं वहां ये सुविधाएं बहुत सीमित हैं।

अनेक आंगनवाड़ियों के कोई भवन नहीं हैं और वे बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। उनकी हालत में सुधार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। कामकाजी वर्ग तथा निम्न एवं मध्य वर्ग से आने वाली इन महिलाओं को बहुत कम रुपया मिलता है। मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि ये ऐसा अवैतनिक कार्य कैसे करती हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अतः मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूं कि दिन में 12 घंटे तक कार्य करने वाले ऐसे बहुत ही निर्धन व्यक्ति के प्रति सरकार की क्या नीति है। वे केवल कक्षा में ही कार्य नहीं करते हैं अपितु लोगों के घरों में भी जाते हैं। यह सभी कार्य ये लोग केवल 400 रुपए के लिए ही करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए समय बहुत कम है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं जानना चाहती हूं कि क्या आप इन्हें नियमित करने के लिए तैयार हैं और उन्हें मानव मानते हुए उन्हें अच्छा वेतन देंगे, क्योंकि वे गांवों के प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : मैं पहले ही उत्तर दे चुकी हूं कि वे केवल अवैतनिक और अंशकालिक कार्य करते हैं। ये लगभग 4 घंटे तक ही कार्य करते हैं। मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करूंगी कि आंगनवाड़ी के भवनों के निर्माण के लिए वह कुछ धन दे दें। इस संबंध में मैंने उन्हें पत्र भी लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह से इंगित न करें। उन्हें स्वयं निर्णय लेने दीजिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : पिछले 2 वर्ष में सरकार के आंगनवाड़ी योजना का एक भाग निजी एजेंसियों को सौंपने का निर्णय किया है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि निजी एजेंसियां देश में समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में सरकार स्वयं परिचालक एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी उस क्षेत्र से अपना उत्तरदायित्व हटा कर उसे निजी संगठनों को क्यों सौंप रही हैं।

मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार गैर सरकारी संगठनों को समाज सेवा के क्षेत्र में समानांतर सरकार के रूप में कार्य करने देगी। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई निगरानी तंत्र है जिससे वह यह पता लगाए कि जिन एजेंसियों को आंगनवाड़ी योजनाएं चलाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है क्या वे अपना कार्य समुचित रूप से कर रही हैं और क्या ये निजी एजेंसियां इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण तो नहीं कर रही हैं ? क्या आपके पास ऐसी कोई निगरानी रखने की योजना है?

श्री बासवा राजेश्वरी : पिछले 2 वर्षों से हम कुल स्वीकृत परियोजना का दस प्रतिशत कार्यभार निजी एजेंसियों को सौंप रहे हैं। संपूर्ण परियोजना को निजी एजेंसियों को सौंपने की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हमारे पास रिपोर्ट है कि ये अच्छा कार्य कर रही हैं और ऐसा नहीं है कि ये समानांतर सरकार चला रही हों। केवल अब यही सुनिश्चित करना है कि यदि आई सी डी एस परियोजनाएं गैर सरकारी संगठनों को सौंपी जाएं तो वे इन्हें कैसे चला सकते हैं। हम इस आधार पर परीक्षण/प्रयोग कर रहे हैं और हमें संतोषजनक रिपोर्ट मिल गई है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदया, हमने भिन्न-भिन्न रिपोर्टें प्राप्त की हैं।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : यदि आपको कोई विशेष रिपोर्ट मिली है जहां गैर सरकारी संगठन ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं तो कृपया मुझे बताएं। मैं इसकी जांच कराऊंगी।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : मैं सरकार के इस मत से सहमत हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंशकालिक अवैतनिक कार्यकर्ता हैं और उनका कार्य स्वैच्छिक प्रकृति का है। किंतु ये गरीब अंशकालिक अवैतनिक कार्यकर्ता अपना दिन भर का अधिकांश समय हमारे बच्चों के कल्याण के लिए खर्च कर रहे हैं। यदि इन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करना संभव नहीं है तो उन्हें विभागतेर कार्यकर्ता क्यों नहीं माना जाता। डाक तथा तार विभाग के विभागेतर विभाग हैं, जिसमें लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश का मानसिक स्वास्थ्य बना हुआ है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभागेतर कार्यकर्ता मानेगी।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : यह प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठन

*304. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शैक्षिक गतिविधियों में लगे हजारों गैर सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन और उपयोगिता का किसी चरण पर आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष रहा तथा ऐसे स्वयंसेवी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है जो उन्हें मिल रहे अनुदानों का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गैर सरकारी संगठनों के कामकाज पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) योजनाओं में सामान्यतः संस्वीकृति प्रदान किए जाने के पूर्व गैर सरकारी संगठनों की संवीक्षा किए जाने की शर्त होती है। केंद्र और राज्य एजेंसियों द्वारा निरीक्षण का प्रावधान किया गया है और दोबारा अनुदान दिए जाने के पूर्व पिछले अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर जोर दिया जाता है। गैर सरकारी संगठनों के कार्य निष्पादन को संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में वित्तीय सहायता रोक दी जाती है;

(ग) शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान गैर सरकारी संगठनों को 48.71 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है;

पर्यावरण वाहिनियाँ

*305. **श्री राम टहल चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक देश में राज्यवार किन-किन जिलों में पर्यावरण वाहिनियों का गठन किया गया है;

(ख) इन वाहिनियों द्वारा अब तक शुरू किए गए कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा उन्हें इस संदर्भ में कितनी सफलता मिली है;

(ग) उपरोक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा राज्यवार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) क्या पर्यावरण एवं वन संरक्षण की दृष्टि से इस योजना के अंतर्गत कुछ और जिलों को शामिल किया जाएगा;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस देरी के क्या कारण हैं;

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) 31 मार्च 1995 तक 130 जिलों में पर्यावरण वाहिनियां गठित की गई हैं। इन जिलों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) पर्यावरणीय वाहिनियां पारि-शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि आयोजित करती रही हैं। इसके परिणामस्वरूप उनके संबंधित जिलों में पर्यावरणीय जागरूकता सृजित हुई हैं।

(ग) राज्यवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) और (ङ) 1995-96 के दौरान अधिक प्रदूषण की मात्रा, वन और जनजाति आबादी की सघनता के आधार पर 40 अतिरिक्त जिलों को इस स्कीम में शामिल किया जाएगा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

31-3-95 तक जिन जिलों में पर्यावरण वाहिनियां गठित की गई हैं, उनकी सूची

क्रम सं.	जिले का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	विशाखापट्टनम
2.	खम्माम
3.	कृष्णा
4.	पूर्वी गोदावरी
5.	पश्चिमी गोदावरी
6.	कर्नूल
	अरुणाचल प्रदेश
1.	पूर्वी सियांग
	असम
1.	डिबरूगढ़
2.	सिबसागर
3.	कार्बो-अंगलोंग
4.	सिलचर
	बिहार
1.	हजारीबाग
2.	रोहतास
	गोवा
1.	दक्षिणी गोवा
2.	उत्तरी गोवा
	गुजरात
1.	अहमदाबाद
2.	वलसाद
3.	वडोदरा
	हरियाणा
1.	रोहतक

1	2
2.	हिसार
	हिमाचल प्रदेश
1.	कुल्लू
2.	कांगड़
3.	सिरमौर
4.	उना
5.	हमीरपुर
6.	चंबा
7.	मंडी
8.	बिलासपुर
	जम्मू एवं कश्मीर
1.	लेह
	कर्नाटक
1.	दक्षिण कन्नड
2.	मैसूर
3.	बंगलौर ग्रामीण
4.	शिमोगा
5.	गुलबरगा
6.	बिदर
	केरल
1.	इडुकी
2.	पालघाट
3.	अर्नाकुलम
4.	कोझीकोडे
5.	वैनाद
	मध्य प्रदेश
1.	बस्तर
2.	भिंड
3.	छिंदवाड़ा
4.	दमोह
5.	मान्डसौर

1	2
6.	रायसेन
7.	शहडोल
8.	बालघाट
9.	जबलपुर
10.	सतना
11.	बेतुल
12.	भोपाल
13.	छतरपुर
14.	दतिया
15.	ग्वालियर
16.	माडला
17.	मोरेना
18.	नरसिंगपुर
19.	पन्ना
20.	राजगढ़
21.	रायपुर
22.	राजनंदगांव
23.	रतलाम
24.	रेवा
25.	सागर
26.	सिवनी
27.	शाहजहांपुर
28.	शिवपुरी
29.	सिधि
30.	सरगुजा
31.	तिकमगढ़
32.	उज्जैन
33.	विदीषा
34.	पश्चिम निमर
35.	देवास

1	2
36.	दुर्ग
37.	सेहोर
38.	खांडवा (पूर्वी निमर)
39.	झबुआ
40.	इंदौर
	महाराष्ट्र
1.	बंदरा
2.	नागपुर
3.	थाणे
4.	चंद्रापुर
5.	सिंधुदुर्ग
6.	रत्नागिरि
7.	पुणे
	मणिपुर
1.	उखरुल
	मेघालय
1.	पूर्वी खासी पहाड़ियां
	मिजोरम
1.	अजंवाल
	नागालैंड
1.	कोहिमा
2.	मोकोकचुंग
	उड़ीसा
1.	कालाहांडी
2.	बोलंगिर
3.	धेंकनाल
	पंजाब
1.	संगरूर
2.	लुधियाना
3.	रोपड़

1	2
4.	फिरोजपुर
	राजस्थान
1.	डुंगरपुर
2.	पाली
3.	उदयपुर
4.	अलवर
5.	कोटा
6.	चित्तौड़गढ़
	सिक्किम
1.	उत्तरी सिक्किम
	तमिलनाडु
1.	मद्रास
2.	मदुरै
3.	उत्तरी अरकोट
4.	तिरूनवेली कोट्टाबोमान.
5.	डिंडिगुल
6.	तंजौर
7.	नीलगिरि
	त्रिपुरा
1.	दक्षिणी त्रिपुरा
	उत्तर प्रदेश
1.	आगरा
2.	इलाहाबाद
3.	कानपुर
4.	सुलतानपुर
5.	सोनभद्रा
6.	देहरादून
7.	चमोली
8.	नैनीताल
9.	गाजियाबाद

1	2
10.	देवरिया
11.	मुरादाबाद
12.	सहारनपुर
13.	मेरठ
संघ राज्य क्षेत्र	
	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह
1.	अंडमान
	चंडीगढ़
1.	चंडीगढ़
	दिल्ली
1.	दिल्ली
कुल	130

विवरण-II

1992-93, 1993-94, 1994-95 के दौरान राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार दी गई राज्यवार वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	94,500	1,36,000	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	13,500	34,000	-
3.	असम	54,000	68,000	-
4.	बिहार	81,000	34,000	-
5.	गोवा	27,000	88,000	-
6.	गुजरात	54,000	1,02,000	-
7.	हरियाणा	27,000	68,000	-
8.	हिमाचल प्रदेरा	67,500	1,36,000	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर	40,500	-	-
10.	कर्नाटक	81,000	2,04,000	-
11.	केरल	67,500	1,70,000	-
12.	मध्य प्रदेश	1,89,000	1,70,000	-
13.	महाराष्ट्र	1,08,000	1,70,000	-
14.	मणिपुर	13,500	34,000	-
15.	मेघालय	13,500	34,000	-
16.	मिजोरम	13,500	34,000	34,000
17.	नागालैण्ड	27,000	-	-
18.	उड़ीसा	40,500	1,02,000	-
19.	पंजाब	54,000	1,36,000	1,26,400

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	67,500	1,70,000	1,50,500
21.	सिक्किम	13,500	-	-
22.	तमिलनाडु	94,500	1,26,400	-
23.	त्रिपुरा	13,500	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	1,08,000	2,04,000	2,86,000
केन्द्र शासित प्रदेश				
1.	अंडमान	13,500	-	-
2.	चण्डीगढ़	13,500	-	-
3.	दिल्ली	13,500	-	-
4.	पांडिचेरी	13,500	-	-
	कुल	14,17,500	22,20,400	5,96,900

[अनुवाद]

चीनी मिलें

*306. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रणाली उदार बनाने हेतु निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) लाइसेंस-मुक्त करने के विकल्प सहित चीनी उद्योग की वर्तमान "लाइसेन्सिंग" नीति की सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

मालडिब्बों के लिए क्रयादेश

*307. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के लिए मालडिब्बों हेतु क्रयादेश देने में रेलवे की असफलता से पश्चिम बंगाल में मालडिब्बे बनाने वाले एककों के बंद होने और इनमें काम कर रहे हजारों कुशल मजदूरों के बेरोजगार होने की संभावना है;

(ख) रेलवे द्वारा माल-डिब्बे खरीदने के बारे में अपनी कोई स्पष्ट नीति अब तक तय न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन एककों द्वारा उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री की समुचित आयोजना किये जाने और उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक क्रयादेश कम से कम तीन चार माह पूर्व जारी किये जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने मालडिब्बों की अपनी कुल आवश्यकता का निर्धारण कर लिया है और गैर सरकारी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र, यथा वैगन इंडिया लिमिटेड को क्रयादेश देने का निर्णय लिया हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) 1995-96 के बजट में, चौपहियों के हिसाब से 12,000 मालडिब्बों के अधिग्रहण की व्यवस्था की गई हैं।

इन 12,000 चौपहियों में से, 1200 चौपहियों के लिए रेल कारखानों को आदेश दिए गए हैं जबकि शेष चौपहियों के लिए निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के मालडिब्बा निर्माण उद्योग को आर्डर दिये जाएंगे। आर्डर शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं।

प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक एकक

*308. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** :
डा. के.वी.आर. चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में विभिन्न औद्योगिक एककों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में राज्यवार ऐसे औद्योगिक एककों की संख्या क्या हैं;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में इनमें से राज्यवार कितने एककों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने एककों को बंद कर दिया गया है; और

(ङ) शेष एककों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां। सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के परामर्श से अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों के अंतर्गत बड़े और मझौले क्षेत्र की 1551 इकाइयों की शिनाख्त की है, उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के मामले में जिन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

(ख से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में प्रदूषण फैलाने वाले इकाइयों, जिसमें वे शामिल हैं जो बंद कर दिए गए हैं तथा जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण प्रकरण लगा लिए हैं, का राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

इकाइयों की कुल सं.	बंद की गई इकाइयों की सं.	श्रेणीवार विवरण		
		श्रेणी	इकाइयों की सं.	उन इकाइयों की सं. जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण उपकरण हैं
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश			
173	34	कास्टिक सोडा	02	02
		सीमेंट	19	14
		मद्य निर्माणशाला	19	09
		रंग और रंगाई माध्यम	06	04
		उर्वरक	07	05
		समन्वित लौह और इस्पात	01	01
		चमड़ा	11	05
		कीटनाशक	04	04
		मूल दवाएं व औषध निर्माण	51	37
		लुगदी एवं कागज	13	07
		तेल शोधन कारखाना	01	00
		चीनी	32	16
		ताप विद्युत संयंत्र	06	03
		जिंक प्रगालक	01	00
2.	असम			
15	00	सीमेंट	02	02
		उर्वरक	03	01
		लुगदी एवं कागज	02	02

1	2	3	4	5
		तेल शोधन कारखाना	03	02
		चीनी	01	00
		थर्मल पावर प्लांट	04	03
3.	**बिहार**			
62	14	कास्टिक सोडा	01	01
		सीमेंट	06	04
		तांबा प्रगालक	01	00
		मद्य निर्माणशाला	06	05
		रंग और रंगाई माध्यम	02	02
		उर्वरक	04	01
		समन्वित लौह एवं इस्पात	02	00
		चमड़ा	01	01
		कीटनाशक	01	00
		मूल दवायें और औषध निर्माण	01	01
		तेल शोधन कारखाना	01	01
		चीनी	27	18
		थर्मल पावर प्लांट	09	04
4.	**गोवा**			
06	00	उर्वरक	01	01
		कीटनाशक	01	01
		मूल दवाएं एवं औषध निर्माण	03	03
		चीनी	01	01
5.	**गुजरात**			
177	02	कास्टिक सोडा	03	03
		सीमेंट	18	18
		मद्य निर्माण शाला	10	07
		रंग और रंगाई माध्यम	13	11
		उर्वरक	09	09
		समन्वित लौह एवं इस्पात	01	01
		चमड़ा	02	02
		कीटनाशक	29	29

1	2	3	4	5
		पैट्रो रसायन	07	07
		मूल दवाएं एवं औषध निर्माण	53	52
		लुगदी एवं कागज	06	04
		तेल शोधन कारखाना	01	01
		चीनी	14	12
		ताप विद्युत संयंत्र	11	11
6.	**हरियाणा**			
43	03	सीमेंट	02	01
		मद्य निर्माण शाला	07	03
		उर्वरक	04	04
		चमड़ा	02	02
		कीटनाशक	03	03
		मूल दवाएं एवं औषध निर्माण	08	06
		लुगदी और कागज	04	03
		चीनी	11	11
		ताप विद्युत संयंत्र	02	00
7.	**हिमाचल प्रदेश**			
09	00	सीमेंट	02	02
		मद्य निर्माण शाला	03	03
		चमड़ा	01	01
		मूल दवाएं एव औषध निर्माण	02	02
		लुगदी एवं कागज	01	01
8.	**जम्मू एवं कश्मीर**			
08	03	सीमेंट	01	00
		मद्य निर्माण शाला	03	00
		उर्वरक	01	01
		मूल दवाएं एवं औषध निर्माण	03	00
9.	**कर्नाटक**			
85	06	एल्युमिनियम प्रगालिक	01	01
		कास्टिक सोडा	01	01

1	2	3	4	5
		सीमेंट	09	08
		मद्य निर्माण शाला	13	03
		रंग और रंगाई माध्यम	06	05
		उर्वरक	01	01
		कीटनाशक	04	04
		पैट्रो रसायन	01	01
		मूल दवाएं व औषध निर्माण	16	14
		लुगदी और कागज	05	05
		चीनी	27	14
		ताप विद्युत संयत्र	01	01
10.	**केरल**			
28	04	एल्युमिनियम प्रगालक	01	01
		कास्टिक सोडा	01	01
		सीमेंट	02	02
		मद्य निर्माण शाला	03	01
		उर्वरक	02	02
		चमड़ा	02	01
		कीटनाशक	01	01
		पैट्रो रसायन	02	02
		मूल दवाएं एवं औषध निर्माण	03	02
		लुगदी व कागज	06	05
		तेल शोधन कारखाना	01	01
		चीनी	03	00
		जिंग प्रगालक	01	01
11.	**महाराष्ट्र**			
335	14	कास्टिक सोडा	04	04
		सीमेंट	06	05
		मद्य निर्माण शाला	38	28
		रंग व रंगाई माध्यम	29	25
		उर्वरक	12	12
		चमड़ा	08	02

1	2	3	4	5
		कीटनाशक	13	11
		पैट्रो रसायन	32	32
		मूल दवाएं व औषध निर्माण	58	58
		लुगदी व कागज	23	18
		तेल शोधन कारखाना	02	02
		चीनी	102	94
		ताप विद्युत संयंत्र	08	02
12.	**मध्य प्रदेश**			
78	02	एल्युमिनियम प्रगालक	01	01
		कास्टिक सोडा	02	02
		सीमेंट	16	14
		मद्य निर्माण शाला	16	08
		रंग व रंगाई माध्यम	05	03
		उर्वरक	07	07
		समन्वित लौह एवं इस्पात	01	00
		मूल दवाएं और औषध निर्माण	11	10
		लुगदी और कागज	05	04
		चीनी	07	04
		ताप विद्युत संयंत्र		
13.	**मेघालय**			
01	00	सीमेंट	01	00
14.	**उड़ीसा**			
23	00	एल्युमिनियम प्रगालक	02	01
		कास्टिक सोडा	02	02
		सीमेंट	02	02
		मद्य निर्माण शाला	01	00
		उर्वरक	04	03
		समन्वित लौह व इस्पात	01	00
		लुगदी और कागज	03	00
		चीनी	04	04
		ताप विद्युत संयंत्र	04	01

1	2	3	4	5
15.	पंजाब			
45	02	कास्टिक सोडा	01	01
		मद्य निर्माण शाला	03	02
		उर्वरक	07	07
		कीटनाशक	03	03
		मूल दवाएं व औषध निर्माण	05	04
		लुगदी व कागज	07	00
		चीनी	17	13
		ताप विद्युत संयंत्र	02	02
16.	राजस्थान			
49	05	कास्टिक सोडा	02	02
		सीमेंट	13	12
		तांबा प्रगालक	01	00
		मद्य निर्माण शाला	05	04
		रंग व रंगाई माध्यम	01	00
		उर्वरक	09	08
		कीटनाशक	01	01
		मूल दवाएं व औषध निर्माण	04	03
		चीनी	03	02
		ताप विद्युत संयंत्र	08	08
		जिंक प्रगालक	02	02
17.	सिक्किम			
01	00	मद्य निर्माण शाला	01	00
18.	तमिलनाडु			
119	02	एल्युमिनियम प्रगालक	01	00
		कास्टिक सोडा	03	03
		सीमेंट	11	11
		मद्य निर्माण शाला	08	07
		रंग व रंगाई माध्यम	01	01
		उर्वरक	08	07
		चमड़ा	24	22

1	2	3	4	5
		कीटनाशक	04	04
		पैट्रो रसायन	06	06
		मूल दवाएं व औषध निर्माण	10	09
		लुगदी और कागज	05	05
		तेल शोधन कारखाना	01	01
		चीनी	31	28
		ताप विद्युत संयंत्र	06	05
19.	**संघ शासित क्षेत्र दिल्ली**			
05	00	उर्वरक	01	01
		कीटनाशक	01	00
		ताप विद्युत संयंत्र	03	01
20.	**संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी**			
06	00	कास्टिक सोडा	01	01
		मद्य निर्माण शाला	01	00
		मूल दवाएं व औषध निर्माण	02	01
		लुगदी व कागज	01	01
		चीनी	01	00
21.	**संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़**			
01	00	मूल दवाएं व औषध निर्माण	01	01
22.	**उत्तर प्रदेश**			
224	16	एल्युमिनियम प्रगालक	01	00
		सीमेंट	04	01
		मद्य निर्माण शाला	34	28
		उर्वरक	22	19
		चमड़ा	18	16
		कीटनाशक	03	02
		पैट्रो रसायन	01	01
		मूल दवाएं व औषध निर्माण	13	11
		लुगदी और कागज	07	07
		तेल शोधन कारखाना	01	01

1	2	3	4	5
		चीनी	106	73
		ताप विद्युत संयंत्र	14	08
23.	**पश्चिम बंगाल**			
58	14	कास्टिक सोडा	02	00
		सीमेंट	02	01
		मद्य निर्माण शाला	06	01
		रंग व रंगाई माध्यम	01	00
		उर्वरक	08	03
		समन्वित लौह और इस्पात	02	00
		चमड़ा	01	01
		कीटनाशक	03	00
		मूल दवाएं व औषध निर्माण	08	02
		लुगदी और कागज	08	00
		तेल शोधन कारखाना	01	00
		चीनी	04	00
		ताप विद्युत संयंत्र	12	05
कुल 1551	121			1178

(ङ) प्रत्येक मामले के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात् संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा केन्द्र शासित प्रदेश की प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने दोषी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई आरम्भ की है।

उपभोक्ताओं को उत्पाद शुल्क संबंधी लाभ

* 309. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने का है कि उत्पाद-शुल्क संबंधी लाभ उपभोक्ताओं को मिलें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने गत वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पाद-शुल्क रियायतों के मामले में दोषी पाए उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पहले से पैकशुदा वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए, इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पहले से पैकशुदा वस्तुओं के विनिर्माताओं का ध्यान हाल में हुई करों में कटौती के लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की ओर आकर्षित किया गया है और डीलरों/व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया तो दाण्डिक कार्रवाई की जाएगी।

(2) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के

मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए नियम के तहत कार्रवाई करें कि उपभोक्ताओं से विनिर्माताओं द्वारा घोषित संशोधित मूल्यों से अधिक मूल्य न लिया जाए।

(3) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने चारों ही शीर्ष उद्योग एसोसिएशनों के अध्यक्षों को भी पत्र लिखे हैं, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके सदस्य शुल्क में हुई रियायतों के लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।

(4) सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बाट और माप विभाग के प्रभारी सचिवों को बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखे जा चुके हैं।

(5) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को इस अनुरोध के साथ पत्र लिखा गया है कि वे नमूना आधार पर कुछ चुनी मदों के संबंध में यह अध्ययन करें कि क्या उद्योगों ने कर रियायतों के लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाए हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क नियमों के तहत ऐसे उद्योगों के विरुद्ध जिन्होंने शुल्क रियायतों को देने के मामले में चूक की है, कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(च) इस मंत्रालय ने विस्तृत रूप से सरकार द्वारा घोषित शुल्क रियायतों के बारे में व्यापक प्रचार द्वारा उपभोक्ताओं के बीच आम जागरूकता पैदा की है तथा इस संबंध में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को सक्रिय किया है।

[हिन्दी]

गंगा सफाई योजना

*310. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा सफाई योजना, चरण-दो को अन्तिम रूप दे दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धन राशि खर्च होगी, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक कितना कार्य किया गया है,

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ग) सरकार ने गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत यमुना एवं गोमती कार्य योजनाओं का अनुमोदन किया है। इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। उत्तर-प्रदेश एवं बिहार राज्य सरकारों से गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ही विचार किया जा रहा है। दामोदर नदी तथा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे स्थित नगरों के संबंध में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) (1) यमुना एवं गोमती कार्य योजनाएं

(i) यमुना कार्य योजना : यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के 8 नगरों (सहारनपुर, मुफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, वृंदावन, मथुरा, आगरा और इटावा) तथा हरियाणा के 6 नगरों (यमुनानगर एवं जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद) को शामिल किया गया है। यमुना कार्य योजना की संस्वीकृत लागत 357 करोड़ रु. है।

(ii) गोमती कार्य योजना : गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश के 3 नगरों लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर को शामिल किया गया है। गोमती कार्य योजना की संस्वीकृत लागत 64 करोड़ रु. है।

(2) गंगा कार्य योजना चरण-II (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 10 नगरों एवं बिहार के 11 नगरों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस कार्य की अनुमानित लागत 235.234 करोड़ रु. है जिसमें गंगा परियोजना निदेशालय के लिए स्थापना, अनुसंधान एवं विकास, जल गुणवत्ता निगरानी तथा जन-भागीदारी के लिए 9.513 करोड़ रु. का प्रावधान शामिल है। इसमें शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित नगरों की सूची निम्नानुसार है :

उत्तर प्रदेश

(i) गंगा कार्य योजना-1 नगर

1. हरिद्वार-ऋषिकेश
2. कानपुर
3. इलाहाबाद
4. फर्रुखाबाद
5. वाराणसी

6. मिर्जापुर

(ii) नए नगर

7. मुगल सराय

8. गाजीपुर

9. सैदपुर

10 गढ़मुक्तेश्वर

बिहार

(i) गंगा कार्य योजना चरण-1 नगर

1. पटना

2. भागलपुर

3. मुंगेर

4. छपरा

(ii) नए नगर

5. बक्सर

6. आरा

7. पातवा

8. बारा

9. बरैया

10. सुल्तानगंज

11. साहबगंज

मोटे अनाज

*311 **श्री नवल किशोर राय :**
डॉ. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान मोटे अनाजों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद इनको प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आई है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस अवधि के दौरान मोटे अनाजों के उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार इनकी अनुमानतः प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) वर्षा और मौसम की स्थितियों में परिवर्तन के कारण पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991-92 से 1993-94 तक देश में मोटे अनाजों के उत्पादन में कमीबेशी होती रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल मोटे अनाजों का उत्पादन इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)
1991-92	25.99
1992-93	36.59
1993-94	30.92

(ग) उत्पादन में उतार चढ़ाव के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान मोटे अनाजों की निवल उपलब्धता में भी उतार-चढ़ाव रहा है।

(घ) 1992, 1993 और 1994 के दौरान मोटे अनाजों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता क्रमशः 21.5,31.6 और 26.0 किलोग्राम आंकी गई है।

(ङ) 1992, 1993 और 1994 के दौरान उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार मोटे अनाजों की प्रति व्यक्ति अनुमानित निवल उपलब्धता क्रमशः 28.12, 29.5 और 30.2 किलोग्राम है।

[अनुवाद]

जानवरों की मौत

*312. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राष्ट्रीय प्राणि-उद्यानों और चिड़ियाघरों में बीमारी के कारण जानवरों की मौत होने के संबंध में सूचनाएं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राणि-उद्यानों और चिड़ियाघरों में जानवरों को स्वस्थ रखने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राष्ट्रीय उद्यानों में इक्के-दुक्के पशुओं की मृत्यु पर सामान्यता ध्यान नहीं जाता है क्योंकि ये मौतें जंगल में होती हैं। अतः जब तक कि चोरी छिपे शिकार एवं महामारियों के कारण ऐसा न हुआ हो इस प्रकार की सूचना का संकलन करना कठिन होता है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को विभिन्न चिड़ियाघरों में बीमारी के कारण पशुओं के मरने की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार पशुओं के स्वास्थ के लिए सुविधाजनक हालात पैदा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देती है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण विभिन्न चिड़ियाघरों

को पशु आवास सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने, पशुओं के अनुरक्षण और स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राज्य	चिड़ियाघर का नाम	1993-94 के दौरान पशुओं की मौत
1	2	3
1. उड़ीसा	नन्दनकानन बायोलोजिकल उद्यान	282
2. पंजाब	सी.एम.सी. जूलोजिकल उद्यान छतबीर	55
3. गुजरात	अहमदाबाद चिड़ियाघर	494
	स्याजीबाज चिड़ियाघर, बड़ौदा	70
	स्काबाज चिड़ियाघर, जूनागढ़	85
4. बिहार	जवाहर लाल नेहरू बायोलोजिकल उद्यान बोकारो	5
	संजय गांधी जूलोजिकल उद्यान, पटना	55
5. महाराष्ट्र	वीरमाता जीजाबाई भौंसले उद्यान, बम्बई	20
	औरंगाबाद चिड़ियाघर	15
	महाराजबाग चिड़ियाघर, नागपुर	33
6. मणिपुर	मणिपुर चिड़ियाघर, इरोजेम्बा	6
7. असम	असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहाटी	140
8. केरल	त्रिवेन्द्रम चिड़ियाघर	41
9. त्रिपुरा	सेपहजाला जूलोजिकल उद्यान, अगरतला	10
10. उत्तर प्रदेश	प्रिन्स ऑफ वेल्स जूलोजिकल गार्डन, लखनऊ	149
	कानपुर चिड़ियाघर	64
11. पश्चिम बंगाल	अलीपुर चिड़ियाघर, कलकत्ता	164
	कलकत्ता स्नेक पार्क	11
12. तमिलनाडु	मद्रास स्नेक पार्क ट्रस्ट	16
13. अरुणाचल प्रदेश	इंटानगर चिड़ियघर	18
14. दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणि उद्यान	141

ताप विद्युत संयंत्रों से फ्लाईएश का उत्सर्जन

*313. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों में पैदा होने वाली/उनसे निकलने वाली "फ्लाईएश" के स्तर और पर्यावरणीय प्रदूषण पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत संयंत्रों से "फ्लाईएश" की मात्रा तथा उत्सर्जन में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विद्युत संयंत्रों से "फ्लाईएश" उत्सर्जन संबंधी कोई मानक निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो विद्युत संयंत्रों द्वारा स्थिर वैद्युतिकी अवक्षेपक (इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स) लगाकर इन मानकों का किस हद तक अनुपालन किया जा रहा है;

(च) क्या सरकार ने "फ्लाईएश" के लाभकारी उपयोग के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। देश में ताप विद्युत संयंत्रों से प्रतिवर्ष लगभग 40 मिलियन टन फ्लाईएश उत्पन्न होता है। काफी मात्रा में फ्लाईएश उत्पन्न होने और इसके अनुचित निपटान के कारण कुछ स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता, भूति और जल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) ताप विद्युत संयंत्रों से फ्लाईएश की मात्रा और उत्सर्जन को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों से धूल कणों के उत्सर्जन हेतु मानक निर्धारित किए हैं। सभी ताप विद्युत संयंत्रों को प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने और समयबद्ध आधार पर निर्धारित मानकों के अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।

(2) 500 मेगावाट और उससे ऊपर की स्थापित क्षमता वाले कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए उन खानों से जोड़ा जाना अपेक्षित है जो शुद्ध कोयले की पूर्ति करेंगे।

(3) नए संयंत्रों को पर्यावरणीय स्वीकृति देते समय यह निर्धारित किया जाता है कि विद्युत संयंत्र के चारों ओर हरित पट्टी बनाई जाए और वायु जल की लागातार निगरानी की जाए। साथ ही परियोजना प्राधिकारियों को फलाईएश उपयोगिता कार्यक्रम बनाना और उसका पालन करना अपेक्षित है।

(4) कोयला नियंत्रक फील्ड इकाइयों के माध्यम से कोयले के परेषणों की गुणवत्ता नियंत्रण की जांच के लिए कदम उठाने शुरू किए गए हैं।

(ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में 73 ताप विद्युत संयंत्रों में से 30 संयंत्रों के पास मानकों के पालन के लिए पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं हैं जबकि 43 इकाइयों के पास प्रदूषण प्रणालियां अपर्याप्त हैं।

(च) और (छ) फलाईएश की उपयोगिता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है :

(1) 25 प्रतिशत से अधिक फलाईएश वाले फलाईएश आधारित उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क छूट और विशिष्ट उपस्करों हेतु सीमा शुल्क छूट सहित सहित राजकोषीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है।

(2) प्रायोगिक तथा अनुसंधान और विकास परियोजनाएं स्थापित करने के लिए जो कि फलाईएश का उपयोग करती हैं, वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

(3) फ्लाईएश की उपयोगिता और इसके कम से कम 10 वर्षों तक मुफ्त उपलब्धता के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

(4) सरकार द्वारा "फलाईऐश निपटान और उपयोगिता हेतु चुनिंदा प्रौद्योगिकी परियोजनाएं" पर मिशन मोड पर एक प्रौद्योगिकी परियोजना संचालित की गई हैं।

केसरी दाल

***314 श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत एक वर्ष के दौरान, राज्य-वार, केसरी दाल का कुल कितना उत्पादन हुआ हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार केसरी दाल की खेती पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गये हैं। लेकिन कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने 1989 के दौरान बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल राज्यों के प्रमुख मंत्रियों से अनुरोध किया था कि वे केसरी दाल की खेती/विपणन् रोक लगाएं। बाद में 1992 में इस मंत्रालय ने एक बार फिर मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया कि खाद्य अपमिश्रग निवारण नियम, 1955 के नियम 44-क के अन्तर्गत केसरी दाल पर रोक लगाएं।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान केसरी दाल का राज्य-वार उत्पादन

राज्य	उत्पादन (हजार मीटरी टन में)
बिहार	184.4
मध्यप्रदेश	332.5
महाराष्ट्र	16.9
पश्चिम बंगाल	40.1
अखिल भारत :	573.9

वन्य जीव संबंधी अपराध

*315. **श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के वन्य जीव संसाधनों में निरन्तर कमी होने का एक प्रमुख कारण वन्यजीव संबंधी अपराधों का कम मामलों में दोष-सिद्ध होना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को और अधिक कठोर बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वन्य जीव संबंधी अपराधों के कम मामलों में दोष-सिद्धि वन्य जीव संसाधनों में निरंतर कमी का एक प्रमुख कारण है।

(ख) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में अंतिम

बार 1991 में संशोधन किया गया था। इस समय इस अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

*** 316. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख रेल-परियोजनाओं का कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनका कार्य पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई थी और कार्य में कितना विलम्ब हो रहा है तथा इसके परिणामस्वरूप इनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा उन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या-क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं, तथापि संसाधनों की तंगी परिचालनिक प्राथमिकताओं के कम होने के कारण कुछ परियोजनाओं को अस्थाई रूप से रोक दिया गया है।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) नई लाइनें

क. हिमाचल प्रदेश में नंगल डेम-तलवाड़ा

ख. पश्चिम बंगाल में डवड़ा-आमटा-चम्पा डंगा

ग. देवास-मकसी तथा इंदौर-दाहोव (इस कार्य को पुनः शुरू करने पर विचार किया जा रहा है)

(2) आमान परिवर्तन कार्य

क. समदड़ी-भीलड़ी-मूनी

ख. मेहसाणा-पाठन, भीलड़ी तक बढ़ाए जाने सहित

ग. लालकुआं-काशीपुर (इस कार्य को पुनः शुरू करने पर विचार किया जा रहा है)

(ग) एक बार परियोजनाओं का काम शुरू हो जाने के बाद ही इन परियोजनाओं के पूरा करने का कार्यक्रम निश्चित किया जाएगा और तभी यह पता चल पाएगा कि इनमें कितना विलम्ब होगा और उस विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि होगी।

(घ) समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के काम तभी संभव होंगे, जब कार्यों को पुनः शुरू किया जा सकेगा जो संसाधनों की उपलब्धता में सुधार होने तथा कुछ चालू परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद ही संभव होगा उसके पश्चात् भी, प्रत्येक मामलें में, नई लाइन परियोजना‌ओं के मामलें में, चूंकि इन परियोजनाओं को बजटीय समर्थन से वित्त पोषक किया जायेगा इसलिए यह आगामी वर्षों में योजना आयोग द्वारा धन उपलब्ध कराने पर निर्भर करेगा तथा अन्य परियोजनाओं के लिए रेलों के आंतरिक संसाधनों के भीतर इन कार्यों के लिए निर्धारित संसाधनों की उपलब्धता प निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

पामोलीन का आयात

***317. श्री वल्लभ पाणिग्रही : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अब तक कितने मूल्य के पामोलीन तेल का आयात किया गया है;

(ख) वर्ष 1994 के दौरान वास्तव में कितना पामोलीन तेल का आयात किया गया है;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को एजेंसियों द्वारा किये गये आयात का अलग-अलग तथा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एककों द्वारा किए गये आयात का एककवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एक ओर सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच तथा दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र की विभिन्न एजेंसियों के बीच लागत, बीमा, भाड़ा (सी.आई.एफ.) मूल्य में ज्यादा अन्तर है;

(ङ) क्या पामोलीन तेल के आयात और वितरण के संबंध में कुछ अनियमितताओं का सरकार को पता चला है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रथा को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाएंगे?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वित्तीय वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 51.04 करोड़ रुपए तथा 188.94 करोड़ रुपए मूल्य के आर.बी.डी. पामोलीन का आयात किया है।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आर.बी.डी. पामोलीन की 1,07,013 मी. टन मात्रा का आयात किया गया था।

(ग) अगस्त, 1994 से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा चुने खाद्य तेलों की लगभग 1.34 लाख मी. टन मात्रा का आयात किया गया है। राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया आयात भाग (ख) के उत्तर में दिया गया है। इस समय खुले सामान्य लाइसेंस के तहत निजी अभिकरणों द्वारा किए गए खाद्य तेल के आयात के ठीक-ठीक स्तर या उनके मूल्यों को मॉनीटर करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। तथापि, मंत्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार वर्ष

1994-95 के दौरान विभिन्न फर्मों (राज्य व्यापार निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को छोड़कर) द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के तहत लगभग 27,123 मी. टन खाद्य तेल का आयात किया गया है, लेकिन इसका मूल्य ज्ञात नहीं है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के मूल्यों में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है। आयातों का लागत, बीमा व भाड़ा सहित मूल्य किए जाने वाले अनुबंध के समय पर निर्भर करता है, अतः कोई तुलना संभव नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक

*318 : **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के प्रयोग संबंधी निर्धारित अधिकतम एन.पी.के. अनुपात क्या है;

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस संबंध में वास्तविक अनुपात क्या-क्या रहा;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान, विशेष रूप से यूरिया को नियन्त्रण मुक्त करने के बाद उर्वरकों में इन तीन तत्वों के अनुपात असन्तुलन में काफी वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार ने अल्पावधि और दीर्घावधि हितों को ध्यान में रखते हुए इस सन्तुलन को बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) देश के लिये एन.पी. का वांछनीय अनुपात 4 : 2 : 1 है।

(ख) प्राप्त हुआ वास्तविक अनुपात इस प्रकार है :

वर्ष	एन.पी. के का अनुपात
1992-93	9.5 : 3.2 : 1
1993-94	9.7 : 2.9 : 1
1994-95 (अनुमानित)	8.2 : 2.5 : 1

(ग) फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों को विनियंत्रित किए जाने के बाद असंतुलन बढ़ गया है।

(घ) सरकार ने असंतुलन को कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) वर्ष 1992-93 में फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों को नियंत्रणरहित बनाने के बाद उनकी बिक्री पर रियायतों की योजना को जारी रखा जा रहा है।

(2) उर्वरकों के संतुलित और समेकित उपयोग को एक योजना आठवीं योजना के दौरान आरम्भ की गई है। जिसके अन्तर्गत कार्बनिक खाद जैव-उर्वरकों तथा सूक्ष्म पोषिक तत्वों के उपयोग के माध्यम से पोषक तत्वों के समेकित उपयोग को तथा साथ ही रासायनिक पोषक तत्वों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता है।

(3) कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के उपयोग के विकास पर राष्ट्रीय परियोजना 1994-95 में आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत हरी खाद तथा समेकित पोषण को बढ़ावा दिया जाता है।

(4) जैव-उर्वरकों के विकास और उपयोग पर राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत जैव उर्वरकों के उत्पादन, वितरण और उपयोग को बढ़ावा दिया जाता हैं।

(5) उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिये राज्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयेजित करने की सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

क्षतिग्रस्त माल के लिये मुआवजा

*319 **श्री महेश कनोडिया :**
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान पृथक-पृथक रूप से रेलवे द्वारा क्षतिग्रस्त माल के मुआवजे के रूप में कितनी धन राशि का भुगतान किया गया; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार के नुकसान को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेलों द्वारा दुलाई के लिए बुक किए गए माल की हानि/क्षति हेतु मुआवजे के रूप में 1992-93 के दौरान 22.3 करोड़ रुपए, 1993-94 के दौरान 25.4 करोड़ रुपए और 1994-95 (फरवरी' 95 तक) 21.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।

(ख) रेलें दुलाई के लिए सौंपे गए माल की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परेषण बिना चोरी या क्षति के अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचते हैं निरन्तर प्रयास कर रहा हैं इस प्रयोजन हेतु विभिन्न निवारक उपाय किंए जाते हैं जिनमें परेषणों की समुचित पैकिंग, निशान लगाना और लेबल लगाना, ब्रेक यानों और सामान यानों में समुचित ढंग से ताला लगाना, वाणिज्यिक रूप से ठीक मालडिब्बों का उपयोग, भेद्य क्षेत्रों में रेल सुरक्षा बल द्वारा माल

गाड़ियों का मार्गरक्षण, अचानक जांच और रेल सुरक्षा बल तथा राज्य रेलवे पुलिस के बीच निकट संपर्क तथा समन्वय बनाए रखना शामिल हैं, पारवहन में हानि और क्षति से बचने के लिए ब्लाक रेकों द्वारा माल का तीव्र गति से प्रेषण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रेलवे को हानि

*320. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को दुर्घटनाओं के कारण हुई प्रत्यक्ष वित्तीय हानि और यातायात अवरुद्ध होने से हुई हानि के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाएंगे?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलों पर दुर्घटनाओं के कारण उत्पन्न लागतों के बारे में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। प्रत्येक रेल दुर्घटना के मामले में रेलवे के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक समिति द्वारा एक विभागीय जांच की जाती है। यात्री गाड़ियों की गंभीर दुर्घटन' के मामले में यात्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा सांविधिक जांच की जाती है। जांच समितियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच रिपोर्टों में रेलवे को उनकी परिसंपत्तियों को हुई क्षति के कारण हुई हानि का संकलन किया जाता है।

तथापि, प्रत्येक मामले में यातायात अवरुद्ध होने के कारण हुई अप्रत्यक्ष हानि अंकलित नहीं की जाती हैं।

वर्ष 1989-90 से 1993-94 के लिए रेल परिसंपत्तियों को हुई क्षति के कारण हुई प्रत्यक्ष वित्तीय हानि के अनुसार लागत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	क्षति की लागत (करोड़ रुपए में)
1989-90	19.40
1990-91	45.92
1991-92	25.39
1992-93	66.10
1993-94	57.09

(ग) रेलवे को होने वाला वित्तीय घाटा मुख्यतः निवारक कार्रवाई करके कम किया जा सकता है ताकि दुर्घटनाएं न हों। विगत वर्षों में रेलें न केवल हानि कम करने के लिए बल्कि यात्री और मालगाड़ियों का संचलन संरक्षा से सुनिश्चित करने के लिए, जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, दुर्घटनाओं की संख्या कम करने का प्रयत्न कर रहीं हैं, रेलों का संरक्षा संगठन न केवल दुर्घटनाओं की जांच के लिए बल्कि कारणों का विश्लेषण तथा परिवहन में बेहतर संरक्षा और यातायात का निर्बाध संचलन सुनिश्चित करने हेतु उन्हें समाप्त करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के वास्ते उत्तरदायी है। भारतीय रेलों ने रेलों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किये हैं।

कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे सूचीबद्ध किंए गए हैं :

(1) 10 वर्ष से कम सक्रिय चालन सेवा वाले लगभग 17,000 चालकों और 40,000 स्टेशन कर्मचारियों की विशेष स्क्रीनिंग की गई है और उन्हें त्वरित, प्रशिक्षण दिया गया है।

(2) दो उच्चस्तरीय संरक्षा दल विस्तृत स्थल जांच और फील्ड संस्थापनाओं तथा पद्धतियों के निरीक्षण कर रहे है।

(3) जिन कर्मचारियों के कारण गंभीर गाड़ी दुर्घटनाएं होती हैं उन पर बड़ा दंड लगाया जाता है जिसमें सेवा से हटाना और बर्खास्तगी शामिल है।

(4) भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों के लिए टक्करें समाप्त करना एक लक्ष्य क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

(5) आरक्षित सवारी डिब्बों में अप्राधिकृत यात्रियों और ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ढो रहे यात्रियों के प्रवेश की रोकथाम के लिए कतिपय नामांकित गाड़ियों में त्वरित कार्यदल तैयार किए गए हैं।

(6) चल स्टाक की सवारी और माल डिब्बा जांच को सशक्त और युक्तिसंगत बनाया गया है।

(7) राजधानी और शताब्दी मार्गों पर रेलपथ परिपथन कार्यों में तेजी लाई गई है।

(8) सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर रेलपथ नवीकरण कार्य समाप्त हो रहे हैं।

(9) अधिकारियों, निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी सही नियमों और पद्धतियों का पालन करते हैं, नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

(10) संरक्षा में सुधार करने के लिए रेलपथ परिपथन, पेनल अंतर्पाशन, धुरा काउंटरों आदि जैसे आधुनिक संरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की गई है।

एक्स-फैक्टरी चीनी मूल्य

3102. **श्री माणिकराव होडल्या भावीत : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्त बिक्री चीनी का एक्स फैक्टरी मूल्य उत्पाद-शुल्क छोड़कर 1000 रु. से लेकर 1350 रु. प्रति क्विंटल होने के कारण चीनी उद्योग को भारी घाटा हो रहा है; और

(ख) क्या सरकार चीनी मिलों के लाभ और हानि लेखे रखती है जिनमें चीनी मिलों को होने वाले लाभ के कारणों को भी दर्शाया जाता है;

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जनवरी, 1994 से जनवरी, 1995 की अवधि के दौरान खुली बिक्री चीनी के विक्रय से औसत माहवार बाह्य फैक्ट्री वसूली (उत्पादन शुल्क तथा चीनी उपकर को छोड़कर) 1039 रु. प्रति क्विंटल तथा 1362 रु. प्रति क्विंटल के बीच रही।

(ख) सरकार चीनी मिलों से संबंधित लाभ हानि का लेखा नहीं रखती है। इसके अलावा गन्ना उपलब्धता, चीनी मिलों को लाभ या अन्यत्र बातें विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती हैं जैसे आकार, प्लांट व मशीनरी की अवस्था, तकनीकी तथा प्रबंधकीय क्षमता आदि; और यह प्रत्येक मिल में अलग-अलग होगी।

खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा

3103. **श्री सूरज मण्डल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक खेल में विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एक खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञ तैयार करने के लिए उचित प्रावधानों का सृजन किये बिना खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा में प्रभावी अनुसंधान तथा विकास कार्य का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं, तथापि, नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज, ग्वालियर और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, तिरुअनन्तपुरम से खेल-कूद एवं शारीरिक शिक्षा में माहिर लोग निकल रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में वर्णित तीनों राष्ट्रीय स्तर के संस्थान वर्तमान समय-क्रमशः पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और केरल के तिरुअनन्तपुरम विश्वविद्यालय के अधीन खेल-कूद एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही अनुसंधान और विकास कार्य में लगे हुए हैं। पता लगाई गई, जरूरतों के आधार पर अनुसंधान कार्यक्रमों को समय-समय पर संशोधित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3104. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय रेलवे में श्रेणी "क" के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी कार्यरत हैं और इस श्रेणी के कुल अधिकारियों में उनकी प्रतिशतता कितनी है :

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई भी अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक और महा प्रबंधक के पद पर कार्य नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिशतता कितनी है और कुछ कितने पद हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रतिशतता को बढाने का है;

(च) क्या सरकार का विचार मंडल प्रबंधकों और महाप्रबंधकों के पद पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी नियुक्त करने का है; और

(छ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) से (छ) महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक के पद सभी योग्य अधिकारियों में से भरे जाते हैं जिसमें इस संबंध में सरकार द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार कमजोर वर्गों के अधिकारी भी शामिल हैं तथापि, इस प्रकार के वरिष्ठ स्तरों पर तैनाती के लिए किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में कोई भी आरक्षण नहीं होता है। फिलहाल अ.जा. से संबंधित एक अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है । जबकि अनु.ज.जा. से संबंधित अन्य अधिकारी ने इस प्रकार तैनाती को अस्वीकार कर दिया है । इसके अलावा, अनु.जा. वर्ग से संबंधित एक अधिकारी महाप्रबंधक के पदों में से एक ही मौजूदा ड्यूटियों की देख-रेख कर रहा है।

बंजर भूमि का विकास

3105. **श्री एन.जे. राठवा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में बंजर भूमि के विकास के लिए किन्हीं स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) इन संगठनों की सेवाओं का उपयोग कब तक किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु इन स्वैच्छिक संगठनों के पूर्व कार्य निष्पादनों की समीक्षा की है कि उनके विरुद्व सरकारी कोषों के दुरूपयोग का आरोप सही नहीं हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन और ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों ने गुजरात के कुछ जिलों में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बंजर भूमि के विकास के लिये परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन संगठनों के नामों की सूची का विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) इस उद्देश्य के लिये कोई निर्धारित चयनित स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है। बंजर भूमि के विकास के लिये सहायता प्राप्त करने की इच्छुक एजेंसी संबंधित मंत्रालय को आवेदन भेजती है। प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने से पहले राज्य सरकार से मूल्यांकन "पूर्व" रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। सूची में उल्लिखित सभी संगठनों को बंजर भूमि के विकास के लिये परियोजनाओं को मंजूरी पहले ही दे दी गई है। परियोजनाओं को मंजूरी 6 महीने से 5 वर्षों तक की अवधि के लिये होती है। पिछली परियोजनाओं के मामले में कार्य निष्पादन सन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में ही उनके पक्ष में आगे की परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है। धनराशि की किश्तें जारी करते समय कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।

विवरण

गुजरात में बंजर भूमि के विकास के लिये सरकार द्वारा चयनित स्वैच्छिक संगठनों के नाम

1. बनवासी महिला गृह उद्योग सहकारी मण्डली, भड़ौच।
2. आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम, गुजरात।
3. अन्तरराष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा सांस्कृतिक संघ, भड़ौच।
4. सर्वोदय पशु विकास सहकारी मण्डलीय लिमिटेड, अहमदाबाद।
5. पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, नेहरू फाउन्डेशन, राजकोट।
6. स्वतः रोजगार रत महिला संघ, अहमदाबाद।
7. विक्रम साराभाई अन्तराकर्षण विकास केन्द्र, अहमदाबाद।
8. श्री आदिवासी मंजूर कारोगर तथा कामदार विकास मण्डल, वलसाड।
9. सोनगढ़ विकास योजना, सूरत।
10. स्वश्रति महिला सेवा संघ, अहमदाबाद।

[अनुवाद]

लाख अनुसंधान केन्द्र

3106. **श्री सुखेन्दु खां : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के किसी भाग में कोई लाख अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लाख के दो क्षेत्रीय केन्द्र, एक पुरूलिया, पश्चिम बंगाल में और दूसरा उड़ीसा में स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ग) लागू नहीं होता।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जन्म शताब्दी

3107. **श्री जगमीत सिंह बरार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आगामी वर्ष 23 जनवरी से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उत्प्रेरक परिवर्तक

3108. **श्री राम नाईक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना को रोकने हेतु एक अपील प्राप्त हुई है जिसमें पेट्रोल चालित चार पहियों वाले वाहनों को अप्रैल, 1995 से उत्प्रेरक परिवर्तक लगाने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अपील की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त अपील के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि सरकार को कुछ अपीलें प्राप्त हुई है, जिनमें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास, चार महानगरों में उत्प्रेरक परिवर्तकों के बिना 1.4.95 से पूर्व विनिर्मित बिक्री के लिए बीजक में लिखे गए तथा सुपुर्द अथवा प्रेषित किए गए उन पेट्रोल चालित 4 पहिए वाले वाहनों के पंजीकरण के संबंध में एक बारगी छूट देंने का अनुरोध किया गया है जिनका पंजीकरण 1.4.95 से पूर्व नहीं किया गया था।

(ग) सरकार ने चारों महानगरों में उत्प्रेरक परिवर्तक न लगे पेट्रोल चालित ऐसे 4 पहिए वाले वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देने का निर्णय लिया है जिन्हें 1.4.95 से पूर्व प्रेषित किया गया था परन्तु अनेक व्यवाहारिक कारणें से जिन्हें पहले पंजीकृत नहीं किया जा सका था। यह छूट केवल एक ही बार के लिए है तथा यह केवल एक सीमित अवधि तक ही वैध रहेगी।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली

3109. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों में ठेका प्रणाली को समाप्त करने हेतु कोई आवश्यक कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस ठेका प्रणाली को पूरी तरह कब तक समाप्त कर दिया जाएगा?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) श्रम मंत्रालय, जो भारतीय खाद्य निगम में ठेका श्रमिकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन उपयुक्त प्राधिकरण है, ने अब तक भारतीय खाद्य निगम के 193 केंद्रों को अधिसूचित किया है जिनमें ठेका श्रमिकों की नियुक्ति करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनमें से 78 केंद्रों में ठेका श्रमिक प्रणाली पहले ही समाप्त कर दी गई है। शेष केंद्र विभागीकरण/ठेका श्रम प्रणाली समाप्त करने हेतु उपयुक्त नहीं पाए गए हैं और इन केंद्रों को अनुसूचित करने के लिए यह मामला श्रम मंत्रलाय को वापस भेजा गया है।

भारतीय खाद्य निगम के अधिकांश डिपुओं में कार्य की मात्रा परिचालन के मौसमी/आवर्तक स्वरूप की दृष्टि में दिन प्रतिदिन और मास प्रतिमास भिन्न-भिन्न होती है। अतः भारतीय खाद्य निगम के अनेक डिपुओं में विधि के अधीन ठेका प्रणाली जारी है क्योंकि इससे भारतीय खाद्य निगम परिचालन संबंधी कार्य आसानी से करने में सक्षम होता है।

[अनुवाद]

कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना

3110. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कायमकुलम तापविद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या शर्तें रखी है;

(ख) क्या ये शर्तें पूरी की जा चुकी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अभी पूरी की जाने वाले शेष शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) प्रस्तावित कयामकुलम ताप विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देते समय मानक प्रदूषण नियंत्रण उपाय तथा पर्यावरणीय शर्तें तथा वैद्युतिक अवक्षेपण, बहिस्राव शोधन संयंत्र, चिमनी तथा वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण, हरित पट्टी आदि की स्थापना की शर्त लगाई थी।

(ख) से (घ) परियोजना प्राधिकारियों ने अब पूर्व प्रस्तावित कोयले के स्थान पर नैप्था जैसे स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करते हुए एक संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है। चूंकि ईंधन के बदलने से परियोजना की रूपरेखा बदल गई है, पहले लगाई गई शर्तों की समीक्षा की जा रही है। प्रस्तावित विद्युत संयंत्र को अभी चालू नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

3111. **प्रो. रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर के रास्ते दिल्ली अहमदाबाद रेलवे लाइन के आसान परिवर्तन का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ख) इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस संबंद्ध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है और इस परियोजना हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ङ.) क्या आमान परिवर्तन के इस मार्ग के स्टेशनों के आकार और स्थल पर प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 1996-97 के दौरान।

(ख) दिल्ली अजमेर तथा मेहसाणा-खोडियार खंडों को पूरा कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां अजमेर-मारवाड़ 95-96 में तथा मारवाड़-मेहसाणा 96-97 में पूरा कर लिया जाएगा। 94-95 के अंत तक इस मार्ग के आमान परिवर्तन पर खर्च 213.60 करोड़ रुपए हैं तथा 95-96 के बजट में 226.93 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

(ङ) और (च) मार्ग में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर यातायात की अवश्यकता के अनुरूप व.ला. के यातायात को संभालने के लिए यथा अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

[अनुवाद]

कोंकण रेलवे परियोजना

3112. **श्री पी.सी. चाको** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल कोंकण रेल परियाजना में हिस्सेदार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से क्षेत्र केरल के हैं;

(ग) क्या किसी समय सीमा के भीतर कोंकण रेलवे परियोजना का लाभ केरल के लोगों के लिए उपलब्ध होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) यद्यपि कोंकण रेल लाइन केरल में नहीं पड़ती है फिर भी राज्य को बंबई और दिल्ली का अत्याधिक छोटा मार्ग उपलब्ध हो जाने से लाभ मिलेगा और यह रेल लाइन 95-96 के दौरान चालू कर ली जाएगी और इस खंड पर गाड़ियां चलनी शुरू हो जाने पर केरल के लोगों को इससे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

यात्री गाड़ी का बंद किया जाना

3113. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल्दा-हावड़ा यात्री गाड़ी को हाल ही में बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसे पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) 347/348 मालदा टाउन-हावड़ा फास्ट पैसेंजर गाड़ी इलाहाबाद में अर्ध कुंभ मेले के लिए स्टाक जुटाने हेतु 13.1.95 से 8.2.95 तक रद्द थी तब से यह गाड़ी पुनः चला दी गई है।

वैगन निर्माण इकाई

3114. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वैगन निर्माण इकाइयों के नाम और संख्या क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनका कार्य निष्पादन क्या रहा;

(ख) क्या इनमें से कुछ इकाइयां घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन इकाइयों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) यह तथ्य सरकार के ध्यान में आया है;

(ग) इसके मुख्य कारण कार्यभार में कमी और संचालन पूंजी की कमी होना बताया गया है।

(घ) घाटे में चलने वाली कुछ इकाइयों के मामले औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण ब्यूरो के पास उनकी अर्धक्षमता की जांच करने के लिए भेजे गये हैं; अन्य इकाइयों से उत्पादन में विविधता लाने तथा उनकी क्षमताओं के बेहतर उपयोग के लिए वैकल्पिक कार्यभार का पता लगाने के लिए कहा गया है, क्योंकि रेलवे द्वारा माल-डिब्बों का आदेश वास्तविक परिवहन आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाता है।

विवरण

भाग (क) माल डिब्बा निर्माण इकाइयों के नाम और रेलों द्वारा दिए गए आदेशों के अंतर्गत निर्मित माल-डिब्बों के संबंध में उनका कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	इकाइयों के नाम	(चौपहियों में) माल डिब्बों का वास्तविक उत्पादन		
		19922-93	1993-94	1994-95
	सार्वजनिक क्षेत्र			
1.	मैसर्स भारत वैगन एंड इंजी. कं. लि., मुजफ्फरपुर	1375	985	550
2.	मैसर्स भारत वैगन एंड इंजी. कं. लि. मोकेमेह	1710	1235	672.5
3.	मैसर्स ब्रेथवेट एंड कं. लि., 5 हाइड रोड, कलकत्ता.43	3707.5	2120	1397.5
4.	मैसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि., हावड़ा	1507.5	2005	1110
5.	मैसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि., बर्नपुर	3500	2420	1380
6.	मैसर्स जैस्सप एंड कं. लि. 63 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	580	485	290
7.	*मैसर्स सदर्न स्ट्रचरल, मद्रास (तमिलनाडु राज्य उपक्रम)	-		
	निजी क्षेत्र			
8.	मैसर्स सिमको लि., भरतपुर	2875	2065	797.5
9.	मैसर्स टैक्समैको लि., बिरला हाऊस 9/1, आर.एन. मुकर्जी रोड, कलकत्ता	4710	3200	1215
10.	मैसर्स हिंदुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, नांगलोई, दिल्ली	1257.5	950	367.5
11.	मैसर्स माड्रन इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद गाजियाबाद	1360	1110	465
12.	मैसर्स एचडीसी, मोदी बिल्डिंग, 27, सर आर.एन. मुकर्जी रोड, कलकत्ता	2678.5	1925	1130
13.	*मैसर्स बिन्नी इंजीनियरिंग	-	-	-
	सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का जोड़	25261	18500	9375

*आदेश हाल ही में दिए गए हैं।

सिरसा एक्सप्रैस का देरी से चलना

3115. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4086 डाउन सिरसा एक्सप्रैस गत वर्ष सिरसा तक बढ़ाये जाने के बाद से अपने निर्धारित समय 9.20 पर नई दिल्ली नहीं पहुंच पाती है जिसके परिणामस्वरूप नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अपने कार्यालयों में पहुंचने वाले असंख्य कर्मचारियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त गाड़ी की समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ़) : (क) 4086 डाउन का समय चालन संतोषजनक रहा है तथापि, धुंध, जानवरों के कुचले जाने, खतरे की जंजीर के खींचे जाने और उपस्कर की खराबी आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से यह कतिपय अवसरों पर विलंब से चलती है;

(ख) इसके समयपालन में और सुधार करने के लिए इस गाड़ी के चालन पर कड़ी नजर रखने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं;

"हाल्ट स्टेशन" खोलना

3116. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फलकनुमा तथा एन. पी. ए. शिवरामपली स्टेशनों के बीच मैलारदेवपल्ली में रेलवे फाटक के नजदीक एक हाल्ट स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या हाल्ट स्टेशन खोलने से बहुत से लोगों को लाभ होगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ़) : (क) से (ग) मैलरदेवपल्ली में फलकनुमा और एन पी ए शिवरामपल्ली स्टेशनों के बीच समपार गेट के निकट एक हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन इसमें भारी आवर्ती हानि एव अत्यधिक पूंजी लागत निहित होने के कारण इसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

(घ) जी नहीं।

राजस्थान में किसानों की संख्या

3117. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में लघु और सीमान्त किसानों की संख्या अनुमानतः कितनी है; और

(ख) इन लघु और सीमान्त किसानों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) कृषि संगणना 1990-91 के अनुसार राजस्थान में प्रचालनात्मक छोटी और सीमान्ता जोतों की संख्या क्रमशः लगभग 1019 हजार और लगभग 1517 हजार (अनन्तिम) है।

(ख) इन किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न आदानों जैसे सिंचाई, बीज और उर्वरक तथा साथ ही साथ सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ छोटे और सीमान्त किसानों से संबंधित घटक शामिल होते हैं, से लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, छोटे और सीमान्त किसानों से संबंधित एक विशेष योजना के अंतर्गत राजस्थान में 1992-93 और 1993-94 में वर्षों के दौरान 16.52 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी थी।

विश्व पुस्तक मेला

3118. **श्रीमती सरोज दूबे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया ने विदेशों में कितने पुस्तक मेलों का आयोजन किया और उन पर विदेशी तथा भारतीय मुद्रा में वर्षवार कितनी राशि खर्च हुई है, और

(ख) विगत दस वर्षों में पुस्तकों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विगत पाँच वर्षों के दौरान, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया (एन.बी.टी.), ने 17 अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया तथा विदेशों में भारतीय प्रकाशनों की 15 प्रदर्शनियों को आयोजन किया था। विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा का वर्ष-वार व्यय नीचे दिया गया है :

वर्ष	विदेशी मुद्रा (रु. में)	भारतीय मुद्रा (रु. में)
1990-91	1,85,627.00	1,42,560.00
1991-92	1,79,118.00	98,802.00
1992-93	4,07,797.00	2,71,924.00
1993-94	2,15,040.00	1,11,676.50
1994-95	8,49,280.00	6,72,588.00

(ख) नेशनल बुक ट्रस्ट पुस्तकों का निर्यात नहीं करता। नेशनल बुक ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेना तथा भारतीय प्रकाशनों की प्रदर्शनियों का आयोजन करना है, ताकि विदेशों में भी भारतीय प्रकाशनों को बढ़ावा दिया जा सके।

खेल-कूद प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति

3119. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान, पटियाला ने अगस्त, 1994 में वर्ष 1994-95 के लिए खेल-कूद प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो खेलवार और राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार विभिन्न खेल-कूदों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हैं;

(ग) क्या खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ङ) खिलाड़ियों को कब तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर दी गई छात्रवृत्तियों के राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रवार एवं प्रतियोगिता-वार ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) इस प्रयोजनार्थ चयनित पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को उनकी संस्थाओं के माध्यम से पहले ही रुपये 1,10,00,000 रुपये की राशि दी जा चुकी है।

विवरण-I

वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर दी गई छात्रवृत्तियों की राज्य वार सूचना।

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	136	020
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	118	027
4.	बिहार	073	011
5.	दिल्ली	127	026
6.	गुजरात	118	007
7.	गोवा	100	001
8.	हरियाणा	145	040
9.	हिमाचल प्रदेश	100	001
10.	जम्मू कश्मीर	100	001
11.	कर्नाटक	127	025
12.	केरल	127	007
13.	मध्य प्रदेश	118	011
14.	महाराष्ट्र	145	046
15.	मणिपुर	136	036
16.	मेघालय	-	-
17.	मिजोरम	100	001
18.	नागालैंड	013	-
19.	उड़ीसा	086	012
20.	पंजाब	136	036
21.	राजस्थान	127	007
22.	सिक्किम	043	-
23.	तमिलनाडु	100	020
24.	त्रिपुरा	118	002
25.	उत्तर प्रदेश	100	026
26.	पश्चिम बंगाल	136	039
27.	अंडमान व निकोबार	-	-
28.	चंडीगढ़	079	009
29.	दादर व नगर हवेली	067	-
30.	दमन व दीव	006	-
31.	लक्ष्यद्वीप	001	-
32.	पांडिचेरी	058	-
	जोड़	2840	411

विवरण-II

वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर दी गई छात्रवृत्तियों की प्रतियोगिता-वार सूचना।

क्र.सं.	खेल	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
1	2	3	4
1.	एथलेटिक्स	405	062

1	2	3	4
2.	तीरंदाजी	005	001
3.	बास्केटबाल	231	007
4.	मुक्केबाजी	050	026
5.	बैडमिंटन	071	006
6.	शतरंज	069	014
7.	क्रिकेट	076	045
8.	साईकिलिंग	014	003
9.	फुटबाल	087	004
10.	फेंसिंग	014	001
11.	जिम्नास्टिक	135	009
12.	हैंडबाल	059	023
13.	हॉकी	460	051
14.	जूडो	139	022
15.	कबड्डी	076	004
16.	खो-खो	243	014
17.	तैराकी	250	028
18.	निशानेबाजी	011	005
19.	टेबल टेनिस	092	009
20.	टेनिस	025	027
21.	ट्रायथ्लॉन	002	-
22.	ताइक्वांडो	051	017
23.	वॉलीबाल	197	012
24.	भारोत्तोलन	020	001
25.	कुश्ती	050	015
26.	रोइंग	008	-
27.	स्क्वैश	-	001
28.	मलखम्ब	-	003
29.	घुड़सवारी	-	001
	जोड़	2840	411

प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता

3120. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1950 और 1992 में प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र कितना था;

(ग) क्या भूमि की उपलब्धता में लगातार हो रही कमी को ध्यान में रखते हुए, भावी विकास योजनाओं के लिए भूमि की अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का व्यापक अध्ययन कराने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी हां।

(ख) देश में वर्ष 1950 तथा 1992 में भूमि को प्रतिव्यक्ति उपलब्धता क्रमशः 0.92 हेक्टेयर और 0.38 हेक्टेयर थी।

(ग) और (घ) अनुकूलतम भू उपयोग नियोजन की आवश्यकता को समझते हुए राष्ट्रीय भू उपयोग और संरक्षण बोर्ड स्थापित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय भू उपयोग नीतियों तथा भू संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए संदर्शी योजना का निरूपण करना। भू संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए संदर्शी योजना नीति अपनाने के लिए देश को छह जोनों में विभाजित किया गया है अर्थात उत्तरी पश्चिमी मध्यवर्ती, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी तथा जोन की संदर्शी योजना तैयार करने का काम संबंधित जोन के राज्य भू-उपयोग बोर्ड के साथ परामर्श करके छह विशेषज्ञों/संस्थानों को सौंपा गया है। इस प्रकार विकसित जोन को संदर्शी योजना संबंधित जोनों में अनुकूलतम भूमि के उपयोग के लिये भावी निर्देशन प्रदान करेंगे।

धन में कमी

3121. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बंधपत्रों के माध्यम से अपनी 1994-95 की योजना का वित्त पोषण करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) बंधपत्रों से एकत्र होने वाले धन में कितनी गिरावट आई है तथा रेलवे का विचार इसकी किस सीमा तक भरपाई करने का है; और

(घ) रेलवे की कार्यकुशलता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 1994-95 के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा जुटाए जाने के लिए उपेक्षित 1050 करोड़ की राशि के स्थान पर बाजार में धन की तंगी के कारण जनता से भा.रे.वि.नि. द्वारा 206.50 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई। बहरहाल भा.रे.वि.नि. ने उपर्युक्त वर्ष के दौरान 1049.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। रेल संपति में निवेश के लिए 843.10 करोड़ रुपए की राशि भा.रे.वि.नि. ने स्वयं अपने कोष से उपलब्ध कराई है।

(घ) कुछ नहीं।

रेलवे के कार्य का निजीकरण

3122. **श्री रामप्रसाद सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने निजी स्वामित्व, सौंदर्यकरण और रेलवे स्टेशनों के रख रखाव आदि सहित रेलवे की विभिन्न अन्य गतिविधियों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर निजी क्षेत्र को दिए गए व्यावसायिक विज्ञापन अधिकारों का ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस अवधि में कितनी आय अर्जित की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) निजीकरण के लिए शुरू की गई आफ लाइन गतिविधियों में रेल मालडिब्बों का स्वामित्व,ठेकेदारों के माध्यम से स्टेशनों का सौंदर्यीकरण तथा अनुरक्षण, खान-पान, बिस्तर बंद की सप्लाई आदि शामिल हैं;

मालडिब्बों के स्वामित्व के लिए निजी निवेश को अनुमति अपने **"माल डिब्बों के मालिक बनें"** योजना के अंतर्गत दी जाती है, जिसमें रेलें मालिकों को पहले दस वर्षों के लिए 16 प्रतिशत की दर पर और अगले दस वर्षों के लिए 1 प्रतिशत की दर से पट्टा प्रभारों का भुगतान करती है ;

मौजूदा नीति के अनुसार सभी नए खानपान/वेंडिंग यूनिट निर्धारित प्रक्रिया और मार्ग निर्देशों का पालन करने के बाद चुने गए प्रतिष्ठित और व्यावसायिक खान पान प्रबंधकों को प्रदान किए जाते है।

बेहतर सौंदर्यीकरण/अनुरक्षण और वाणिज्यिक विज्ञापनों से राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों ने एक योजना शुरू की है। जिसमें उन्होंने विज्ञापन दाताओं के साथ करार किए हैं और उन्हें विशिष्ट स्थानों पर वाणिज्यिक विज्ञापनों की एक निर्धारित संख्या स्वीकार करने के एकमात्र अधिकार दिए गए हैं और इसके बदले वे एकमुश्त वार्षिक शुल्क के भुगतान के अलावा रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण/अनुरक्षण करेंगे, वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान 11 स्टेशनों पर ठेके दिए गए हैं, इन स्टेशनों के संबंध में अनुरक्षण पर होने वाले लगभग 57.25 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च की प्रत्याशित बचत के अलावा प्रतिवर्ष वाणिज्यिक आय में लगभग 7.64 लाख रुपए की वृद्धि हुई है।

बिस्तरबंदों की गुणवत्ता में सुधार करने तथा इस बाह्य गतिविधि से रेलों को भार मुक्त रखने के उददेश्य से कुछ गाड़ियों में ठेकेदारों के माध्यम से बिस्तरबंदों की आपूर्ति करने की परियोजना शुरू की गई है।

रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकोनामिक सर्विसेज

3123. **श्री पी.सी. थामस :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड को और सार्वजनिक कार्य सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो उक्त कंपनी को किस तरह का कार्य सौंपा गया है और इसे किस तरह से निष्पादित किया जा रहा है;

(ग) क्या इस कंपनी को विदेशों से भी आर्डर मिल रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह कंपनी मुनाफा कमा रही है;

(ङ) क्या इस कंपनी को प्रमुख उपलब्धियों हेतु इसके कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन दिए जाते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) राइट्स एक परामर्शदाता संगठन है, यह रेलों, राजमार्गों, विमान पत्तनों, पत्तनों, अंतर्देशीय जल परिवहन, शहरी परिवहन, रज्जु मार्गों आदि क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करता है; वे आवश्यकतानुसार निविदा अथवा बातचीत के जरिए कारोबार/ठेके निष्पादित करते हैं, इन कार्यों को निष्पादित करने के लिए राइटस या तो अपने विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ कर्मचारियों या रेलों सहित अन्य संगठनों से विशेषज्ञ लेकर पूरी करता है।

(ग) जी हां, राइट्स इस समय बंगला देश, बोटसवाना, कैमरून, घाना, मोजाम्बिक, नेपाल, श्रीलंका, तनजानियां, वियतनाम और जांबिया में कार्य/ठेके कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) और (ङ) जी हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता;

[हिन्दी]

गंगा नदी जल की सफाई

3124. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री सूरज मंडल :

क्या **पर्यावरण** और **वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1994 में केंद्रीय सरकार, संबंधित नागरिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच गंगा नदी के जल के शोधन से संबंधित समस्या के बारे में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां तो इस बैठक में किस विषय पर विचार हुआ तथा उसमें क्या निर्णय लिया गया।

(ग) क्या उस बैठक में लिए गए निर्णयों को अब तक लागू नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत, संकट मोचन फाउंडेशन, वाराणसी द्वारा तैयार किए गए, वाराणसी से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिनांक 5 अगस्त, 1994 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ख) से (घ) इस संबंध में लिए गए निर्णय एवं उनके कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित विवरण संलग्न है।

इन प्रस्तावों/निर्णयों पर राज्य सरकार से परामर्श करके कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार को गंगा कार्य योजना के के अंतर्गत प्रदूषण निवारणों की विभिन्न स्कीमों की पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत भाग वहन करना है। बैठक में हुई सहमति के अनुसार संकट मोचन फांउडेशन की संबधित राज्य प्राधिकरणों से संपर्क स्थापित करना था तथा बाद में परियोजना तैयार करते समय उपयुक्त ढंग से अपने दृष्टिकोणों/प्रस्तावों को इसमें शामिल करना था।

विवरण

	निर्णय	स्थिति
	1	2
1.	दीनापुर सीवेज उपचार संयंत्र में किसी प्रकार की कमी तथा इसमें जाने वाले सीवर के स्तर, जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है, को निर्धारित किए जाने की दृष्टि से वाराणसी में गंगा कार्य योजना के चरण-I के कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है।	वाराणसी में गंगा कार्य योजना चरण-1 के कार्यों का रूड़की और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने हाल ही में मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन के परिणाम शीघ्र ही प्राप्त होने वाले हैं। सीवेज उपचार संयंत्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार के बारे में प्राप्त किसी भी सुझाव को चरण-II के प्रस्तावों में शामिल किया जाएगा।
2.	दीनापुर सीवेज उपचार संयंत्र में पहुंचने वाले सीवेज की कुल मात्रा को निर्धारित करने के लिए संकट मोचन फांउडेशन के सहयोग से नवम्बर, 94 में उत्तर प्रदेश जल निगम/वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा बहाव का मापन किया जा सकता है।	उत्तर प्रदेश जल निगम ने संकट मोचन फाउंडेशन से बहाव के मापन एवं इस संबंध में अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में स्वयँ संयुक्त रूप से सुझाव देने का अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश जल निगम ने सूचित किया है कि संकट मोचन फांउडेशन द्वारा इस संबंध में अभी तक पहल नहीं की गई।
3.	परसल फलूम, दीनापुर में स्थापित किए गए बहाव मापन साधनों को शीघ्र ही संचालित किए जाने की आवश्यकता है।	सीवेज उपचार संयंत्र दीनापुर में लगे बहाव मापन साधनों का संचालन शुरू कर दिया गया है।
4.	अस्सी से मालवीय पुल तक इंटरसेप्टर सीवर बिछाने की तकनीकी आर्थिकी व्यवहारिकता की जांच संकट मोचन फांउडेशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश जल निगम/ वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा कराई जा सकती है।	उत्तर प्रदेश जल निगम की पहल पर संकट मोचन फांउडेशन तथा वाराणसी विकास प्रधिकरण की सहमति से इन्टरसेप्टिंग सीवर के लिए प्रस्तावित स्थल के संयुक्त निरीक्षण की तिथि, 13.12.95 निर्धारित की गई थी। बाद में संकट मोचन फाउंडेशन ने बताया कि उसके 2 सदस्य बाहर गए हुए हैं इसलिए उत्तर प्रदेश जल निगम तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार संयुक्त निरीक्षण

1	2
	किसी दूसरी तिथि को कर लिया जाए। जल निगम के अनुसार संयुक्त जांच के लिए संकट मोचन फाउंडेशन द्वारा अभी तक किसी दूसरी तिथि के बारे में सूचना नहीं मिली है।
5. सोता में आक्सीकरण तालाब के लिए बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को उनकी टिप्पणियों एवं सलाह हेतु भेजे जाएंगे।	गंगा परियोजना निदेशालय ने यह प्रस्ताव नवम्बर, 1994 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजा था। केन्द्रीय जल आयोग से इस संबंध में कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है।
6. गंगा कार्य योजना के चरण-I के अन्तर्गत निर्मित की गई परिसम्पत्तियों के अधिकतम प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है।	अनुपालन किया गया।
7. क्रम सं. 2 एवं 4 के प्रस्तावों की व्यवहारिकता अध्ययन के लिए प्रो. आई.सी. अग्रवाल से सहायता ली जा सकती है।	संकट मोचन फाउंडेशन निस्तारण मापन पद्धति के बारे में सुझाव देने के लिए तथा प्रस्तावित इंटरसेप्टिंग सीवर को क्रम में करने के संयुक्त निरीक्षण के लिए पहल नहीं की। इसलिए प्रो. आई.सी. अग्रवाल से सहयोग लेने का प्रश्न नहीं उठता है।
8. गंगा कार्य योजना के चरण-II के अन्तर्गत वाराणसी के बारे में तैयार किए गए प्रस्तावों को संकट मोचन फाउंडेशन को दिखाया जा सकता है।	अनुपालन किया गया।
9. नदी में प्रदूषण कम करने के उपाय तथा अधिक जन-जागरूकता पैदा करने के लिए वाराणसी स्थित प्राधिकरण संकट मोचन फाउंडेशन और इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ले सकते हैं तथा ये सभी नदी को स्वच्छ रखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना हर संभव सहयोग करें।	इस मुद्दे पर भी संकट मोचन फाउंडेशन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

3125. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री महादीपक सिंह शक्य :
डा. जगमीत सिंह बरार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त 11,683 मीट्रिक टन चावल बेचने पर भारतीय खाद्य निगम को फटकार लगाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान अब तक राज्यवार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का क्षतिग्रस्त चावल और गेहूं बेचा;

(घ) क्या विशेषज्ञों की समिति के अनुसार क्षतिग्रस्त गेहूं और चावल की मात्रा को उन्नत नहीं बनाया जा सकता था और उसे मानव उपभोग के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं बनाया जा सकता था;

(ङ) क्या सभी अधिकारियों को देश में सभी उचित दर की दुकानों को घटिया किस्म का चावल और गेहूं न बेचने संबंधी अनुदेश जारी किए हैं; और

(च) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है और सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी हां, दिनांक 21 फरवरी 1995 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समाचार उच्चतम न्यायालय में दिनांक 20 फरवरी, 1995 को हुई सुनवाई पर आधारित है और इस प्रकार यह मामला न्यायनिर्णयाधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय आरक्षित रखा है और इसको अभी सुनाया जाना है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली/मानव उपभोग हेतु घटिया चावल का स्टाक नहीं किया जाता है।

(घ) विशेषज्ञ समिति ने घटिया चावल की 50 प्रतिशत से अधिक की मात्रा की जांच की थी और सूचित किया था कि चावल के नमूने गंधहीन और बदरंग हो गए हैं। समुन्नत (अप ग्रेडिंग) प्रक्रिया द्वारा गंधहीनता हटाना संभव है और लंबे समय तक भंडारण करने से चावल का बदरंग होना एक प्राकृतिक बदलाव है।

(ङ) और (च) प्रश्न नही उठता क्योंकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली/मानव उपभोग के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को घटियो चावल और गेहूं का स्टाक जारी नहीं किया जाता है।

कार्यालय बंद करना

3126. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के पुणे स्थित फील्ड परामर्शदाता के कार्यालय को स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधीन सभी क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालयों को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान ढांचे में आगामी दो वर्षों के दौरान चरणबद्ध रूप में समेकित करने का प्रस्ताव है। फिलहाल पुणे स्थित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय सलाहकार के कार्यालयों को चालू वर्ष के दौरान, बंद करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मिल्क पाउडर

3127. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिल्क पाउडर का अन्य देशों से आयात किया जाता है;

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान किन किन देशों से मिल्क पाउडर आयात किया गया तथा प्रत्येक देश से उसकी कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(ग) इस पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान चूर्ण के वाणिज्यिक आयात को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान आयातित दुग्ध चूर्ण की मात्रा तथा मूल्य के साथ उन देशों के नामों को दर्शाने वाला विवरण जिनसे दुग्ध चूर्ण का आयात किया गया है।

वर्ष	देश का नाम	आयात किया गया दुग्ध चूर्ण (मीटरी टन में)	विदेशी मुद्रा के मूल्य समतुल्य राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1992-93	1. जर्मन जनवादी गणराज्य	6152.0	3567.62
	2. आयरलैंड	500.0	268.11
	3. नीदरलैंड	675.0	464.02
	4. कनाडा	46.0	29.56
	5. फ्रांस	0.2	0.29
	6. सिंगापुर	0.3	0.79
	वर्ष का योग	7373.5	4330.39

1	2	3	4
1993-94	1. बेल्जियम	705.0	469.05
	2. जर्मन जनवादी गणराज्य	200.9	138.56
	3. आयरलैंड	1042.0	627.90
	4. नीदरलैंड	30.0	19.09
	5. सिंगापुर	8.00	5.90
	6. यू.के.	245.0	154.25
	वर्ष का योग	2230.9	1414.75
1994-95 (नवंबर 1994 तक)			
	1. बेल्जियम	60.0	36.22
	2. कनाडा	40.0	52.18
	3. फ्रांस	15.0	9.19
	वर्ष का योग	115.0	97.59

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एकता

3128. **श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे :**
श्री वी श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छात्रों में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना पैदा करने हेतु राष्ट्रीय एकता विषय को स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नीति की अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 1988 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के ढांचे का प्रकाशन कराया। ढांचे में स्कूली शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रीय अंखडता को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। ढ़ांचे के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 1989-92 के दौरान अपनी पाठय पुस्तकों का पुनः संशोघन किया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों को व्यापक रूप से राज्य सरकारों के पास भेज दिए गए हैं, ताकि वे अपनी-अपनी स्कूली पद्धतियों में उन्हें अपना सकें या उन्हें अपने अनुकूल बना सकें।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय की स्थापना

3129. **श्री सत्यदेव सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी स्थान पर किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय का नाम क्या है तथा वहां किस प्रकार की शिक्षा देने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त विश्वविद्यालय कब तक शुरू हो जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

3130. **श्री प्रेमचंद राम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टेलीफोन नं. 3717171/3346661 पर पूछताछ की नई सुविधा हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह नई सुविधा हिन्दी में कब से उपलब्ध कराई जाएगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) इस समय गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान तथा वर्तमान आरक्षण स्थिति के बारे में बताने के लिए केंद्रीय दूरभाष पूछताछ कार्यालय नई दिल्ली में फोन नं. 3717171/3313535 कार्य कर रहे हैं। सार्वजनिक पूछताछ के हिंदी में उत्तर देने की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है।

[अनुवाद]

क्लास परियोजना

3131. **डा. मुमताज अंसारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 दिसंबर, 1994 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'ई टी एंड टी टु अंडरटेक क्लास प्रोजेक्ट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्लास परियोजना कार्य ई टी एण्ड टी निगम द्वारा हाथ में लिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषतः दिल्ली के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्कूलों के चयन हेतु अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इस संबंध में एक समाचार दिनांक 26.2.1995 को टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रकाशित समाचार के अनुसार ई.टी. एण्ड टी. का चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/द्वारा एक कार्यान्वित करने वाले अभिकरण के रूप में किया गया है।

(घ) पूर्व-संशोधित योजना के अंतर्गत, माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल क्लास (सी एल ए एस एस) योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र थे। वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्लास योजना के अंतर्गत, केवल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (कक्षा XI और XII) इस योजना में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं। योजना में भाग लेने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/संगठनों द्वारा स्कूलों का चयन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शुरू में बिजली तथा अन्य फिटिंग सहित पक्का कमरा जैसी आधारभूत सुविधाओं का स्कूल में होना, संबंधित राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत स्कूल के शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित होता है।

पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

3132. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य और केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए भेजी गई औद्योगिक परियोजना को मंजूरी देने में 12 से 24 माह का समय लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा विलम्ब में कमी लाने हेतु उठाये गये कदमों/किए गए उपायों अथवा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर स्वीकृति प्रक्रिया को चुस्त बनाने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं हेतु एकल खिड़की स्वीकृति के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने नए औद्योगिक एककों के पालनार्थ स्पष्ट दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) उन परियोजनाओं के लिए अधिकतम 90 दिन का समय नियत किया गया है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति लेना अपेक्षित है। स्थल विशिष्ट परियोजनाओं के लिए स्थल की उपयुक्तता के बारे में निर्णय 30 दिन के अंदर लिया जाना अपेक्षित है। राज्य प्राधिकारियों से स्वीकृति के बारे में समय सीमा राज्य-दर राज्य अलग-अलग होती है।

परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सूचना और संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत न किए जाने के कारण मुख्यतः स्वीकृति में विलंब होता है।

(ग) और (घ) प्रक्रिया को सरल बनाने और विलंब को कम से कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- विभिन्न क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समितियों की बैठक प्रायः महीने में एक बार संपन्न होती है।
- पर्यावरणीय मूल्यांकन शीघ्र करने के लिए स्थलीय दौरे भी किए जाते हैं।

- पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें परियोजना के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान करने हेतु परियोजना प्राधिकारियों को समझाने के लिए व्यावसायिक संस्थानों की सहायता ली जाती है।
- एकल-खिड़की-स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वानिकी एवं पर्यावरणीय मंजूरियों के संबंध में ऐसा प्रयास किया गया था परन्तु चूंकि इसके विभिन्न विंगों में एक साथ एवं समानान्तर कार्रवाई करने में कठिनाई आती थी तथा अधिक समय लगता था इसलिए इसे बंद करना पड़ा।
- पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य-दर अलग-अलग होती है।

(ङ) औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया और आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संबंधी एक अधिसूचना पिछले वर्ष जारी की गई है।

चिह्न का अनुचित प्रयोग निवारण

3133. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपयों की मालाएं पहनना राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 या नाम और चिह्न का अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम का उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय झण्डे महत्वपूर्ण भवनों और राष्ट्रीय प्रतीक जैसे अशोक स्तम्भ के अपमानजनक विषय के संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

काली मिर्च

3134. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में काली मिर्च का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्यात किया गया;

(ग) उपयुक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि घरेलू बाजारों में काली मिर्च की कीमतों में वृद्धि हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) काली मिर्च का उत्पादन बढ़ाने और घरेलू बाजारों में काली मिर्च की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1991-92 से 1993-94 तक के दौरान काली मिर्च के कुल उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन मीटरी टन में
1991-92	52,010
1992-93	55,000
1993-94	44,000

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये उत्पादन का प्रतिशत तथा अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	निर्यात किये गये उत्पादन का प्रतिशत	निर्यात का मूल्य (रु. करोड़ में)
1991-92	39.48	74.32
1992-93	43.24	78.31
1993-94	100.02	179.67

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रमुख उत्पादन केन्द्रों पर काली मिर्च का कम उत्पादन तथा काली मिर्च का उत्पादन तथा काली मिर्च की बढ़ती हुई अन्तरराष्ट्रीय मांग।

(च) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत काली मिर्च के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने और इसके मूल्य पर नियंत्रण करने के लिये आठवीं योजना के दौरान 63.30 करोड़ रुपये के परिव्यय से निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(1) काली मिर्च की जड़दार कलमों का उत्पादन तथा वितरण।

(2) काली मिर्च के पुराने बागानों का पुनरुद्धार।

(3) आदान किटों का वितरण।

(4) तत्काल पौधा सूख जाने वाले रोग से बचाव के लिये पौध रक्षण उपाय।

(5) "लिटल लीव" रोग का उन्मूलन।

(6) प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना।

(7) उच्च उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन।

(8) क्षेत्र विस्तार।

पान का पत्ता

3135. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन राज्यों में पान का उत्पादन हो रहा है;

(ख) देश में पान का अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) देश में पान की अनुमानित वार्षिक खपत कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) पान पत्तों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं-पश्चिम बंगाल, असम, केरल, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पांडिचेरी।

देश में पान के पत्तों के उत्पादन और खपत के बारे में कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं है। हालांकि पान के पत्तों के उत्पादन के अधिकार भाग की खपत देश में ही होती है।

[अनुवाद]

मसालों के मूल्यों में कमी

3136. **श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन मसालों के मूल्यों में कमी आई है;

(ख) मूल्यों में कमी आने के कारण उत्पादकों को कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ग) जिन उत्पादकों को घाटा हुआ है उनकी सहायतार्थ क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिर्च (सूखी) हल्दी, लौंग, इलायची और जीरा के थोक मूल्यों में कमी आयी है।

(ख) इन जिंसों के बाजार भूल्य में कमी आने से इनके उत्पादकों को होने वाले घाटे का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर सरकार उत्पादकों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इनकी कीमतों में गिरावट होने से रोकने के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना चला रही है।

खाद्य तेल का आयात

3137. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्त वर्ष के दौरान खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कुल कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किये जाने की संभावना है और किन-किन देशों से कितने मूल्य का खाद्य तेल आयात किया जाएगा?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : किसी वर्ष विशेष के दौरान खाद्य तेल की आयात की जाने वाली सम्भावित वास्तविक मात्रा अनेक बातों, अर्थात् देश में होने वाला उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजार में मूल्य, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, आदि पर निर्भर करती है। अतः खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात की जाने वाली खाद्य तेलों की कुल मात्रा के बारे में कोई अग्रिम अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं

3138. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे ने यह लक्षित किया है कि चक्की बैंक (पठानकोट) रेलवे स्टेशन पर यात्री यातायात में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर प्रतिदिन औसत कितने यात्री आते-जाते हैं;

(ग) क्या इस स्टेशन पर प्रतीक्षालय, शौचालय, प्लेटफार्म शेड आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पिछले वर्ष की तुलना में चक्की बैंक पर यात्री यातायात में वृद्धि हुई है।

(ख) इस स्टेशन से औसतन प्रति दिन लगभग 650 यात्री यात्रा करते हैं।

(ग) और (घ) इस स्टेशन पर प्रतीक्षालय, महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय, पर्याप्त पीने का पानी और बैठने का प्रबंध आदि की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, प्लेट फार्म सायबान की व्यवस्था के कार्य को भी 1995-96 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

डिग्रियों को मान्यता देना

3139. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक तथा अन्नामलाई विश्वविद्यालय द्वारा दी गई डिग्रियों को मान्यता देती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्न

3140. **डा. पी. वल्लल पेरूमान : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में, खाद्यान्न-वार, खाद्यान्नों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या देश में चालू वर्ष के दौरान मुख्य खाद्यान्नों का अधिशेष उत्पादन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो खाद्यान्न-वार उनकी मात्रा कितनी है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) वर्ष 1994 में खाद्यान्नों के सकल उपभोग की मात्रा का 175.11 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है। प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि, कीमतों के स्तर आदि पर निर्भर करते हुए चालू वर्ष के दौरान कुल खाद्यान्नों की आवश्यकता 2-2.75 प्रतिशत अधिक हो सकती है। खाद्यान्न-वार आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया जाता है, क्योंकि विभिन्न एक-दूसरे के बदले इस्तेमाल होते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1994 के दौरान चावल और गेहूं के स्टाक में 7.5 मिलियन मीटरी टन तक की वृद्धि हुई है।

कॉलेज प्राध्यापक

3141. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** 14 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1731 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी कालेजों में कार्यरत तदर्थ प्राध्यापकों की सेवाएं नियमित कर दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे प्राध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अधिवासित वन भूमि

3142. **श्री भेरू लाल मीणा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरावली पहाड़ियों में जनजातीय लोगों द्वारा अधिवासित कृषि योग्य भूमि पिछले 15-20 वर्षों से उनके कब्जे में है और उस पर मकानों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनको यह भूमि स्थायी तौर पर आवंटित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास जनजातीय लोगों को उनकी अधिवासित भूमि पर बसाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी, ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वह प्रस्ताव कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि उस राज्य में अरावली पहाड़ियों की कुछ वन भूमि आदिवासियों के कब्जे में है।

(ख) से (ङ) इन आदिवासियों को आवंटन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत इस वन भूमि के अंतरण के बारे में अभी तक राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रेलगाड़ियों का सी एण्ड डब्ल्यू टेस्ट

3143. **डा. गुणवंत रामभाऊ सरोदे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रेलगाड़ियों का सी. एण्ड डब्ल्यू परीक्षण करना जरूरी होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों से मुम्बई वी.टी. से चलने वाली रेलगाड़ियों के संबंध में कल्याण, इगतपुरी, मनमाड और भुसावल में यह परीक्षण नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां, निर्धारित स्थानों पर सभी गाड़ियों की सवारी एवं माल डिब्बा जांच की जाती है।

(ख) जी नहीं, मानवीकृत सवारी एवं माल डिब्बा जांच पेंटर्न

के अनुसार बम्बई वी.टी. से चलने वाली यात्री गाड़ियों की सवारी एवं माल डिब्बा जांच इगतपुरी और भुसावल में की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खेसारी दाल

3144. **श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खेसारी दाल में पाये जाने वाले जहरीले तत्व को हटाने में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) खेसारी दाल में पाये जाने वाले विषैले पदार्थों को अभी तक समाप्त नहीं किया जा सका है। बहरहाल, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ने खेसारी दाल को विषमुक्त (डिल्हाक्सीफाई) बनाने की एक विधि का विकास किया है। इसी प्रकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी खेसारी दाल की अहानिकर किस्मों का विकास करने लिए प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

मैंग्रोव वन का विनाश

3145. **श्री रबि राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने उड़ीसा में समुद्र तट के निकट मैंग्रोव वन को नष्ट कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में मैंग्रोव वन के विनाश के कारण आए विनाशकारी तूफान के परिणामस्वरूप 1971 में इस क्षेत्र में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) देश के अन्य भागों की तरह ही उड़ीसा समुद्रतट के निकट मैंग्रोव वन, उसके समीप रहने वाले लोगों की जरूरतों के कारण दबाव में है।

(ग) और (घ) 1971 में आये एक तीव्र चक्रवाती तूफान से जन-धन को काफी क्षति हुई थी।

उड़ीसा समुद्र तट पर चक्रवात आना एक सामान्य बात है तथापित मैंग्रोव वन इसकी तीव्रता को कम करते हैं और तटों की रक्षा करते हैं।

(ङ) उड़ीसा में मित्तारकनिका तथा महानदी डेल्टा के मैंग्रोव क्षेत्रों के लिए वनीकरण को प्रोत्साहन देने तथा सुरक्षा उपाय के लिए प्रबंध कार्य योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मित्तारकनिका के क्षेत्रों को एक अभयारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी घोषित किया गया है।

[हिन्दी]

दूध की जांच

3146. **डा. छत्रपाल सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किए जाने वाले दूध की गुणवत्ता की नियमित समयान्तराल पर जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इन परीक्षणों को करने की कार्यविधियां क्या हैं;

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध में यूरिया कितने प्रतिशत होता है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) अपमिश्रण और परिरक्षण तथा वास्तविक विशेषताओं के संदर्भ में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्राप्त किए जा रहे दूध का दिल्ली दुग्ध योजना की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा निश्चित तौर पर परीक्षण किया जाता है। यूरिया से युक्त दूध को दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता।

रेल पथों का विस्तार

3147. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली-कानपुर रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए रेल पथों पर विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस रेल मार्ग पर कितनी किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बिछाई जायेगी और इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) इटावा और कानपुर (139 कि.मी.) के बीच तीसरी लाइन के कार्य का अनुमोदन कर दिया गया है 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कानपुर से पनकी (9 कि.मी.) तक पहले चरण का कार्य 1995-96 के बजट में शामिल कर लिया गया है, जिसके

लिए इस वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) पहले चरण के कार्य को 1996-97 तक पूरा करने का लक्ष्य है अन्य चरणों का कार्य आगामी वर्षों में शुरू किया जायेगा।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशन

3148. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है जहां 1994-95 में विद्युतीकरण और नवीकरण का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों के नाम क्या हैं और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने 1995-96 में विद्युतीकरण और नवीकरण के लिए कुछ ऐसे ही और स्टेशनों का चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमानतः इस पर कितना खर्च किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां, विद्युतीकरण के लिए गुजरात में छः रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। बड़वाला रोड, पुदगम गणेशपुरा तथा जलिया नामक स्टेशनों को 1994-95 के दौरान विद्युतीकृत किया गया था। पिपली, लोरपाडा तथा छत्राल नामक शेष तीन स्टेशनों के कार्य को 1995-96 तक पूरा करने की योजना है।

स्टेशन इमारतों के नवीकरण के संबंध में, पोरबंदर पर सौन्दर्यीकरण के माध्यम से सुधार तथा लखवावल पर पुरानी इमारत के बदले नई इमारत की व्यवस्था से संबंधित कार्यों को शुरू किया गया था। पोरबंदर पर कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) और (घ) मौजूदा मानदंडों के अनुसार सभी पात्र स्टेशनों को विद्युतीकृत किया गया है। गांधीनगर में पुरानी इमारत के स्थान पर स्टेशन की नई इमारत की व्यवस्था से संबंधित कार्य को 46.11 लाख रुपये की लागत से 1995-96 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

बिना टिकट यात्रा

3149. **श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार :**
श्री गोपीनाथ गजपति :
डा. रमेशचंद तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन रेल मार्गों/गाड़ियों का पता लगाया गया है जिनमें बिना टिकट यात्रा की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ग) वर्ष 1994-95 में अब तक जोनवार कितने यात्री बिना टिकट पकड़े गए हैं;

(घ) उनसे आर्थिक दण्ड के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई है; और

(ङ) बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध अभियान चलाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) बिना टिकट यात्रा की घटनाएं सामान्यतः शाखा लाइनों की गाड़ियों में अधिक होती हैं।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) बिना टिकट यात्रा पर नियंत्रण करने के लिए किये गये उपायों में समय-समय पर आकस्मिक/न्यायिक जांच, विभिन्न प्रचार माध्यमों से अभियान चलाना तथा रेल अधिनियम 1989 में उल्लिखित निवारक जुर्माने शामिल हैं। बिना टिकट यात्रा को हतोत्साहित करने के लिए, अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियां खोल कर यात्रियों को कम समय में टिकट उपलब्ध कराने के प्रबंध किए जा रहे हैं, कार्य घंटों को बढ़ाया जा रहा है तथा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर स्वतः मुद्रण टिकट मशीनों की व्यवस्था की जा रही है।

विवरण

1 अप्रैल 94 से फरवरी 95 तक (नवीनतम उपलब्ध) की अवधि के दौरान बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों की संख्या तथा उनसे वसूले गए जुर्माने की राशि के संबंध में क्षेत्र-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

रेलवे	1 अप्रैल 94 से फरवरी 95 के दौरान बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों की सं. (लाख में)	उनसे वसूल की गई जुर्मानों की राशि (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
मध्य	9.25	8.83
पूर्व	7.13	5.45
उत्तर	11.17	10.31

1	2	3
पूर्वोत्तर	3.40	2.53
पूर्वोत्तर सीमा	1.04	1.05
दक्षिण	2.31	2.55
दक्षिण मध्य	4.42	5.41
दक्षिण पूर्व	4.58	3.65
पश्चिम	9.69	8.95

गुड़ का उत्पादन

3150. **श्री जनार्दन मिश्र :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खजूर के दूधिया रस से गुड़ का उत्पादन करने की योजनाओं को लागू किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार गुड़ का अनुमानित उत्पादन कितना था;

(ग) गत वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन की तुलना में गुड़ का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(घ) क्या गुड़ की एक बड़ी मात्रा का प्रयोग अल्कोहल के उत्पादन के लिए किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस चलन को रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (छ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सबके लिए शिक्षा

3151. **श्री राम निहोर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित "सबके लिए शिक्षा" योजना शुरू की है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को इस योजना को राज्य में लागू करने का अवसर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह योजना सभी राज्यों में लागू की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का इस योजना को सफल बनाने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) करीब 728 करोड़ रु. की लागत से सात वर्षों की अवधि के लिए एक बुनियादी शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश के दस जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना लागत का 87 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण से पूरा किया जाएगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने की गति में तेजी आयेगी।

(घ) और (ङ) एक "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" आरम्भ किया गया है तथा यह सात राज्यों अर्थात : असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व मध्य प्रदेश के 42 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक व यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त-पोषित है।

(च) शिक्षा विभाग राष्ट्रीय संसाधन संस्थाओं के जरिए इन परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह परियोजनाओं के कार्यान्वयन का भी नजदीकी से अनुवीक्षण करता है।

फसल बीमा योजना

3152. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :**
श्री एन.डेनिस :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में फसल बीमा योजना राज्य-वार किन-किन जिलों में क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) कृषि क्षेत्र में बीमा योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान फसल बीमा योजना के व्यावहारिक पहलुओं से संतुष्ट है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों के लाभ हेतु इस योजना को पूरी तरह से कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) इस समय जिन जिलों में वृहत फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है उनके राज्यवार नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) कृषि क्षेत्र में वृहत फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के बारे में हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस समय जिस रूप में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है उसकी कमियां इस प्रकार हैं :

(1) कम प्रीमियम दरों के कारण योजना का अव्यवहार्य होना।

(2) सभी फसलों/सभी किसानों का इसमें सम्मिलित न होना।

(3) जिन राज्यों में यह योजना लागू की जा रही हैं उनमें प्रतिकूल क्षेत्रों का चयन।

(4) फसल कटाई मशीनरी में कमी तथा पर्यवेक्षण का अभाव।

(5) कार्यान्वयक एजेन्सियों द्वारा दावे बढ़ा-बढ़ा कर प्रस्तुत करना।

(ङ) वृहत फसल बीमा योजना पहली अप्रैल, 1995 से देश भर में पहले ही चलाई जा रही है। अभी तक 19 राज्यों तथा चार संघ शासित प्रदेशों ने एक या अधिक मौसमों में इस योजना को कार्यान्वित किया है । इस योजना का स्वरूप स्वैच्छिक होने के कारण सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश इसमें सम्मिलित नहीं हो सके।

विवरण-I

इस समय जिन जिलों में वृहत फसल बीमा योजना चलाई जा रही है उनकी राज्यवार सूची

क्र.सं.	जिला
1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1.	पूर्व गोदावरी
2.	पश्चिम गोदावरी
3.	कृष्णा
4.	गुन्टुर
5.	श्रीकाकुलम
6.	विजयनगरम
7.	विशाखापट्टनम
8.	नेलोढ़
9.	प्रकाशम
10.	चित्तरू
11.	अदिलाबाद
12.	करीमनगर
13.	निजामाबाद
14.	मेडक
15.	वारंगाल
16.	रंगारेड्डी
17.	महबूबनगर
18.	नालगोंडा
19.	खमाम
20.	कुरनूल
21.	अनन्तपुर
22.	गुड्डापाह
असम	
1.	सोनीतपुर
2.	लखीमपुर
3.	धमाजी
4.	दारंग
5.	डिबरूगढ़
6.	सीवसागर
7.	जोरहाट
8.	गोलाघाट
9.	तिनसुकिया
10.	नौगांव
11.	मोरीगांव
12.	कामरूप
13.	नालाबारी

1	2
14.	बारपेटा
15.	धुबड़ी
16.	गोलपारा
17.	कोकराझार
18.	बोगाईगांव
19.	कच्छार
20.	करीमगंज
21.	हैलाखाड़ी
22.	कराबी अंगलोंग
23.	उत्तर कच्छार पहाड़ी
बिहार	
1.	पूर्व चम्पारण
2.	पश्चिम चम्पारण
3.	गोपालगंज
4.	सीवान
5.	सारण
6.	सीतामढ़ी
7.	मुंगेर
8.	वैशाली
9.	मधुबनी
10.	दरभंगा
11.	समस्तीपुर
12.	मुजफ्फरपुर
13.	गया
14.	औरंगाबाद
15.	रोहतास
16.	भागलपुर
17.	पटना
18.	नालन्दा
19.	नवादा

1	2
20.	भोजपुर
21.	बक्सर
22.	जहानाबाद
23.	बंका
24.	भाबना
25.	जागनी
26.	पूर्णिया
27.	कटिहार
28.	सहरसा
29.	बेगुसराय
30.	कीशनगंज
31.	अररिया
32.	खगड़िया
33.	माधेपुर
34.	सुपौल
35.	हजारीबाग
36.	गिरिडीह
37.	धनबाद
38.	दुमका
39.	गोड्डा
40.	साहेबगंज
41.	देवगढ़
42.	बोकारो
43.	छत्रा
44.	पलामू
45.	लोहारदगा
46.	गमुला
47.	रांची
48.	पूर्व सिंगभूज
49.	पश्चिम सिंगभूज

1	2
गोवा	
1.	उत्तर गोवा
2.	दक्षिण गोवा
गुजरात	
1.	बड़ौदा
2.	भरूच
3.	दंग
4.	पंचमहल
5.	सूरत
6.	वालसाड़
7.	अहमदाबाद
8.	गांधीनगर
9.	खेड़ा
10.	महेसाणा
11.	साबरकंठा
12.	अमरेली
13.	भावनगर
14.	जाम्बनगर
15.	जूनागढ़
16.	राजकोट
17.	बांसकण्ठा
18.	कुवच्छ
19.	सुरेन्द्रनगर
हिमाचल प्रदेश	
1.	बिलासपुर
2.	चम्बा
3.	हमीरपुर
4.	कांगरा
5.	किन्नौर
6.	कुलु (कुल्लू)

1	2
7.	लाहौल एवं स्पीति
8.	माण्डी
9.	सीमला
10.	सीरमौर
11.	सोलान
12.	ऊना
कर्नाटक	
1.	बंगलौर
2.	बेलगाम
3.	बेलारी
4.	बीजापुर
5.	चित्रदुर्ग
6.	गुलबारगा
7.	कोलार
8.	माण्डया
9.	मैसूर
10.	रायचूर
11.	तुमकुर
12.	बिदार
13.	हसान
14.	शीमोगा
15.	धारवाड़
16.	चिलकमानगलोर
17.	कोडागु (कॉर्म)
18.	उत्तर कन्नाड़ा
19.	दक्षिण कन्नाड़ा
केरल	
1.	त्रिवेन्दरम
2.	क्यूलान
3.	पठान अमथिटा

1	2
4.	कोटयाम
5.	कासारगोड
6.	कालीकट
7.	कोनार
8.	पालाकाड
9.	त्रिचूर
10.	मालापुरम
11.	अलेपेय
12.	इर्नाकुलम
13.	वयनाड
14.	इदवुकी
महाराष्ट्र	
1.	रत्नागिरी
2.	सिन्धुदुर्ग
3.	बम्बई
4.	राइगाड
5.	थाणे
6.	कोल्हापुर
7.	पुणे
8.	धुले
9.	अहमदनगर
10.	नासीक
11.	उसमानाबाद
12.	सांगली
13.	सतारा
14.	सोल्हापुर
15.	अकोला
16.	अमरावती
17.	औरंगाबाद
18.	बीद
19.	बुलधाना
20.	जलगांव
21.	जलना
22.	लातूर
23.	नागपुर
24.	नान्देड़
25.	परभानी
26.	वारधा
27.	येओतमाल
28.	भान्द्रा
29.	चन्दरपुर
30.	गादछिरोली
मध्य प्रदेश	
1.	बालाघाट
2.	बिलासपुर
3.	दुर्ग
4.	रायपुर
5.	रायगढ़
6.	राजनन्दगांव
7.	बस्तर
8.	माण्डला
9.	शाहडोल
10.	सीधी
11.	सूरगुजा
12.	पन्ना
13.	रीवा
14.	सतना
15.	सेओनी
16.	होशंगाबाद
17.	जबलपुर

1	2
18.	नरसिंहपुर
19.	भोपाल
20	दामोह
21.	गुना
22.	रायसेन
23.	सागर
24.	सेहोर
25.	विदिसा
26.	भिंड
27.	ग्वालियर
28.	मोरेना
29.	शीवपुरी
30.	छत्रपुर
31.	दतिया
32.	टीकमगढ़
33.	बेतुल
34.	छिन्दवाड़ा
35.	देवास
36.	धार
37.	इन्दौर
38.	मन्दसौर
39.	राजगढ़
40.	रतलाम
41.	सहाजपुर
42.	उज्जैन
43.	खण्डवा
44.	खारगौन
45.	इबुआ
मेघालय	
1.	पूर्व खासी हिल्स

1	2
2.	भोई
3.	पश्चिमी खासी हिल्स
4.	जेन्तिया हिल्स
5.	पूर्व गारो हिल्स
6.	पश्चिम गारो हिल्स
7.	दक्षिण गारो हिल्स
उड़ीसा	
1.	कटक
2.	जैपोर
3.	जगतसिंघपुर
4.	गेन्दरापाड़ा
5.	बालासोड़
6.	भाद्राक
7.	पुरी
8.	नयागढ़
9.	खुरदा
10.	बोलानगीर
11.	सोनेपुर
12.	सम्भलपुर
13.	झारगुइडा
14.	देवगढ़
15.	बरगाढ़
16.	कालाहाड़ी
17.	नावापारा
18.	गन्जाम
19.	गजपाती
20.	कोरापुट
21.	रायगाडा
22.	नवरंगपुर
23.	मलनावगिरी

1	2
24.	फुलवानी
25.	बांधी
26.	सुन्दरगढ़
27.	केओनझार
28.	धेनकलाल
29.	अंगुल
30.	मायारभानी
तमिलनाडु	
1.	टी.वी. मालाई
2.	छिंगलपट्टमार
3.	नार्थ एक्रोट अम्बेदकर
4.	विल्लुपुरम रामास्वामी
5.	साउथ एक्रोट
6.	धर्मापुरी
7.	सालेम
8.	प्रियार
9.	कोयम्बटूर
10.	तानंजोर
11.	नागापट्टनम
12.	त्रिचिरापली
13.	त्रिनेलवेली
14.	रामनाथपुरम
15.	दीन्दुगुल अन्ना
16.	वी.ओ. चिदम्बरम
17.	कामराजार
18.	मवुराई
19.	पुदुकोट्टराई
20.	पेसुनपोन मुथरामलींगम

1	2
21.	कन्याकुमारी
22.	नीलगिरीस
त्रिपुरा	
1.	नार्थ त्रिपुरा
2.	साउथ त्रिपुरा
पश्चिम बंगाल	
1.	पुरूहा
2.	बंकुरा
3.	बीरभूम
4.	मिदनापुर (पश्चिम)
5.	नादिया
6.	माल्लवा
7.	मुर्शिदाबाद
8.	हुगली
9.	हाबड़ा
10.	बर्दवान
11.	24 परगना (एन)
12.	मिदनापुर (पूर्व)
13.	24 परगना (दक्षिण)
14.	जलपाईगुड़ी
15.	कूचबिहार
16.	पश्चिम दिनाजपुर
17.	दार्जिलिंग
संघ शासित क्षेत्र : अण्डमान और निकोबार	
1.	अण्डमान
2.	निकोबार
संघ शासित क्षेत्र : पाण्डिचेरी	
1.	पाण्डिचेरी
2.	काराइकाल

विवरण-II

खरीफ 1985 से खरीफ 1994 तक वृहत फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कितने मौसमों में सम्मिलित हुए	किसानों की कुल संख्या	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टे. में)	बीमा की रकम (रु.)	कुल बीमा शुल्क (रु. लाखों में)	कुल दावे
1.	आंध्र प्रदेश	18	7279196	13867441.00	272400.60	4735.37	14173.65
2.	असम	15	217312	88068.02	2046.10	35.90	49.72
3.	बिहार	17	2701552	2954721.24	66511.36	1330.14	3460.35
4.	गोवा	17	12913	19803.62	108.71	2.16	3.37
5.	गुजरात	17	5896166	14644838.00	256946.05	3144.74	74380.87
6.	हिमाचल प्रदेश	15	23106	26126.43	295.85	5.90	36.40
7.	जम्मू व कश्मीर	3	54586	77358.00	789.78	15.80	65.20
8.	कर्नाटक	16	1465096	2547289.55	46121.88	723.17	2390.39
9.	केरल	18	345531	401532.23	10953.84	219.14	290.68
10.	मणिपुर	1	8840	4759.00	191.77	3.84	-
11.	मध्य प्रदेश	18	5948333	15061478.39	96639.84	1482.72	3082.12
12.	महाराष्ट्र	18	11060279	14450702.73	172670.56	2905.22	12478.63
13.	मेघालय	10	13032	21929.23	271.32	5.32	6.34
14.	उड़ीसा	17	1939414	2720020.48	38423.92	752.33	2360.30
15.	राजस्थान	2	535400	1544600.00	8296.89	159.78	2292.59
16.	तमिलनाडु	17	1800495	2752295.21	73052.94	1348.03	2329.87
17.	त्रिपुरा	17	32918	22467.01	567.21	11.34	6.03

18.	उत्तर प्रदेश	7	2762178	5335468.00	43182.43	852.64	499.79
19.	प्रश्चिम बंगाल	18	3725788	2359115.00	62623.10	1251.35	1356.70
20.	अंडमान व निकोबार	9	3200	6311.15	98.96	1.88	2.18
21.	दिल्ली	5	372	1359.00	26.37	0.53	–
22.	पाण्डिचेरी	16	16354	34749.44	1115.28	22.30	22.36
			45842061	78942432.73	1153334.76	19009.60	119287.54

खरीफ, 1994 के संबंध में अन्तिम दावे के आंकड़े ज्ञात नहीं हैं क्योंकि इन दावों पर कार्यवाही की जा रही है।

पान पत्ता अनुसंधान केंद्र

3153. **श्री दत्ता मेघे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय कृषि और पान पत्ता अनुसंधान केंद्र किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और अधिक अनुंसधान केंद्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) पान के पत्ते से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के तहत पान के पत्ते पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। यह अनुसंधान कार्य इन 10 केंद्रों में हो रहा है—बंगलौर (कर्नाटक), चिंथालालापुड्डी, गुण्टूर जिला (आंध्र प्रदेश), भुवनेश्वर (उड़ीसा), सांगली (महाराष्ट्र), जबलपुर (मध्यप्रदेश), जोरहाट (आसाम), सिरूगमणि (तमिलनाडु), कल्याणी (पश्चिम बंगाल), पूसा समस्तीपुर (बिहार) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"गुवाहाटी चिड़ियाघर"

3154. **श्री उद्धव वर्धन : क्या पर्यावरण वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान गुवाहाटी चिड़ियाघर में अनेक जानवरों की मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंघी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी मृत्यु के क्या कारण हैं; और

(घ) चिड़ियाघर में जानवरों को रोग-मुक्त रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के दौरान गुवाहाटी चिड़ियाघर में 43 स्तनपायी, 45 पक्षी और 57 सरीसृपों की मृत्यु हुई थी।

(ग) इनकी मृत्यु के प्रमुख कारण जीर्ण अवस्था, फुप्फसीय बीमारी, आंत्रिक विकृति और जानवरों की आपसी लड़ाई बताई गई है।

(घ) चिड़ियाघर प्रबंधित सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) क्षयरोग का उपचार;

(2) बीमार जीव जन्तुओं के लिए पृथक बाड़े।

(3) अनुरक्षकों द्वारा जीव जन्तुओं की सामयिक स्वास्थ्य जांच।

(4) खाद्य और जल आपूर्ति की गुणवृत्ता पर नियंत्रण।

हिन्दी माध्यम से शिक्षण

3155. **डा. सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के पदों के आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है;

(ख) क्या इन विद्यालयों में कुछ विषय अनिवार्य रूप से हिन्दी में पढ़ाए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(घ) सरकार द्वारा गैर-हिन्दी भाषी अध्यापकों पर हिन्दी न थोपने के बारे में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) केंद्रीय विद्यालय योजना मुख्यतया भारत सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित की गई है, क्योंकि बच्चों के अभिभावकों और शिक्षकों का स्थानांतरण एक भाषायी क्षेत्र से दूसरे भाषायी क्षेत्र में होता रहता है, अतः संगठन ने अध्यापन/अध्ययन प्रक्रिया के स्तरों में एकरूपता लाने और छात्रों को अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषाओं में प्रवीणता प्रदान करने के उद्देश्य से, कतिपय शिक्षण पदों के वास्ते सुसंगत शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हताओं के अतिरिक्त, अनिवार्य वांछनीय अर्हता के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ाने में दक्षता निर्धारित की है।

केंद्रीय विद्यालयों में गणित और विज्ञान विषय अंग्रेजी माध्यम से तथा मानविकी विषय हिन्दी माध्यम से पढ़ाए जाते हैं।

[हिन्दी]

जलाशयों में मत्स्यन

3156. **श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सरकार के पास जलाशयों में मत्स्य के लिए 4.50 करोड़ रुपए की पांच योजनाएं भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई रेल लाइन

3157. **श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में नई रेल लाइनें बिछाने हेतु किन-किन मार्गों का सर्वेक्षण करने के आदेश दिए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास कादूर चिकमंगलूर-बेंगलूर-सकलेशपुर के सर्वेक्षण हेतु दिए गए आदेश में मुदिक्यु को भी शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक शामिल कर के पूरा कर दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शीरफ) : (क) कर्नाटक में निम्नलिखित नई लाइनों का सर्वेक्षण प्रगति पर है :

(1) मैसूर-तेल्लीचेरि

(2) चामराजनगर-मेतूर बांध

(3) चामराजनगर-मेट्टुपालयम तथा चामराजनगर-कोयम्बटूर और

(4) कडूर-चिकमगलूर और चिकमगलूर-सकलेशपुर।

(ख) चिकमगलूर-सकलेशपुर सर्वेक्षण में बारास्ता मुदीगेरे सर्वेक्षण का भी विचार किया जाएगा।

(ग) 1995-96 में सर्वेक्षण पूरा हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार किया जाना संभव होगा।

आमान-परिवर्तन

3158. **श्री पवन दीवान :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में सभी मोटर गेज लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है विशेष रूप से बस्तर और कालाहांडी जन-जातीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली रायपुर और रांजीयन रेल लाइनों को बदलने का क्या विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं। केवल चुनिंदा मीटर लाइन/छोटी लाइन मार्गों को परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 1.4.92 को विद्यमान लगभग 27000 कि.मी. में से लगभग 13500 कि.मी.ला./छो.ला. लाइनों की आमान परिवर्तन के लिए पहचान की गई है। रायपुर/धमतरी-राजिम के आमान परिवर्तन को कार्रवाई योजना के पहले चरण में शामिल किया गया है और इसे आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

रेलवे लाइन

3159. **डा. कृपा सिन्धु भोई :**
श्री गोपीनाथ दीक्षित :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान उड़ीसा में खुरदा रोड बोलनगीर लाइन के लिए आबंटित धनराशि बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो धनराशि के आबंटन में वृद्धि के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त परियोजना प्रारंभ करने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। उसके बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा और भूमि उपलब्ध हो जाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश आयु-सीमा

3160. **डा. रमेश चंद्र तोमर :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विद्यालयों में प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश के लिए आयु सीमा बढ़ा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्यां कारण हैं और प्रवेश के लिए अब क्या आयु निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोजगार के अवसर

3161. **श्री महेंद्र कुमार सिंह ठाकुर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग द्वारा उन परिवारों के एक व्यक्ति को रोजगार देने का कोई प्रावधान है जिनकी भूमि को इंदिरा सागर

परियोजना के कारण भूमि के जलमग्न हो जाने से रेल लाइन को तलवाइया रेलवे स्टेशन से होकर ले जाने के कारण रेलवे द्वारा अधिगृहीत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें रेलवे द्वारा कब तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक पहल किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3162. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री राम सिंह कास्वां :
श्री खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :
श्री राम कापसे :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु ब्लाकों का निश्चय करने हेतु क्या-क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कितने लोग लाभान्वित हुए और इस संबंध में राज्यवार कुल कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) क्या पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुजरात सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता दी गई है और वर्ष 1995-96 में कितनी राशि दिए जाने की संभावना है, राज्यवार विवरण दें; और

(घ) क्या सरकार का पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्षेत्र विस्तार करने का तथा इस योजना में आवश्यक मदें जैसे दालें, खाद्य तेल, चाय शामिल करने का कोई इरादा है?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) देश में सभी ब्लॉक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं। विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा निर्धारित पहाड़ी क्षेत्र के तहत आने वाले ब्लाकों को उन्हें संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाने के लिए राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके पता लगाया गया है। इस समय 1775 ब्लाकों में रहने वाले लगभग 1650 लाख लोग संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं। केंद्रीय सरकार, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में विशेष रूप से सहायता प्राप्त केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करती है, जो सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए नियत केंद्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में प्रति क्विंटल 50 रु कम हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंतिम खुदरा मूल्य नियत करने में अपने आनुषंगिक व्यय जोड़ते हैं। केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि इन क्षेत्रों में अंतिम खुदरा मूल्य, केंद्रीय निर्गम मूल्यों से प्रति कि.ग्रा. 25 पैसे से अधिक नहीं होने चाहिए। केंद्रीय सरकार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मामले में खाद्य राज सहायता की राशि का अलग-अलग विवरण नहीं रखती है।

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई है :

वर्ष	राशि लाख रुपए में	गोदामों की संख्या	क्षमता मी. टन
1992-93	-	-	-
1993-94	64.64	4	4000
1994-95	40.30	5	1500
योग	104.94	9	5500

केंद्रीय सरकार द्वारा 1995-96 के बजट अनुदान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गोदामों का निर्माण करने के लिए 755 लाख रु. और वैनें खरीदने के लिए 660 लाख रु. की वित्तीय सहायता उद्दिष्ट की है। 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निधियों का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

(घ) सरकार का अतिरिक्त ब्लॉकों, जिन्हें रोजगार आश्वासन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात किया गया है, को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय सरकार छः प्रमुख आवश्यक वस्तुओं, अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी के तेल, आयातित खाद्य तेल तथा सॉफ्ट कोक की अधिप्राप्ति, भंडारण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनके वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनका थोक में आवंटन करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्थानीय आवश्यकताओं तथा पसंद के आधार पर आम खपत की अतिरिक्त वस्तुओं, जैसे दालें, चाय, साबुन आदि को स्वयं अपनी ओर से प्रणाली में शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में ऐसी वस्तुओं का वितरण किए जाने की सूचना दी है।

रेलवे स्टेशन

3163. **श्री फूलचंद वर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशनों के विकास के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ख) 1994-95 के दौरान विकास योजना का ब्यौरा क्या है और वित्तीय और औवर्तक अर्थों में इसमें कितनी सफलता मिली है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है तथा इससे संबंधित कार्यों को यातायात आवश्यकता के अनुसार वांछनीय होने पर शुरू किया जाता है, जो निधियों की समग्र उपलब्धता तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। 1994-95 के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर।

(1) जल आपूर्ति में वृद्धि करने।

(2) सवारी डिब्बों में पानी भरने के प्रबंधों में सुधार करने।

(3) बुकिंग काउंटरों का नवीनीकरण करने तथा उन्हें सुंदर बनाने।

(4) प्लेटफार्म सं. 3 तथा 4 पर धुलनीय एप्रेनों की व्यवस्था करने।

(5) स्टेशन इमारत के पश्चिमी सिरे को सुंदर बनाने तथा नए पूछताछ कार्यालय को स्थानांतरित करने से संबंधित कार्यों को 90.02 लाख रुपए की लागत से शुरू किया गया है।

मद सं. (5) को छोड़कर सभी कार्यों को वर्ष के दौरान पूरा किया गया था।

हबीबगंज के संबंध में हबीबगंज में 7.9 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल का विकास किया जा रहा है। 31.3.1995 तक इस कार्य पर कुल 7.75 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च की गई है। कार्य पूरा होने के निकट है तथा 24.10.1994 से टर्मिनल को आंशिक रूप से चालू कर दिया गया है। अतिक्रमणों को हटाने में विलंब के कारण शेष कार्य रुका हुआ है। मध्यप्रदेश सरकार के साथ इस मामले पर पत्र व्यवहार किया जा रहा है। अतिक्रमणों को हटाने के 6 महीनों के भीतर इस कार्य को पूरा किया जाएगा।

रेलवे स्टेशनों के भवन का निर्माण

3164. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में रेलवे स्टेशनों के लिए नए भवनों का निर्माण करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान उन रलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया जाना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पुरानी इमारतों के स्थान पर नई रेलवे स्टेशन इमारतों का निर्माण आयु और हालात के आधार पर किया जाता है। फिलहाल, केरल में किसी भी स्टेशन की इमारत का बदलाव अपेक्षित नहीं है।

(ग) 1995-96 के दौरान, केरल में आर्यनराव, चलाकुडि, एट्टामानूर, पिरावोम रोड, तेनमलई, तिरूर, त्रिचूर और तिरुपुनिथुरा रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कामकाजी महिला होस्टल

3165. **कुमारी उमा भारती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिए कितने हॉस्टलों का निर्माण किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान कितने हॉस्टलों का निर्माण किए जाने का विचार है और ये हॉस्टल कहां कहां बनाए जाएंगे;

(ख) इन हॉस्टलों में महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन हॉस्टलों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) वर्ष 1994-95 में कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत 53 अतिरिक्त हॉस्टलों, जिनमें से 26 हॉस्टलों में 690 बच्चों के लिए दिवस देखभाल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, के स्थान दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1995-96 के दौरान 7.75 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है ताकि नए हॉस्टलों का निर्माण किया जा सके तथा निर्माणाधीन होस्टलों को दी जाने वाली सहायता को जारी रखा जा सके। वर्ष 1995-96 के दौरान निर्मित किए जाने वाले हॉस्टलों की संख्या प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तथा उनकी लागत पर निर्भर करेगी।

(ख) उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में आवास के अतिरिक्त, विश्राम सह मनोरंजन कक्ष, भोजन कक्ष, रसोई घर, भण्डार गृह, वार्डन का कमरा, अलमारियां आदि शामिल हैं, जिनमें एकल कामकाजी महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को पूरा किया जा सकता है।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान 7.75 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिए स्वीकृत होस्टलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या

क्र.सं.	संगठन का नाम	परियोजना का स्थान	कामकाजी महिलाओं की सं.	दिवस देखभाल केन्द्र में बच्चों की सं.
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	रायलसीमा सेवा समिति, 9 पुरानी हुजूर आफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश।	तिरुपति, टाउन	80	-
2.	भारत महिला मण्डली विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	50	-
अरुणाचल प्रदेश				
1.	लेकग वेलफेयर सोयाइटी, महादेवपुर, लोहित, अरुणाचल प्रदेश	महादेवपुर, लोहित	60	-
असम				
1.	दिमासा महिला समिति, हाफलांग-788819, जिला-नार्थ कचर हिल्स, असम।	हाफलांग एन सी हिल्स, असम	40	-
2.	कर्बी अंगलांग डिस्ट्रिक्ट महिला समिति, डिफू-782460, जिला-कर्बी अंगलांग, असम।	डिफू टाऊन,	84	-
गुजरात				
1.	श्री तपीबाई रणछोड़दास गांधी विकास गृह, रणछोड़दास गांधी भवन, न्यू फिल्टर के पास, गौरी बेन त्रिवेदी चौक, भावनगर, गुजरात।	भावनगर	36	-
2.	एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इण्डिया, जिला-, गांधीनगर ब्रांच, प्लॉट नं.-जीबी-17, सैक्टर-9, गांधी नगर, गुजरात।	गांधी नगर टाउनशिप	54	-
जम्मू और कश्मीर				
1.	जम्मू डिवेल्पमैंट ऑथारिटी, जम्मू।	जम्मू	110	30

1	2	3	4	5
2.	सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जम्मू और कश्मीर सरकार।	लेह	44	-
3.	हिलाल इन्स्टीट्यूट अनन्तनाग, जम्मू और कश्मीर।	अनन्तनाग	27	10
कर्नाटक				
1.	रोटरी वर्किंग वीमेन वैलफेयर ट्रस्ट, डॉ. अम्बेडकर रोड, सुभाष नगर, माण्ड्या-571401, कर्नाटक।	माण्ड्या	26 (विस्तार)	-
2.	डिस्ट्रिक्ट बंजारा एजूकेशन सोसायटी स्पिनिंग मिल रोड, बीजापुर-58610 कर्नाटक।	नवरसपुर, बीजापुर	99	-
3.	रेणुका येल्लम्मा ऐजूकेशन सोसायटी सौनदत्ती-591126, जिला बेलगाम कर्नाटक।	सौनदत्ती	60	-
4.	वीरशैव विचार्वधक संघ, गांधी नगर, बेल्लरी-583103, कर्नाटक।	फोर्ट, बेल्लरी टाउन	114	30
5.	भारती एजूकेशन ट्रस्ट भारती नगर, जिला माण्ड्या-571422, कर्नाटक।	भारतीनगर गांव, महर ताल्लुक माण्ड्या जिला	100	30
6.	नित्तुर एजूकेशन सोसायटी नित्तुर (बी) ताल्लुक जिला बीदर कर्नाटक।	बेब इब्राहीम गांव बीदर	90	-
केरल				
1.	एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम वीमेन्स एसोसियेशन, एर्णकुलम, कोचीन, केरल।	कोचीन	70	25
2.	अल इस्लाम चैरिटेबल ट्रस्ट दया पुरम, कालीकट, केरल।	कालीकट	114	30
3.	श्री विद्याधिराज सेवा समिति, श्री करिवम तिरूवनन्तपुरम, केरल	चेरूविक्कल गांव पट्टम ताल्लुक	34	15
महाराष्ट्र				
1.	काकासाहब म्हासके मैमोरियल मैडिकल फाउण्डेशन अहमदनगर, महाराष्ट्र।	अहमदनगर	75	-

1	2	3	4	5
2.	सुविदे फाउण्डेशन, रिसोड, अकोला, महाराष्ट्र।	अकोला	77	25
3.	भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था, जिला-बीड़ महाराष्ट्र।	अम्बाजोगई बीड़	36	-
4.	परमंहस रामकृष्ण मौनी बाबा शिक्षण संस्था, जिला बुलडाना, महाराष्ट्र।	सावरगांव	100	-
5.	भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान, राजावाड़ा, शांगली-416416 महाराष्ट्र।	शांगली	30 (विस्तार)	-
उड़ीसा				
1.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान दया विहार, कनास पुरी, उड़ीसा	दयाविहार पुरी	66	15
पंजाब				
1.	भारतीय रेडक्रास समिति, फरीदकोट, पंजाब	फरीदकोट	75	--
तमिलनाडु				
1.	जे.के.के. रंगलाल चैरिटेबल ट्रस्ट सेलम, तमिलनाडु	सेलम	90	-
2.	दक्षिणी शैक्षिक तथा ग्रामीण विकास समिति, सेलम जिला	देवीकुरूचि गांव सेलम जिला	108	-
3.	कामराज शैक्षिक स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति वीरुथुनगर, तमिलनाडु	कूरडुकुण्डुगांव वीरुथुनगर	102	-
4.	तिरुप्पूत्तुर ग्रामीण उत्थान परियोजना समिति, तिरूप्पुत्तुर तमिलनाडु	तिरुप्पत्तुर	28	15
5.	आशा निवास समाज सेवा केन्द्र मद्रास, तमिलनाडु	वादा अग्रम गांव नुनगम्बक्कम, मद्रास	98	-
6.	पार्क ट्रस्ट न. 36, .1 स्ट्रीट के.पी.एन. कालोनी, तिरूपुर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	करबी पुदूर गांव पल्लाडोम तालुक कोयम्बटूर जिला	. 94	25
7.	यंग मैन्स क्रिश्चयन एसोसिएशन मद्रास तमिलनाडु	कोटिवक्कम गांव मद्रास	96	-

1	2	3	4	5
8.	रतनवल सुब्रहमण्यम शैक्षिक न्यास, सुलुर, कोयम्बटूर तमिलनाडु	कन्नम्पालयम, गांव पल्लाडोम ताल्लुक कोयम्बटूर जिला	150	-
9.	भक्तवत्सलम मेमोरियल ट्रस्ट कोरटूर, मद्रास	तदैव	150	-
10.	...तदैव...	कोरात्तुर गांव, सामडोपट ताल्लुक, चिंगलपुअ जिला	152	-
11.	अंगप्पा शैक्षिक न्यास, कोयम्बटूर,तमिलनाडु	कवुन्दमपलयम गांव गांधीपुरम, कोयम्बटूर	81	-
12.	एम.एस. चेल्लामुतु न्यास के.के. नगर, मदुराई, तमिलनाडु	नरसिन्मपट्टी गांव मेल्लुर ताल्लुक, मदुराई जिला	30	10
13.	तमिलनाडु कारपोरेशन फार डेवलेपमेंट आफ वीमेन लिमिटेड मद्रास	चोक्काकुलनम मदुराई	100	30
14.	---तदैव---	नल्लूर तिरूपुर कोयम्बटूर	100	30
15.	---तदैव--- वी.आर.पी.	पतई, पुरम कोकिकु वी.आर.पी. जिला	100	30
16.	---तदैव---	मल्लपढ़ी, धर्मपुरी	100	30
17.	---तदैव---	कृष्णागिरी, धर्मपुरी	100	30
18.	तमिलनाडु कारपोरेशन फार डेवलेपमेंट आफ वीमेन लिमिटेड, मद्रास	सौबरी पलयम, कोयम्बटूर	100	30
19.	---तदैव---	मल्लवदी गांव होसुर धर्मपुरी	100	30
20.	---तदैव---	निरूबतीचपुरम गांव धर्मपुरी	100	30
21.	---तदैव---	त्रिचि	100	30
22.	---तदैव---	वेलूर नार्थ अम्बेडकर, जिला	100	30
23.	---तदैव---	नागेरकोइल	100	30
उत्तर प्रदेश				
1.	शिव महेश शैक्षिक संस्थान	गौरीगंज	52	20
पश्चिम बंगाल				
1.	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक कल्याण समिति, रबीन्द्र नगर, पश्चिम बंगाल	कृष्णपुर 24 परगना (नार्थ)	98	30

1	2	3	4	5
2.	चन्द्रनागोर म्यूनिसपल कारपोरेशन चन्द्रनागोर, जिला हुगली पश्चिम बंगाल	चन्द्रनागोर	50	-
नई दिल्ली				
1.	श्रम साधन बम्बई न्यास कार्डिनल ग्रेसियस हाई स्कूल के सामने बांदरा (ईस्ट) बम्बई-400051 (होस्टल दिल्ली में स्थित)	आई.एन.ए. दिल्ली	364	50
			(53)4594	(26)690

[अनुवाद]

कंक्रीट के स्लीपर

3166. **श्री अनन्त राव देशमुख :**
श्री एस.एम. लाल जान बाशाः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में अत्यधिक यातायात वाले रेल मार्गों पर लकड़ी और धातु के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपर लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को प्रतिवर्ष 605 मिलियन कंक्रीट के स्लीपरों की जरूरत होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या लघु उद्यमियों को इस प्रकार के स्लीपर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है अथवा नहीं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां, सभी उच्च घनत्व वाले मार्गों पर, जहां रेलपथ नवीकरण किया जाना है, कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) मार्च 95 के अंत तक 23,000 कि.मी. से अधिक रेलपथ पर कंक्रीट स्लीपर पहले बिछाये जा चुके हैं।

(ग) योजनानुसार मुख्य लाइन कंक्रीट स्लीपरों की वार्षिक आवश्यकता लगभग 6 मिलियन अदद है।

(घ) ऐसा कोई उद्यमी जिसके पास पूर्व बलित कंक्रीट प्रौद्योगिकी एवं क्षमता हो, उसे पात्र माना जाता है।

(ङ) रेलों की कंक्रीट स्लीपरों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पूरे भारतवर्ष में निजी क्षेत्र में 72 कारखानें स्थापित किए गए हैं।

रेलवे में पुनर्गठन

3167. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेवले में जोन व्यवस्था का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका पुनर्गठन कब तक किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) क्षेत्रों एवं मंडलों के पुनर्गठन से संबंधित मामलों का अध्ययन इस मंत्रालय द्वारा हाल ही में पूरा किया गया है। प्रस्ताव तैयार करने तथा अन्य संबद्ध मामलों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली में दुकानें

3168. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में राशन के वितरण हेतु चल दुकानें खोलने का है;

(ख) यदि हां तो, ऐसी कितनी चल दुकानें खोलने का प्रस्ताव है और ये दुकानें किन -किन क्षेत्रों में खोली जाएंगी; और

(ग) यह प्रणाली कब तक शुरू हो जाएगी?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने

मुख्य रूप से लेवी चीनी वितरित करने के लिए उन क्षेत्रों में जहां स्थिर दुकानें नहीं हैं, ११ मोबाइल वैनें लगाई हैं। ये वैनें चांदनी चौक, मोरी गेट, बुलावर रोड, आराम बाग, मोरीगेट, तुर्कमान गेट, साइकल मार्किट, जामा मस्जिद, तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी *गेट, पहाड़गंज, न्यू राजेंद्र नगर, आरामबाग, पहाड़गंज, गोल मार्किट* क्षेत्रों में लगाई गई हैं। ये वैनें सोमवार से शनिवार तक सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 10.00 से शाम 6.00 बजे तक कार्य करती हैं।

[अनुवाद]

खेलकूद संघ

3169. **श्री वी. कृष्ण राव :**
श्री के. जी. शिवप्पा :
श्री सी. पी. मुडला गिरियप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलकूद संघों (स्पोर्ट्स फेडरेशन) की स्थापना के क्या प्रयोजन हैं;

(ख) क्या खेलकूद संघ उन प्रयोजनाओं को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संघों को अनुदान देने के लिए क्या मानदंड और शर्तें आदि हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) खेल संघ पंजीकृत स्वायत्त निकाय है जिन की स्थापना खेलकूद का स्तर ऊंचा उठाने के लिए की गई ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धाओं में अपनी अच्छी पहचान बनाने में सक्षम हो सकें।

(ख) जी, हां।

(ग) ये संघ सामान्यतः अपनी संबंधित खेल विधा में प्रतिवर्ष उपजूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करते हैं। ये खेल व्यक्तियों/ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं और उनके स्तर में सुधार हेतु सहायता करते हैं। ये विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारी के लिए आवधिक प्रशिक्षण और कोचिंग शिविर आयोजित करते हैं। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करते हैं और प्रतिस्पर्धा और प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों तथा टीमों को विदेश में भी भेजते हैं।

(घ) सरकार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों (एन.एस.एफ) को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार अनुदान देती हैं :

1. **राष्ट्रीय चैंपियनशिप :**

उप-जूनियर और सीनियर के लिए प्रत्येक चैम्पियनशिप आयोजित करने के लिए 50,000 रुपए तक सहायता दी जा रही है। यदि चैम्पियनशिप महिला और पुरुषों *के लिए एक साथ आयोजित की जाती है तो प्रत्येक* के लिए 75,000 रुपए तक उन्हें सहायता दी जाती है। यदि तीनों चैम्पियनशिप इकट्ठी आयोजित की जाती है तो संघ को 1,12,500 रुपए का अनुदान दिया जाता है। तथापि अनुदानों के लिए पात्र होने हेतु राष्ट्रीय संघों को 3/4 राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है।

2. **भारत में एशियाई/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट :**

भारत में एशियाई/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सहायता हेतु राष्ट्रीय खेल संघों को 3,00,000 रुपए और 5,00,000 रुपए तक अनुदान दिया जाता है। "ए" श्रेणी नगर में प्रति खिलाड़ी प्रति दिन 700 रुपए और अन्य नगरों के लिए प्रति खिलाड़ी प्रति दिन 500 रुपए की दर से प्रतिपूर्ति के आधार पर स्वीकार्य सहायता तैयार की जाती है।

3. **विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता :**

सरकार लागत पर अनुमोदित टीमों के लिए, यदि उपलब्ध है, तो भ्रमण श्रेणी का अन्यथा किफायती श्रेणी की वापसी यात्रा किराया सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

4. **सहायक सचिव का वेतन :**

सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य अनुसार महंगाई भत्ते सहित 1640-2900 रुपए के वेतनमान में राष्ट्रीय खेल संघों के सहायक सचिवों को वेतन की प्रतिपूर्ति भी कर रही है।

5. **प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन/खेल उपस्करों और विदेशी प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराना :**

सरकारी लागत पर प्रशिक्षण शिविर, खेल उपस्कर और विदेशी प्रशिक्षक (चयनित विधाओं में) भी प्रदान किए जाते हैं।

खेल संघों के कार्यकलापों की देखरेख करने के लिए, प्रत्येक संघ को जारी अनुदानों का प्रबोधन प्रत्येक स्वीकृति का व्यक्तिगत रिकार्ड रखकर किया जा रहा है। संघ को कार्य निष्पादन रिपोर्ट और अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना आवश्यक है। अनुदान की द्वितीय किस्त संघ द्वारा परीक्षित लेखे और कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजने के बाद जारी की जाती है।

उड़ीसा में सड़क उपरिपुल

3170. **श्री के. प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कतिपय सड़क उपरि पुलों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ये पुल कहां-कहां बनाए जा रहे हैं;

(ग) इन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(घ) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुल का	स्थिति	अनुमानिम लागत		प्रगति
			रेलवे का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	
1.	रायगड़ा-समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	343/4 किमी.	275.00	270.00	रेलवे का हिस्सा-40 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा - 82 प्रतिशत
2.	केसिंगा-समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	216/135 किमी.	100.06	70.97	आरेखण और अनुमान को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा।
3.	बरगढ़-समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	603/09 किमी.	61.00	81.17	-यथोक्त-
4.	टिटलागढ़–समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	201/14 किमी.	165.76	187.38	ब्यौरेवार संयुक्त आकलन स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है।
5.	जाजपुर-क्योंझर रोड-समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	336/1 किमी.	109.22	119.78	रेलवे का हिस्सा-75 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा-40 प्रतिशत
6.	भुवनेश्वर (सत्यानगर)-समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	434/19 किमी.	210.00	249.19	रेलवे का हिस्सा-100 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा 90 प्रतिशत
7.	भुवनेश्वर (बापू जी नगर)-समपार बे बदले ऊपरी सड़क पुल	437/16 किमी.	133.92	147.54	रेलवे का हिस्सा-100 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा-50 प्रतिशत कार्य रुका हुआ है।

भूमि संरक्षण

3171. **श्री सुधीर गिरि : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1994 में देश में भूमि संरक्षण पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) राज्यों को धनराशि आवंटित किए जाने में किन मानदंडों को अपनाया गया;

(ग) आवंटित धनराशि के उपयोग पर निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न मृदा संरक्षण योजनाओं के अंतर्गत 1994 के दौरान विभिन्न राज्यों को 10473.31 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई। उपयोग के लिए राज्यवार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (I) समेकित वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास परियोजना और (II) क्षेत्रानुमुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना जैसे कार्यक्रम चला रहा है। इन योजनाओं में मृदा संरक्षण संबंधी घटक शामिल हैं, जिनके लिये कुल प्रावधान की 16 प्रतिशत धनराशि का उपयोग मृदा संरक्षण कार्यों के लिए किया जा सकता है। मृदा संरक्षण कार्यों के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय समेकित बंजर भूमि विकास के लिए एक योजना क्रियान्वित कर रहा है। जिसका मृदा एवं जल संरक्षण एक घटक है जिसके लिए कुल राशि का 20 प्रतिशत खर्च किया जा सकता है। इस क्रिया-कलाप के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है। सूखा प्रवधा क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 30 प्रतिशत धनराशि भू-समतलीकरण और विकास, मृदा एवं नमी संरक्षण के लिए खर्च की जा सकती है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में भी मृदा संरक्षण कार्यकलापों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 15 प्रतिशत राशि भू-समतलीकरण एवं विकास तथा मृदा एवं नमी संरक्षण के लिए व्यय की जा सकती है।

(ख) और (ग) राज्यों को धन का आबंटन की समस्याओं के स्वरूप और केंद्र द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है धन के उपयोग की मॉनिटरिंग प्राप्त होने वाली आवधिक रिपोर्टों, विचार-विमर्शों और राज्यों के दौरों के माध्यम से किया जाता है।

विवरण

1994-95 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा मृदा संरक्षण कार्यों के लिए जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में)

राज्य का नाम	कृषि एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं के अंतर्गत
1	2
आंध्र प्रदेश	329.00
अरुणाचल प्रदेश	5.00
असम	250.00
बिहार	-
गोवा	-
गुजरात	259.00
हरियाणा	90.00
हिमाचल प्रदेश	842.50
जम्मू व कश्मीर	236.00
कर्नाटक	604.00
केरल	55.00
महाराष्ट्र	700.00
मध्य प्रदेश	1530.50
मणिपुर	309.16
मेघालय	151.00
मिजोरम	262.12
नागालैंड	346.20
उड़ीसा	326.00
पंजाब	70.00
राजस्थान	1379.00
सिक्किम	-
तमिलनाडु	337.00
त्रिपुरा	50.31
उत्तर प्रदेश	1688.50
पश्चिम बंगाल	303.00
दामोदर घाटी निगम	350.00
योग	10473.29

प्राकृतिक खेती

3172. **डा. आर. मल्लू : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में बनाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में किन्हीं पायलट प्रस्तावों को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) केवल प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। लेकिन, सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए जैव उर्वरकों, हरी खाद और कार्बनिक खाद के उत्पादन और उपयोग के लिए सहायता दे रही है।

[हिन्दी]

"पर्यावरण परियोजनाएं"

3173. **डा. साक्षीजी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वनों के विकास और पर्यावरण में सुधार करने के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनों के विकास और पर्यावरण में सुधार के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रस्तुत की गई और शुरू की गई स्कीमों/परियोजनाओं के ब्यौरे और प्रत्येक मामले में प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	मुख्य उद्देश्य	निधिकरण की मात्रा	स्तर	वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के तीन के वर्षों के दौरान उपलब्धियां वित्तीय
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	100 %	चालू	193.95
2.	सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना	100 % 50 %	अनावर्ती चालू आवर्ती	16.61
3.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालिक उत्तरजीवितता सुनिश्चित करना	100 % 50 %	अनावर्ती चालू आवर्ती	99.28
4.	बाघ परियोजना	बाघों की जीवनरक्षक आबादी सुनिश्चित करना	100 % 50 %	अनावर्ती चालू आवर्ती	235.00
5.	बाघ रिजर्वों के आसपास पारि-विकास	बाघ रिजर्वों के आसपास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना	100 % 50 %	अनावर्ती चालू आवर्ती	31.02
6.	वनस्पति उद्यानों को सहायता	वनस्पति उद्यानों का उन्नयन	100 %	चालू	46.25
7.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धति	वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दावानल का नियंत्रण	100 %	चालू	8.00
8.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद उगाना	100 %	चालू	9.00
9.	बीज विकास स्कीम	उन्नत बीजों के लिए अवसंरचना का विकास	100 %	चालू	25.15
10.	समन्वित वनीकरण एवं पारिविकास एवं पारिविकास परियोजना स्कीम	वनीकरण और पारिविकास को बढ़ावा देना	100 %	चालू	1036.07

11.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी, और चारा परियोजना स्कीम	ईंधन की लकड़ी और चारे की कमी वाले अभिनिर्धारित जिलों में इसकी आपूर्ति को बढ़ाना	50 %	चालू	599.28
12.	जीव मंडल रिजर्व स्कीम	नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व की प्रबंध कार्य योजना का कार्यान्वयन	100 %	चालू	102.51
13.	गंगा कार्य योजना चरण-1	गंगा नदी का प्रदूषण उपशमन	100 %	चालू	6632.00
14.	गंगा कार्य योजना चरण-2	यमुना और गोमती नदियों का प्रदूषण उपशमन	50 %	चालू	236.00

[अनुवाद]

बिहार में खाद्यान्नों की कमी

3174. **श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को सूखे के कारण खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए खाद्यान्नों की कोई अतिरिक्त मात्रा जारी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मद-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) बिहार सरकार से वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य में किसी सूखे की स्थिति के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

3175. **श्री छेदी पासवान : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरा-सासाराम स्टेशनों के बीच मीटर-गेज रेल लाइन की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट दिसम्बर, 1995 तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

(घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार कर पाना संभव होगा।

[अनुवाद]

चीनी का आबंटन

3176. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को लेवी चीनी का आबंटन 25,281 मीट्रिक टन की तुलना में अगस्त 1991 से बढ़ाकर 26,545 मीट्रिक टन कर दिया है?

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने नवंबर, 1993 और मई 1994 तथा पुनः अगस्त, 1994 में वर्ष 1993 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर केन्द्रीय सरकार से चीनी का आबंटन बढ़ाकर 33,250 मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या भारत सरकार ने लेवी चीनी का मासिक आबंटन अप्रैल, 1994 से 26,545 मीट्रिक टन से घटाकर 25,281 मीट्रिक टन कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के लेवी चीनी के आवंटन में कमी करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार को लेवी चीनी का आबंटन 32,250 मीट्रिक टन के स्तर तक करने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। उस समय लेवी चीनी की बढ़ती हुई उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लेवी चीनी आबंटन में अगस्त 1991 से 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की अनुमति दी गई थी।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के लेवी चीनी कोटे में अक्तूबर, 1993 में 33.250 मी. टन तक और मई 1994 में 30.388 मी. टन तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।

(ग) और (घ) जी, हां। उस समय देश में चीनी की बढ़ी हुई उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगस्त, 1991 से अनुमत लेवी चीनी आबंटनों में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि को लगातार दो चीनी मौसमों अर्थात 1992-93 तथा 1993-94 में चीनी उत्पादन में लगातार गिरावट के कारण, अप्रैल, 1994 के लिए रिलीज की गई लेवी चीनी से बंद कर दिया गया था।

(ङ) और (च) लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अभी तक आंध्र प्रदेश के लेवी चीनी आबंटन को बढ़ाना संभव नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

"वृक्षारोपण के संबंध में सर्वेक्षण"

3177. **श्री मंजय लाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष काटे गए तथा लगाए गए वृक्षों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में वृक्षारोपण की संभावनाओं का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से देश में वनावरण के मूल्यांकन में लगा हुआ है। वनावरण में हो रहे परिवर्तन का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्टों में उल्लेख किया जाता है। ये रिपोर्ट प्रत्येक दो वर्षों में प्रकाशित की जाती हैं। वर्ष 1987 तथा 1989 की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से प्रतिवर्ष 47,500 हैक्टेयर तक वनावरण की क्षति का पता चलता है। तथापि, 1991 की स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट वनावरण में 28,000 हैक्टेयर की कुल वार्षिक वृद्धि दर्शाती है जबकि 1993 की स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट में वनावरण में 1100 हैक्टेयर की कुल वार्षिक वृद्धि का पता चलता है।

(ग) से (ङ) सरकार की राष्ट्रीय वन नीति (1988), देश के कुल भू-क्षेत्र के एक तिहाई भाग को वनाच्छादित करने पर बल देती है। देश भर में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जाते हैं, जोकि केन्द्र और राज्य योजनाओं में उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करते हैं। इस संबंध में उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के संबंध में जीवितता दर अध्ययन प्रति वर्ष किए जाते हैं। ये अध्ययन देश भर में करीब 50 चयनित जिलों में की गई नमूना जांच के आधार पर किए जाते हैं। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के संबंध में की गई नमूना जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है। 1993-94 के दौरान चलाए गए वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों की नमूना जांच का कार्य किया जा रहा है। इन नमूना-जांच से पता चलता है कि स्थान-वार और प्रजाति-वार भिन्नता को देखते हुए वृक्षारोपण की समग्र जीवितता दर आमतौर पर 55 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच रही।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं 16 वनीकरण/वृक्षारोपण के तहत राज्यवार लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला

(हैक्टेयर क्षेत्र, लाख पौध)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991-92				1992-93				1993-94			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व. भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व. भूमि	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व. भूमि	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व. भूमि	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व. भूमि	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व. भूमि
1. आंध्र प्रदेश	1600.00	30000.00	1775.91	56590.00	1850.00	63450.00	1102.63	47453.0	1950.00	70000.00	917.19	34530.00
2. अरुणाचल प्रदेश	10.00	10000.00	7.92	7860.00	5.00	7200.00	5.00	7200.00	5.00	7500.00	5.00	7500.00
3. असम	100.00	42000.00	8.68	19458.00	25.00	25000.00	11.80	22486.60	30.00	27500.00	20.76	18144.00
4. बिहार	700.00	50000.00	837.00	46333.00	600.00	48000.00	180.00	20357.00	750.00	50000.00	190.03	45855.39
5. गोवा	50.00	1200.00	22.57	1466.65	25.00	1500.00	27.23	1722.00	30.00	1800.00	33.46	1854.00
6. गुजरात	2400.00	73000.00	2511.86	63480.00	2500.00	70000.00	2281.46	64847.00@	1500.00	68000.00	1631.76	73711.66@
7. हरियाणा	300.00	45000.00	271.30	31551.00	300.00	37050.00	300.00	34826.00	300.00	37500.00	231.81	33823.00
8. हिमाचल प्रदेश	150.00	57500.00	72.70	35784.00	90.00	32500.00	88.59	31280.00	75.00	35000.00	33.19	32395.00@
9. जम्मू और कश्मीर	150.00	10000.00	75.00	15170.61	50.00	20000.00	64.83	17010.85@	60.00	20000.00	42.01	15928.20
10. कर्नाटक	900.00	50000.00	437.17	34705.54	555.00	38500.00	374.38	36479.97	450.00	42500.00	274.19	46429.36
11. केरल	250.00	41000.00	137.38	11593.96	160.00	25000.00	173.79	1[illegible]342.70@	300.00	15000.00	136.61@	3127.69@
12. मध्य प्रदेश	600.00	95000.00	614.60	103151.00	600.00	110000.00	600.12	121394.19	400.00	125000.00	439.00	125187.19
13. महाराष्ट्र	1230.00	125000.00	1101.61	151255.86	1150.00	163000.00	824.97	153621.38@	1200.00	180000.00	1141.25@	100062.17
14. मणिपुर	25.00	13000.00	13.04	8363.00	25.00	9000.00	22.46	8600.00	30.00	9500.00	22.00	6928.00@
15. मेघालय	150.00	18000.00	75.00	18991.00	125.00	18000.00	26.58	5148.00	125.00	19000.00	54.88	11604.00
16. मिजोरम	100.00	11000.00	60.23	11447.00	10.00	12000.00	5.86	14000.00	10.00	14000.00	16.31	16750.00

17. नागालैंड	50.00	11000.00	109.19	7450.00	110.00	5850.00	20.10	4700.00	120.00	7500.00	54.30	2799.00
18. उड़ीसा	500.00	57000.00	428.52	58389.80	500.00	60000.00	425.42	74134.85	550.00	75000.00	390.04	70819.00
19. पंजाब	150.00	16000.00	151.29	16987.00	70.00	17000.00	85.90	19360.00	80.00	18000.00	51.78	17800.00
20. राजस्थान	350.00	82500.00	330.59	85050.00	350.00	65000.00	405.13	66729.00	400.00	65000.00	453.34	67238.00
21. सिक्किम	50.00	8000.00	6.00	6163.29	15.00	8000.00	9.50	8665.38	18.00	8500.00	10.85	8484.82
22. तमिलनाडु	800.00	54000.00	1013.84	68144.00	875.00	65000.00	1037.36	113553.10	1000.00	114000.00	1124.32	86016.51
23. त्रिपुरा	50.00	11000.00	27.68	14074.16	50.00	16000.00	37.05	15253.00	50.00	17700.00	28.14	8603.54
24. उत्तर प्रदेश	3400.00	90000.00	3192.47	89565.11	3390.00	90000.00	3468.29	100139.26@	3200.00	85000.00	2929.00	83723.24
25. पं बंगाल	850.00	45000.00	846.00	47540.00	1000.00	50000.00	802.00	50000.00	800.00	45000.00	800.00@	38200.00@
26. अ.नि.द्वी. समूह	5.00	3600.00	5.23	2842.00	5.00	3200.00	5.33	3200.00	5.00	3300.00	5.00	3486.67
27. चण्डीगढ़	0.00	300.00	0.04	300.00	0.00	400.00	0.28	430.20	0.00	500.00	0.05	8.00 जून 93
28. दादर व न. हवेली	20.00	1000.00	3.00	120.00	10.00	1000.00	7.90	518.00	12.00	1100.00	12.02	894.60 अगस्त 93
29. दमन व द्वीव	1.00	200.00	0.54	117.00	1.00	100.00	1.14	83.34	1.00	150.00	0.94	62.00
30. दिल्ली	50.00	1500.00	44.89	1632.40	50.00	2000.00	41.60	1512.70	50.00	2000.00	43.51	1740.40
31. लक्षद्वीप	5.00	100.00	2.95	50.00	3.00	50.00	3.36	50.00	4.00	50.00	4.27	54.20
32. पांडिचेरी	4.00	100.00	10.61	88.72	1.00	200.00	10.81	128.00	4.00	200.00	0.60	126.53
योग	15000.00	1050000.00	14194.81	1015714.00	14500.00	1064000.00	12450.87	1062225.52	13509.00	1165300.00	11097.61*	96388.17*

* अनंतिम

@ संशोधित

राज भाषा हिंदी

3178. **श्री देवी बक्स सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेल मंत्रालय ने राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए निम्नलिखित अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. रेल मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रालय स्तर पर रेल हिंदी सलाहकार समिति गठित की गई है।
2. क्षेत्रीय रेलों, मंडलों, कारखानों के स्तर पर तथा अन्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं।
3. क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन कारखानों, मंडल कार्यालयों तथा इस मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों से तिमाही प्रगति रपटें मंगाई जाती हैं और मंत्रालय स्तर पर इनकी समीक्षा की जाती है।
4. सभी रेल अधिकारियों को यह आदेश दिए गए हैं कि वे रेलों पर निरीक्षण करते समय उस कार्यालय में हिंदी के प्रयोग के संबंध में भी निरीक्षण करें।
5. हिंदी जानने वाले अधिकारियों को यह आदेश दिए गए हैं कि वे हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों को हिंदी में डिक्टेशन दें।
6. रेल कार्यालयों में समय-समय पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
7. हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए रेल कार्यालयों में शील्डें प्रदान करने, पुरस्कार और प्रोत्साहन देने से संबंधित योजनाएं लागू की गई हैं।
8. रेलों पर हिंदी पुस्तकालयों की स्थापना की गई है।
9. रेल कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रयोग में आने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरणों की व्यवस्था की गई है।
10. मंत्रालय और क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर हिंदी संगठन के सभी अधिकारी रेल कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं।

(ख) जी हां, 31.12.94 को समाप्त तिमाही के दौरान प्राप्त ऐसे 499171 पत्रों में से, 499166 पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए, जिनका प्रतिशत 99, 99 प्रतिशत बनता है।

(ग) 31.12.94 को समाप्त तिमाही में हिंदी में प्राप्त पत्रों तथा जिन पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया है, उनसे संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है :

रेल/कार्यालय	हिंदी में प्राप्त पत्रों की सं.	जिनके उत्तर दिए जाने अपेक्षित थे	जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए	प्रतिशत
1	2	3	4	5
मध्य	173308	134286	134286	100
पूर्व	16949	13647	13647	100
उत्तर	124490	98624	98624	100
पूर्वोत्तर	142940	116232	116232	100
पूर्वो. सीमा	3410	2927	2927	100
दक्षिण	1726	830	825	99.3
दक्षिण-मध्य	3528	2205	2205	100
दक्षिण -पूर्व	21100	13030	13030	100
पश्चिम	128407	100497	100497	100

1	2	3	4	5
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन	508	331	331	100
डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी	4757	2980	2980	100
सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास	612	236	236	100
डीजल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला	3973	1105	1105	100
सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला	3147	1079	1079	100
काफमो, नई दिल्ली	278	189	189	100
पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलूरू	51	23	23	100
अ.अ.मा. संगठन, लखनऊ	2424	1464	1464	100
भारतीय रेल सम्मेलन, नई दिल्ली	1428	1305	1305	100
प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य उपक्रम	740	435	435	100
रेलवे बोर्ड	11905	7746	7746	100
जोड़	645681	499171	499171	99.99

[अनुवाद]

पनधारा प्रबंध परियोजना

3179. **श्रीमती चंद्र प्रभा अर्स : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की ओ.डी.ए. ने कर्नाटक में पनधारा प्रबंध परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अंतर्गत किन-किन जिलों को शामिल करने का विचार है;

(ग) उक्त परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि की सहायता देने का विचार है; और

(ङ) इस परियोजना का कार्य कब से शुरू किया जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी हां।

(ख) शामिल किए जाने वाले जिलों के नाम बीजापुर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और शिमोगा हैं।

(ग) और (घ) इस परियोजना के लिए प्रस्तावित बजट 5 मिलियन ब्रितानी पौंड (लगभग 25 करोड़ रुपए) है। डिजाइन तैयार करने के लिए 264 मिलियन ब्रितानी पौंड (लगभग 1.32 करोड़ रुपए) की धनराशि निर्मुक्त कर दी गई है।

(ङ) परियोजना की अवधि 12 वर्ष की है। चरण 1 में डिजाइन के 6-9 माह और प्रारंभिक कार्य के 2½ वर्ष शामिल हैं। चरण 1 में प्राप्त अनुभव का शेष परियोजनावधि के दौरान चरण 2 में इस्तेमाल किया जाएगा।

कमोडिटी एक्सचेंज

3180. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क स्थित "कमोडिटी एक्सचेंज" के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन देशों का दौरा करने का है जहां यह योजना इस समय चल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजनार्थ किन-किन मुख्य बातों की जांच की जाएगी?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार को काली मिर्च के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जिंस एक्सचेंज स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संगठनों के साथ व्यापक रूप से परामर्श करना अपेक्षित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जिंस एक्सचेंज स्थापित करने का विचार अभी केवल संकल्पनात्मक अवस्था में है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेल लाइनें

3181. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रतिशत एकल रेल लाइनें आती हैं;

(ख) अन्य जोनल रेलवे की तुलना में यह प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या इस संबंध में मध्य रेलवे और अन्य रेलवे के बीच भारी अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो आगामी वर्षों में इस अंतर को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 31.3.94 को मौजूद सभी 9 क्षेत्रीय रेलों पर एकल लाइन का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

रेलवे	एक लाइन (प्रतिशत)
1	2
मध्य	7.90
पूर्व	4.63
उत्तर	18.41
पूर्वोत्तर	10.56
पूर्वोत्तर सीमा	7.57
दक्षिण	12.67
दक्षिण -मध्य	12.00
दक्षिण-पूर्व	9.30
पश्चिम	16.96

(ग) और (घ) मध्य रेलवे की स्थिति पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रीय रेलों की तुलना में बेहतर है। दोहरी अथवा मिश्रित रेल लाइनों की आवश्यकता का निर्धारण मार्ग पर यातायात घनत्व, परिचालनिक आवश्यकता, संसाधनों की उपलब्धता आदि जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए मार्गवार किया जाता है न कि क्षेत्रवार।

रेल लाइन

3182. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के हैलाकंडी जिले में कटकहल भैराबी शाखा खंड के नए प्रस्तावित लाल-भैरगती विस्तार, जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, का कार्य अभी आरंभ होना है; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर परिषद की पहल पर 83-84 में लाला बाजार से वैरिंगेट (20.30 कि. मी.) तक मी.ला. की रेलवे लाइन का निर्माण के लिए किए गए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण से पता चला था कि इस परियोजना पर 16.10 करोड़ रु. की लागत आएगी और इस पर प्रतिफल ऋणात्मक होगा। इस समय के मूल्यों के हिसाब से इस पर 50 करोड़ रुपए से कम लागत नहीं आएगी। इस लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधन की अत्यधिक तंगी को देखते हुए यह कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

खाद्यान्न

3183. **श्री गुमान मल लोढ़ा** :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में प्रति हैक्टेयर लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

यदि हां, तो गेहूं, चावल, तिलहनों, दालों और मोटे अनाज और कपास के बारे में प्रति हैक्टेयर उत्पादन का अधिकतम लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है;

(ग) देश में वर्ष 1994-95 के दौरान इन फसलों का कुल उत्पादन कितना हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) लक्ष्य विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) 1994-95 के दौरान विभिन्न फसलों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य इस प्रकार हैं :

फसल	लक्ष्य (मिलियन मीटरी टन में)
गेहूं	58.50
चावल	78.50
तिलहन	22.00
दलहन	15.50
मोटे अनाज	36.50
कपास	12.50
(प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें)	

(ग) फसल की कटाई प्रयोग पर आधारित सभी फसलों की प्रति एकड़ उपज के अंतिम अनुमान राज्यों से प्राप्त होने का समय अभी नहीं हुआ है। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार 1994-95 में गेहूं, चावल, तिलहन, दलहन, मोटे अनाज और कपास की संभावित उत्पादकता इस प्रकार है :

फसल	उपज (कि. प्रति है.)
गेहूं	2371
चावल	1954
तिलहन	831
दलहन	573
मोटे अनाज	948
कपास	251

बीजों की आपूर्ति

3184. **श्री कुन्जी लाल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने बीजों की आपूर्ति के संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन को कोई महत्व नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) तक ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशन

3185. **श्री एन. डेनिस**
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में इस समय किन-किन प्रमुख रेलवे स्टेशनों का विस्तार और विकास किया जा रहा है;

(ख) रेलवे स्टेशनों के विस्तार और आधुनिकीकरण कार्य पर 1993-94 और 1994-95 के दौरान अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में 1995-96 के दौरान रेलवे स्टेशनों के विस्तार, आधुनिकीकरण कार्य शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है ; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक रेलवे स्टेशन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयुर्वेदिक चिकित्सक

3186. **श्री ललित उरांव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड के निर्देश संख्या 77/एच/आई. एस/4 ता. 21 मार्च, 1977 के खिलाफ आयुर्वेदिक चिकित्सकों की भर्ती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं तथा वेतनमान का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जी नहीं।

दिनांक 21.3.77 का पत्र सं. 77/एच/15/4 केवल एक परिपत्र था जिसमें क्षेत्रीय रेलों से संभावित वित्तीय फलितार्थ के संबंध में टिप्पणियां मांगी गई थीं कि यदि उस समय कर्मचारी कल्याण के रूप में चल रहे देशी पद्धति के औषधालयों को एलोपैथिक औषधालयों के अलावा नियमित आधार पर चलाना हो तो क्या फलितार्थ होंगे। विस्तृत जांच के बाद ऐसा करना व्यावहारिक नहीं पाया गया। बहरहाल, इन औषधालयों को इसी तरह चलते रहने दिया गया। इन औषधालयों में कार्यरत अशंकालिक डाक्टरों को कर्मचारी हित निधि से निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाता है और इस मानदेय में समय-समय पर वृद्धिपरक संशोधन किया जाता है।

युवा आयोग

3187. **श्री चित्त बसु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार युवाओं के हितों के संरक्षण और उनके समग्र विकास के लिए एक युवा आयोग के गठन को आवश्यक और उपयुक्त मानती है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

3188. **श्री खेलनराम जांगड़े : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में चालू रेल परियोजनाओं संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(क) इन परियोजनाओं की प्रगति के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश में चार विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलों को किए जाने वाले कार्य की मात्रा और संसाधनों, जो कि उन्हें आबंटित किए जा सकते हैं, को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध आधार पर पर्याप्त धन और सामग्री मुहैया कराई जा रही है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य में नई लाइनों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण से संबंधित वर्तमान में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा तथा 1995-96 के दौरान मुहैया कराया गया परिव्यय और पूरा करने का कार्यक्रम इस प्रकार है :

परियोजना का नाम	1995-96 के लिए परिव्यय (रुपये करोड़ में)	प्रगति
1	2	3
1. **नई लाइनें**		
I. गुना-इटावा रेल लाइन	14.00	गुना-ग्वालियर मार्ग पर खजूरी मोहना-पनिहार का शेष भाग 1997-98 में पूरा कर दिया जाएगा और नोनेरा से भिंड और इटावा भाग नवीं योजना में पूरा कर दिया जाएगा।
II. गोधरा-दाहोद-इंदौर और देवास मक्सी	कार्य जो छोड़ दिया गया था, उसे शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।	
2. **आमान परिवर्तन**		
I. नीमच-रतलाम	8.65	नवीं योजना अवधि
II. परसिया छिंदवाड़ा	8.00	1995-96 में पूरा कर दिया जाएगा।

1		2	3
3.	**दोहरीकरण**		
	I. बिलासपुर-अकलतारा तीसरी लाइन	6.19	1995-96 में पूरा कर दिया जाएगा।
	II. अनास पुल	1.46	
	III. पीर उमरोद-बेड़छा	3.49	
	IV. बैरागढ़-फंदा	1.80	
	V. अकलतारा-चंपा शिरोपरि उपस्कर सहित तीसरी लाइन	12.53	
4.	**विद्युतीकरण**		
	I. बीना-कटनी	4.72	बिजली कर्षण सेवाओं के लिए पूरे खंड को अर्जित कर दिया गया है। कुछ बकाया कार्य चल रहा है।
	II. कटनी-कानपुर-बिलासपुर	55.00	

[अनुवाद]

रेल लाइन

3189. **श्री अमल दत्त : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मीकांतपुर से नामखाना तक रेल लाइन का विस्तार करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल विभाग वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए बज-बज से नामखाना तक रेल लाइनों के विस्तार करने के पूर्व प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां। कार्य चल रहा है।

(ख) लक्ष्मीकांतपुर से करनजली तक का खंड पहले ही खोल दिया गया है। करनजली से निश्चिंतपुर का कार्य जून 1995 तक और परियोजना का शेष कार्य 1996-97 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) और (घ) नामखाना से बज बज तक पूरी लाइन के लिए प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा गया था। बहरहाल, संसाधनों की तंगी के कारण उन्होंने नामखाना से लक्ष्मीकांतपुर तक की अल्प दूरी के लिए ही इसका अनुमोदन किया। संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तथा कुछ चालू परियोजनाओं को पूरा हो जाने के पश्चात ही बज बज से नामखाना तक लाइन के निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

सड़क उपरिपुल

3190. **डा. राजगोपालन श्रीधरण : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य रेलवे उपनगरीय बंबई रेल नेटवर्क के अंतर्गत बंबई शहर में सिओन और थाणे तथा कुरला और वासी के बीच नए सड़क उपरिपुलों और पैदल उपरिपुलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी।

(ग) इन उप-नगरीय रेल स्टेशनों पर क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) **ऊपरी सड़क पुल :** राज्य सरकारों से प्राप्त समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के निम्नलिखित प्रस्तावों पर राज्य सरकारों के साथ पूर्व अपेक्षित औपचारिकताओं के लिए विचार-विमर्श चल रहा है।

1. घाटकों पर-विखरोली खंड

22/12.13 किमी. पर समवार सं. 14के बदले में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

2. भाडूंप-मुलंड खंड

27/10-11 किमी. पर समपार सं. 17 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण

3. चूनाभट्टी-कुर्ला खंड

12-13 किमी. पर समपार सं. 1 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

4. रोवड़ी वडाला खंड

7/3-4 पर समपार सं. 7 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

उपरोक्त कार्य की अनुमानित लागत राज्य सरकार द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निकाली जा सकती हैं। पुल खास का निर्माण राज्य सरकार द्वारा पूर्ण किए जाने के पश्चात शुरू किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य पूरा कर लिए जाने के साथ-साथ पूरा किया जाएगा।

5. विद्या विहार में ऊपरी पैदल पुल :

ऊपरी पैदल पुल का कार्य 30-20 लाख रुपए की अनुमानित लागत से निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है और इसे 30.6.1996 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) संभाले जाने वाले यातायात की मात्रा के अनुरूप प्लेट फार्मों, बैठने की व्यवस्था, प्रतीक्षा कक्ष सुविधाओं, रोशनी, बुकिंग व्यवस्था, पीने के पानी आदि की सुविधाएं इन स्टेशनों पर मुहैया कराई गई हैं।

आमान परिवर्तन

3191. **श्री चंद्रेश पटेल :**
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड पिपावेव परियोजना तक रेल लाइन का विस्तार करने और अन्य पत्तन कस्बों में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में गुजरात से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां। गुजरात सरकार ने आलंग और पिपवेव पत्तन के लिए बड़ी लाइन रेल संपर्क की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) सुरेंद्रनगर-भावनगर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन/तथा आलंग के रास्ते भावनगर से पिपावेव तक परिवर्तित लाइन के विस्तार के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है। परियोजना पर आगे विचार सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर संभव होगा।

रेल लाइन का सर्वेक्षण

3192. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर से खुर्दा और खुर्दा से विजी तक रेल लाइन बिछाए जाने संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट को योजना आयोग की मंजूरी के लिए भेजा गया है; और

(ग) यदि नहीं तो, सर्वेक्षण और इसके संसाधन में देरी के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर खड़गपुर से खुरदा रोड और खुरदा रोड से विजयनगर तक एक बड़ी लाइन पहले से मौजूद है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

जुर्माने के रूप में वसूली की गई राशि

3193. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान जोन-वार अवैध फेरी वालों से जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि एकत्रित की गई; और

(ख) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कितने व्यक्तियों को छोड़ा गया?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

आमान परिवर्तन

3194. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक की स्थिति के अनुसार राजकोट और भावनगर मंडलों में छोटी लाइनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटी लाइन का आमान परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) राजकोट और भावनगर खंड पर छोटी लाइन नहीं है।

(ख) एवं (ग) इन खंडों पर निम्नलिखित मीटर लाइनों का आमान परिवर्तन करने की योजना है।

(1) राजकोट–वेरावल

(2) काकानेर–मतिया-मियाना

(3) विरभगांव–मेहसाणा

(4) मेहसाणा–पालनपुर दोहरी लाइन खंड

(5) मेहसाणा–अहमदाबाद (दो लाइनों में से एक का 1994-95 में पहले ही बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन किया जा चुका है।)

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

त्यौहारों के लिए चीनी का कोटा

3195. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान होली और ईद के त्यौहारों के लिए राशन कार्डों पर चीनी का अतिरिक्त कोटा वितरित नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं तो किन कारणों से उपभोक्ताओं को चीनी का अतिरिक्त कोटा नहीं मिल सका?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) केंद्रीय सरकार, राज्यों/संघों राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनके लेवी चीनी के आबंटन के सामान्य कोटे के अनुपात में प्रतिवर्ष लेवी चीनी की कुल एक लाख मीटरी टन मात्रा आबंटित करती है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, अपनी रुचि के महीनों में राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समझी गई त्यौहार की महत्ता पर निर्भर करते हुए चीनी का त्यौहार का कोटा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च, 1995 के महीनों के दौरान, क्रमशः, असम, जम्मू और कश्मीर तथा बिहार राज्यों को त्यौहार का कोटा आबंटित किया गया था।

[अनुवाद]

रेल लाइन

3196. **श्री आर अन्बारासु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूनामल्ले से होते हुए मद्रास सैंट्रल से श्रीपेरम्बुदूर के लिए नई रेल लाइन बिछाने संबंधी कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू किया जाएगा;

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की कमी।

[हिन्दी]

रेल पथ

3197. **श्री पंकज चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे पर वाराणसी और इलाहाबाद के बीच आमान परिवर्तन हेतु नई रेल पटरियां लगाने के बजाय पुरानी तथा रद्द रेल पटरियों का इस्तेमाल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी रेल पटरियों को बदलकर नई पटरियां बिछाने का है;

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) जी नहीं। मौजूदा नीति के अनुसार आगामी वर्षों में यातायात के प्रत्याशित स्तर को संभालने के लिए केवल अच्छी किस्म की पुरानी पर्याप्त अवशिष्ट जीवन वाली सामग्री प्रयोग में लाई गई है। इससे संरक्षा को खतरा नहीं है, क्योंकि लाइन शुरू किए जाने में पहले रेल पथ का निरीक्षण रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा किया जाता है और इसे पास किया जाता है। रेलपथ संरचना यातायात के स्तर के लिए सुरक्षित है अतः रेलपथ सामग्री बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

गंगा और यमुना में प्रदूषण

3198. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :**
श्री रामपूजन पटेल :

क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गंगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के आस पास स्थित औद्योगिक एककों द्वारा अशोधित अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में बहाया जाना अभी भी जारी है, हालांकि ऐसा करना वर्जित किया गया है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप नदियां और अन्य स्रोत अत्यधिक प्रदूषित हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उद्योगों और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो उद्योगों से अशोधित अपशिष्ट पदार्थ नदियों में बहाये जाने को सख्ती से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी हां, कुछ उद्योगों द्वारा अभी भी अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित बहिःस्राव नदियों में निस्तारित किया जा रहा है जिससे नदी की जल गुणवत्ता में ह्रास होता है तथा इसके कारण प्रदूषण होता है।

(ग) और (घ) गंगा कार्य योजना के चरण 1 के अतर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित 68 घोर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों का अभिनिर्धारण किया गया था जिनमें बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने थे। अब तक इनमें से 55 उद्योगों में बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा शेष को बंद कर दिया गया है। यमुना नदी एवं इसकी सहायक हिण्डन नदी के किनारे स्थित विभिन्न प्रकार की प्रदूषण कारी औद्योगिक इकाइयों में बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। सभी प्रदूषणकारी दोषी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।

विवरण

उद्योगों के प्रकार तथा उनमें स्थापित किए जाने वाले बहिःस्राव उपचार संयंत्रों की स्थिति

क्र.सं.	उद्योगों का प्रकार	उद्योगों की सं.	स्थिति			
			बहिःस्राव उपचार संयंत्र है		निर्माणाधीन बहिःस्राव उपचार संयंत्र	बिना बहिःस्राव उपचार संयंत्र वाले
			मानदण्डों को पूरा करने वाले	मानदण्डों को पूरा नहीं करने वाला		
	यमुना नदी					
1.	डिस्टलरी	1	–	1	–	–
2.	चीनी	2	1	1	–	–
3.	पेपर	15	–	7	–	8
4.	रासायनिक	4	3	–	–	1
5.	फार्म्यास्युटिकल	6	3	3	–	–
6.	इंजीनियरिंग	24	14	8	–	2
7.	वस्त्र उद्योग	7	–	5	–	2
8.	अन्य	17	2	14	1	–
	योग	76	23	39	1	13
हिण्डन नदी						
1.	डिस्टलरी	2	–	2	–	–
2.	चीनी	3	2	1	–	–
3.	पेपर	16	1	8	3	4
4.	रासायनिक	9	8	1	–	–
5.	फार्म्यास्युटिकल	6	3	3	–	–
6.	इंजीनियरिंग	20	10	8	–	2
7.	वस्त्र उद्योग	7	1	5	–	1
8.	अन्य	20	7	12	–	1
	योग	83	32	40	3	8

शटल ट्रेन

3199. **श्री सी.पी.मुडला गिरियप्पा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर तथा तुमकूर के बीच शटल ट्रेन शुरू करने के संबंध में लगातार मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक शुरू हो जाएगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर

3200. **श्री अंकुशराव टोपे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़े जाने की दर में कमी लाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे; और

(ख) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वालों की दरें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। अतः वार्षिक रूप से कोई राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

तथापि, स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों की दरें सामान्य रूप से सभी स्तरों पर घट रही हैं। वर्ष 1993-94 के नवीनतम वर्ष में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों की दरें कक्षा I-V में 38.57 प्रतिशत, कक्षा I-VIII में 56.78 प्रतिशत तथा कक्षा I-X में 74.54 प्रतिशत थी।

मुंबई उपनगरीय रेल

3201. **श्री राम कापसे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992, 1993 और 1994 और आज तक मुंबई उपनगरीय रेल सेवा में कितनी बार गड़बड़ी की घटनाएं हुई।

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन घटनाओं के कारण सरकार को कितनी वित्तीय हानि हुई तथा कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या सरकार ने इन घटनाओं के कारणों की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

3202. **श्री हरिन पाठक : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के शुरू होने के बाद गुजरात में, विशेष तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में शुष्क भूमि क्षेत्रों के विकास में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात में किन-किन क्षेत्रों को इस परियोजना में शामिल करने का विचार है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत गुजरात की 168 सूक्ष्म पनधाराओं, जिनमें सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, में समेकित वर्षा जल संरक्षण उपायों और विविध उत्पादन प्रणालियों पर 30.40 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत धन निर्मुक्ति का अनुरोध प्राप्त होने पर भारत सरकार ने अब तक इस राज्य को 53.97 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं।

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रखंड का नाम
1	2	3
1.	अहमदाबाद	धधुका
		ढोल्का
		वीरमगांव
		देहगांव
		सनन्द
2.	बनासकांठा	दांता
		राधनपुर
		सन्तालपुर

1	2	3
		थारेड
		वाव
		दीसा
		देवदार
		धनेरा
		कंकरेज
		पालनपुर
		वेदगांव
3.	महसाणा	चान्समा
		हरीज
		कालोल
		खरालु
		सीद्धपुर
		सामी
4.	पंचमहल	देवगाद बेरीया
		दाहोद
		गोधरा
		हालोल
		जम्बुघोड़ा
		झालोड़
		लिखखेड़ा
		लुनावाड़ा
		कालोल
		सन्तरामपुर
		सेहेरा
5.	खेडा	बालासीनोर
		बोरसाड़
		खम्भात
		कपाडवंज
		नदियाद
		पेतलाद
6.	सावरकांठा	बयाब
		खेड़ब्रहमा
		मालपुर
		मेघराज
		मोदासा
		भीलोड़ा
		हिम्मतनगर
		इदार
7.	बड़ोदरा	विजयनगर
		छोटा उदयपुर
		दबोही
		जाबूराम
		वासवेदी
		इतलाकवडा
		सनखेड़ा
		सावली
		बघोड़िया
		कर्जन
		पादरा
		सीनोर
		बड़ोदरा
8.	वाल्साड	बानसाड़ा
		बल्साड
		धरमपुर
		गा्नदेवी
		पारदी
		उमरगांव
		चिखली
9.	भड्रुच	अमोद
		अंकलेश्वर
		भड्रुच

1	2	3
		देदीयापाड़ा
		अम्बसार
		झगड़िया
		नान्दोड़ राजपिपाला
		सगबड़ा
		वार्गा
		वालिया
10.	दंग	अह्वा
11.	सूरत	चोरासी
		महुआ
		माण्डवी
		मंगरोल
		सानागढ़
		वालोड़
		वायरा
		नीझार
		उहचहल
12.	जूनागढ़	भेसान
		जूनागढ़
		केशोड
		कुतियाना
		मालिया
		मानवदार
		मंगरोल
		मेनदरदा
		पाटन वेरावाल
		पोरबंदर
		रानावाव
		उना
		वन्थाली
		विश्वादार
		तलाला
13.	जामनगर	थरोल
		जोडिया
		कालावाड़
		कल्याणपुर
		खंभालिया
		लालपुर
		ओखमन्दाल
		भानवाड़
		जाम जोधपुर
		जामनगर
14.	राजकोट	गोण्डाल
		जामकण्डोराना
		जासदान
		जेतपुर
		कोटड़ा संगनी
		लोधिका
		मलिया
		मारवी
		पड्ढारी
		राजकोट
		उपलेता
		धोराजी
		वान्कनेर
15.	अमरेली	अमरेली
		बाबराई
		धारी
		जाफराबाद
		खम्भहा

1	2	3
		कुनाकवाव
		लाथी
		लिलिया
		राजूला
		कोदीनार
16.	भावनगर	भावनगर
		बोताद
		गधाड़ा
		गारीयाधार
		घोघा
		कुंदला
		पालीताना
		सीहोर
		वाल्लभीपुर
		तलाजा
		उमराला
		महुववा
17.	कच्छ	अबदासा
		अनजार
		भाछु
		भुज
		लाखपत
		मानदेवी
		मुन्दरा
		नखतराना
		रापार
18.	सुरेंद्र नगर	चोटीला
		दसाड़ा
		धारनगंधारा
		हलवाड़
		लखतार
		लिम्बेदी
		मुलि
		सयाला
		वधवान
19.	गांधीनगर	गांधीनगर

जिलों की संख्या = 19

प्रखण्डों की संख्या = 168

चीनी का आयात/निर्यात

3203. **डा. श्रीमती के.एस. सौन्दराम** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का आयात तथा निर्यात किया गया;

(ख) आयात तथा निर्यात करने के क्या कारण थे;

(ग) आयात और निर्यात के मूल्य क्या थे और इससे कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(घ) ऐसे आयात करने के लिए क्या कदम उठाये गए?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) वित्तीय वर्ष 1993-94 (अप्रैल से मार्च) के दौरान चीनी आयात नहीं की गई थी। तथापि भारतीय चीनी एवं सामान्य निर्यात आयात उद्योग निगम लि. जो कि नामित निर्यात एजेन्सी है द्वारा लगभग 2.85 लाख टन चीनी की मात्रा 9081/-रु. प्रति मीट्रिक टन की औसत प्राप्ति पर निर्यात किए जाने की रिपोर्ट थी जिसके परिणामस्वरूप लगभग 12.12 करोड़ रु. का घाटा हुआ जो चीनी उद्योग द्वारा वहन किया गया था।

खरीद मूल्य

3204. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के खरीद मूल्य बढ़ाने से खाद्य पदार्थों के मूल्य उस स्तर पर पहुंच गये हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य निर्धनतम व्यक्तियों की पहुंच के बाहर हो गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार खाद्य नीति को कृषि नीति से पृथक करने का है जिससे कि राशन दुकानों के द्वारा निर्धनतम लोगों को खाद्य पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सरकार द्वारा गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य में की गई वृद्धियों के फलस्वरूप गेहूं चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि की जाती है। तथापि, सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित किए गए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वसूली आदि की पूरी लागत शामिल नहीं होती है और इस कारण सरकार द्वारा भारी राजसहायता वहन की जाती है।

सार्वजननिक वितरण प्रणाली उचित मूल्य/राशन की दुकानों के बिछे जाल के जरिए कार्य करती है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं विशेषकर जनसंख्या के कमजोर वर्गों को उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सप्लाई करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्नों के खुले बाजार मूल्यों को भी संतुलित बनाए रख रही है।

(ख) से (घ) किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने और बफर स्टाक रखने की वर्तमान नीति किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के साथ-साथ कई वर्षों से उपभोक्ताओं को उपयुक्त मूल्यों पर खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने में सहायक रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर पर्याप्त लाभ दिलाना सुनिश्चित करते हैं और ये किसानों को खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं जो देश की जनता को खाद्य सुरक्षा मुहैया करने के लिए आवश्यक है।

रेल मार्ग

3205. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम रायपुर सेक्टर के रेलमार्ग में सुधार करने तथा इसका व्यावसायिक उपयोग कराने के सम्बन्ध में कोई अध्ययन तथा सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सेक्टर पर रेल सेवाओं में सुधार करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) अध्ययन पहले ही किया जा चुका है।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) रेल पथों का सुधार :

(i) रायपुर-विशाखापत्तनम लाइन पर मौजूदा रेलपथ का सुधार एक सतत प्रक्रिया रही है 1994-95 के दौरान 69 कि.मी. पटरियों तथा 75 कि.मी. स्लीपरों का नवीकरण किया गया है तथा 1-4-95 को 160 कि. मी. पटरियों तथा 170 कि.मी. स्लीपरों के और नवीकरण की स्वीकृति है। इस लाइन पर रेलपथ के उत्तरोत्तर नवीकरण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) रायपुर-विशाखापत्तनम लाइन का दोहरीकरण-अम्बोदला से विजियानगरम तक लगभग 200 कि.मी. लाइन के दोहरीकरण के कार्य को विभिन्न चरणों में शुरू किया गया है। 200 कि.मी. में से 94 कि.मी. लाइन को यातायात के लिए पहले ही खोल दिया गया है अन्य 56 कि.मी. में कार्य पूरा कर लिया गया है और लाइन को शीघ्र खोले जोने की संभावना है, शेष लाइन को दिसम्बर 1995 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम है।

(2) वाणिज्यिक दोहन :

विशाखापत्तम में वाणिज्यिक उपयोग हेतु वैचारिक योजना बनाने के लिये निम्नलिखित दो स्थानों का चुनाव किया गया है, जिसका कार्य सरकार से अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

(i) बाल्तेरू रेलवे स्टेशन डाक घर के सामने मुख्य मार्ग पर स्थित 7500 वर्ग मी. का भूखंड।

(ii) पोर्ट जुबली अस्पताल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 के समीप 16100 वर्ग कि.मी. का भूखंड।

(ग) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) जुलाई, 1994 से रायपुर-विशाखात्तनम खंड के रास्ते चलने वाली 8543/8544 समता एक्सप्रेस के फेरों को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन कर दिया गया है।

(2) जुलाई 1994 से, 8517/8518 विशाखात्तनम-रायपुर लिंक एक्सप्रेस को बिलासपुर (सप्ताह में चार दिन) तक बढ़ा दिया गया है।

(3) 18.10.94 से विशाखात्तनम-पलासा खंड पर डी एम यू गाड़ियां चलाई गई हैं।

(4) 19.2.95 से दुर्ग-रायपुर-बागबहारा खंड पर डी.एम.यू. गाड़ियां चलाई गई हैं, जिसे 1.4.95 से खड़ियार रोड तक चला दिया गया है।

(5) 1995-96 के दौरान विजयनगरम-रायपुर खंड के रास्ते पुरी और अहमदाबाद के बीच एक नई साप्ताहिक गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

(6) कोरापुट-रायगडा लाइन के पूरा होने के साथ ही रायपुर-विशाखापत्तनम लाइन पर माल और यात्री, यातायात, दोनों में वृद्धि हो जाने की संभावना है क्योंकि मुख्यतः इसी लाइन पर यातायात का संचालन होगा।

सेला चावल

3206. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान गुजरात और केरल में सेला चावल की कितनी मांग रही और इसका कितना आबंटन किया गया;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने कोटा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) गुजरात सरकार से 1994 के दौरान सेला चावल का आबंटन करने के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि, मासिक आबंटनों के प्रति सेला चावल की अधिकतम मात्रा सप्लाई करने की मांग केरल से प्राप्त हुई है। 1994 के दौरान केरल को सप्लाई किए गए 1.40 लाख मीटरी टन चावल की कुल मात्रा में से 9.01 लाख मीटरी टन मात्रा सेला चावल की है जो वर्ष के दौरान केरल को सप्लाई किए गए कुल चावल का लगभग 87 प्रतिशत है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल के मासिक आबंटनों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किए जाने वाले चावल की किस्म का उल्लेख नहीं होता है, चूंकि सेवा चावल की वसूली देश में इसकी मांग/आवश्यकता से कम है इसलिए केन्द्रीय पूल में सेला चावल की समूची उपलब्धता की तुलना में सेला चावल के अन्य उपभोज्य राज्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरल को सेला किस्म के चावल की अधिकतम मात्रा सप्लाई करने के सभी प्रयास किये जाते हैं।

प्राथमिक शिक्षकों द्वारा हड़ताल

3207. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूरे देश में प्राथमिक शिक्षक हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपनगरीय रेल गाड़ियां

3208. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपनगरीय रेल सेवाओं के अन्तर्गत चलने वाली रेलगाड़ियों के संबंध में समय-सारणी का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस दिशा में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) उपनगरीय गाड़ियों की समय पांबदी कमोबेश संतोषजनक है बहरहाल विभिन्न परिचालनिक कारणों तथा रेलों के नियंत्रण से बाहर कारकों अर्थात् आंदोलनों, शरारती तत्वों की गतिविधियों, समपारों की खराबी इत्यादि कारणों से उपनगरीय गाड़ियां यदा कदा विलंब से चलती हैं, चूंकि उपनगरीय गाड़ियां बहुत थोड़े समय के अंतराल में एक दूसरे के आगे-पीछे चलती हैं, इसलिए एक गाड़ी की मामूली रूकौनी के परिणामस्वरूप अन्य बहुत सी गाड़ियां भी लेट हो जाती हैं, समय पालन की कमी को रोकने के लिए उपनगरीय गाड़ियों के चालन पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कड़ी नजर रखी जाती है।

कोरबा के लिए रेलगाड़ियां

3209. **श्री भवानी लाल वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-समय पर कोरबा जो कि दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर डिवीजन के अन्तर्गत एक मुख्य औद्योगिक नगर है, तक एक लम्बी दूरी की रेलगाड़ी चलाए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जांच की गई लेकिन परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

माल यातायात

3210. **श्री विजय एन. पाटील** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मार्ग द्वारा जाने वाला माल यातायात और यात्री

यातायात अब सड़क मार्ग द्वारा ले जाया जा रहा है, जिसके कारण रेल विभाग को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान सड़क परिवहन से मुकाबले के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(ग) सड़क परिवहन द्वारा यात्री और माल यातायात में रेलवे को हो रहे घाटे को सरकार द्वारा किस हद तक दूर करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जहां तक रेलों का संबंध है, राजस्व उपार्जक माल-भाड़ा यातायात और प्रारम्भिक यात्री यातायात की स्थिति इस प्रकार है :

	राजस्व उपार्जक मालभाड़ा यातायात (मिलियन टन)	प्रारम्भिक यात्री यातायात (मिलियन यात्री)
1992-93	350.1	3749
1993-94	358.7	3708
1994-95	373.0	3972

(सं. अनुमान)

इस प्रकार रेलों द्वारा माल-भाड़ा कारोबार में सतत् स्थितियों के कारण वृद्धि हासिल की गई है। 1993-94 में यात्री यातायात में देश में अशांत स्थिति होने के कारण मामूली गिरावट आई थी, किंतु बाद में इसमें वृद्धि हुई, अतः सतत् वृद्धि का रुख जारी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्लेटफार्मों का निर्माण

3211. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक जोनवार कितने नए प्लेटफार्मों का निर्माण किया गया है;

(ख) प्रत्येक रेलवे जोन में कितने प्लेटफार्म निर्माणाधीन हैं; और

(ग) कौन-कौन से और कितने प्लेटफार्मों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कम तोल की वस्तुएं

3212. **श्री कांशीराम राणा** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम तोल की वस्तुओं के वितरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार, ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चल रही उचित दर दुकानों की अचानक जांच किए जाने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम केवल राज्य सरकारों के प्राधिकृत नामितियों को खाद्यान्न जारी करता है, जो स्टाकों की मात्रा तथा गुणता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेने के पश्चात, खाद्यान्नों की सुपुर्दगी लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और/अथवा उनके नामितियों को गैर-मानक बोरों का शत-प्रतिशत वजन करने की भी अनुमति देता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्रीय सरकार का अचानक जांच करने आदि हेतु अलग से प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उचित दर दुकान, जिला स्तर की सतर्कता समितियां स्थापित करें, जिनमें महिलाओं, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से संबंधित व्यक्ति तथा स्थानीय उपभोक्ता शामिल हों। उचित दर दुकानों के बारे में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता संगठनों से प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। प्रभावी तथा शीघ्र निवरण, के लिए ऐसी शिकायतों पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उप प्रभाग/जिला स्तरों पर कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

नई रेलगाड़ियां

3213. **कुमारी सुशीला तिरिया** :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लोगों को अपने कार्य के स्थान पर लाने के लिये प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां दिल्ली आती हैं;

(ख) क्या ये रेलगाड़ियां दैनिक यात्रियों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो और अधिक रेलगाड़ियां उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 179 गाड़ियां।

(ख) और (ग) ये गाड़ियां दिल्ली से/तक यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को यातायात आवश्यकताओं को अधिकांशतः संतोषजनक ढंग से पूरा कर रही हैं। बहरहाल, यातायात की आवश्यकताओं पर नियमित निगरानी रखी जा रही है और परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर और गाड़ियां समय-समय पर चलाई जाएंगी।

रेल परियोजनाएं

3214. **श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी;

(ख) वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी रेल परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किया जाएगा;

(ग) धनराशि उपलब्ध न होने के कारण वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी रेल परियोजनाओं पर कार्य आरंभ नहीं किया जा सकेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) निम्नलिखित चालू रेल परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 1995-96 में पूरा करने की योजना है :

नई लाइनें :

1. कोरापुट-रायगडा परियोजना
2. ब्यास-गोंइदवाल
3. कोंकण रेलवे

आमान परिवर्तन

1. रेवाड़ी-दिल्ली (दूसरी लाइन)
2. विरमगांव-मेहसाणा
3. जोधपुर-मारवाड़
4. लोंडा-वास्को-डी-गामा
5. हुबली-हासपेट
6. हासपेट-गुंडा रोड-स्वामीहल्ली
7. गुंडा रोड-कोट्टुर
8. परभनी-आदिलाबाद
9. औंडिहार-छपरा
10. आगरा-बांदीकुई
11. अछनेरा-मथुरा
12. सगौली-नरकटियागंज
13. समस्तीपुर-दरभंगा
14. छिंदवाडा-परसिया
15. राजकोट-जूनागढ़
16. काटपाडी-तिरुपति
17. वांकानेर-मलिया-मियाणा

रेल विद्युतीकरण

1. सोननगर-पतरातू
2. जामादोबा-मोहुदा
3. बंडेल-कटवा

(ख) 95-96 में शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं में से निम्नलिखित आमान परिवर्तन परियोजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा।

1. रेवाडी-दिल्ली (दूसरी लाइन)
2. बिमगाव-मेहसाणा
3. गुंडा रोड-कोट्टुर
4. आगरा-बांदीकुई
5. अछनेरा-मथुरा
6. बांकानेर-मलिया-मियाणा

(ग) 1995-96 के दौरान धन का आबंटन न होने के कारण निम्नलिखित परियोजनाओं को शुरू नहीं किया जा रहा है।

1. नई लाइनें
   नांगल डैम-तलवाड़ा
   हावड़ा-आमटा
2. आमान परिवर्तन
   काशीपुर-लालकुआं
   भीलड़ी-समदड़ी और समदड़ी-लूनी
   भीलड़ी-मेहसाणा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का पाठ्यक्रम

3215. **श्री माणिकराव हौडल्या गावीत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का स्कूल पाठ्यक्रमों में मानवाधिकार संबंधी विषय को शामिल करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सलाह मांगी गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) मानव अधिकारों के कुछ घटकों की स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों की पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों और विभिन्न पाठ्य सामग्रियों में पहले से ही शामिल कर लिया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, मानव अधिकार संबंधी शिक्षा में शिक्षण/अध्ययन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

लाख का उत्पादन

3216. **श्री सुखेन्दु खां : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश में लाख का उत्पादन की वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल देश में लाख उत्पादन करने वाले राज्यों में एक प्रमुख राज्य है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लाख उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

धन को अन्यत्र खर्च करना

3217. **श्री एन. जे. राठवा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि का लघु सिंचाई परियोजनाओं में उपयोग करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

फालतू खाद्यान्न निपटान समिति

3218. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के अतिरिक्त खाद्यान्न के बारे में कार्यवाही करने तथा जरूरत के अनुरूप उसका भंडारण करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट सरकार के समक्ष कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) खाद्य मंत्रालय ने अधिशेष खाद्यान्नों और देश में अपनी आवश्यकताओं की तुलना में इसके भण्डारण हेतु ऐसी कोई समिति गठित नहीं की है। मंत्रालय द्वारा इन पहलुओं की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और सरकार के पास उपलब्ध खाद्यान्नों के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऐसे गेहूं और चावल की खुली बिक्री, केन्द्रीय पूल स्टाक से निर्यात करने हेतु प्राधिकार देना जैसे विभिन्न उपायों को हाल ही में हाथ में लिया गया है।

[अनुवाद]

देवदासी

3219. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** 23 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 402 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में मद-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सबसे अधिक प्रभावित राज्यों को देवदासियों के पुनर्वास संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कोई वित्तीय सहायता दी अथवा देने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, देवदासियों के पुनर्वास के लिए कुछ स्कीमों में सहायता प्रदान की गई है। कर्नाटक राज्य में स्टेप महिला हथकरघा परियोजना के अंतर्गत, कर्नाटक हथकरघा विकास निगम से अनुरोध किया गया है कि लाभार्थियों में से 25 प्रतिशत देवदासियों को चुने। नोराड स्कीम के अंतर्गत जरूरतमंद 50 महिलाओं के लिए 1992-93 में घड़ी असेम्बली की एक परियोजना वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवेल्पमेंट कारपोरेशन को मंजूर की गई थी और इन 50 महिलाओं में से कुछ देवदासियां हैं। वर्ष 1993-94 में नोराड स्कीम के अंतर्गत, भारतीय विकास ट्रस्ट, उडीपी को छः महीने की अवधि तक हाऊस कीपिंग में 20 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1.10 लाख रुपए की लागत से तथा

3.85 लाख रुपए की कुल लागत से छः महीनों के लिए 60 महिलाओं को कढ़ाई और सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक परियोजना मंजूर की गई थी। इन परियोजनाओं में कुछ लाभार्थी देवदासियां हैं।

देवदासियों से संबंधित विभिन्न कानूनों को कार्यान्वित करने के अलावा राज्य सरकारें देवदासियों के लिए सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू कर रही हैं। इनमें आवास, भूमि आबंटन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उनके बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं, आर्थिक पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

रेल लाइन

3220. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1995 के "आब्जर्वर ऑफ बिजनेस एण्ड पोलिटिक्स" में "चाइना-म्यांमार इंडिया रेलवे लाइन मूटेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उपरोक्त समाचार रिपोर्ट के अनुसार इससे एशिया और यूरोप को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) एशिया रूस और कज़ाकिस्तान के रास्ते पहले से ही यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है।

(ग) रेल मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपभोक्ता अदालतें

3221. **श्री राम नाईक** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत सभी राज्यों में जिला और राज्य स्तर पर उपभोक्ता मंच अदालतें स्थापित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों में उक्त अदालतें/मंच स्थापित नहीं किए गये हैं, और

(घ) उक्त राज्य सरकारों को इस तरह की अदालतें स्थापित करने हेतु राजी करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 31 राज्य आयोग तथा 457 जिला मंच कार्य कर रहे हैं। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। नवगठित कुछ जिलों में जिला मंच स्थापित नहीं किए गए हैं। इन जिलों में जिला मंच स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

विवरण

राज्य/संघ	राज्य आयोगों की स्थिति	जिलों की संख्या	जिला मंचों की स्थिति
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	कार्यरत	23	22 कार्यरत
अरुणाचल प्रदेश	कार्यरत	12	12 कार्यरत
असम	कार्यरत	23	23 कार्यरत
गुजरात	कार्यरत	20	20 कार्यरत
बिहार	कार्यरत	50	39 कार्यरत
गोवा	कार्यरत	2	2 कार्यरत
हरियाणा	कार्यरत	16	16 कार्यरत
हिमाचल प्रदेश	कार्यरत	12	12 कार्यरत
कर्नाटक	कार्यरत	20	20 कार्यरत
केरल	कार्यरत	14	14 कार्यरत
मध्य प्रदेश	कार्यरत	45	45 कार्यरत

1	2	3	4
महाराष्ट्र	कार्यरत	31	31 कार्यरत
मणिपुर	कार्यरत	8	8 कार्यरत
मेघालय	कार्यरत	7	7 कार्यरत
मिजोरम	कार्यरत	3	3 कार्यरत
नागालैण्ड	कार्यरत	7	7 कार्यरत
उड़ीसा	कार्यरत	27	13 कार्यरत
पंजाब	कार्यरत	14	13 कार्यरत
राजस्थान	कार्यरत	30	30 कार्यरत
सिक्किम	कार्यरत	4	4 कार्यरत
तमिलनाडु	कार्यरत	22	22 कार्यरत
त्रिपुरा	कार्यरत	3	3 कार्यरत
उत्तर प्रदेश	कार्यरत	63	63 कार्यरत
पश्चिम बंगाल	कार्यरत	17	17 कार्यरत
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	कार्यरत	2	2 कार्यरत
चण्डीगढ़	कार्यरत	1	1 कार्यरत
दादर व नागर हवेली	कार्यरत	1	1 कार्यरत
दिल्ली	कार्यरत	1	1 कार्यरत
दमन व दीव	कार्यरत	2	2 कार्यरत
लक्षद्वीप	कार्यरत	1	1 कार्यरत
पांडिचेरी	कार्यरत	1	1 कार्यरत

कार्यरत राज्य आयोगों की संख्या : 31

कार्यरत जिला मंचों की संख्या : 457

इसके अलावा,जम्मू व कश्मीर राज्य, जहां उन्होंने एक अलग जम्मू व कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 बनाया है, में एक राज्य आयोग तथा दो प्रभागीय मंच कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

युवकों को प्रशिक्षण

3222. **श्री महेश कनोडिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना बनाई गई है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अब तक उनके प्रशिक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) गुजरात एवं अन्य राज्यों में इस योजना के अंतर्गत कितने युवकों को प्रशिक्षण दिया गया, और

(घ) गुजरात एवं अन्य राज्यों में इस समय इस योजना के अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षण विद्यालयों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी हां। सरकार ने देश में युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए "युवाओं को प्रशिक्षण हेतु योजना" तैयार की है।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 48.57 लाख रुपये, 98.75 लाख रुपये और 83.46 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी।

(ग) गुजरात के लिए योजना के अंतर्गत कोई परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई है। इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 6327 युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया।

(घ) इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय के पास कोई प्रशिक्षण विद्यालय नहीं है। प्रशिक्षण राज्य सरकारों, नेहरू युवा केन्द्रों एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से दिया जाता है।

ताजमहल का संरक्षण

3223. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 21 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1118 के भाग (ग) में दिये गये उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त उत्तर के संदर्भ में दिए गये सुझावों को कार्यान्वित करने के बारे में संबद्ध अधिकारियों ने अब तक कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कब तक कदम उठाए जाएंगे;

(ग) क्या उन सुझावों को लागू करने हेतु संबद्ध अधिकारियों ने कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) क्या अधिकारी इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या कोई अधिकारी इन सुझावों से सहमत नहीं है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आगरा में पहले ही एक हरित पट्टी विकास योजना आरम्भ कर दी है। सूचना के अनुसार ताज महल के आस-पास उपलब्ध ऊसर भूमि में 1994 में 1,50,000 पौधे रोपे गये थे।

भारत सरकार ने आगरा-मथुरा क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये हैं। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ सभी घरों को एल.पी.जी. की सप्लाई तथा मथुरा तेल शोधन कारखानें व स्थानीय उद्योगों में प्राकृतिक गैस का प्रयोग करना शामिल है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए यमुना नदी पर एक बैराज के निर्माण की मंजूरी दे दी है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खान पान सेवाएं

3224. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे सभी रेलवे स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में खान-पान सेवाएं उपलब्ध करा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेल यात्रियों के लिए इन इकाइयों का पहचान चिन्ह क्या है और इन इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही खान-पान सेवाओं के नाम क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

वन क्षेत्र

3225. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य के गठन के समय कितने प्रतिशत भूमि पर वन क्षेत्र था;

(ख) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने प्रतिशत भूमि पर वन क्षेत्र है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य के सृजन के समय की तुलना में इस समय वन क्षेत्र में कमी आई है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 1960-61 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र का प्रतिशत 14.03 प्रतिशत था।

(ख) उत्तर प्रदेश में इस समय दर्ज वन क्षेत्र का प्रतिशत 17.5 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एकीकृत नारियल विकास कार्यक्रम

3226. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार को वर्ष 1995-96 के एकीकृत नारियल विकास कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है, और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत किन-किन जिलों को शामिल करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) समेकित नारियल विकास के लिये केरल सरकार को वर्ष 1995-96 के लिये 724.206 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ख) इस योजना के क्रियान्वयन में इस राज्य के सभी नारियल उत्पादक जिले शामिल किये गये हैं।

आंध्र प्रदेश में चावल की बिक्री

3227. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार 2 रुपए प्रति किलो की दर से चावल बेचने के मिशन में सफल है;

(ख) क्या सरकार का 2 रुपये प्रति किलो की दर से चावल बेचने की आंध्र प्रदेश सरकार की नीति का सारे देश में अनुपालन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे राज्य सरकार द्वारा गरीब के रूप में पहचाने गए प्रत्येक परिवार को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 25 किलोग्राम चावल मुहैया करा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस स्कीम के लिए 1995-96 में 1265 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया है। चूंकि यह राज्य सरकार की स्कीम है और निधि की पूर्ति राज्य सरकार के बजट से की जाएगी, अतः केंद्रीय सरकार इस संबंध में सूचना नहीं रखती है। केंद्रीय सरकार का देश भर में 2 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा सर्वव्यापी स्वरूप की है तथा आबादी के सभी वर्ग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। खाद्यान्नों के वितरण पर राजसहायता उस स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है, जिसे सरकार और अर्थव्यवस्था द्वारा वहन किया जा सके।

आस्ट्रेलियाई शिक्षा मिशन

3228. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलियाई शिक्षा मिशन गत वर्ष भारत की यात्रा पर आया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, और

(ग) भारत छात्रों के आदान-प्रदान तथा शिक्षा के विकास में आस्ट्रेलिया के साथ सहयोग करने में कहां तक सहमत हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संस्कृति विभाम ने यह सूचित किया है कि उन्हें पिछले वर्ष आस्ट्रेलियाई शिक्षा मिशन की यात्रा के विषय में जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जापानी भाषा

3229. **श्री राम प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत-जापान शिक्षा सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में जापानी भाषा के प्रचार हेतु कार्य योजना तैयार की गई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जापान और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई सहयोगात्मक परियोजनाओं को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1993 में केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद को अनुदान दिया था जिन्होंने जापानी में प्रवीणता के लिए एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसके बाद जापानी में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम होगा। प्रमाणपत्र का उद्देश्य छः-छः महीनों के दो सेमेस्टर वाले कार्यक्रमों से जापानी में एक निश्चित स्तर तक अभिव्यक्तिशील क्षमता विकसित करने में प्रशिक्षुओं की सहायता करना है। प्रवेश के लिए पात्रता स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।

[अनुवाद]

औद्योगिक एककों का बंद होना

3230. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने गाजियाबाद, आगरा, मेरठ और मुज्जफरनगर क्षेत्र के औद्योगिक एककों की निस्सारी उपचार संयंत्र लगाने में असफल रहने के कारण बंद करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आदेशों का क्या प्रभाव पड़ेगा, और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20 जनवरी, 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 3727 के मामले में गाजियाबाद में 85, आगरा में 10, मेरठ में 14 तथा मुज्जफरनगर जिले में 14 उन औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए थे जिनमें पर्याप्त बहिस्राव शोधन संयंत्र नहीं थे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोषी इकाइयों द्वारा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाए जाने की स्थिति की सूचना माननीय उच्चतम न्यायालय को देता है। तदनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा उन इकाइयों के संबंध में आदेशों को निलम्बित कर दिया जाता है जो उपयुक्त शोधन सुविधाएं लगा लेती हैं।

(घ) सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कॉफी की आपूर्ति

3231. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कॉफी की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली कॉफी के मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो देश में कॉफी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं, और

(घ) देश में कॉफी के मूल्य कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कॉफी के मूल्यों में हाल में हुई बढ़ोतरी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी के मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि के कारण हुई है।

(घ) घरेलू उपलब्धता में सुधार लाने की दृष्टि से तथा सट्टेबाजी के लिए जमाखोरी के विरुद्ध निवारक के रूप में, सरकार ने अगस्त, 1994 में कुछ श्रेणियों के निर्यात पर रोक लगाने के अलावा कॉफी के निर्यात पर परिमाण सम्बन्धी अधिकतम सीमा लागू की थी। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात 31 दिसंबर, 1994 को इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया था। तथापि, कॉफी की घरेलू कीमत, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में उतार-चढ़ाव तथा मांग व आपूर्ति संतुलन द्वारा प्रभावित होती रहती है। घरेलू आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने भुनी हुई/डीकेफीनेटेड कॉफी (थोक पैकेजों में) को 1-4-1995 को घोषित नई निर्यात-आयात नीति में खुले सामान्य लाइसेंस के तहत शामिल कर लिया है।

झींगा मछली पालन

3232. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खारे और अक्षार जल में झींगा मछली के पालन के लिए राज्य-वार कुल कितना क्षेत्र विकसित किया गया है;

(ख) राज्य वार ऐसा कुल कितना संभावित क्षेत्र है जिसे झींगा मछली पालन के लिए विकसित किया जा सकता है;

(ग) कुछ राज्यों में इस संबंध में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे राज्यों में विकास कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है, और

(ङ) आठवीं योजना के दौरान झींगा मछली पालन के संबंध में सरकार की योजना और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कुछ राज्यों में झींगा पालन की मन्द वृद्धि के मुख्य कारणों में से कुछ कारण इस प्रकार हैं :

बीज एवं उच्च ऊर्जा पूरक आहार की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता, उनके प्रजनन आहार तैयार करने, संवर्धन प्रबंध आदि के लिए व्यवहार्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता और राज्य सरकारों आदि में ऐसे कार्यकलाप शुरू करने के लिए पर्याप्त शिक्षित जन शक्ति/विशेषज्ञ की अनुपलब्धता।

(घ) झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियों तथा मछली पालक विकास एजेंसी के जरिए झींगा पालन का विकास।

(2) समेकित झींगा पोखरों/झींगा पोखरों की स्थापना को बढ़ावा देना तथा सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में बीज हैचरी जैसी सुविधाओं के लिए सहायता देना और

(3) मात्स्यिकी कार्मिक और जल कृषि विशेषज्ञों आदि के प्रशिक्षण के लिए प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करके मानव संसाधन विकास।

(ङ) आठवीं योजनावधि के दौरान झींगा पालन के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) झींगी पालकों को तकनीकी वित्तीय और विस्तार सहायता का पैकेज प्रदान करने के लिए सक्षम तटवर्ती जिलों में खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियों की स्थापना।

(2) राज्य स्तर पर आदानों की सप्लाई, मत्स्य आहार मिलों की स्थापना झींगी/झींगा पालकों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना आदि के लिए व्यापक और अर्धगहन झींगी पालन झींगी/झींगा हैचरी के लिए झींगी फार्म के विकास हेतु राज सहायता के रूप में प्रोत्साहन का प्रावधान।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ताजा जल तालाब/पोखर मछली/झींगा पालन के अंतर्गत भूमि (हैक्टेयर) अनंतिम	विकास के लिए क्षमता (हेक्टेयर) (लाख में)	झींगा पालन के लिए झींगा पालन के अन्तर्गत क्षेत्र अनंतिम	खारा जल क्षेत्र विकास के लिए क्षमता (है.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	59,440	5,11	80,000	1,50,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	145	0.01	–	–
3.	असम	23,000	0.21	–	–
4.	बिहार	72,207	0.95	–	–
5.	गोवा	–	0.03	550	18,500
6.	गुजरात	43,084	0.71	450	3,76,000
7.	हरियाणा	17,874	0.10	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	243	0.01	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	1,520	0.17	–	–
10.	कर्नाटक	16,958	3,52	2,570	8.000
11.	केरल	8,005	0.03	13,400	65,000
12.	मध्य प्रदेश	81,640	1.17	–	–
13.	महाराष्ट्र	33,478	0.32	1,980	80,000
14.	मणिपुर	7,335	0.05	–	–
15.	मेघालय	25	0.02	–	–
16.	मिजोरम	1,550	0.02	–	–

1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड	1,618	0.50	–	–
18.	उड़ीसा	78,979	0.64	9,800	31,000
19.	पंजाब	3,232	0.07	–	–
20.	राजस्थान	3,949	1.80	–	–
21.	सिक्किम	36	नगण्य	–	–
22.	तमिलनाडु	5,386	2.24	1,600	56,000
23.	त्रिपुरा	12,243	0.12	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	1,58,000	1.62	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	1,68,169	2.76	34.050	4,05,000
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	26	0.30	–	–
27.	चण्डीगढ़	–	नगण्य	–	–
28.	दादरा नागर व हवेली	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	–
30.	दिल्ली	–	नगण्य	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	1,000	नगण्य	नगण्य	800
	कुल	7,99,142	22.54	1,44,400	11,90,900

*ताजा जल झींगा सामान्यतया प्रमुख भारतीय कार्य जैसी अन्य ताजा जल मछली के साथ पाली जाती है। केवल ताजा जल झींगा पालन के लिए कोई सक्षम क्षेत्र नहीं है।

[हिन्दी]

प्याज का उत्पादन

3233. **श्री राम सिंह कस्वां : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 में प्याज का कुल कितना उत्पादन हुआ, और

(ख) भारतीय बाजारों में प्याज की पर्याप्त आपूर्ति तथा इसके पर्याप्त निर्यात को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) वर्ष 1994 के दौरान प्याज के कुल उत्पादन से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारत सरकार 8वीं योजना के दौरान घरेलू तथा निर्यात मण्डियों, दोनों के लिये उच्चतर प्याज उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये सब्जी बीजों के उत्पादन तथा आपूर्ति से सम्बन्धित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत प्याज की बेहतर किस्मों के बीजों के उत्पादन तथा आपूर्ति तथा मिनीकिट कार्यक्रम के द्वारा इसके प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दे रही है।

[अनुवाद]

चक्की बैंक स्टेशन पर रेल गाड़ी का ठहरना

3234. **प्रो. प्रेम घूमल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजरत-निजामुद्दीन-जम्मू-तवी राजधानी एक्सप्रेस को परीक्षण के तौर पर छः महीने के लिए चक्की बैंक (उत्तर रेल) रेलवे स्टेशन पर ठहरने की सुविधा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सुविधा वापस ले ली गई है और ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या धर्मशाला, डलहौजी, चम्बा, कुल्लु मनाली और हिमाचल प्रदेश के अन्य पहाड़ी स्थलों पर जाने वाली घरेलू और विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए इस व्यवस्था को जारी रखने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की पुनरीक्षा

3235. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यकरण की जांच करने के लिए कोई पुनरीक्षा समिति गठित की थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों के कार्यकरण और उनके प्रबंध की गंभीरता से और विस्तारपूर्वक समीक्षा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री (शिक्षा और संस्कृति) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

रासायनिक दुर्घटनाएं

3236. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रासायनिक कारखानों में दुर्घटनाओं के कारणों, बचाव उपायों और इन दुर्घटनाओं को टालने संबंधी जानकारी देने हेतु एक सामान्य जानकारी कोष्ठ की स्थापना करने की सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) रासायनिक दुर्घटनाओं को हैंडल करने के लिए गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक सामान्य जानकारी प्रकोष्ठ की स्थापना करने के लिए इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की गई है। तथापि, बड़ी रासायनिक दुर्घटनाओं को हैंडल करने के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मई 1989 में भारत सरकार द्वारा एक केन्द्रीय संकट दल स्थापित किया गया था।

[हिन्दी]

स्टालों का आवंटन

3237. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
डा. मुमताज अंसारी :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्लेटफार्मों पर स्टालों के आबंटन के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जोन की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा नीति के अनुसार खानपान वैंडिंग लाइसेंसों के आबंटन में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और इसका मूल आधार पार्टी की क्षमता उसके द्वारा यात्रियों को अपेक्षित मानक की खानपान सेवाएं उपलब्ध कराने तथा रेलपथ रिकार्ड, ख्याति एवं अनुभव है। बहरहाल, छोटे स्टेशनों पर अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्य

3238. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए ब्लाकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्गम मूल्य में वृद्धि के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा देश के दूरस्थ तथा पिछड़े ब्लाकों में आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के मूल्यों में भारी कमी करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का हाल ही में गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा तथा घोषित कर दिया जाएगा;

(घ) उपरोक्त पैनल द्वारा मूल्यों में कितनी कटौती करने का सुझाव दिया गया है;

(ङ) इस प्रणाली में कुल कितने लोगों को शामिल किया जाएगा, और

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मूल्यों में अंतर का क्या कारण है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) देश में सभी खण्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं। इनमें से इस समय विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाएं, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र के तहत आने वाले 1775 खण्डों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल किया गया है।

(ख) से (घ) केंद्रीय निर्गम मूल्य के निर्धारण के बारे में विस्तार से जांच करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावकारिता को बहाल करने के लिए आवश्यक सुधारों का सुझाव देने हेतु सचिवों की एक समिति गठित की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्यों में काफी कमी करने का सुझाव देने हेतु समिति को कोई निर्देश नहीं दिया गया था। सचिवों की समिति की सिफारिशों पर किसी निर्णय के लिए कोई निश्चित समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें खाद्य हेतु राजसहायता में वृद्धि करना शामिल है।

(ङ) इस समय संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाली अनुमानित आबादी 1650 लाख है।

(च) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाए जाने के लिए पहचाने गए क्षेत्र सामान्यतः देश में चिरकालिक खाद्य की कमी वाले और आर्थिक रूप से अलाभकर स्थिति वाले क्षेत्र समझे गए हैं। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण हेतु अभिप्रेत खाद्यान्न विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किए जाते हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु सामान्य केंद्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 50/- प्रति क्विंटल कम हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में खाद्यान्नों के अन्तिम खुदरा मूल्य केंद्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 25 पैसे प्रति कि.ग्रा. से अधिक नहीं होने चाहिए। ये उपाय इस दृष्टि से किए गए हैं कि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में रहने वाली आबादी खाद्यान्नों को वहन किए जा सकने वाले अधिक सस्ते मूल्यों पर ले सके।

रेल मार्ग का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

3239. **श्री मोहन रावले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेरठ और दिल्ली के बीच रेल मार्ग को दोहरा बनाने का और उसका विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेरठ और दिल्ली के बीच रेल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) दिल्ली और मुरादनगर के बीच दोहरी/बहु लाइनें पहले से ही मौजूद हैं। मुरादनगर और मेरठ सिटी के बीच दोहरीकरण को 31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1995-96 के बजट में शामिल किया गया है जिसके लिए 1995-96 के लिए 5 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। संसद द्वारा बजट पास कर दिए जाने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा; और इसे 1996-97 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ खंड का दिल्ली-गाजियाबाद खंड पहले ही विद्युतीकृत है। गाजियाबाद-मेरठ खंड के विद्युतीकरण का लागत और व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया गया है। बहरहाल, संसाधनों की तंगी और अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण के लिए सापेक्ष प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद-मेरठ खंड का विद्युतीकरण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वातानुकूलित कोच

3240. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत इज्जत नगर फैक्ट्री में वातानुकूलित कोचों का निर्माण करने संबंधी योजना पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खान उद्योगों को बंद करना

3241. **श्री रवि राय** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में बहुत से खान उद्योगों को बंद किए जाने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस संबंध में उड़ीसा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) उड़ीसा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह उन खनन गतिविधियों को बंद करे जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होता है तथा उससे जरूरी मंजूरियां प्राप्त करने का अनुरोध भी किया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विचार करने के लिए राज्य सरकार इन मामलों के संबंध में एक प्रस्ताव भेजने पर सहमत हो गई है।

[हिन्दी]

जाली टिकट

3242. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**
श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार :
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में अत्यधिक संख्या में जाली टिकट पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले विशेषकर लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, इटावा और मानिकपुर स्टेशनों के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस संबंध में कोई जांच की थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(घ) इन टिकटों का मूल्य कितना था और इस संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गए और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, और

(ङ) सरकार द्वारा जाली और नकली रेल टिकटों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोकने और उन पर अंकुश लगाने के लिए वाणिज्यिक और सतर्कता विभाग द्वारा गहन जांच की जाती है।

गुड़ की कीमतों में वृद्धि

3243. **श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान गुड़ की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गुड़ की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) विवरण-I और II संलग्न हैं, जिनमें पिछले चीनी वर्ष (अक्तूबर, 1993 से सितम्बर, 1994 तक) के दौरान देश के प्रमुख मंडियों में गुड़ की कुछेक किस्मों के थोक और खुदरा मूल्यों की रेंज दी गई है।

उत्पादन, मांग, मौसमी उपलब्धता और वैकल्पिक मीठे पदार्थों, विशेष रूप से चीनी के मूल्य आदि पर निर्भर करते हुए गुड़ के मूल्यों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करे कि गुड़ के मूल्य उपयुक्त स्तर पर बने रहें और गुड़ के व्यापार में अधिक लाभ, चोर बाजारी, सट्टेबाजी आदि न हो।

विवरण-I

पिछले चीनी वर्ष 1993-94 के दौरान देश की प्रमुख मंडियों में गुड़ की कुछेक किस्मों के थोक मूल्य

चीनी वर्ष : 1993-94 (रुपये/क्विंटल)

वर्ष/मास	दिल्ली (धैसारा)	कानपुर (पनसेरा)	कलकत्ता (पोंडी/भेली)	बम्बई (कोल्हापुर-2)	मद्रास (II सार्ट)
1	2	3	4	5	6
अक्तूबर	850-1150	625-1150	940-970	1250-1325	1150-1200
नवम्बर	600-825	590-650	750-840	1250-1500	1200-1300
दिसम्बर	580-750	510-720	725-790	1300-1350	875-1150
जनवरी	645-785	600-720	770-820	1250-1300	850-1000

1	2	3	4	5	6
फरवरी	750-760	665-800	770-820	1250-1300	700-850
मार्च	750-760	675-780	750-800	1300	700-900
अप्रैल	720-800	700-890	770-880	1250-1300	900-1000
मई	850-1000	925-1055	880-1100	1300	900-1000
जून	970-1050	1035-1060	1030-1100	1300	900-1050
जुलाई	960-985	1000-1030	1070-1100	1300-1375	1000-1100
अगस्त	985-1100	1005-1080	1000-1090	1400-1450	1000-1100
सितम्बर	1100-1120	1000-1115	1000-1060	1450-1550	850-1150

स्रोत : आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय

विवरण-II

पिछले चीनी वर्ष 1993-94 के दौरान देश की प्रमुख मंडियों में गुड़ की कुछेक किस्मों के खुदरा मूल्य

चीनी वर्ष : 1993-94 (रुपये/क्विंटल)

वर्ष/मास	दिल्ली (धैसारा)	कानपुर (पनसेरा)	कलकत्ता (पोंडी/भेली)	बम्बई (कोल्हापुर-2)	मद्रास (II सार्ट)
अक्तूबर	9.00-12.50	7.00-12.00	11.00	16.00	13.00-13.50
नवम्बर	7.00-9.00	6.00-6.80	9.00-10.00	16.00-18.00	13.00-14.00
दिसम्बर	7.00-8.50	5.85-7.50	8.00-8.50	16.00-18.00	12.00-14.00
जनवरी	8.00-9.00	6.50-7.35	9.00	16.00	11.00-13.00
फरवरी	8.50	6.90-8.40	8.50-9.00	16.00-16.50	9.00-11.00
मार्च	8.50	7.00-8.20	9.00	16.00	9.00-11.00
अप्रैल	8.00-9.00	7.10-9.10	9.00-10.00	16.00	11.00-12.00
मई	9.25-11.00	9.50-10.80	10.00-12.00	16.00	11.00-12.00
जून	10.25-11.00	10.50-11.00	11.00-12.00	16.00	11.00-13.00
जुलाई	10.50-11.00	10.20-10.70	11.50-12.00	16.00-17.00	11.00-12.50
अगस्त	11.00-12.00	10.50-11.30	11.50-12.00	18.00	11.00
सितम्बर	12.00	10.25-11.70	12.00	18.00	9.50-12.50

स्रोत : उत्पादशुल्क निदेशालय।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन

3244. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री डी. वेंकटश्वर राव :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय कार्य दल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या समिति द्वारा रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अध्ययन किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इन्हें लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है।

पर्यावरण पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) कार्य दल का मुख्य उद्देश्य अब तक प्राप्त हुए अनुभव तथा न्यायिक फैसलों के परिणामस्वरूप अनेक मामलों में उत्पन्न हुई कठिनाइयों को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता की जांच करना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नांदेड़ से अमृतसर तक रेलगाड़ी

3245. **श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नांदेड़ (महाराष्ट्र) से अमृतसर (पंजाब) के लिए सीधी रेलगाड़ी शुरू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

3246. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के नुआपाड़ा गुजपुर रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है जो अभी भी चल रहा है। 31-3-95 तक सर्वेक्षण कार्य पर खर्च की गई राशि 7.86 लाख रुपये है।

[हिन्दी]

सीरे का मूल्य

3247. **श्री जनार्दन मिश्र :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरे के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने के पश्चात् इसके विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितनी मूल्य-वृद्धि हुई है;

(ग) क्या चीनी मिलें सीरा बेचने से अर्जित लाभ के एक बड़े भाग को गन्ना मूल्य "मद" में परिवर्तित कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) इस व्यवहार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सीरा नियंत्रण आदेश, 1961 को 10.6.1993 को रद्द करने से पूर्व सीरा नियंत्रण आदेश, 1961 में निर्धारित सीरे की दरें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। चीनी फैक्ट्रियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विनियंत्रण के बाद चीनी वर्ष 1993-94 के दौरान सीरे की बिक्री से लेवी चीनी की जोनवार औसत प्राप्ति की जानकारी देने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) से (च) इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण-I

सीरा नियंत्रण आदेश, 1961 को 10.6.1993 को रद्द करने के पूर्व सीरा नियंत्रण आदेश, 1961 में निर्धारित सीरे की दरें निम्नानुसार थीं :

ग्रेड-1	रुपए 14.40	प्रति क्विंटल
ग्रेड-2	रुपए 11.50	प्रति क्विंटल
ग्रेड-3	रुपए 8.90	प्रति क्विंटल
ग्रेड-3 से कम	रुपए 08.60	प्रति क्विंटल

विवरण-II

चीनी वर्ष 1993-94 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों द्वारा सीरे की बिक्री से लेवी चीनी की जोनवार औसत प्राप्ति की जानकारी देने वाला विवरण।

	राज्य		रुपए प्रति क्विंटल
1.	पंजाब		98.97
2.	हरियाणा		90.93
3.	राजस्थान		80.56
4.	उत्तर प्रदेश	(क) पश्चिम	40.56
		(ख) मध्य	75.30
		(ग) पूर्व	88.26
		समस्त उत्तर प्रदेश	60.68
5.	मध्य प्रदेश		83.34
6.	गुजरात	(क) दक्षिण	159.6
		(ख) सौराष्ट्र	191.92
		समस्त गुजरात	160.06
7.	महाराष्ट्र	(क) दक्षिण	151.54
		(ख) उत्तर	123.21
		(ग) मध्य	150.91
		समस्त महाराष्ट्र	143.54
8.	बिहार		92.09
9.	उड़ीसा, नागालैंड, असम एवं पश्चिम बंगाल		281.13
10.	आन्ध्र प्रदेश		139.52
11.	कर्नाटक		115.80
12.	तमिलनाडु एवं पाडिचेरी		133.80
12.	केरल, गोवा एवं तटीय कर्नाटक		150.00

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी और हाई टैक कार्बन इन्डस्ट्री द्वारा प्रदूषण

3248. **श्री राम निहोर राय :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेणुकूट, सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) स्थित हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी और हाई टैक कार्बन इन्डस्ट्री में अभी तक जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ई.टी.पी. नहीं लगाये गये हैं;

(ख) क्या इन दोनों उद्योगों से एल्यूमीनियम और कार्बन तैयार/प्रसंस्कृत करते समय जहरीली गैस का उत्सर्जन हो रहा है, और

(ग) यदि हां, तो इन उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) हाई टैक कार्बन इण्डस्ट्री ने अपेक्षित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए हैं।

हिण्डालको द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक केन्द्रीय दल ने भी इस उद्योग का निरीक्षण किया है। सरकार ने इस यूनिट को निर्देश दिया है कि वह निर्धारित मानकों का पालन करें तथा अपनी एल्यूमीनियम प्रगालक कुठालियों पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण युक्तियां लगाएं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, हिण्डलकों में 1088 कुठालियों में से 922 कुठालियों में ड्राई स्क्रबिंग प्रणाली कार्य कर रही हैं। शेष 166 कुठालियों में ड्राई स्क्रबिंग प्रणाली लगाने का काम अब पूरा हो गया है और इनकी जांच की जा रही है। तथापि, इस यूनिट ने अभी तक रेड मड, कैथोड कार्बन प्रयुक्त पॉट लाइनिंग अन्य ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की है। सरकार ने इस यूनिट को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए तथा रेड मड का अधिकतम संभव सीमा तक प्रयोग करे।

सांस्कृतिक संगठन

3249. **डा. के.वी.आर. चौधरी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश के सांस्कृतिक संगठनों से वित्तीय सहायता हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं;

(ख) ऐसे कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए या विचारार्थ हैं, और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा वास्तव में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए कार्य योजना

3250. **श्री दत्ता मेघे :**
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कोई कार्य योजना तैयार की है, और

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस कार्य योजना के अंतर्गत कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री बासवा राजेश्वरी) : (क) जी हां। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना के अनुपालनार्थ गुजरात राज्य सरकार ने बाल कार्य योजना तैयार की है। महाराष्ट्र में राज्य बाल कार्य योजना तैयार की जा रही है।

(ख) जिन अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने बाल कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं वे हैं : आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं में वृहत् रूप से वे क्षेत्र कवर किये गये हैं :

1. बाल स्वास्थ्य
2. मातृ स्वास्थ्य
3. पोषाहार
4. शिक्षा
5. पेयजल
6. पर्यावरणीय स्वच्छता
7. बालिका और किशोरी
8. शहरी बच्चे, जनजातीय बच्चे
9. बाल श्रम
10. बाल्यावस्था अपंगताएं
11. विशेषकर कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चे।

रेल गाड़ियों में फोन की व्यवस्था

3251. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री बृज भूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुपर फास्ट गाड़ियों में फोन की व्यवस्था शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) उपग्रह संचार के जरिए फोन की व्यवस्था करने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की जा रही है।

(ख) और (ग) तेज गाड़ियों में टेलीफोन संचार सेवाओं की व्यवस्था करने हेतु पायलट परियोजना शुरू करने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा इनमारसेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पायलट परियोजना भारतीय रेलों, विदेश संचार निगम लिमिटेड और इंटरनेशनल मेरीटाइम सैटलाइट आरगेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाएगी। चलती गाड़ियों से संचार हेतु विशेष सैटलाइट टर्मिनलों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए उन पर परीक्षण किए जाएंगे। इनमारसेट द्वारा टर्मिनल उपलब्ध कराए जाते ही, जिनके जून, 95 तक मिलने की आशा है, परीक्षण शुरू करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

संयुक्त कार्य समिति

3251. **डा. सुधीर राय :**
श्री मुही राम सैकिया :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारियों की उन मांगों और कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है जिसके बारे में उनकी संयुक्त कार्य समिति ने अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में हाल ही में कुछ संसद सदस्यों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है?

मानव संसाधन मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कतिपय कर्मचारियों ने एक गैर मान्यता प्राप्त के.वी.एस एसोसिएशन ऑफ एम्पलाईज की संयुक्त कार्य समिति के नाम के तहत, एक मांग सूची के साथ 14 जनवरी, 1994 का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त ने मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसियशनों के साथ इन मांगों पर पहले ही विचार विमर्श किया है। कर्मचारियों की मांगों तथा उन पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। उपर्युक्त मांगें कुछ संसद सदस्यों के माध्यम से भी प्राप्त हुई थीं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शिकायतों को दूर करने के लिए संयुक्त परामर्श तंत्र प्रणाली अपनायी है। संगठन ने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत कक्ष भी स्थापित किये हैं।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की मांगें तथा उन पर की गई कार्रवाई

क्रम संख्या	मांग	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	पी.आर.टी. तथा टी.जी.टी की गई भर्ती तथा उनकी तैनातियां।	पेनल अधिसूचित कर दिए गए और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालयों में प्रदर्शित किए गए।
2.	तैनाती आदेशों को जारी करने से पूर्व सीधी भर्ती के सम्बन्ध में चयन पैनलों की घोषणा।	
3.	के.वि.सं. के मुख्यालय कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में यथा-संभव शीघ्र लक्ष्यबद्ध कार्यक्रम के अनुसार रिक्तियों को भरना।	अनिवार्य हिदायतें पहले ही जारी कर दी गई हैं।
4.	कार्य-काल के पूरा होने पर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सेवा कर रहे पात्र कर्मचारियों का स्थानान्तरण करना।	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कार्यकाल पूरा करने पर, कर्मचारियों को रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर, विकल्प के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।
5.	मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत सैलों का निर्माण करना।	मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत सैलों ने मई, 1994 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।
6.	चौकीदारों की ड्यूटी के घंटों में कमी करना।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस मांग को सरकार की सहमति के अध्यधीन मान लिया है।
7.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की हिदायतों के अनुसार उच्च पद पर पदोन्नति के लिए तदर्थ सेवा को गिनना।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की हिदायतों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गई है।
8.	किसी विद्यालय में संस्वीकृत संख्या के मुकाबले में "अधिशेष" घोषित किए गए शिक्षकों की तैनाती करते समय तत्परता पर विचार करना।	शिक्षकों की तत्परता पर, रिक्तियों की उपलब्धता-प्रशासनिक अपेक्षा के आधार पर तैनाती करते समय विचार किया जाता है।
9.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर यथा लागू सामूहिक बीमा-योजना को युक्तिमूलक करना।	पहले ही लागू कर दी गई है।
10.	लेखा परीक्षा अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियमों की पुनरीक्षा करना।	के.वि.सं. ने इस मामले को अपने शासी बोर्ड के समक्ष पहले ही रखने का निर्णय ले लिया है।
11.	स्टाफ अपेक्षा का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्य-अध्ययन।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने के.वि.सं. का कार्य-अध्ययन पहले ही आरंभ कर दिया है।
12.	जहां भूमि उपलब्ध हो, वहां के.वि.सं. के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण।	के.वि.सं. ने इस मांग को पहले ही मान लिया है तथा फ्लैटों को खरीदने और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए विभिन्न एजेन्सियों से बातचीत आरंभ कर दी है।

1	2	3
13.	**तदर्थ/अंशकालिक आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की नीति को समाप्त करना। शासी बोर्ड ने संविदात्मक आधार पर पूरी मजदूरी के साथ अवकाश/अल्पावधि रिक्तियों पर शिक्षकों की नियुक्ति को अब अनुमोदित कर दिया है।**	मई, 1994 से के.वि.सं. संविदात्मक आधार पर अवकाश/अल्पावधि रिक्तियों पर शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है।
14.	ए.एम.ए.एस. की विद्यमान नियुक्ति पद्धति को पुनः अनुस्थापित करना।	मई, 1994 से संशोधित चिकित्सा परिचर सुविधाओं को लागू करने के लिए हिदायतें जारी कर दी गई हैं।
15.	संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की बैठक आयोजित करना तथा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र में लिए गए निर्णयों को लागू करने की प्रगति में तेजी लाना।	संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की बैठक सितम्बर, 1994 में हुई थी।
16.	समेह "घ" कर्मचारियों को जहां अनुमत्य हो, पात्रता के अनुसार समयोपरि भत्ते की स्वीकृति।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन में "समूह घ" कर्मचारियों को नियमानुसार समयोपरि भत्ता अनुमत्य है।
वे मांगें जिन पर आगे विचार किया गया :		
1.	समूह "घ" कर्मचारियों की, प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ न्यूनतम अंक अर्जित करने के बाद अ.श्रे.लि. के रूप में तैनाती करना।	सरकार की हिदायतों के अनुसरण में इस मामले की जांच की गई थी। आवश्यक हिदायतें जारी करके, केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सम्बन्धित कर्मचारियों को अनुमत्य रियायतें पहले ही प्रदान कर दी गई हैं।
2.	+2 स्तर पर नए वैकल्पिक विषयों को आरंभ करना।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति पहले ही गठित कर दी है।
3.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी कर्मचारियों को के.स.स्वा.यो. की सुविधाएं प्रदान करना।	के.स.स्वा.यो. निदेशालय ने संसाधनों के अभाव के कारण इसके लिए मना कर दिया है। जो कर्मचारी के.स.स्वा.यो. में शामिल नहीं हैं, उन्हें नियमानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जा रही है।

स्वीकार न की गई मांगें :

1. समिति में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के साथ स्थानान्तरण सम्बन्धी समिति को पुनः प्रवर्तित करना;
2. संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच संस्थापित करना;
3. केन्द्रीय विद्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह आरंभ करना;
4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए प्रस्तावित भर्ती बोर्ड में कर्मचारी संघों में कर्मचारी संघों के नामजद व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व;
5. समूह "घ" कर्मचारियों को आठ वर्ष की सेवा के बाद समयबद्ध पदोन्नति स्वीकृत करना;
6. लगभग 25 प्रतिशत तक रिक्तियों पर अ.श्रे.लि. के पद पर समूह "घ" के कर्मचारियों की पदोन्नति।

[हिन्दी]

एन.सी.ई.आर.टी. में नियुक्ति

3253. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. में अनुकपा आधार पर नियुक्तियां करने के लिए कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने के संबंध में कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान अनुकंपा के आधार पर कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति

विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परिषद् अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुसरण कर रही है। परिषद ने 25 मामलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त किए हैं। वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण इकाई (एस.आई.यू.) द्वारा आयोजित किए गए कार्य-अध्ययन के आधार पर इस परिषद् में बड़ी संख्या में खास तौर से ग्रुप "सी" तथा "डी" के पदों को अतिरिक्त घोषित किया गया है। ज्यों ही पद रिक्त होंगे उन पदों पर इन अतिरिक्त कर्मचारियों को समाहित कर लिया जाएगा। इस प्रकार परिषद ग्रुप "सी" तथा "डी" में रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पिछले एक वर्ष के दौरान अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने की स्थिति में नहीं है।

आलू का उत्पादन

3254. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आलू की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ;

(ख) उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादन की क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादन में प्रति वर्ष गिरावट हो रही है, और

(घ) यदि हां, तो आलू के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु किसानों को दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं/उर्वरकों/बीजों अथवा आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आलू का उत्पादन इस प्रकार रहा :

वर्ष	उत्पादन (लाख मी. टन में)
1991-92	163.88
1992-93	152.30
1993-94	180.36

(ख) उत्तर प्रदेश देश में आलू का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है।

(ग) उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादन में कमी का रुख नहीं है। लेकिन वर्षा, मौसम तथा अन्य कृषि आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण राज्य में आलू के उत्पादन में थोड़ा-बहुत उतार चढ़ाव आता है।

(घ) मूल तथा कन्द फसलों के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आलू के वाणिज्यिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये टू पोटैटो सीड (टी.पी.एस.) के उत्पादन के लिये एक जैविक-केन्द्र की स्थापना के लिये सहायता दी गई है। राज्य में आलू सहित मूल तथा कन्द फसलों के प्रदर्शन प्लाट तैयार करने तथा मिनीकिटों के वितरण के लिये भी सहायता दी गई है।

किसानों को ऋण

3255. **श्री नवल किशोर राय** :
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्थाई और व्यापक प्रणाली स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे कि छोटे और सीमांत किसानों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) कृषि ऋण का वितरण एक व्यापक बहु-एजेन्सी तन्त्र के जरिए किया जाता है जिसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाएं सम्मिलित हैं।

छोटे और सीमांत किसानों को उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करने के लिये उठाए गए कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(1) 15000 रुपये तक के कृषि ऋणों के लिये (समर्थक-ऋणाधार के लिये जोर नहीं दिया जाता और 10,000 रुपये के कृषि ऋणों के लि : कोई मार्जिन धनराशि रखने पर बल नहीं दिया जाता।

(2) 10,0000 रुपये से अधिक के कृषि ऋणों पर छोटे किसानों को केवल 5 प्रतिशत की दर से ही मार्जिन धनराशि का अंशदान करना होता है जबकि मध्यम और बड़े किसानों को क्रमशः 10 और 15 प्रतिशत मार्जिन धनराशि देनी होती है।

(3) बैंकों को हिदायतें दी गई हैं कि उनके मौसमी कृषि कार्य ऋण में से कम से कम 20 प्रतिशत ऋण छोटे/सीमांत किसानों को मिलना चाहिए। बैंकों को हिदायतें दी गई हैं कि यदि छोटे किसानों ने ऋण चुकाने में चूक की हो तो भी ऋण प्रदान किया जाए बशर्ते ऐसी चूक बहुत छोटी हो और कुल ऋण पात्रता की 10 प्रतिशत से कम हो।

[अनुवाद]

मॉडल रेलवे स्टेशन

3256. **डा. कृपासिंधु भोई : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पश्चिमी उड़ीसा के सम्बलपुर तथा बारगढ़ रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशनों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है, और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। आदर्श स्टेशन योजना अब बन्द कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोदाम

3257. **प्रो. रासा सिंह रावत :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थान-वार कितने गोदाम बनाए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने गोदाम ऐसे हैं जिन्हें भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया है/किराए पर लिया गया है, अलग-अलग ब्यौरा दें;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी मात्रा में वस्तुएं क्षति ग्रस्त हुई हैं;

(घ) इन गोदामों से वस्तुओं की सप्लाई, लदान और ढुलाई में अत्यधिक समय लगने के क्या कारण हैं;

(ङ) गोदामों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार इन गोदामों की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 1.3.1995 की स्थिति के अनुसार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित किए गए गोदामों का स्थानवार ब्यौरा क्रमशः : विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के अपने और किराए के गोदामों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

गोदामों की संख्या	राजस्थान	उत्तर प्रदेश
अपने	35	51
किराए के	44	173
जोड़	79	224

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(मीटरी टन में)

राज्य	वर्ष		
	1991-92	1992-93	1993-94
राजस्थान	55.00	165.19	156.59
उत्तर प्रदेश	1327.32	173.81	480.62

(घ) राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में स्टाक की सप्लाई और संचलन में सामान्यतया कोई रुकावट नहीं हुई है। तथापि, असम/उत्तर पूर्वी, पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछेक श्रमिक समस्याओं के कारण 1994 में जून से नवम्बर तक उत्तर प्रदेश से पूर्वी/उत्तर पूर्वी राज्यों को स्टाक का संकलन करने में मामूली अस्थायी गतिरोध पैदा हुआ था।

नवम्बर, 1994 के दूसरे पखवाड़े और उससे आगे सामान्य स्थिति बहाल कर दी गई थी।

(ङ) समय पर मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य कर गोदामों को भण्डारण योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(च) ब्यौरा निम्नानुसार है :

खर्च (लाख रुपयों में)

क्षेत्र	वर्ष		
	1991-92	1992-93	1993-94
राजस्थान	25.29	25.78	29.18
उत्तर प्रदेश	43.71	38.69	47.52

विवरण–I

1.3.95 को स्थिति के अनुसार राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के अपने और कि॰ए के ढके हुए गोदामों की संख्या (स्थानवार)

क्रम सं.	राजस्व जिला/ केन्द्र का नाम	गोदामों की संख्या (ढके हुए)					जोड़
		भा.खा. नि. के अपने	राज्य सरकार	निम्न से किराए पर लिए गए के.भं.नि.	रा.भां.नि.	प्रा. पार्टी	
1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्व जिला अलवर						
1.	अलवर	1	–	–	–	–	1
2.	खेरली	1	–	–	–	–	1
	राजस्व जिला भरतपुर						
3.	भरतपुर	1	–	–	–	–	1
	राजस्व जिला धौलपुर						
4.	धौलपुर	1	–	–	–	1	2
	राजस्व जिला बीकानेर						
5.	बीकानेर	1	1	–	–	–	2
6.	देशनोक	–	–	–	–	1	1
7.	नोखा	–	–	–	–	1	1
	राजस्व जिला चूरू						
8.	चूरू	1	–	–	–	–	1
9.	सादुलपुर	1	–	–	–	–	1
10.	सुजानगढ़	1	–	–	–	–	1
	राजस्व जिला झुंझुनूं						
11.	झुंझुनूं	1	–	–	–	–	1
12.	माखर	–	–	–	–	1	1
13.	बागड़	–	–	–	–	1	1
14.	मुकन्दगढ़	–	–	–	–	1	1
15.	सूरजगढ़	–	–	–	–	1	1
	राजस्व जिला जयपुर						
16.	गांधी नगर	1	–	–	–	–	1
	राजस्व जिला दौसा						
17.	बांदीकुई	1	'	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	दौसा	–	–	–	1	–	1
	राजस्व जिला सीकर						
19.	सीकर	1	–	–	–	–	1
	राजस्व जिला टोंक						
20.	नेवई	1	–	–	–	–	1
	राजस्व जिला बाड़मेर						
21.	बाड़मेर	1	–	–	–	–	1
22.	पोखरन	1	–	–	–	–	1
	राजस्व जिला जालौर						
23.	जालौर	1	–	–	1	–	2
	राजस्व जिला जोधपुर						
24.	जोधपुर	1	–	–	–	–	1
25.	पीपरासीटी	–	–	–	1	1	2
	राजस्व जिला बूंदी						
26.	बूंदी	1	–	–	1	–	2
27.	किशोर पाटन	1	–	–	–	–	1
	राजस्व जिला झालावाड़						
28.	भवानी मंडी	1	–	–	–	–	1
	राजस्व जिला कोटा						
29.	शिवपुरा	1	–	–	–		1
30.	कोटा	–	–	1	–	–	1
	राजस्व जिला बारन						
31.	बारन	1	–	–	1	–	2
	राजस्व जिला सवाईमाधोपुर						
32.	गंगापुर सिटी	–	–	–	1	–	1
33.	सवाईमाधोपुर	1	–	–	–	–	1
	राजस्व जिला हनुमानगढ़						
34.	डबलीरतन	–	–	–	1	–	1
35.	गोलूवाला	–	–	–	1	–	1
36.	हनुमानगढ़	1	–	1	–	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	पीलीबागान	–	–	–	1	–	1
38.	रावतसर	–	–	–	1	–	1
39.	संगरिया	–	–	–	1	–	1
राजस्व जिला श्रीगंगानगर							
40.	अनूपगढ़	–	–	–	1	–	1
41.	भद्रा	–	–	–	1	–	1
42.	गजसिंहपुर	–	–	–	1	–	1
43.	घरसाना	–	–	–	1	–	1
44.	केसरसिंहपुर	–	–	–	–	1	1
45.	नोहर	–	–	–	1	–	1
46.	पदमपुर	–	–	–	1	–	1
47.	रायसिंह नगर	–	–	–	1	–	1
48.	रावला	–	–	–	1	–	1
49.	सादुल शहर	–	–	–	1	–	1
50.	श्री विजयनगर	1	–	–	1	–	2
51.	श्रीगंगानगर	–	–	–	1	2	3
52.	श्री करनपुर	–	–	–	1	–	1
53.	सूरतगढ़	–	–	–	1	–	1
राजस्व जिला बांसवाड़ा							
54.	बांसवाड़ा	1	–	–	–	–	1
राजस्व जिला चित्तौड़गढ़							
55.	चन्देरिया	1	–	–	–	–	1
राजस्व जिला डूंगरपुर							
56.	डूंगरपुर	–	–	–	1	1	2
राजस्व जिला सिरोही							
57.	सिरोही रोड	1	–	–	–	–	1
राजस्व जिला उदयपुर							
58.	उदयपुर	1	–	–	–	–	1
राजस्व जिला अजमेर							
59.	अजमेर	1	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
60.	बेवाड़	–	–	–	–	1	1
61.	किसनगढ़	1	–	–	–	–	1
62.	भीलवाड़ा	1	–	–	–	–	1
राजस्व जिला नागौर							
63.	पर्बतसर	–	–	–	–	1	1
64.	नागौर	1	–	1	–	–	2
राजस्व जिला पाली							
65.	मारवाड़	1	–	–	–	–	1
66.	पाली	1	–	–	–	–	1
	जोड़	35	–	4	25	15	79

विवरण-II

1.3.95 को स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के अपने और किराए के ढके हुए गोदामों की संख्या (स्थानवार)

क्रम सं.	राजस्व जिला/ केन्द्र का नाम	भा.खा. नि. के अपने	राज्य सरकार	गोदामों की संख्या (ढके हुए) निम्न से किराए पर लिए गए			जोड़
				के.भ.नि.	रा.भां.नि.	प्रा. पार्टी	
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व जिला आगरा							
1.	आगरा	1	–	–	1	–	2
राजस्व जिला फिरोजाबाद							
2.	शिकोहाबाद	1	–	–	–	1	2
राजस्व जिला मैनपुरी							
3.	करहल	–	–	–	1	–	1
4.	मैनपुरी	1	–	–	1	–	2
5.	सिरसागंज	–	–	–	–	1	1
राजस्व जिला बरेली							
6.	बहेड़ी	–	–	–	1	–	1
7.	बरेली	1	1	–	–	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	पारसखेड़ा	1	1	–	1	–	3
राजस्व जिला पीलीभीत							
9.	बिलसंदा	–	1	–	–	–	1
10.	बिसालपुर	–	1	1	–	–	2
11.	पीलीभीत	1	1	–	–	1	3
12.	पूरनपुर	–	1	–	–	1	2
राजस्व जिला बुलन्दशहर							
13.	बुलन्दशहर (इमलिया)	1	–	–	1	–	2
14.	गुलौठी	–	–	–	1	–	1
15.	जहांगीराबाद	–	–	1	–	–	1
16.	जोखाबाद	–	–	–	1	–	1
17.	खुर्जा	2	–	–	1	–	3
18.	पहेसु	–	–	–	1	–	1
19.	शिकापुर	–	–	–	1	–	1
20.	श्यामनगर	1	–	–	–	–	1
21.	सियाना	–	–	–	–	1	1
राजस्व जिला बाराबंकी							
22.	बाराबंकी	1	–	–	–	–	1
राजस्व जिला फैजाबाद							
23.	फैजाबाद	1	–	–	–	1	2
24.	रानी बाजार	–	1	–	–	–	1
राजस्व जिला सुल्तानपुर							
25.	सुल्तानपुर	–	1	–	–	1	2
राजस्व जिला बस्ती							
26.	बस्ती	1	–	1	–	–	2
राजस्व जिला गोरखपुर							
27.	गोरखपुर	1	–	–	–	–	1
28.	नाखा	–	–	1	–	–	1
29.	सरजनवा	–	1	–	–	–	1
30.	सरदार नगर	–	–	–	–	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व जिला महाराजगंज							
31.	पुरन्दरपुर	–	–	–	–	1	1
राजस्व जिला सिद्धार्थनगर							
32.	डुमरीगंज	–	–	1	–	–	1
राजस्व जिला गाजियाबाद							
33.	दादरी	–	–	1	–	–	1
34.	हापुड़	1	–	–	–	–	1
35.	लोनी	–	–	1	–	–	1
राजस्व जिला मेरठ							
36.	जनजाठी	–	1	–	–	–	1
37.	परतापुर	1	–	–	–	–	1
राजस्व जिला नैनीताल							
38.	बाजपुर	1	–	1	–	1	3
39.	गदरपुर	–	–	–	1	1	2
40.	गुलरभोज	–	–	–	1	–	1
41.	हल्दूचौड़	–	1	–	–	–	1
42.	हल्द्वानी	–	1	–	1	1	3
43.	जसपुर	–	–	1	–	–	1
44.	कमलुआगंज	–	–	–	1	–	1
45.	काशीपुर	–	–	1	–	–	1
46.	खटीमा	–	1	1	–	–	2
47.	किच्छा	–	1	–	1	1	3
48.	रामनगर	–	1	–	–	–	1
49.	रुद्रपुर	2	–	–	–	–	2
50.	सितारगंज	–	1	–	1	–	2
51.	टनकपुर	–	1	–	–	–	1
राजस्व जिला पिथौरागढ़							
52.	पिथौरागढ़	1	–	–	–	–	1
राजस्व जिला रामपुर							
53.	बिलासपुर	–	1	–	1	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	रामपुर	–	–	1	–	1	2
राजस्व जिला जालौन							
55.	उरई	1	–	–	1	–	2
राजस्व जिला झांसी							
56.	झांसी	1	1	1	–	1	4
57.	मौरानीपुर	–	–	–	–	1	1
58.	परीछा	–	–	–	–	1	1
राजस्व जिला ललितपुर							
59.	ललितपुर	–	1	–	1	–	2
राजस्व जिला इटावा							
60.	औरैया	–	–	–	1	–	1
61.	इटावा	1	–	1	–	–	2
62.	जसवंतनगर	–	–	–	1	–	1
राजस्व जिला फर्रुखाबाद							
63.	छिब्रामऊ	–	–	–	1	–	1
64.	फर्रुखाबाद	–	1	–	–	1	2
राजस्व जिला कानपुर							
65.	कानपुर (च.)	2	–	–	–	–	2
66.	नौबस्ता	–	–	–	1	–	1
67.	पुखरायां	–	–	–	1	–	1
राजस्व जिला लखनऊ							
68.	दरोगाखेड़ा	–	–	–	–	1	1
69.	लखनऊ	1	–	–	–	–	1
70.	ताल्कटोरा (लखनऊ)	1	–	1	–	–	2
राजस्व जिला रायबरेली							
71.	जैस	–	–	–	1	–	1
72.	महाराजगंज	–	–	–	1	–	1
73.	रायबरेली	1	–	–	1	–	2
राजस्व जिला उन्नाव							
74.	बांगरमऊ	–	–	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	उन्नाव	–	–	–	1	–	1
राजस्व जिला बदायूं							
76.	बदायूं	–	–	–	1	1	2
77.	उझानी	–	–	–	–	1	1
78.	वजीरगंज	–	1	–	1	–	2
राजस्व जिला बिजनौर							
79.	बिजनौर	–	–	1	–	1	2
80.	नगीना	–	–	–	–	1	1
राजस्व जिला मुरादाबाद							
81.	अमरोहा	–	–	–	–	1	1
82.	चन्दौसी	–	1	1	–	1	3
83.	मुरादाबाद	1	–	–	1	1	3
84.	ठाकुरद्वारा	–	–	—	–1	–	1
राजस्व जिला मुजफ्फरनगर							
85.	बामनहारी	–	–	1	–	–	1
86.	बेगराजपुर	–	1	–	–	–	1
87.	कुकरा	–	–	1	–	–	1
राजस्व जिला सहारनपुर							
88.	सहारनपुर	–	–	1	–	–	1
89.	पिल्खानी	–	–	1	–	–	1
90.	रामपुर (मनीहारन)	–	1	–	–		1
राजस्व जिला जौनपुर							
91.	जौनपुर	–	–	–	1	1	2
राजस्व जिला मिर्जापुर							
92.	मिर्जापुर	1	–	–	–	–	1
राजस्व जिला सोनभद्र							
93.	राबर्टगंज	–	1	1	–	–	2
राजस्व जिला वाराणसी							
94.	वाराणसी	1	–	–	–	–	1
95.	व्यासनगर	1	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्व जिला देहरादून						
96.	देहरादून	–	1	–	–	1	2
97.	ऋषिकेश	–	–	–	–	1	1
98.	विकासनगर	–	–	–	1	–	1
	राजस्व जिला टिहरी गढ़वाल						
99.	उत्तर काशी	–	–	–	–	1	1
	राजस्व जिला इलाहाबाद						
100.	इलाहाबाद	–	–	–	1	–	1
101.	करछाना	–	–	–	1	–	1
102.	नैनी (इलाहाबाद)	1	–	–	–	–	1
	राजस्व जिला फतेहपुर						
103.	फतेहपुर	1	–	–	1	1	3
	राजस्व जिला प्रतापगढ़						
104.	प्रतापगढ़	–	–	–	–	1	1
	राजस्व जिला आजमगढ़						
105.	आजमगढ़	1	–	–	1	–	2
106.	हर्रा की चुंगी	–	–	–	–	1	1
107.	सिंधी मिल	–	–	–	–	1	1
	राजस्व जिला देवरिया						
108.	देवरिया	–	–	–	1	1	2
109.	रुद्रपुर	–	–	–	–	1	1
	राजस्व जिला मऊ						
110.	मऊ	–	–	1	–	–	1
	राजस्व जिला बांदा						
111.	अत्तरा	1	–	–	–	–	1
112.	बांदा	1	1	1	–	1	4
	राजस्व जिला हमीरपुर						
113.	महोबा	1	–	1	–	–	2
	राजस्व जिला बलिया						
114.	बलिया	–	1	–	–		1

1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्व जिला गाजीपुर						
115.	जंगीपुर	–	–	–	1	–	1
	राजस्व जिला बहराइच						
116.	बहराइच	–	1	1	–	–	2
117.	मिहिन पुरवा	–	–	–	–	1	1
	राजस्व जिला गोण्डा						
118.	बलरामपुर	–	1	–	–	–	1
119.	गोंडा	1	1	–	1	–	3
	राजस्व जिला हरदोई						
120.	बीलग्राम	–	1	–	–	–	1
121.	हरदोई	1	1	1	–	–	3
122.	माधव गंज	–	–	–	–	1	1
123.	संडीला	–	–	–	1	1	2
124.	शाहाबाद	–	1	–	–		–1
	राजस्व जिला लखीमपुर खीरी						
125.	गोला	–	–	1	–	–	1
126.	लखीमपुरखीरी	1	1	–	1	–	3
127.	मैगलगंज	–	–	–	1	–	1
128.	पलिया	–	–	–	1	–	1
129.	तिनकुनिया	–	–	–	1	–	1
	राजस्व जिला सीतापुर						
130.	महमूदाबाद	–	–	–	1	–	1
131.	सीतापुर	1	1	–	1	–	1
	राजस्व जिला शाहजहांपुर						
132.	बांदा	–	1	–	–	–	1
133.	गुटैया	–	–	–	–	1	1
134.	खुतार	–	–	–	–	1	1
135.	एम.पी. कटरा	–	–	–	–	1	1
136.	प्रसादपुर	–	–	–	–	1	1
137.	पुवायां	–	1	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
138.	रोजा	1	–	–	–	–	1
139.	शाहजहांपुर	1	1	1	–	–	3
	राजस्व जिला हरिद्वार						
140.	ज्वालापुर	–	1	–	1	1	3
141.	रूड़की	–	1	–	–	1	2
	राजस्व जिला पौड़ी गढ़वाल						
142.	कोटद्वार	–	1	–	–	1	2
	राजस्व जिला अलीगढ़						
143.	अलीगढ़	1	–	–	1	–	2
144.	हरदुआगंज	1	–	–	–	–	1
145.	हाथरस	1	–	–	–	–	1
146.	सिकन्द्रा राव	–	–	–	–	1	1
	राजस्व जिला एटा						
147.	एटा	1	–	—	–	–	1
148.	कासगंज	1	–	–	–	–	1
	राजस्व जिला मथुरा						
149.	कोशीकलां	1	–	–	–	–	1
150.	मथुरा	1	–	–	1	–	2
	जोड़	51	42	29	53	49	224

ऊंचे प्लेटफार्म

3258. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के अजीमगंज सिटी तथा सागर दिघी के बीच बराला स्टेशन पर ऊंचे प्लेटफार्म के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता

जानवरों की मृत्यु

3259. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री तारा सिंह :
श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1995 से दिल्ली चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों की मौतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली चिड़ियाघर के जानवरों के संरक्षण और अधिक जानवरों को लाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) जनवरी, फरवरी और मार्च, 1995 माह के दौरान

चिड़ियाघर में क्रमशः 38, 12 तथा 11 पशुओं की मृत्यु हुई। मुख्य कारणों में बुढ़ापा, बीमारी शामिल है जो बन्दी अवस्था में रखे वन्यजीवों के लिए असामान्य बात नहीं है।

(घ) सरकार ने दिल्ली चिड़ियाघर में जीवों की देखभाल में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें पशु चिकित्सा देखभाल में सुधार तथा पशुओं के लिए बेहतर वास-स्थलों की व्यवस्था तथा अनुरक्षण की सुविधा के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों का चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन से पशुओं की अदला-बदली और उन्हें प्राप्त करने के कार्यक्रम कार्यान्वित लिए जा रहे हैं।

नवोदय विद्यालय

3260. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**
श्री सुधीर गिरि :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्षों के दौरान नवोदय विद्यालयों में नियुक्त किए गए शिक्षकों और उनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1994-95 के दौरान नवोदय विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नवोदय विद्यालयों में नियुक्त किए गए शिक्षकों और पढ़ रहे छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

(I) जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों की संख्या

वर्ष	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	छात्रों की संख्या
1991-92	280	75,565
1992-93	307	89,773
1993-94	321	99,302

(II) शिक्षकों की संख्या

पदों की श्रेणी	शिक्षकों की संख्या					
	31.3.92		31.3.93		31.3.94	
*	स्वीकृत	तैनात	स्वीकृत	तैनात	स्वीकृत	तैनात
1	2	3	4	5	6	7
स्नातकोत्तर शिक्षक	1463	967	1896	1357	1954	1345
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	2441	1703	2607	2089	2880	2225
विविध श्रेणी	1535	1131	1658	1434	1748	1365

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान नवोदय विद्यालयों के उन्नयन के लिए 32.95 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

[हिन्दी]

भुसावल तथा भोपाल के बीच रेलगाड़ी

3261. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुसावल तथा भोपाल मण्डलों के बीच एक तीव्र गति यात्री रेल गाड़ी आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चलाया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई तथा संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

पूर्वी रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पद

3262. **श्री सूरज मंडल :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड दिनांक 28.7.93 और 14.9.93 को भारतीय रेलवे के सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों को दिए गए निर्देशों के अनुसार रेलवे ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे की सभी बकाया रिक्तियों को भर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान की गई भर्ती/नियुक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	अ.जा.	अ.ज.जा.
ग्रुप "ग"	141	111
ग्रुप "घ"	158	107

ये नियुक्तियां मौजूदा/अप्रयुक्त पैनलों से की गई थीं, जो प्रत्याशित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पहले बनाए गए थे।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कमी को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

3263. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल जनवरी, 1995 को समाप्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक इस आयोग का पुनर्गठन नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार स्थाई राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) राष्ट्रीय आयोग के चार सदस्यों तथा अध्यक्ष का कार्यकाल 31.3.1995 को समाप्त हो गया। श्रीमती गंगा पोटई और सुश्री ऐनी प्रसाद क्रमशः सदस्य तथा सदस्य-सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) आयोग में रिक्त पदों को भरने के मामल में सरकार अत्यधिक ध्यान दे रही है।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत एक सार्वविधिक निकाय है।

(ङ) आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का अधिनियम सं. 20) के प्रावधानों के अनुसार होती है।

रेलवे के लिए हवाई जहाज

3264. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने अपने प्रयोग के लिए हवाई जहाज खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो इसका मूल्य तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त हवाई जहाज के प्रयोग के लिए कोई नियम बनाए गए हैं, और

(घ) रेलवे द्वारा हवाईजहाज खरीदने के पश्चात् इस हवाईजहाज ने कितनी बार और कहां के चक्कर लगाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (इरकान) ने मैसर्स बीच एयरक्राफ्ट कार्पोरेशन, यू.एस.ए. से एक वायुयान माडल सुपर किंग एयर 350 खरीदा है वायुयान की लागत 4.46 मिलियन अमरीकी डालर (14.05 करोड़ रुपये) है।

(ग) रेल मंत्रालय और इरकान के बीच एक समझौता करार हुआ है जिसमें सेवा की तात्कालिकता के मामले में इसके रेल मंत्रालय द्वारा उपयोग को उच्च प्राथमिकता दी गई है। वायुयान नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के विनियमों के अंतर्गत उड़ रहा है।

(घ) 31.1.95 तक 27 यात्राएं की गईं यात्राओं के स्थान बंबई, बेंगलूर, बड़ौदा, नागपुर, मद्रास, तिरूवनन्तपुरम, जयपुर, पटना, मंगलोर, रायपुर, अमृतसर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, तिरूपति, जोधपुर, विजयवाड़ा, हरिहर, पुणे, सिलचर, आइजोल, बिहता, जमशेदपुर, बेलगाम और तेजपुर हैं।

उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन लागत

3265. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 को सीमेंट, सब्जी, घी, चीनी, चाय, साबुन, साइकिल, दो पहिया वाहन तथा कपड़े जैसी आम इस्तेमाल की उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन लागत तथा बिक्री मूल्य क्या थे, और

(ख) निर्माताओं को अनुचित मुनाफा कमाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादन लागत, कच्ची सामग्री तथा अन्य आदानों की लागत पर निर्भर करती है और विभिन्न बातों के कारण इसमें अन्तर होता है। उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन लागत से संबंधित सूचना इस मंत्रालय द्वारा संकलित नहीं की जाती है। 31.3.95 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में चुनिंदा उपभोक्ता वस्तुओं के खुदरा मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य खुले बाजार में मांग एवं आपूर्ति की ताकतों द्वारा निर्धारित होते हैं, जहां विनिर्माताओं के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा होती है। तथापि, सरकार ने चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन वस्तुओं के अधिक उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थितियां

सृजित करने के अलावा, कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का आयात भी किया जाता है ताकि ये बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें। इनमें से कुछ वस्तुएं बाजार मूल्यों से कम पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए भी सप्लाई की जा रही हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमाखोरों, चोरबाजारियों और अनुचित व्यापार पद्धतियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली में चुनिंदा वस्तुओं के बाजार मूल्य

वस्तुएं	31.3.1995 को (रु. प्रति कि. ग्रा. या अन्य रूप में उल्लिखित)
सीमेंट (ए.सी.सी) (प्रति बोरी)	133.00
आलू	3.00
प्याज	4.00
घी	110.00
चीनी	13.00
चाय	75.00
साबुन	
लाइफ ब्वाय (प्रति टिकिया)	5.85
साइकिल (एटलस)	1178.00
दुपहिया वाहन	
बजाज चेतक	22,000
कपड़ा सूती (प्रति मीटर)	12.00
पॉपलीन (प्रति मीटर)	21.00
टेरीकॉट (कमीज का कपड़ा) (प्रति मीटर)	37.50

स्रोत : दिल्ली सरकार, नागरिक आपूर्ति विभाग सुपर बाजार

उपरि पुल

3266. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्तमान में कुल कितने उपरि पुलों की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार वरकला और क्विलोन में उपरि पुलों के निर्माण हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) किसी स्थान विशेष पर उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता के बारे में निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, अतः राज्य में उपरि पुलों की कुल आवश्यकता केवल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

(ख) नीचे दिए गए दो उपरि सड़क पुलों के प्रस्ताव पर निक्षेप शर्तों के आधार पर और कार्रवाई की जा रही है :

(ग) (1) एर्णाकुलम-कोल्लम खंड पर पेरिवाद और कोल्लम के बीच 151/8-9 कि.मी. पर उपरि सड़क पुल।

(2) कोल्लम-त्रिवेन्द्रम खंड पर कोल्लम और इरविपुरम के बीच 156/8-9 कि मी. पर उपरि सड़क पुल।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रेक वैन

3267. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेलों के ब्रेक वैनों को निजीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस प्रस्ताव की शर्तें क्या है; और

(ग) उन रेलों के नाम क्या हैं, जिनकी ब्रेक वैनों को पट्टे पर दिया गया है और वह पार्टियां कौन सी हैं जिन्हें पट्टे के आदेश प्राप्त हुए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : सरकार ने यात्री गड़ियों के एस एल आर/ब्रेक यानों में रिक्त स्थान निर्धारित प्रक्रिया तथा निबंधन और शर्तों के अनुसार निजी पार्टियों को, पट्टे पर देने की एक योजना शुरू की है। जिसकी मुख्य मदें इस प्रकार हैं :

(1) लदान तथा उतराई पार्टी द्वारा।

(2) 5 दिवसों के पारवहन के बराबर माल का अग्रिम निक्षेप।

(3) भिन्न-भिन्न तारीखों को, रिक्त स्थान को एक से अधिक पार्टी को पट्टे पर देना।

(4) सामान दर पर स्थान को पट्टे पर लेने वाली पार्टियां, लदान की दिशा में एक मार्गरक्षी को, दूसरे दर्जे में निःशुल्क रूप से भेज सकती हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	गाड़ी सं.	विवरण	पार्टी का नाम
1	2	3	4
1.	5658	गुवाहाटी-सियालदह	कार्गो भारती
2.	4005	हजरत निमामुद्दीन-इंदौर	मै. रतन रोड लाइंस
3.	2627	मद्रास-नई दिल्ली	मै. भंडारी इंटर स्टेट कोरियर
4.	2627	बेंगलूर-नई दिल्ली	-यथोक्त-
5.	2627	-यथोक्त-	मै. पटेल आंगड़िया
6.	6530	बेंगलूर-पुणे	मै. भंडारी इंटर स्टेट कोरियर
7.	6070	ईरोड-मद्रास	मै. ईरोड एजेंसीज
8.	6069	मद्रास-ईरोड	-यथेक्त-
9.	2636	मदुरै-मद्रास	मै. आर. सिल्वा कुमार
10.	6006	मैट्टूपलैय्यम-मद्रास	मै. एस.एन.आई. एसोसिएट्स
11.	6005	मद्रास-मैंट्टूपलैय्यम	-यथोक्त-
12.	6674	कोयम्बटूर-मद्रास	-यथोक्त-
13.	6526	बेंगलूर-कोयम्बटूर	-यथोक्त-
14.	2471	बंबई—नयी दिल्ली	मै. स्प्रिंट कोरियर
15.	9102	अहमदाबाद—बंबई	मै. जे.एस. गुर्जर एंड पार्टनर अहमदाबाद
16.	9102	-यथोक्त-	-यथोक्त-
17.	2906	अहमदाबाद-दिल्ली सराय रोहिल्ला	-यथोक्त-
18.	14	बुलसर-बंबई	मै नवरंग पार्सल सर्विस बंबई
19.	5063	आगरा फोर्ट-बांद्रा (टर्मि.)	मै. हरि ओम चावला, आगरा
20.	5063	-यथोक्त-	-यथोक्त
21.	2927	बंबई-बड़ोदरा	मै. नवरंग पार्सल सर्विस बंबई
22.	9101	बंबई-अहमदाबाद	-यथोक्त-
23.	9101	-यथोक्त-	-यथोक्त-
24.	2927	बंबई-सूरत	-यथोक्त-
25.	9101	दादर-अहमदाबाद	-यथोक्त-
26.	2961	बांद्रा (टी)—इंदौर	मै. सेल्स एंड सर्विस कार्पो. इंदौर

		1	2 3 4
27.	2962	इंदौर-बांद्रा(टी)	-यथोक्त-
28.	9032	अहमदाबाद-बंबई	मै. गुर्जर एंड पार्टनर,
29.	9032	अहमदाबाद-बंबई	-यथोक्त-
30.	2934	अहमदाबाद-बंबई	-यथोक्त-
31.	2934	-यथोक्त-	-यथोक्त-
32.	5657	सियालदह-गुवाहाटी	मै. कार्गों भारती
33.	7060	हैदराबाद-मद्रास	श्री वी. रमेश
34.	8029	कुर्ला-हावड़ा	मै. एलबी एक्सप्रैस
35.	6529	बंबई-बेंगलूर	-यथोक्त-
36.	6511	दादर-मद्रास	मै. पटेल रोड़वेज
37.	1013	कुर्ला-बेंगलूर	मै एम.पी. किंग कैरियर
38.	1019	बंबई-सिकंदराबाद	मै. पटेल रोड़वेज
39.	2618	झांसी-कोयम्बटूर	मै. गुड्डन खान
40.	1162	आगरा कैंट-दादर	मै. एम. के. राजपूत

[हिन्दी]

आरक्षण अवधि

3268. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री राम नाईक :

क्या **रेल मंत्री** 28 मार्च, 1995 के अतारांकिक प्रश्न संख्या 2139 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अग्रिम आरक्षण अवधि में कमी करने संबंधी सरकार के निर्णय के पीछे क्या तर्क है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : अग्रिम आरक्षण को 45 दिन से घटाकर 30 दिन करने का विनिश्चय, मांग पद्धति के विश्लेषण के आधार पर किया गया था, जिससे यह पता चला था कि यात्रियों द्वारा आरक्षण यात्रा करने की तारीख से अधिकाधिक 30 दिन अग्रिम में कराया जाता है। घटाई गई अग्रिम आरक्षण अवधि से कुछ डिस्क भंडारण क्षमता विर्निमुक्त होगी जिसका उपयोग कंप्यूटरीकृत प्रणाली में अतिरिक्त गाड़ियां डालने में किया जा सकता है।

राजस्थान में आमान परिवर्तन

3269. **श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदले जाने संबंधी जारी कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं में से कुल परियोजनाओं को 1995-96 के अंत तक पूरा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और वर्तमान मे राजस्थान में निम्नलिखित मीटर लाइनों का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन किया जा रहा है :

1. जोधपुर-तूनी-मारवाड़
2. अजमेर-अहमदाबाद (आंशिक रूप से राजस्थान में)

निम्नलिखित लाइनों को हाल ही में बड़ी लाइन में बदला गया है :

1. लालगढ़-कोलायत
2. लालगढ़-मेड़ता रोड
3. मेड़ता रोड़-मेड़ता सिटी
4. रिवाड़ी-जयपुर-अजमेर

5. सवाईमाधोपुर-जयपुर

6. फुलेरा-जोधपुर

7. जोधपुर-जैसलमेर

कार्य योजना में निम्नलिखित लाइनें शामिल हैं और आने वाले वर्षों में इन्हें हाथ में लिया जाएगा :

1. सूरतगढ़-हनुमानगढ़ कैनाल लूप

2. लूनी-लूनाबाव

3. समदड़ी-भिसड़ी

(ग) जी हां।

(घ) 1995-96 में निम्नलिखित बंडों पर कार्य पूरा किए जाने का लक्ष्य हैं :

(1) अजमेर-मारवाड़ 140 कि.मी.

(2) जोधपुर-मारवाड़ 103 कि.मी.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

3270. **श्री वी.कृष्णा राव :**
श्री के.जी. शिवप्पा :
श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक ऐसा प्रौद्योगिकी पैकेज तैयार करने में महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है जिससे इत्रसाजी, पेट्रो-रसायन, ठंडे पेय, वनस्पति तेलों, मसालों, प्राकृतिक कीटनाशकों और औषधों के उद्योगों में उत्पादन में होने वाले लागत में भारी कटौती होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने इत्रसाजी मूलभूल तेलों हलके पेय पदार्थों के लिए प्राकृतिक गंधकण और खुशबू खाद्य पदार्थों के लिए प्राकृतिक रंगों और मसाले तेल तत्वों जैसी वनस्पतियों में विद्यमान प्राकृतिक रूप से पाए जाने वालों कृषि मिश्रण के उत्पादन के लिए एस.सी.एफ.ई., सुपरक्रिटिकल फ्लूड (सी ओ 2) प्रौद्योगिकी नामक एक पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी पैकेज तैयार किया है। इस प्रौद्योगिकी को उद्योगों को हस्तांतरित करने का विचार है, ताकि मूलभूत तेलों के उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जा सके। इस प्रकार की नई प्रौद्योगिकियां सदैव मान्यता दिए जाने और सराहना के योग्य हैं।

उच्च कोटि के उत्पाद

3271. **श्री तारा सिंह : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उच्च कोटि के उत्पादों, विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता में दिन-प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है;

(ख) क्या भारतीय मानक ब्यूरो और अन्य एजेंसियां निम्न कोटि के उत्पादों पर नियंत्रण करने में पूर्णतः असफल रही है;

(ग) केवल उच्च कोटि के उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए क्या सरकार का कोई नए उपाय अपनाने/बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय, जैसे विभिन्न सरकारी एवं सांविधिक संगठनों को शामिल करके एक सर्वसम्मत प्रक्रिया के जरिए विभिन्न खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय मानक निकाले हैं। इन मानकों में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों की अनिवार्य अपेक्षाओं को भी शामिल किया गया है तथा कुल मिलाकर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन चिह्न योजना के अंतर्गत, जिसके तहत उस खाद्य उत्पाद विनिर्माता को लाइसेंस दिया जाता है जो यह सुनिश्चित करने में सक्षम हैं कि उसके उत्पाद संगत भारतीय मानकों के अनुरूप हैं, उपभोक्ताओं के लिए खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। साथ ही "एगमार्क" गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पैक की गई खाद्य वस्तुएं पहले से जांच की गई होती हैं और अधिसूचित मानकों के अनुसार प्रमाणित होती हैं।

(ग) और (घ) हालांकि, भारतीय मानक ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन चिह्न योजना मुख्यतः स्वैच्छिक स्वरूप की है तथापि खाद्य रंगों और खाद्य संयोज्यों, वनस्पति घी, शिशु दुग्ध आहार, शिशु फार्मूला और संघनित दूध जैसे कुछ उत्पादों के लिए उनका भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न योजना के अनुरूप होना कानून के तहत अनिवार्य है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के खाद्य अपमिश्रण निवारण हेतु प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा नियमित रूप से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं, ताकि देश के विभिन्न भागों में मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्मित/भंडार किए हुए/रखे हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर

3272. **श्री के. प्रधानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की व्यापक गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नई योजना शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उड़ीसा में इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हालांकि हाल ही में कोई नई स्कीम शुरू नहीं की गई है, लेकिन ऐसी अनेक चालू परियोजनाएं हैं, जिनके माध्यम से आदिवासी महिलाओं के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। उदाहरणार्थ, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ट्राइसेम के अंतर्गत महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है। इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत भी महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाती है। रोजगार आश्वासन स्कीम अन्य क्षेत्रों के अलावा आदिवासी क्षेत्रों में भी चलाई जा रही हैं।

इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टेप स्कीम के अंतर्गत, आदिवासी क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता हैं। वर्ष 1994-95 में 68590 महिलाओं के लिए 13 नई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 3 परियोजनाएं रेशम कीटपालन और डेयरी क्षेत्रों में 25000 महिलाओं को कवर करने के लिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई है। इनमें से एक परियोजना उड़ीसा के सम्बलपुर, झारसुगुड़ा, बारगढ़ और देवगढ़ जिलों के मुख्यतः आदिवासी और पिछड़े इलाकों में तीन वर्ष की अवधि के लिए 10,000 महिलाओं हेतु 3. 438 करोड़ रु. की कुल लागत से डेयरी क्षेत्र में मंजूर की गई है।

विश्व बैंक पोषित परियोजनाएं

3273. **डा.पी. वल्लल पेरूमान :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में विश्व बैंक द्वारा घोषित कौन-कौन सी परियोजनाएं कार्यान्वयाधीन है और ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की लागत आरम्भ होने और समाप्त होने की तिथियां क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक अधिकारियों ने इन परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में विश्व बैंक ने कुल कितनी धनराशि जारी की है और इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(क) तमिलनाडु में दो विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II और तमिलनाडु कृषि विकास परियोजना है। पूरे राज्य में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II के विभिन्न घटकों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तमिलनाडु कृषि विकास परियोजना निम्नलिखित सात अनुसंधान केन्द्रों पर कार्यान्वित की जा रही हैं।

(1) उत्तर पूर्वी क्षेत्र-वृधाचलम

(2) उत्तर पश्चिमी क्षेत्र-पेयुर

(3) पश्चिमी क्षेत्र-भवानी सागर

(4) कावेरी डेल्टा क्षेत्र-अदुथुरै

(5) दक्षिणी क्षेत्र-अरूप्पुकोट्टै

(6) उच्च वर्षा क्षेत्र-पेचिपरै

(7) अधिक ऊंचे और पहाड़ी क्षेत्र-थाडिआनकुडिसै

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

	राष्ट्रीय कृषि अनुसं. परियोजना-2	कृषि विकास परियोजना तमिलनाडु
1. परियोजना लागत	10.06 करोड़ रुपये	134.00 मिलियन अमेरिकी डालर
2. प्रभावी तारीख	21.4.86	31.7.91
3. समाप्ति की तारीख	30.6.95	30.9.98

(ग) और (घ) जी हां, विश्व बैंक के अधिकारी आवधिक रूप से इन परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के पर्यवेक्षण मिशन द्वारा इसे संतोष जनक समझा गया है।

	विश्व बैंक द्वारा ऋण की रकम	संचयी वितरण
1. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना II	6.01 करोड़ रुपये	सूचना एकत्र की जा रही है
2. कृषि विकास परियोजना तमिलनाडु	107.53 मिलियन अमेरिकी डालर*	32.16 मिलियन अमेरिकी डालर

*उपयुर्क्त रकम में 20.00 मिलियन अमेरिकी डालर अंतर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण के रूप में शामिल है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में एकीकृत डेरी विकास

3274. **डा. साक्षीजी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और जनवरी, 1995 तक उत्तर प्रदेश के गैर-दुग्ध क्रांति वाले पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेरी विकास योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसकी क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या राज्य के इन क्षेत्रों के लिए 1994-95 के दौरान कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) मार्च 1994 के दौरान उत्तर प्रदेश में तीन एकीकृत डेरी विकास परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया था। 1994-95 के दौरान परियोजनाओं के कुछ प्रमुख घटकों के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

मुख्य घटक	लक्ष्य	उपलब्धि
डेयरी सहकारी समितियों की संख्या	300	282
डेयरी सहकारी समितियों की सदस्यता (000)	59.40	69.25
प्रतिदिन औसत दुग्ध अधिप्राप्ति (हजार कि.ग्रा. प्रति दिन)	30.75	26.16
प्रतिदिन औसत दुग्ध विपणन (हजार ली./दिन)	15.27	13.89
दुग्ध प्रशीतन क्षमता (हजार ली./दिन)	80	80
दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता (हजार ली. प्रति दिन)	40	40

टी.के.पी.डी. : हजार कि.ग्रा./दिन
टी.एल.पी.टी. : हजार लीटर/दिन

(ख) और (ग) आवंटित धनराशि इस प्रकार है:

	लाख रुपये में
1993-94	190.00
1994-95	200.00

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीजों का उत्पादन और वितरण

3275. **श्री छेदी पासवान :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन और वितरण में काफी असन्तुलन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन असन्तुलनों के लिए दोषी तन्त्र का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में सुधार लाने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चीनी का आयात

3276. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त चीनी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार पांच लाख टन चीनी का राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा आयात करने हेतु किए गए अनुबंध की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है;

(ग) इसका किस मूल्य पर आयात किया जाएगा; और

(घ) इन वचनबद्धताओं को पूरा न करने से भारत को कितना घाटा होगा?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) 17.4.1995 तक भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एस.टी.सी.) और भारतीय खनिज एवं धातु निगम लि. (एम.एम.टी.सी.) ने लगभग 428.05 यू.एस. डॉलर प्रति मीट्रिक टन सी एंड एफ एफ ओ के औसत मूल्य पर लगभग 4.05 लाख टन आयातित चीनी खरीदने का अग्रिम अनुबंध किया है।

सरकार ने उपरोक्त अनुबंधों से संबंधित चीनी को आयात करने का निर्णय है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अन्तर-नगरीय रेल गाड़ियां

3277. **श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी अन्तर-नगरीय रेल गाड़ियां चल रही हैं;

(ख) उनमें से कितनी रेल गाड़ियां राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में अन्तर-नगरीय रेल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) गाड़ियां दो गंतव्यों के बीच चलाई जाती है जो एक या दो राज्यों को सेवित कर सकती है चूंकि ये राज्यवार नहीं चलाई जाती हैं इसलिए विभिन्न राज्यों में चल रही गाड़ियों की संख्या से संबंधित आकंड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) इंटरसिटी गाड़ियों सहित नई गाड़ियों को चलाना एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। 1995-96 के दौरान, कानपुर और फरूखाबाद के बीच इंटरसिटी गाड़ी के चलाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

रेल वैगन

3278. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने रायपुर ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोयले की ढुलाई हेतु रेल वैगन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने माल डिब्बे इस सेवा में लगाए गए हैं;

(ग) माल ढुलाई हेतु भाड़े के रूप में केन्द्र सरकार की कर्नाटक सरकार की ओर कितनी राशि बकाया है; और

(घ) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां, जनवरी से मार्च, 1995 के दौरान रायपुर बिजली घर के लिए प्रतिदिन औसत रूप से लगभग 2250 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से जिसमें बिजली घर में उतराई के लिए भेजे गए कोयला माल डिब्बों, चलती गाड़ियों तथा खदानों के लिए माल डिब्बे शामिल हैं) सेवा में थे।

(ग) कोई माल भाड़ा देय नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3279. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मार्च, 1995 को दिल्ली में महिला शिक्षा और अधिकार के संबंध में किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था,

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले तथा सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) महिलाओं की शिक्षा और अधिकार के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 22 मार्च, से 31 मार्च, 1995 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, युगांडा, केन्या, तिस्र, तंजानिया, नामीबिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, फिलीस्तीन और भारत के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) भारत में महिला समाख्या कार्यक्रम के प्रसार के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच तथा महिलाओं की शिक्षा तथा अधिकार के मुद्दे पर देश के अनुभवों का आदान-प्रदान करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है।

साबुन/डिटर्जेंट निर्माता

3280. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** साबुन/डिटर्जेंट निर्माता के बारे में 14.2.1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय ने साबुन/डिटर्जेंट निर्माता के बारे में 24.8.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4134 के उत्तर में पांच प्रमुख लघु क्षेत्र के वाशिंग सोप, डिटर्जेंट एण्ड क्लिनिंग पावड़र निर्माताओं के नाम उनके ब्रांड नामों के साथ उपलब्ध कराए हैं;

(ख) क्या निर्माताओं की श्रेणी निर्धारित करने के लिए कोई मापदंड है;

(ग) क्या सुपर बाजार प्रमुख निर्माताओं को महत्व न देकर लघु क्षेत्र के निर्माताओं को बिक्री में प्रोत्साहन देता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पांच प्रमुख निर्माताओं के उत्पादों को वरीयता देने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या औचित्य और कारण है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं। उद्योग मंत्रालय ने प्रमुख

विनिर्माताओं की सूची दी है और उस सूची में विनिर्माताओं की श्रेणी की कोई बात नहीं है।

(ख) विनिर्माताओं की श्रेणी का पता लगाने के लिए कोई मानदंड उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) चूंकि विनिर्माताओं के श्रेणीकरण के लिए कोई मानदंड नहीं हैं अतः किसी विनिर्माता की बिक्री को बढ़ावा देने का प्रश्न नहीं उठता है। सुपर बाजार में उत्पादों की खरीदारी, मांग व बिक्री के पैटर्न के अनुसार की जाती है और एक ही प्रकार के उत्पाद की खरीदारी के लिए कोई तरजीह नहीं दी जाती है।

नई रेलगाड़ियां

3281. **श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में रेल यात्री यातायात में वृद्धि करने संबंधी उपायों का अध्ययन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) दक्षिण मध्य रेलवे में यात्री मांग को पूरा करने के लिए किस नये सैक्शन पर नई रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी;

(ग) क्या हैदराबाद-विशाखापट्टनम सैक्टर पर भी कोई ध्यान दिया जायेगा, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) यात्री यातायात में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है और रेलवे जैसे ही और जब भी जरूरत हो बाजार सर्वेक्षण अध्ययन करती है।

(ख) दक्षिण मध्य रेलवे के निम्नलिखित नए परिवर्तित खंडों पर योग्य ब.ला. सेवाओं की योजना बनाई जा रही हैं

(1) हुबली-लोंडा-मिरज

(2) हुबली-गदग

(3) पूर्णा-नांदेड

(ग) और (घ) 1995-96 के दौरान के सिकन्दरबाद-विशाखापटनम खंड के रास्ते चलने वाली 7003/7004 सिकन्दराबाद-हबड़ा फलकनुमा एक्सप्रैस के फेरों को सप्ताह में एक बार से बढ़ा कर सप्ताह में तीन बार कर दिया जाएगा।

नया रेलवे स्टेशन

3282. **डा. राजागोपालन श्रीधरण : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मुम्बई उपनगरीय केन्द्रीय रेलवे नेटवर्क पर वर्तमान मानखुर्द रेलवे स्टेशन के पूर्व में चीता कैम्प के पास नया रेलवे स्टेशन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) चीत्ता कैम्प के निकट मानखुर्द और वाशी स्टेशनों के बीच एक नया उपनगरीय रेलवे स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है। यह पाया गया है कि चूंकि यह एक संकरा आवाह क्षेत्र है और यहां सीधे नहीं पहुंचा जा सकता है, अतः यहां स्टेशन खोलने की व्यवस्था करने हेतु कोई उपयुक्त स्थान नहीं है।

गाड़ियों को खड़ी करना

3283 **श्री पी.सी. चाको : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से लम्बी दूरी की गाड़ियों के रुकने के स्थानों में कमी करने हेतु अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अनुरोधों पर कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) जी नहीं,। बहरहाल संसद सदस्यों की परामर्श समिति के उप समूहों में से एक ने यह सिफारिश की थी चारों महानगरों के बीच चलने वाली मौजूदा गाड़ियों में एक-एक गाड़ी बिना किसी ठहराव के चलाई जाए इस सुझाव का परीक्षण किया गया परन्तु इसे लागू करने के योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि कर्मदलों के बदलने, पानी डालने आदि जैसे कुछ परिचालनिक कारणों से कुछ ठहराव देने ही आवश्यक हैं।

नाडियाद-कपड़वंज

3284. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाडियाद-कपड़वंज के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और इसे मोडासा तक बढ़ाने के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे और योजना आयोग ने किस तिथि को मंजूरी दी थी;

(ग) अभियांत्रिकी और यातायात सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना हेतु 1993-94 और 1994-95 के लिए बजट में बहुत कम प्रावधान किया है; और

(ङ) शेष कार्य कब शुरू होगा और कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है। कपड़वंज से मोडासा तक के नई लाइन के भाग का कार्य, जिसे संसाधनों की तंगी के कारण अस्थायी

रूप से रोक दिया गया था, अब शुरू कर दिया गया है और कार्य पुनः शुरू करने के लिए 1995-96 में 2 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव है।

(ख) योजना आयोग द्वारा परियोजना अनुमोदित की गई थी और रेलवे बजट 1977-78 में शमिल की गई थी।

(ग) 1988 में खंड के अद्यतन किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि कार्य की लागत 42.56 करोड़ रुपये होगी, जिसकी प्रतिफल दर 11.10 प्रतिशत होगी।

(घ) 1993-94 और 1994-95 के दौरान संसाधनों की तंगी के कारण कार्य रुका रहा और इसे 1994-95 के अंत में शुरू किया गया था तथा रेलवे से कार्य पुनः शुरू करने के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा गया था, कार्य में प्रगति के लिए 1995-96 के बजट में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ङ) कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और इसके 9वीं योजनावधि के दौरान पूरा होने की आशा है।

सुपर बाजार की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

3285. **श्रीमती भावना चिखलिया : क्या नागरिक उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है तथा इसके सभी शेयर धारकों को परिचालित की गई है;

(ख) क्या वर्ष 1993-94 के लिए लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सुपर बाजार की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करने में कोई गलती हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सुपर बाजार की वर्ष 1990-91, और 1991-92 और 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट, जिनमें संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट समाविष्ट हैं, प्रबंध समिति के सदस्यों तथा अंशधारकों की सामान्य सभा के प्रतिनिधि सदस्यों में विधिवत परिचालित कर दी गई हैं।

(ख) से (ङ) सुपर बाजार को लेखा परीक्षकों से वर्ष 1993-94 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस पर 22.4.1995 को हुई सामान्य सभा की बैठक में विचार-विमर्श किया गया है। यह रिपोर्ट अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

वन्य जीव प्रजनन

3286. **डा. परशुराम गंगवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय ऐसे कितने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान हैं जहां वन्य जीवों को प्रजनन के उद्देश्य से रखा जाता है;

(ख) दुधवा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में इस प्रयोजनार्थ किन-किन जीवों को रखा गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्राणी उद्यान में बाघों, हाथियों और भालुओं की प्रतिवर्ष संख्या कितनी-कितनी थी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन्य जीवों को राष्ट्रीय उद्यानों में रखा नहीं जाता है बल्कि वे वहां प्राकृतिक रूप से रहते हैं तथा प्रजनन करते हैं। तथापि, वन्य जीवों की कुछ संकटापन्न प्रजातियों को, राष्ट्रीय उद्यानों में उनकी संख्या में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए, उनके पूर्ववर्ती विवरण क्षेत्र में पुनः स्थापित किया जाता है।

(ख) गैंडे को 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पुनःस्थापित किया गया था, अंतिम गंणना वर्ष 1993 में उसकी संख्या 11 थी।

(ग) बाघ रिज़र्वो में पशुओं की गणना दो वर्षों में एक बार की जाती है।1993 में की गई अंतिम गणना के अनुसार दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, हाथी तथा भालू की अनुमानित संख्या क्रमशः 66, 44, और 85 थी।

खाद्यान्न आयात नीति

3287. **श्री पंकज चौधरी : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जन उपयोग की आवश्यक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से उदार बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जोधपुर मेल

3288. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर मेल को हटाए जाने के पश्चात् अब सरकार का देगाना और दिल्ली के मध्य एक मीटर गेज मेल रेलगाड़ी आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को कब तक आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 12.3.95 से चलाई गई बड़ी लाइन की मंडोर एक्सप्रेस डेगना और दिल्ली के बीच सीधी गाड़ी सेवा प्रदान कर रही है। इसके अलावा, 4709/2डी आर-1 डी आर/4710 गाड़ियों के साथ इन दो स्टेशनों के बीच एक मीटर लाइन का थ्रू सवारी डिब्बा भी चल रहा है।

उद्घोषकों के पद

3289. **श्री राम कापसे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई उपनगरीय रेलवे में उद्घोषकों के पद पर कार्यरत मध्य रेलवे के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें तथा वेतनमान क्या हैं;

(ख) क्या बारह वर्षों तक लगातार सेवा करने के बावजूद भी उद्घोषकों को उनके पदों पर स्थाई नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) उद्घोषकों के पद साधारणतः रु. 950-1500, 975-1540 और 1200-2040 के वेतनमानों में परचालित किए जाते हैं उन्हें अंशकालिक उद्घोषणा कार्य के लिए 30 रु. तथा पूर्ण समय उद्घोषणा कार्य के लिए 50 रु. प्रति माह विशेष वेतन दिया जाता है।

(ख) और (ग) उद्घोषकों के पद संवर्ग-बाह्य पद होते हैं और उन्हें वाणिज्यिक लिपिक की कोटि, पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक आदि से स्वेच्छा से आने वाले कर्मचारियों में से भरे जाते हैं। उनका अपने मूल विभागों में पूर्वाधिकार लगातार बना रहता है। उन्हें अपने संवर्ग में पदोन्नति तथा पुष्टि दी जाती हैं इसलिए उन्हें उद्घोषकों के पद पर पुष्ट नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

"प्रदूषण-नियंत्रण हेतु सहायता"

3290. **श्री हरिन पाठक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने ही कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में प्रदूषण-नियंत्रण करने हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1993-94 की अवधि के दौरान 6,83,722/- रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की है। इस राशि को 1993-94 के दौरान रिलीज किया गया।

308.55 लाख रुपये की अनुमानित लागत से उपकरण प्राप्त करने के लिए 1994-95 के दौरान गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उपकरण प्राप्त करने की योजना, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है, जिसमें गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लाभ प्राप्तकर्ता है।

[अनुवाद]

रेलपथों का विद्युतीकरण

3291. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान तमिलनाडु में विद्युतीकरण किये गये रेल पथों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान विद्युतीकरण किए जाने वाले रेल पथों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में कार्य शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) शून्य

(ख) और (ग) इरोड-पालघाट खण्ड का विद्यतीकरण जिसका इरोड वालयर खण्ड तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, प्रगति पर है 1995-96 में इस कार्य के लिए 26.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

रेलगाड़ियों की समय पाबंदी

3292. **प्रो. उम्मारेडि वेंकटेस्वरलु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या दिल्ली विशाखापत्तनम दक्षिण एक्सप्रेस की समय पाबंदी की दर नवम्बर, दिसम्बर, 1994 और जनवरी, 1995 के महीनों में 40 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त गाड़ी के आने में विलम्ब और समय की पाबंदी की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस गाड़ी के समय पर आने के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें की गई है; और

(घ) यदि हां तो दक्षिण एक्सप्रेस के चलने के समय में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) नवंबर और दिसंबर, 1994 तथा जनवरी, 1995 के दौरान 7021/7022 हजरत निजामुद्दीन-हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस का समयपालन इस प्रकार है :

	7021 एक्सप्रेस	7022 एक्सप्रेस
नवंबर,1994	60.0 प्रतिशत	70.0 प्रतिशत
दिसम्बर, 1994	64.5 प्रतिशत	90.3 प्रतिशत
जनवरी, 1995	87.1 प्रतिशत	87.1 प्रतिशत

(ख) दक्षिण एक्सप्रेस के विलम्ब से चलने के कारण थे - दुर्घटनाएं, आंदोलन, कोहरा खराब मौसम, खतरे की जंजीर का खींचा जाना और अन्य शरारती तत्वों की गतिविधियों, उपस्कर की खराबी आदि।

(ग) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) विभिन्न स्तरों पर कड़ी नजर तथा प्रतिदिन निगरानी रखना मंडल तथा मुख्यालय स्तरों पर प्रतिदिन समयपालन के बारे में बैठकें आयोजित करना और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जाकर निगरानी रखना।

रेलवे की भूमि

3293. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में लोगों ने रेलवे की कितनी भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भूमि पट्टे पर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अतिरिक्त भूमि कितनी है; और

(च) सरकार ने इस भूमि का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 8.742 हेक्टेयर।

(ख) एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम खंड-6.470 हेक्टेयर।

तिनकसी-कोल्लम खंड-2.272 हेक्टेयर।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसी कोई फालतू भूमि उपलब्ध नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल के मूल्य

3294. **श्री सी.सी. थामस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल उत्पादक अपने उत्पादक का मूल्य कम मिलने के कारण बड़ी मुसीबत में हैं;

(ख) 30 मार्च, 1995 को नारियल का मूल्य कितना था;

(ग) नारियल की उत्पादन लागत क्या है;

(घ) सरकार का नारियल उत्पादकों की सहायता करने तथा अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) नारियल का समर्थन मूल्य पिछली बार कब घोषित किया गया था और इसे कब तक संशोधित किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, मर्यादित, जिसे शीर्षस्थ एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर तब कोपरा खरीदता है, जब मंडी में इसका मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाता है।

(ख) देश के विभिन्न केन्द्रों पर 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार नारियल के थोक मूल्य क्वालिटी संबंधी निर्धारणों के रहते हुए भी इस प्रकार हैं :

केन्द्र	किस्म	31.3.95 को मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)
कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	टिपतुर	3000/-
अरसेंकरो (कर्नाटक)	बाल खपरा (मध्यम)	2650/-
बम्बई (महाराष्ट्र)	मिलिंग	2800/-
कोचीन (केरल)	मिलपास	2105/-
कोजिकोड़ (केरल)	दिलपास	2125/-

(ग) भारत में प्रमख फसलों की खेती/उत्पादन की लागत का अध्ययन करने की वृहत योजना के अंतर्गत नारियल शामिल नहीं हैं।

(घ) कृषि मंत्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड ने उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से भाग सृजित करने की दृष्टि से एक प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन किया है।

(ङ) 1994 के मौसम के लिए नारियल का समर्थन मूल्य 29 मार्च, 1994 को घोषित किया गया था। 1995 के मौसम के लिए नारियल के समर्थन मूल्य पर विचार किया जा रहा है और आशा है कि इसकी घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी।

सवारी डिब्बों को बदलना

3295. **श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल एक्सप्रेस (संख्या 2626/2625) के प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों को ए.सी. 3 टायर डिब्बों में बदलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दहेज संबंधी अपराध

3296. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग को विभिन्न राज्यों से गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दहेज और दहेज संबंधी उत्पीड़न के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;-

(ख) क्या उन पर कोई उपयुक्त कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 में आयोग को क्रमशः 79 और 51 मामले प्राप्त हुए।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 (1) (ङ) और (च) के अन्तर्गत कार्रवाई की है तथा भारतीय दण्ड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के साथ पठित दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु मामलों को सम्बद्ध प्राधिकारियों के पास भेज दिया।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता

[हिन्दी]

नये रेलवे स्टेशन तथा हाल्ट

3297. **श्री भवानी लाल शर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर रेलवे के विलासपुर डिवीजन में नये रेलवे स्टेशनों तथा हाल्टों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उपरोक्त कितने रेलवे स्टेशनों तथा हाल्टों को स्वीकृति दे दी गई है तथा कितने को स्वीकृति दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) शक्ति बरदवार स्टेशनों के बीच जेठा गांव में हाल्ट बनाने संबंधी लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान हाल्ट/क्रासिंग स्टेशन खोलने के 9 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) उपर्युक्त 9 प्रस्तावों में से

(1) रायपुर-धमतरी छो.ला. खण्ड पर आभानपुर और सिररी स्टेशनों के बीच चाटोद में एक नया हाल्ट

(2) चम्मा-मेलरा रोड खंड घर कोठरी रोड और सारग बुदिया स्टेशन के बीच मादवारानी में एक नया समपार स्टेशन

(3) यात्री यातायात की बुकिंग के लिए मुदरिया में समपार स्टेशन की व्यवस्था करने आदि से संबंधित 3 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) शक्ति और बाराद्वारा स्टेशनों के बीच जेठा गांव में एक यात्री हाल्ट खोलने के प्रस्ताव की अनेक बार जांच की गई है किन्तु इसे वित्तीय अथवा परिचालनिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक उपयोगिता नियामक आयोग

3298. **श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता शिकायतों को सुनने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता नियामक आयोग बनाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोगिता नियामक आयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार योजना को उचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक देश के सभी भागों में योजना पूरी तरह लागू कर दी जाएगी?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने लोकोपयोगिता आयोग स्थापित करने की आवश्यकता की जांच के लिए एक कार्य दल गठित किया था। कार्य दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। लोकोपयोगिता आयोग हमारे देश के लिए एक नई अवधारणा है और किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व प्रस्ताव के विभिन्न पक्षों पर गहराई से विचार करना अपेक्षित है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र

3299. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए गए अध्ययन केन्द्रों और क्षेत्रीय केन्द्रों के अंतर्गत इस समय सभी राज्य आते हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें वर्तमान में कौन-कौन से कार्यक्रम और पाठ्यक्रम चल रहे हैं;

(ग) क्या शामिल न किए गए राज्यों/क्षेत्रों को इसके दायरे में लाने हेतु निकट भविष्य में कुछ और अधिक अध्ययन और क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने हाल ही में कुछ राज्यों में चरणबद्ध ढंग से ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं को शामिल करने वाले एक नये कार्यक्रम के आरम्भ करने का विचार बनाया है और क्या इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(च) यदि हां, तो नए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और 1995-96 और 19996-97 के दौरान किन-किन राज्यों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्ष विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इस विश्वविद्यालय ने पूरे देश में 16 क्षेत्रीय केन्द्र तथा देश के सभी राज्यों में 245 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं। क्षेत्री केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की राज्य वार संख्या और पढ़ाए जाने वाले पाठ्क्रमों के विवरण 'क' में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) इस विश्वविद्यालय का गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। नामांकन सम्भावना, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और शैक्षिक सुविज्ञता के आधार पर अब तक शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के लिए वहां अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 1992 में ग्रामीण विकास में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने वर्ष 1991-92 से अपने स्नातक डिग्री कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्रामीण विकास पर एक वैकल्पिक पाठ्क्रम भी शुरू किया है। 1994 के दौरान, इस विश्वविद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के समर्थन से "पंचायतों के चुने हुए सदस्यों के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम" को तैयार करना शुरू किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया में प्रभावशाली भागीदारी के लिए चुने हुए कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाना है । इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मिलित किए गए मुख्य क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है :

1. पंचायती राज-संदर्भ
2. पंचायती राज और विकेन्द्रीकृत योजना
3. स्वतः रोजगार कार्यक्रम
4. वेतन रोजगार कार्यक्रम
5. क्षेत्र आधारित और अन्य विकास कार्यक्रम
6. सामाजिक न्याय के साथ विकास।

इस वर्ष एक चुने हुए राज्य मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुने हुए सदस्यों के लिए प्रारम्भिक चरण में इस कार्यक्रम को शुरू करने पर विचार किया गया। बाद में इस कार्यक्रम को अन्य राज्यों में भी शुरू किया जाएगा और इसे संबंधित राज्य भाषाओं में प्रदान किए जाने की सम्भावना है। यह परियोजना इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षिक कार्यक्रम के स्वरूप की नहीं होगी बल्कि एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण होगा। इसका उद्देश्य एक दिए गए समय में चुने गए कार्यकर्ताओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के वृहद जागृति कार्यक्रम का विकास होगा।

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रीय केन्द्र	कार्यक्षेत्र	अध्ययन केन्द्रों की संख्या	प्रदत्त कार्यक्रम
1`	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	गुजरात	15	सभी कार्यक्रम
		दमन व दीव	-	
		दादरा एवं नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)	-	

1	2	3	4	5
2.	बंगलौर	कर्नाटक	11	सभी कार्यक्रम
		गोवा	02	बी.पी.पी., बी.डी.पी, डी.आर.डी., सी.एफ.एन., एम.पी., सी.टी.एस., बी.एस.सी., पी.जी.डी., सी.ए., डी.सी.ओ., पी.जी.डी.एच.ई., ए.डी.सी.एम., ए.डी.डब्ल्यू.आर.ई.
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	18	सभी कार्यक्रम
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	14	बी.एस.सी.(नर्सिंग) को छोड़कर सभी कार्यक्रम
5.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	14	सभी कार्यक्रम
		सिक्किम	01	बी.पी.पी., बी.डी.पी., सी.टी.एस., पी.जी.डी.एच.ई., सी.आई.जी.
6.	कोचीन	केरल	13	सभी कार्यक्रम
		लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)	01	बी.पी.पी., बी.डी.पी., सी.टी.एस., सी.आई.जी.
7.	दिल्ली	दिल्ली	20	सभी कार्यक्रम
		हरियाणा के गुड़गांव व फरीदाबाद जिले	02	बी.पी.पी., बी.डी.पी., एम.पी., सी.टी.एस.
		गाजियाबाद और मोदीनगर	02	बी.पी.पी., बी.डी.पी., एम.पी., सी.टी.एस., पी.जी.डी.डी.ई., डी.सी.एच.
8.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	10	सभी कार्यक्रम
9.	जयपुर	राजस्थान	12	सभी कार्यक्रम
10.	करनाल	हरियाणा	07	पी.जी.डी.डी.ई., डी.सी.ई., एम.एल.आई.एस.सी. को छोड़कर सभी कार्यक्रम
		पंजाब	06	पी.जी.डी.डी.ई., डी.सी.ई., डी.सी.एच., बी.एल.आई.एस.सी., एम.एल.आई.एस.सी., डी.एन.एच.ई., डी.ई.सी.ई. कार्यक्रमों को छोड़कर सभी कार्यक्रम
		चंडीगढ़	02	बी.एस.सी. बी.एस.सी.(एन), एम.एल.आई.एस.सी., डी.एन.एच.ई., डी.ई.सी.ई. को छोड़कर सभी कार्यक्रम
		जम्मू व कश्मीर	03	पी.जी.डी.सी.ए., डी.ई.सी.एम., ए.डी.डब्ल्यू.आर.ई. के अलावा सभी कार्यक्रम
11.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद जिला तथा मोदीनगर को छोड़कर	26	सभी कार्यक्रम
12.	मद्रास	तमिनाडु	13	सभी कार्यक्रम
		पाण्डिचेरी	01	बी.पी.पी., बी.डी.पी., डी.आर.डी., सी.एफ.एन., एम.पी., सी.टी.एस.सी.आई.जी.
		अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	01	बी.पी.पी., बी.डी.पी., डी.आर.डी., सी.एफ.एन., सी.टी.एस., बी.एस.सी., सी.आई.जी.

1	2	3	4	5
13.	पटना	बिहार	13	बी.एस.सी.(एन), एम.एल.आई., एस.सी. डी.ई.सी.ई. के अलावा सभी कार्यक्रम
14.	पुणे	महाराष्ट्र	14	सभी कार्यक्रम
15.	शिलांग	अरुणाचल प्रदेश	01	बी.पी.पी., बी.डी.पी., एन.पी., सी.टी.एस., पी.जी.डी.सी.ए., पी.जी.डी.एच.ई., बी.एल.आई., एस.सी., सी.आई.जी
		असम	05	डी.ई.सी.ई को छोड़कर सभी कार्यक्रम
		मणिपुर	02	बी.पी.पी., बी.डी.पी., एम.पी., सी.टी.एस., बी.एस.सी., डी.सी.ओ., पी.जी.डी.एच.ई., डी.सी.ई., सी.आई.जी.
		मेघालय	02	बी.एस.सी.(एन), एम.एल.आई.एस.सी., ए.डी.सी.एम., ए.डी.डब्ल्यू.आर.ई. को छोड़कर सभी कार्यक्रम
		मिजोरम	01	बी.पी.पी., बी.डी.पी., सी.टी.एस., बी.एस.सी., पी.जी.डी.एच.ई., सी.आई.जी.
		नागालैण्ड	02	बी.पी.पी., बी.डी.पी., एम.पी., सी.टी.एस., पी.जी.डी.एच.ई., सी.आई.जी.
		त्रिपुरा	02	बी.पी.पी., बी.डी.पी., सी.टी.एस.,बी.एस.सी., पी.जी.डी.एच.ई., डी.सी.ई., सी.आई.जी.
16.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	09	बी.एस.सी.(नर्सिंग) को छोड़कर सभी कार्यक्रम

अध्ययन केन्द्रों की कुल संख्या - 245

विवरण में प्रयोग किए गए संकेताक्षर

क्र.सं.	संकेताक्षर	पूर्णार्थ
1	2	3
1.	बी.पी.पी.	प्रारंभिक कार्यक्रम स्नातक
2.	बी.डी.पी.	डिग्री कार्यक्रम स्नातक (बी.ए., बी.काम.)
3.	बी.एस.सी.	विज्ञान स्नातक
4.	बी.एल.आई.एस.	पुस्तकालय और सूचना विज्ञान स्नातक
5.	एम.पी.	प्रबन्ध कार्यक्रम
6.	पी.जी.डी.डी.ई.	दूरस्थ शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
7.	डी.सी.ई.	अंग्रेजी में सृजनात्मक लेखन में डिप्लोमा
8.	डी.सी.ओ.	कार्यालय प्रबन्ध में कम्प्यूटर डिप्लोमा
9.	डी.आर.डी.	ग्रामीण विकास में डिप्लोमा
10.	पी.जी.डी.एच.ई.	उच्चतर शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
11.	सी.एफ.एन.	खाद्य और पोषण में प्रमाणपत्र
12.	सी.आई.जी	मार्गदर्शन में प्रमाणपत्र

1	2	3
13.	एम.ए.डी.ई.	दूरस्थ शिक्षा में कला निष्णात
14.	डी.सी.एच.	हिन्दी में सृजनात्मक लेखन डिप्लोमा
15.	डी.एन.एच.ई.	पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा
16.	एम.एल.आई.एस.सी.	पुस्तकालय और सूचना विज्ञान निष्णात
17.	सी.टी.एस.	पर्यटन अध्ययन में प्रमाणपत्र
18.	पी.जी.डी.सी.ए.	कम्प्यूटर विनियोजन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
19.	बी.एस.सी.(एन.)	विज्ञान स्नातक (नर्सिंग)
20.	ए.डी.सी.एम.	निर्माण प्रबंन्ध में उच्च डिप्लोमा
21.	ए.डी.डब्ल्यू.आई.ई.	जल संसाधन प्रबन्ध में उच्च डिप्लोमा

[हिन्दी]

"किसानों द्वारा वृक्षारोपण"

3300. **श्रीमती सरोज दुबे :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ लगाने के लिए किसानों/ग्रामीण लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाकर वनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। ये कार्यकलाप राज्य योजना स्कीमों, विदेशी सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाओं तथा केन्द्र सरकार की स्कीमों जैसे एकीकृत वनीकरण तथा पारि-विकास परियोजना स्कीम, ईधन-लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम, औषधीय पौधों सहित इमारती लकड़ी से इतर वनोपज देने वाले पौधों के रोपण की स्कीम, एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम, सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम, मरू-विकास कार्यक्रम, नदी-घाटी परियोजना स्कीम तथा स्वैच्छिक एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम आदि के तहत चलाए जाते हैं। इन स्कीमों के माध्यम से किसानों/ग्रामीणों को उनके वृक्षारोपण प्रयासों में मदद दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें संबंधित केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभागों द्वारा तकनीकी सलाह दी जाती है और निःशुल्क अथवा उचित लागत पर पौधे उपलब्ध कराई जाती है।

महिला समाख्या परियोजना

3301. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 में शुरू की गई "महिला समाख्या परियोजना" की गतिविधियों संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना के कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या कुछ अन्य मूलभूत शैक्षिक परियोजनाओं में भी इसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में तैयार किया गया महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाना है।

इस समय उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश के 15 जिलों के 2075 गांवों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ख) जी, हां। महिला समाख्या का राष्ट्रीय मूल्यांकन 1993 में किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय मूल्यांकन रिपोर्ट 1993 में यह कहा गया है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने के लिए बुनियादी स्तर पर आधार तैयार हुआ है।

(घ) और (ङ) जी हां। महिला समाख्या दृष्टिकोण को बिहार शिक्षा परियोजना और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसंधान हेतु सहायता

3302. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विषय-वार कितनी प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विषय-वार कितनी लघु अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान की; और

(ग) गत वर्ष ऐसी अनुसंधान परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"सुन्दरवन का विकास"

3303. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र के वनों, राष्ट्रीय उद्यान तथा "प्रोजेक्ट टाइगर" के विकास हेतु चालू वर्ष के बजट में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या इसके विकास हेतु कोई दीर्घकालिक अथवा अल्पकालिक योजना बनाई गई है और इसके लिए कोई जमय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है तथा इसमें कितना पूंजी परिव्ययय अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) इस योजना को बनाने तथा विकसित करने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपी गई प्रस्तावित भूमिका यदि कोई है, तो वह क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र में वनों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा बाघ परियोजना के विकास के लिए चालू वर्ष के दौरान 597.00 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) 1995-96 से 10 वर्षों के लिए सुन्दरवन बाघ रिजर्व की प्रबन्ध योजना तैयार की गई है तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है। सुन्दरवन जीवमंडल रिजर्व की गहन प्रबन्ध कार्य योजना 1991-92 से 1995-96 तक जारी है। कतिपय बड़े कार्य के मद पर प्रायोगिक वार्षिक पूंजीगत परिव्यय निम्नलिखित है :

मद	लाख रुपये में
प्रकृति शिक्षा	61.10
अनुसंधान	74.30
पारि-विकास	301.00
मानव पशु द्वन्द को कम करना	33.00
वासस्थल सुरक्षा सुधार	163.20
आधारभूत ढांचा विकास	114.00

(घ) योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सहायता

3304. **श्री महेश कनोडिया : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में लघु और सीमान्त किसानों में केन्द्रीय सहायता के रूप में वितरण हेतु प्रत्येक राज्य सरकार को प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस केन्द्रीय सहायता का छोटा सा हिस्सा लघु और सीमान्त किसानों में वितरित कर दिया गया है और शेष धनराशि राज्य सरकारों के पास अप्रयुक्त पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों द्वारा पूरो केन्द्रीय सहायता को लघु और सीमान्त किसानों में वितरित न करने के क्या कारण है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) 1994-95 के दौरान छोटे और सीमान्त किसानों को वितरण के लिए राज्य सरकारों को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है। लेकिन छोटे और सीमान्त किसानों के लिए अवसंरचनात्मक विकास की योजना के अंतर्गत 1992-93 और 1993-94 के दौरान धन निर्मुक्त किए गए थे जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में है कुछ राज्य पूरे धन का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि इस योजना की घोषणा वित्तीय वर्ष 1992-93 के मध्य में की गई थी तथा कुछ राज्यों ने

योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रणाली के निर्धारण में कुछ समय लिया तथा यह भी सत्य है कि कुछ राज्यों में यह योजना एक से अधिक विभागों द्वारा क्रियान्वित की गई।

(घ) विभिन्न कार्यकलापों के लिए बची हुई राशि का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति दी गई है।

विवरण

छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता के लिए विशेष योजना के अंतर्गत निर्मुक्त और प्रयुक्त धन को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	राज्य	कुल निर्मुक्त धन	प्रयुक्त धन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	53.80	53.80
2.	कर्नाटक	36.90	26.78
3.	केरल	21.68	21.68
4.	तमिलनाडु	53.82	53.82
5.	गुजरात	20.66	15.79
6.	मध्य प्रदेश	26.22	25.13
7.	महाराष्ट्र	35.83	27.94
8.	राजस्थान	16.52	12.63
9.	गोवा	0.58	0.44
10.	हरियाणा	13.95	9.97
11.	पंजाब	19.67	13.86
12.	उत्तर प्रदेश	70.88	54.94
13.	हिमाचल प्रदेश	2.25	2.25
14.	जम्मू व कश्मीर	3.35	2.40
15.	बिहार	19.24	-
16.	उड़ीसा	9.82	7.73
17.	पश्चिम बंगाल	51.09	36.66
18.	असम	3.01	0.03
19.	त्रिपुरा	1.06	0.06
20.	मणिपुर	0.45	0.45
21.	मेघालय	0.42	0.42
22.	नागालैंड	0.07	-
23.	सिक्किम	0.19	0.19
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.06	-
25.	मिजोरम	0.13	-
26.	दिल्ली	0.15	0.05
27.	चण्डीगढ़	0.02	-
28.	दमन और द्वीव	0.04	0.04
29.	पांडिचेरी	0.55	-
30.	दादर व नागर हवेली	0.09	-
31.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.07	-
	कुल	462.57	369.06

आगरा के लिए गाड़ियां

3305. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज को प्रदूषण से बचाने और वाहन प्रदूषण कम करने के लिए ताज संरक्षित क्षेत्र सहित आगरा में स्थानीय रेल सेवा, शटल सेवा अथवा ई.एम.यू. या एम.ई. एम.यू. रेल सेवाएं आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये सेवाएं कब से आरम्भ कर दी जाएंगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) मई/जून 1995 तक मथुरा-आगरा और आगरा-टूण्डला खंडों पर एम ई एम यू सेवाएं चलाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी

3306. **श्री जगमीत सिह बरार** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय कम्पनियों की तरह विदेशी निवेश वाली सभी औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी प्रभाव के मूल्यांकन से गुजरने के लिए कहने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अनुदेशों के दायरे में कौन-कौन सी औद्योगिक इकाइयां आएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अनुसार विनिर्दिष्ट श्रेणियों में आने वाली सभी परियोजनाओं , जिनमें विदेशी निवेश वाली परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं, का पर्यावरण की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

(ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना में नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाएं, ताप और नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं, औद्योगिक परियोजनाएं, खान परियोजनाएं, पत्तन और बन्दरगाह, परिवहन और संचार परियोजनाएं, पर्यटन परियोजनाएं आदि जैसी विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित 29 श्रेणियां आती हैं। इस परियोजना में परियोजना की क्षमता और/अथवा उसकी लागत के आधार पर समुचित न्यूनतम स्तर भी विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कण्णनोर से उदुपी के मध्य रेल सेवा

3307. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोल्लूर मुकाम्बिका मन्दिर की यात्रा को जाने वाले तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केरल में कण्णानोर से कर्नाटक में उदुपी के मध्य नई रेलगाड़ी शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शारीरिक शिक्षा

3308. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेलकूद शिक्षा के शैक्षिक ढांचे को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संस्थान इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बार-बार सिफारिशें करने के बावजूद नई प्रणाली को शुरू नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या एक वर्षीय एन.एस.एन.आई.एस. डिप्लोमा कोर्स को तीन वर्षीय स्नातक डिग्री में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां। शारीरिक शिक्षा की सामान्य शिक्षा की धारा के अभिन्न अंग के रूप में पहचान की गई है।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज को अपने कार्यक्रम में परिवर्तन लाने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया है।

(ङ) से (छ) सरकार के विचाराधीन नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन.एस.एन.आई.एस.) पटियाला के वर्तमान एक वर्षीय पाठ्यक्रम को तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, सरकार वर्तमान पाठ्यक्रम की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाने की व्यवहार्यता पर विचार कर रही है।

भारतीय उद्योगों द्वारा ओजोन फंड का उपयोग

3309. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य विकसित देशों की तुलना में भारतीय उद्योग अपने प्रक्रम से ओजोन कम करने वाले पदार्थों को समाप्त करने के संबंध में "मोनट्रायल प्रोटोकोल" के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता का उपयोग करने और परियोजनाएं तैयार करने में अपेक्षाकृत धीमा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कार्यक्रम की असफलता से होने वाले कारणों को मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो प्राप्त परिणामों के साथ तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सकारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय उद्योग मांट्रियल प्रोटोकाल के तहत परियोजना तैयार करने में अन्य विकाशशील देशों के उद्योगों की तुलना में कुछ सुस्त रहा है।

(ख) कार्यवाही समिति द्वारा 13-16 दिसम्बर, 1994 को आयोजित इसकी 15वीं बैठक में अनुमोदित परियोजनाओं सहित कुल अनुमोदित परियोजनाओं का अन्तर-देशीय तुलनात्मक विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

विकासशील देशों में ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों को समाप्त करने वाली परियोजनाओं की तैयारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार दबाव; ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों की उपलब्धता और मूल्य उद्यमों का आकार ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपभोग पर सरकार द्वारा विनियमों को लागू करना और सोसाइटल पारगमन के लिए अपेक्षित समय। भारतीय उद्योग ने इन कारकों के दबाव को अब तक उतना अधिक महसूस नहीं किया है जितना कि कुछ अन्य विकासशील देशों ने किया है। इसके अलावा, भारतीय उद्योग ने घरेलू प्रशीतन क्षेत्र में गैर-ओजोन क्षीण कारी (नान ओ.डी.एस.) प्रौद्योगिकी में एक स्पष्ट विकल्प के उभरकर आने की प्रतीक्षा करने को प्राथमिकता दी है। बहुत से अन्य विकासशील देशों के उद्यमों ने पहले की यह विकल्प बना दिया है और परियोजनाएं प्रस्तुत कर दी है जिसके लिए बहुत अधिक अनुदान राशि की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि भारत में यह कार्यक्रम असफल हो गया है। वस्तुतः प्रति परियोजना ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों को समाप्त करने के मामले में अनुलग्नक में दिए गए दस देशों में भारत का तीसरा स्थान है जिनके लिए मांट्रियल प्रोटोकॉल की कार्यकारी समिति द्वारा परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम गति पकड़ रहा है और मांट्रियल प्रोटोकॉल की कार्यकारी समिति ने एक विशेष तंत्र को अनुमोदित कर दिया है, जिसका नाम लघु परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया (एस.पी.ए.पी.) है, इसमें छोटी परियोजनाओं को शीघ्रता से अनुमोदित करने की व्यवस्था है, जिससे खासतौर से लघु औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों से निपटने में सहायता मिलेगा। भारत के लिए यह एक विशेष और विशिष्ट बात है।

(ङ) सरकार उद्योग के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और सभी संबंधित जानकारियों का आदान-प्रदान कर रही है। ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थों को समाप्त करने की परियोजनाएं तैयार करने में आवश्यकता सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण

कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का अन्तरदेशीय तुलनात्मक विवरण
(इसमें मांट्रियल प्रोटोकाल की 15 वीं बैठक में अनुमोदित परियोजनाएं भी शामिल हैं)

	अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या	ओ.टी.एफ.निधि (अमरीकी डालर)	ओ.डी.पी.टनों में समापन	मांट्रियल प्रोटोकल की अभियुक्ति की तारीख	ओ.डी.पी.खपत (वर्ष में)	
भारत	30	11,435,511	2,363.40	19.06.1992	13,111	(1991)
चीन	105	56,335,909	23,969.00	14.06.1991	55,048	(1991)
ब्राजील	15	7,374,331	373.50	19.03.1990	8,918	(1993)
मिस्र	34	28,208.246	2,225.10	02.08.1988	2,763	(1991)
इंडोनेशिया	27	10,422,131	1,743.64	26.06.1992	6,567	(1992)
मलेशिया	51	15,101,006	2,763.50	29.08.1989	4,197	(1990)
फिलीपीन्स	30	16,57.810	916.50	17.07.1991	2,536	(1991)
थाइलैण्ड	38	18,437,348	2,123,50	07.07.1989	9,734	(1991)
मैक्सिको	17	15,872,570	3,805.00	31.03.1988	10,248	(1989)
वेनेजुला	20	12,262,562	526.00	06.02.1989	-	-
	367	1,91,925,031	40,798.60		113,222	

नोट : सभी देशों और परियोजनाओं के लिए कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित कुल निधियां 279.79 मिलियन अमरीकी डालर हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अध्ययन कराया जाना

3310. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
डा. मुमताज अंसारी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने 1994 के दौरान विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या पाठ्य पुस्तको के प्रकाशन प्रक्रिया के संबंध में कोई सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की तैयारी के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान ने अधिगम स्तरों, स्त्री और पुरूष के बीच अंतर, जनजातीय शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा के लिए राज्य का निधिकारण और शैक्षिक सामग्रियों की तैयारी उनके प्रकाशन और वितरण पर वर्ष 1994 में मौलिक अध्ययन करवाया।

(ग) और (घ) शैक्षिक सामग्रियों के अध्ययन में वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया गया और वर्तमान कर्मचारियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षिक सामग्रियों को तैयार करने, उन्हें प्रकाशित कराने और उनका वितरण करने में सुधार लाने तथा राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन संस्थानों को और अधिक सुदृढ़ करने का सुझाव दिया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विकास के लिए अध्ययन में की गई टिप्पणियों का ध्यान रखा गया है।

[अनुवाद]

महिला शिक्षा

3311. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री तारा सिंह :
श्री अंकुश राव टोपे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान विद्यालयों में बालिकाओं के दाखिले में वृद्धि करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) इस संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के लिए पहली से आठवीं कक्षाओं के लिए लड़कियों के अतिरिक्त नामांकन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 39.44 लाख तथा 36.52 लाख थे। वर्ष 1993-94 में, इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया। वर्ष 1994-95 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे लड़कियों के पूर्ण नामांकन के लिए प्रयासों में तेजी लाएं।

जी.टी. एक्सप्रेस में आग लगना

3312. **श्री मोहन रावले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 मार्च, 1995 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जी. टी. एक्सप्रेस के तीन डिब्बों में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें हताहत हुए लोगों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी क्षति हुई;

(घ) पीड़ितों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई, और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 18.3.95 को जी.टी. एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन पर 11.45 बजे पहुंची लगभग 13.15 बजे जी.टी. एक्सप्रेस के खाली रेक की तीन बोगियों में आग लग गई जिसमें एक सवारी डिब्बा तथा दो अन्य सवारी डिब्बों के गलियारे जल गए थे। आग संभवतः किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सवारी डिब्बे में लापरवाही से जलती हुई बीड़ी/सिगरेट फेंकने के कारण शुरू हुई।

(ग) कोई हताहत नहीं हुआ। इस आग के परिणामस्वरूप रेलवे को 4 लाख रुपए की हानि हुई।

(घ) चूंकि कोई हताहत/घायल नहीं हुआ था, अतः किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था।

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए सुरक्षा अभियान चलाया गया है और सुरक्षा पोस्टर तथा अनुदेश प्रदर्शित किया गए हैं।

(ii) घुलनीय लाइनों को जाने वाले और धुलनीय लाइनों से वापस आने वाले रेकों में सवारी डिब्बों को ताला लगाया जाता है।

(iii) यार्डों में खड़े सवारी डिब्बों (ठीक/खराब सवारी डिब्बे) को ताला लगाया जाता है।

(iv) अतिचार सहित ऐसे मामलों पर नजर रखने और उनकी रोकथाम के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को सावधान कर दिया गया है।

[हिन्दी]

खान पान सेवाएं

3313. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए वसूल किये जाने वाले यात्री किरायों में खान-पान प्रभार भी शामिल होता है;

(ख) यदि हां, तो उस पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय होता है; और

(ग) खान-पान सेवाओं के मानक के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाया जाता है और उसका पालन किस प्रकार किया जाता है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों, जिनमें खान-पान खर्च को किरायों में शामिल किया गया है तथा उसकी मात्रा को दर्शाने वाले एक विवरण संलग्न है।

(ग) खान-पान सेवाओं के स्तर में सुधार करने के लिए आधार यह है कि भारतीय रेलों पर खान-पान/वेंडिग संविदाओं के प्रबंध में व्यावसायिक तथा ख्याति प्राप्त केटररों को शामिल किया जाए। क्षेत्रीय रेले, यात्रियों के लिए सेवाओं के उचित मानक सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जांच करती हैं।

विवरण

क्र.सं.	के बीच गाड़ी	खानपान प्रभार वाता. दर्जा	खानपान प्रभार वाता.2/वाता.3 दर्जा
1	2	3	4
	राजधानी एक्सप्रेस		
1.	नई दिल्ली-बंबई सेन्ट्रल	220	120
2.	निजामुद्दीन-बंबई सेन्ट्रल	220	120
	(अगस्त क्रांति राजधानी)	220	120
3.	नई दिल्ली-हावड़ा (पटना के रास्ते)	220	120
4.	नई दिल्ली-हावड़ा (गया के रास्ते)	220	120
5.	नई दिल्ली-भुवनेश्वर	325	180
6.	नई दिल्ली-गुवाहाटी	385	220
	शताब्दी एक्सप्रेस	**वाता. कुर्सीयान***	
1.	नई दिल्ली-कालका	40	
2.	नई दिल्ली-लखनऊ	60	
3.	नई दिल्ली-चंडीगढ़	40	
4.	नई दिल्ली-देहरादून	60	
5.	नई दिल्ली-भोपाल	120	
6.	नई दिल्ली-अमृतसर	60	
7.	नई दिल्ली-जयपुर	60	
8.	बम्बई सेन्ट्रल-अहमदाबाद	60	
9.	मद्रास-मैसूर	60	

* एक्जीक्यूटिव दर्जे के यात्रियों को दी जाने वाली खानपान सेवाओं के लिए प्रभार वाता. कुर्सीयान के यात्रियों के लिए निर्धारित प्रभारों का डेढ़ गुना है।

[अनुवाद]

रेलवे का आधुनिकीकरण

3314. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु डिजाइन और प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो स्थायी समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है, और

(घ) कितनी सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया है और कितनी सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित किया गया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां। रेल संबंधी स्थाई समिति (1994-95) ने अपनी 12 वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया है कि मूल अनुसंधान कार्य करने के लिए अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन के कर्मियों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया

है कि अ.अ.एवं मा.सं. को केवल नई प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान कार्य करना चाहिए तथा अभिकल्प एवं विकास आदि से संबंधित कार्य संबंधित कार्य सम्बद्ध इकाइयों के अनुसंधान एवं विकास विभाग के लिए इकाइयों के अनुसंधान एवं विकास विभाग के लिए छोड़ देना चाहिए जिसे और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई थी।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

3315. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुरना-अकोला (महाराष्ट्र) सेक्सन की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पूर्णा-अकोला खंड का आमान परिवर्तन का कार्य रेलों द्वारा फिलहाल चुनिंदा मीटर आमान/छोटे आमान के मार्गों को बड़े आमान में बदलने के लिए एक आमान की दिशा में चल रही परियोजना के अंतर्गत कार्ययोजना के पहले चरण में पहले से ही शामिल है। एक बार कुछ महत्वपूर्ण मार्गों, जो कि उच्चतर परिचालन/सामरिक वरीयता वाले है और जिन पर पहले में ही काम चल रहा है, के पूरा होने के बाद इस लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

लाकर्स आन व्हील्स

3316. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 फरवरी, 1995 से शताब्दी एक्सप्रैस में "लाकर्स आन व्हील्स" सुविधा प्रदान की गई है,

(ख) यदि हां, तो इस पर यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सुविधा को अन्य रेलगाड़ियों में भी आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो उन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं और इनमें यह सुविधा कब तक आरम्भ कर दी जाएगी, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के परिणामस्वरूप रेलवे को मामूली लाभ प्राप्त हुआ है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि इस योजना के परिणामस्वरूप मामूली लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे अन्य गाड़ियों में नहीं बढ़ाया जा रहा है।

मल-जल शोधन संयंत्रों का निर्माण

3317. **श्री राम निहोर राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा सफाई योजना, चरण-1 के अन्तर्गत कानपुर और नैनी-इलाहाबाद में मल-जल शोधन संयंत्रों का निर्माण निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मल-जल शोधन संयंत्रों का कार्य पूरा न होने के कारण जी.पी.डी./उत्तर प्रदेश जल निगम को कितना घाटा होने की सम्भावना है, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इन ठेकों को निष्पादित करने में कठिनाइयां रहीं और ठेकेदारों तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के बीच विवाद पैदा हो गए। उक्त विवाद को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की संचालन समिति द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

गंगा परियोजना निदेशालय/उ.प्र. जल निगम द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय का पता समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने के बाद ही लग सकेगा।

नई रेलगाड़ियां

3318. **डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम के लिए अतिरिक्त शटल रेलगाड़ी और राजमुंदरी होकर दिल्ली से विशाखपत्तनम तक सीधी सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई तथा संसाधनों की तंगी।

[हिन्दी]

पर्यावरण और वानिकी परियोजनाएं

3319. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं विदेशी मदद के लिए भेजी गई पर्यावरण और वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले में कितनी सहायता मांगी गई;

(ग) इस सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा अब तक उनमें हुई प्रगति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है, और

(घ) शेष परियोजनाओं में विलंब के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय और विदेशी सहायता के लिए भेजी गई तथा शुरू की गई पर्यावरणीय वानिकी परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जिसमें उनकी वित्तीय और भौतिक दोनों उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है।

(घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना स्कीम पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। स्कीम के तहत परियोजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में (क्र.सं. 4) में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	मुख्य उद्देश्य	निधिकरण की मात्रा	स्तर	1993-94 और 1994-95 के दो वर्षों के दौरान उपलब्धियां	
					वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास करना	100 %	चालू	179.23	15 राष्ट्रीय उद्यान शामिल
2.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धति	वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दावानल का नियंत्रण	100 %	चालू	13.09	वित्तीय बटन के रूप में लक्ष्य नियत
3.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद उगाना	100 %	चालू	69.99	154 हे. क्षेत्र शामिल
4.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना स्कीम	कृष्णा और गोदावरी नदियों का प्रदूषण उपशमन	50 %		कृष्णा और गोदावरी नदियां राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल कर ली गई हैं। स्कीम को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है।	
5.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी, और चारा परियोजना स्कीम	ईंधन की लकड़ी और चारे की कमी वाले अभिनिर्धारित जिलों में इसकी आपूर्ति को बढ़ाना	50 %	चालू	69.38	2029 हे. क्षेत्र शामिल
6.	भोगाधिकार में भागीदारी के आधार पर अवकमित वनों के पुनरूद्धार में अनुसूचित जन-जातियों और ग्रामीण निर्धनों की सम्बद्धता	बायो-मास संसाधन आधार में सुधार करने के लिए अवकमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को सम्बद्ध करना	100 %	चालू	44.04	34.06 हे.क्षेत्र
7.	बाघ परियोजना	बाघों की जीवनक्षम आबादी सुनिश्चित करना	100 % 50 %	अना. चालू आ.	92.89	2 बाघ रिजर्व शामिल
8.	बाघ रिजर्वों के आस-पास पारि-विकास	बाघ रिजर्वों के आस-पास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना	100 % 50 %	अना. चालू आ.	24.73	2 बाघ रिजर्व शामिल

1	2	3	4	5	6	7
	विदेशी सहायता प्राप्त					
9.	विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	राज्य प्रदूषण नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण	इस स्कीम के तहत 1991-92 की अवधि के लिए राज्य के लिए 3 मिलियन अमरीकी डालर की राशि निर्धारित की गई है।			
10.	विश्व बैंक की सहायता प्राप्त प्रदूषण नियंत्रण परियोजना-सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र	सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करना	इस स्कीम के तहत 8 सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए 8 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।			2 सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा दिए हैं
11.	महाराष्ट्र वानिकी परियोजना	वनीकरण	यह परियोजना 142 मिलियन अमरीकी डालर के कुल परिव्यय की विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1992-93 के दौरान शुरू की गई थी। सितम्बर, 1994 तक 37.48 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।			11148 हे. क्षेत्र शामिल

[अनुवाद]

भूकम्प का सामना करने की क्षमता

3320. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकम्प का सामना करने की क्षमता संबंधी कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) भूकम्प से हो रही हानि को किसी सीमा तक रोका जा सकता है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न प्रकार के भवनों के भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन के लिए निम्नलिखित भारतीय मानक तैयार किए गए हैं :

(1) आई.एस. 1893 : 1984 विभिन्न प्रकार के ढांचों के भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन का मानदंड (चौथा संशोधन) तथापि, इस मानक में संशोधन किया जा रहा है।

(2) आई.एस. 4326 : 1993 भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन तथा भवनों के निर्माण की पद्धति संहिता (दूसरा संशोधन);

(3) आई.एस. 13827 : 1993 मिट्टी से बने भवनों की भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता में सुधार लाने के लिए दिशा निर्देश;

(4) आई.एस. 13828 : 1993 कम शक्ति की चिनाई वाले भवनों की भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता में सुधार लाने के लिए दिशा निर्देश;

(5) आई.एस. 13920 : 1993 भूकंपीय शक्तियों से प्रभावित होने वाले संबलित कंकरीट ढांचों के लचीलेपन के विवरण हेतु पद्धति संहिता, और

(6) आई.एस. 13935 : 1993 भवनों की मरम्मत तथा भूकम्पीय दृढ़ीकरण के लिए दिशानिर्देश।

(ग) उपर्युक्त भारतीय मानकों की सिफारिशों के अनुसार डिजाइन किए गए तथा निर्मित भवनों और ढांचों से आशा की जाती है कि वे भूकम्पीय शक्तियों का निरापद रूप से सामना कर सकते हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त स्थान

3321. **डा. सुधीर राय :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति के माध्यम से भरी जानी वाली रिक्तियों को हाल ही में भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी में कितने स्थान रिक्त थे और कितने रिक्त स्थानों पर वास्तव में लोगों को पदोन्नत किया गया, और

(ग) रिक्त स्थानों और की गई पदोन्नतियों के बीच यदि कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि पात्र व्यक्तियों की उपलब्धता पर विभागीय पदोन्नति कोटा भरा जा रहा है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

क्षिप्रा एक्सप्रेस

3322. **डा. रामाकृष्ण कुसमरिया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षिप्रा एक्सप्रेस को रोजाना चलाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बम्बई से दामोह सागर क्षेत्र तक एक सीधी रेलगाड़ी आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई तथा संसाधानों की कमी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"फूलों की घाटी"

3323. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फूलों की घाटी (वैली आफ फ्लावरस) में पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष फूलों की विभिन्न किस्मों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार घाटी में फूलों की किस्मों में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) हाल के समय में फूलों की घाटी में फूलों की किस्मों में कमी होने का संकेत देने वाला ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण समय-समय पर उक्त घाटी की पुष्प संपदा का सर्वेक्षण करता रहा है और उसने उक्त क्षेत्र में पुष्पीय पौधों की 615 प्रजातियों को अभिलेखबद्ध किया है। तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार फूलों की घाटी से बाहर के क्षेत्रों में कुछ प्रजातियों का व्यापक वितरण होने पर भी हाल के वर्षों में 9 प्रजातियों की संख्या में गिरावट देखी गई है। 1981 में उक्त क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने के बाद से बेतुल, यूटिलेस और रोडोडेन्डम कैपेनूलेटम जैसी प्राकृतिक इमारती काष्ठ प्रजातियों के पुनरूद्धार तथा औसमुण्डा क्लेटोनियना और पालिगोनम पालिस्टेचियम जैसी कुछ प्रजातियों की संख्या में वृद्धि के संकेत भी मिले हैं।

[अनुवाद]

रेल लाइन का दोहरीकरण

3324. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुर्दा रोड और पुरी के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण संबंधी प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रेल लाइन के दोहरीकरण संबंधी प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलवे के परामर्श से खोरधा रोड पुरी खंड के दोहरीकरण के प्रस्ताव की जांच की गई थी। यह पाया गया था कि यातायात को सम्भालने के लिए कतिपय कार्यों द्वारा मौजूदा खंड की क्षमता बढ़ाई जा सकती थी। अतः दोहरीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) जल यातायात के स्तर का औचित्य बनेगा तब खंड के दोहरीकरण के बारे में विचार किया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में श्वेत क्रांति

3325. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान राजस्थान में पशु पालन तथा भेड़ पालन सहित श्वेत क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(ख) वर्ष-वार कितनी राशि आवंटित की गई, और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और वास्तविक उपलब्धि कितनी रही?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) राजस्थान में श्वेत क्रांति, पशुपालन एवं भेड़ पालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, राजस्थान में विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को क्रियान्वित करता आ रहा है।

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान किया गया वर्षवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान दुग्ध उत्पादन अण्डा उत्पादन तथा ऊन उत्पादन के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं :

		1992-93		1993-94		1994-95	
		लक्ष्य	उपलब्धियां (अनन्तिम)	लक्ष्य	उपलब्धियां (अनन्तिम)	लक्ष्य	उपलब्धियां (प्रत्याशित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दूध (मिलियन टन)	4.47	4.59	4.70	4.96	4.84	4.85

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अण्डा (मिलियन टन)	265.00	349.2	350.00	395.7	350.00	350.00
3.	ऊन (000 कि.ग्रा.)	17300	16739	18125	17079	17700	17700

विवरण

1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान निर्मुक्त निधियों के साथ-साथ राजस्थान में श्वेत क्रांति, पशुपालन तथा भेड़ पालन से सम्बन्धित क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के विवरण को दर्शाने वाला ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	31.79	30.00	45.05
2.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	9.93	21.02	15.49
3.	व्यावसायिक क्षमता विकास	1.73	2.01	2.45
4.	बूचड़खानों के आधुनिकीकरण/सुधार तथा पशु शव और उपोत्पाद उपयोग केन्द्रों तथा प्राथमिक निस्त्वचन यूनिटों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता	-	-	20.00
5.	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	13.56	13.25	6.75
6.	राष्ट्रीय मेढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम	5.50	19.50	18.00
7.	भारवाही पशुओं का विकास	-	-	1.25
8.	एकीकृत सुअर विकास के लिए राज्यों को सहायता	2.25	-	-

[अनुवाद]

मछली पालन के क्षेत्र में सुधार

3326. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मछली पालन के क्षेत्र में सुधारों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(घ) इस संबंध में विदेशी पूंजी निवेश के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन रियायती दर पर बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए जल कृषि को कृषि के समान दर्जा देने, आयकर के भुगतान से छूट देने, सामाजिक और पारिस्थितिकीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तटवर्ती क्षेत्रों के पास झींगा पालन विनियमन से संबंधित हैं।

(ग) उपर्युक्त पहलुओं पर सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही करने/किए जाने का प्रस्ताव है।

(1) सरकार ने 7.5 एकड़ (कुल 10.7 एकड़ का भू क्षेत्र) जल क्षेत्र रखने वाले मछली पालकों को आयकर का भुगतान करने की छूट दे दी है। मत्स्यन या समवर्गी कार्य कलापों में लगी हुई सहकारी समितियों की आय को आय कर के भुगतान से पूरी तरह छूट दे दी गई है।

(2) जल कृषि के लिए रियायती दरों पर पानी और बिजली की सप्लाई का मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

(3) पारिस्थितिकीय-सह-कार्यकलापों के रूप में तटवर्ती जल कृषि के विकास के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि वाणिज्यिक जल कृषि परियोजनाओं का सरकारों द्वारा अनुमोदन करने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करें तथा ऐसी परियोजनाओं में पर्यावरणीय मानिटरिंग योजना पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा अवशिष्ट जल उपचार प्रणाली शामिल करें। भारत सरकार की सलाह पर कुछ राज्यों, खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अपने राज्यों में झींगा पालन को विनियमित करने के लिए उपाय किए हैं।

(घ) और (ङ) 1994 और 1995 (अब तक) के दौरान समेकित झींगा पालन इकाइयों की स्थापना के लिए अनिवासी भारतीयों सहित विदेशी निवेश के लिए कृषि और सहकारिता विभाग को 30 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 13 प्रस्तावों को विदेशी निवेश प्रवर्धन बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

बुक किए गए सामान के लिए दावे

3327. **श्री सूरज मंडल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार आज तक रेलगाड़ियों में शुरू किये गए सामान की चोरी के कुल कितने दावे प्रस्तुत किये गए;

(ख) कितने मामलों में किये गए दावे के अनुसार पार्टियों को प्रतिपूर्ति तथा कितने दावों की प्रतिपूर्ति करने का विचार है तथा उनमें चोरी के दावों के मुआवजे की राशि कितनी है, और

(ग) शेष दावों का निपटारा कब तक हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान गाड़ियों में बुक किए गए सामान की चोरी के क्रमशः 83 और 77 दावे प्रस्तुत किए गए थे।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान 26 मामलों के लिए 0.28 लाख रुपये और 1994-95 के दौरान 30 मामलों के लिए 0.73 लाख रुपये का चोरी क्षतिपूर्ति के मूल्य के रूप में भुगतान किया गया था।

(ग) दावों का निपटारा प्रत्येक अलग-अलग मामले के गुण-दोष के आधार पर किया जाता है। मामले का यथासंभव शीघ्र निपटान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।

"मुम्बई में होटल-सह-वाणिज्यिक परिसर"

3328. **प्रो. राम कापसे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 में केन्द्र सरकार की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा दक्षिण मुम्बई समुद्री तट से 200 मीटर दूर करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित होने वाले होटल-सह-वाणिज्यिक परिसर को स्वीकृति दी गई थी;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने इस परिसर के संबंध में कुछ आपतियां उठाई हैं;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की आपत्तियां उठाई गई हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। मंत्रालय द्वारा 1993 के दौरान ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। तथापि, प्रस्ताव को पर्यटन, परिवहन एवं विविध परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति की 28 सितम्बर 1994 को हुई तृतीय बैठक में उसके समक्ष रखा गया था। इसके सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात समिति ने परियोजना को मंजूर नहीं किया।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने भीड़भाड़ तथा स्थल के मंजूर हो जाने पर समुद्र से रिक्लेम की अपेक्षा के आधार पर दक्षिण बम्बई के आस-पास परिसर के स्थल पर आपत्ति की है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रह अर्थशास्त्र संस्थान

3329. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ग्रह अर्थशास्त्र संस्थान के भवन और भूमि को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त किया गया था (राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली 19.1.95)

(ख) क्या इस संस्थान को भवन निर्माण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त संस्थान को गिरवी रखने के कारणों, जिन व्यक्तियों ने इसे गिरवी रखा और जिस अधिकारी की इस प्रयोजनार्थ अनुमति ली गई थी, का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 80,21,925 रुपये के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भाग या परियोजना की वास्तविक लागत के 50 प्रतिशत, जो भी कम था, के साथ 1,60,43,850 रुपये को अनुमानित लागत पर गृह अर्थशास्त्र संस्थान की नई कालेज भवन परियोजना को अनुमोदित किया था। शेष व्यय गृह अर्थशास्त्र शिक्षा सोयायटी, जो संस्थान को चला रही है, द्वारा वहन किया जाना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परियोजना हेतु 71.00 लाख रुपये पहले ही दे चुका है परंतु उपर्युक्त सोसायटी व्यय का अपना भाग नहीं दे पाई। अतः सोसायटी की प्रबंधक समिति ने संस्थान की भूमि व भवन जो सोसायटी के नाम में है, गिरवी रखकर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऋण लेने के लिए संस्थान के निदेशक को प्राधिकृत किया। तदनुसार 1991 में संस्थान के तात्कालिक निदेशक ने 50.00 लाख रुपये का सावधिक ऋण प्राप्त किया था। ब्याज के साथ यह ऋण अभी तक वापिस नहीं किया गया है तथा बैंक ने वसूली के लिए दिल्ली के उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। अतः मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्ययन केन्द्र

3330. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय मूल के लोगों की स्थिति का आकलन करने और उनसे संपर्क बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करने के बारे में सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो वे केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे, और

(घ) इन अध्ययन केन्द्रों से क्या लाभ प्राप्त होंगे?

मानव संसाधन.विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में पांच वर्ष की अवधि के लिए "इंडियन डायसपोरा" पर अध्ययन हेतु एक केन्द्र स्थपित करने के लिए हाल ही में अनुमोदन दिया है।

(घ) इस प्रकार के अध्ययन से सम्पूर्ण विश्व में भारतीय मूल के व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध तथा भारतीय होने की भावना प्रोन्नत होगी।

राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद

3331. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान भारतीय मानक ब्यूरो के स्थान पर "राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद" नाम से एक उच्चस्तरीय स्वायत्तशासी निकास की स्थापना करने का कोई विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, इसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस परियोजना को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी;

(घ) क्या भारतीय मानक ब्यूरो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा है;

(ङ) राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना कब तक की जायेगी, वह कब से कार्य शुरू करेगी और क्या इसकी शाखाएं देश के सभी क्षेत्रों/राज्यों में होंगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) नीति बनाने वाले निकाय के रूप में वह वर्तमान भारतीय मानक ब्यूरो से किस सीमा तक भिन्न होगी?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (छ) राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद गठित करने का मामला अभी सरकार के विचाराधीन है। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो, जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अनुसार कार्य कर रहा है, को बदलने की परिकल्पना नहीं की गई है।

12.00 बजे मध्याह्न

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में कथित अनियमितताओं में बारे में

[अनुवाद]

...(व्यवधान)...

श्री पी.जी. नारायणन (गोबी चेट्टीपालयम) : महोदय् मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं ये मामले एक-एक करके लूंगा। अब श्री वाजपेयी

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, संसद के इस सदन में जब पंचायत संस्थाओं के बारे में विधेयक

पेश किया गया था तो बड़ा उल्लास था, सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर सब लोग खुश थे, पंचायतों को अधिकार दिये जा रहे हैं, इसके लिये आनन्द था। उस समय यह आशा प्रकट की गई थी कि पंचायतों के चुनाव यदि प्रदेशों में होंगे, प्रदेश सरकारों के अधीन होंगे तो चुनाव निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे और चुनाव में किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश से पंचायती संस्थाओं के चुनाव के बारे में जो समाचार आ रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि सदन ने जो फैसला किया, उस पर न केवल पानी फेरा जा रहा है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ पर कुठाराघात किया जा रहा है। क्या आपने कोई चुनाव ऐसा देखा है, जिसमें उम्मीदवार कम हों और मत-पत्र पर उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह ज्यादा हों ? जब उम्मीदवार नहीं है, कोई प्रतियोगिता में उतरा ही नहीं तो उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह तमाम कैसे छाप दिये गये? वहां अलग-अलग रंगों के मत-पत्र थे। परिसीमन में धांधलियां की गई और मतदाता सूचियां भी ठीक प्रकार से नहीं बनायी गईं। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता था और सत्ता पक्ष के विरोध में चुनाव लड़ना चाहता था तो पुलिस का उपयोग करके उसे थाने में बुला लिया गया और उसको नामजदगी का पर्चा भरने से रोका गया। इस तरह की घटनाओं का एक जाल है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य के एक मंत्री ने अपनी सरकार के खिलाफ चुनाव में होने वाली धांधलियों के विरुद्ध अनशन किया और केन्द्र के मंत्री राही साहब ने भी अनशन करने का फैसला किया क्योंकि उनके क्षेत्र में जो धांधली हुई, उनको वह बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें समझाने में कांग्रेस पार्टी को भी मुश्किल हुई। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर धांधली हुई है तो उसको देखा जायगा और जानकारी इकट्ठी की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकांश सदस्य उत्तर प्रदेश से चुन कर आते हैं। मैं स्वयं लखनऊ से निर्वाचित हूं। क्या संसद के सदस्य मूकदर्शक बने रहे? वहां जीते हुए उम्मीदवारों को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। चुनाव परिणाम जहां घोषित होने चाहिए, वहां घोषित नहीं होने दिये जा रहे हैं। चुनाव परिणाम बदले जा रहे हैं। वहां गोलियां चलीं। अगर लोकतंत्र की जड़ों की रक्षा नहीं की गई तो लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ जायेगा। यह सदन और आप इस मामले में तटस्थ नहीं रह सकते। यह बहुत गम्भीर मामला है। हम चाहते हैं कि इस पर विस्तार से चर्चा हो और सदन कोई ऐसा रास्ता निकाले, जिससे जो चुनावों में धांधलियां हुई हैं, उनके आधार पर होने वाला चुनाव रद्द किया जा सके। इन धांधलियों की जांच के लिये एक आयोग बनाया जाये। पार्लियामेंट यह कर सकती है और यह उसके अधिकार में है। राही जी कहां हैं, हम उनका बयान चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया था और उनकी भूख हड़ताल तुड़वायी थी। उनका सारा वक्तव्य मेरे पास है। राही जी ने जो कुछ लिखा है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनका वक्तव्य आप नहीं पढ़ें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सार्वजनिक सम्पत्ति है। राही जी ने स्वयं वक्तव्य दिया, यह आश्चर्य की बात है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रमाणित नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह पत्र उप गृह मंत्री, भारत, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, से है, इसको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनको करना पड़ेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर आपको सन्देह हैं, तो मैं उनसे करा सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार आप दूसरों के वक्तव्य पढ़कर नहीं सुना सकते।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका हवाला दिया है, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा ज्यादा हवाला देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इनवर्टिड-कोमाज को बाहर निकाल दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसा नहीं है पत्र में एक-दो तीन करके लिखा है मतदाता सूचियां जो भी बनाई गई, उनमें कोई गांव सभा ऐसी नहीं हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद मतदाताओं की न छोड़ दी गई हो। जिस प्रभावशाली ने दबाव बना लिया, उसने अपने खिलाफ पक्ष के वोटों को मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं होने दिया और अपने अवैध मतदाता बढ़ा लिए तथा मतदाता सूची का अंतिम रूप देने की प्रक्रिया दोषपूर्ण और पक्षपात पूर्ण रही। दूसरा-जिला चुनाव अधिकारी सहित विभिन्न स्तर के चुनाव में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों ने जिसको चाहा मतदाता सूची में सम्मिलित करा लिया और नहीं चाहा तो वह सड़क पर दर्खास्त लिए घूमता ही रहा। इस तरह के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। जांच के प्रमाण पत्र देने में पैसा चला है। झूठे प्रमाण पत्र दिए गए हैं। सोसायटीज के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कह करके उनके पर्चे खारिज कर दिए गए, जबकि वे किसी अधिकारी के पदाधिकारी नहीं हैं और चुनाव लड़ने के लिए स्वतन्त्र हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव के दिन पोलिंग स्टेशनों की खरीद फरोख्त प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रत्याशियों के हराने-जिताने के लिए किया और 5000 से दस हज़ार रुपए में

लिए गए एक गांव सभा को जिताने के लिए एक अधिकारी बूथ को लेकर मारा भी गया।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : 5000 से 25,000 तक।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो राही जी की जानकारी थोड़ी अधूरी है। अध्यक्ष जी, यह पूरे लोकतन्त्र का माखौल है। ...**(व्यवधान)** मैं आपका दिशा निर्देश चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं दूंगा, मगर वह आपको, सब लोगों को पसन्द आएगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पसन्द तो आएगा, अगर आप ...**(व्यवधान)** मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं हम क्या करें। देखिए, क्या मैं भी राही जी की तरह से सदन छोड़ दूं, क्या मैं विरोधी नेता के उत्तरदायित्व को त्याग दूं और मैं भी जाकर लखनऊ में भूख-हड़ताल करूं। सारे प्रदेश में आग लग जाएगी, मैं नहीं करना चाहता हूं यह। लेकिन गांव-गांव में झगड़े हों, गोलियां चलें, लोग चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किए जायें, जबरदस्ती जीते हुए लोगों को पराजित घोषित कर दिया जाए, तो क्या किया जाए। ...**(व्यवधान)** मेरा निवेदन है कि आप हमारे भुक्तभोगी जो सांसद हैं, उनको भी इस मामले में सुनें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन्, हमारे नेता विरोधी दल ने बड़े अच्छे ढंग से इस मामले को रखा है। मान्यवर, मैं कुछ विशेष बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जैसा कि हमारे विरोधी नेता ने कहा है कि परिसीमन में भारी काट-छांट और परिवर्तन किए गए। मतदाता सूची में भारी हेरा-फेरी और गड़बड़ियां हुई हैं। श्रीमन्, एक गांव में, जो छोटा सा गांव होता है, जहां 500-600 मतदाता रहते हैं, वहां 100-100, 150-150 और 200-200 मतदाता रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए, उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं किया गया। श्रीमन्, नामांकन के समय भी काफी धांधली की गई। जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तो जाति प्रमाण पत्र देने में घूसखोरी खुले आम और नो-ड्यूस प्रमाण पत्र देने में भी घूसखोरी की गई। अकारण लोगों को प्रमाण पत्र देने में विलम्ब किया गया, जिससे उसका नामांकन पत्र समय सीमा के अन्दर नहीं दिया जा सके। लाखों लोग मत देने से वंचित कर दिए गए। मैं आपको बता रहा हूं, लाखों लोग, जिन्होंने मत दिए, उनके मतों की गणना नहीं की गई और चुनाव डिकलेयर कर दिए गए और उन मतों का कहीं पर भी पता नहीं चला। मतदान पत्रों में 30 प्रतिशत मतदान पत्र और जो रिजल्ट निकाला, वह फर्जी रिजल्ट निकाला गया। उसको जनता का फैसला नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह जिला अधिकारी का फैसला था।

ये वहां के सीडीओ, बीडीओ, का फैसला था, यह जनता का फैसला नहीं हुआ। मान्यवर, हम आपको प्रमाण देकर बता सकते हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10 हजार से 25 हजार रुपए प्रधान पद के लिए घूसखोरी तय की गई। 10 हजार से 50 हजार रुपए बीडीसी के मेम्बर के लिए तय किये गए। 25 हजार से 1 लाख रुपए जिला पंचायत सदस्य के लिए निश्चित किए गए थे। ...**(व्यवधान)**

श्रीमन्, अब हम आपसे मत पत्र की बात कर रहे हैं। जितने मत पत्र इशु हुए थे उनमें से अधिकांश मत पत्र ऐसे थे जिनमें नंबर ही नहीं था, मत पत्र ऐसा छपा और दे दिया गया, जबकि इतिहास की बात है कि कभी भी कोई ऐसा बैलेट पेपर नहीं होता है जिसमें कि नंबरिंग न डाली जाए। लेकिन इतने ज्यादा मत पत्र वितरित किए गए जिस पर कहीं पर भी नंबर नहीं था।

मान्यवर, 6 उम्मीदवार थे और चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर पर 18 थे। ऐसे अनेक मत पत्र पकड़े गए। बैलेट पेपर पर नाम होता है, ग्राम प्रधानों में नाम नहीं होता है लेकिन बीडीसी में नाम होता है। पंचायत सदस्यों में नाम होता है, लेकिन इनमें किसी में कहीं कोई नाम नहीं था, केवल चुनाव चिन्ह लगा दिया गया था। श्रीमन्, कहीं-कहीं पर तो यह भी देखने में आया है कि यदि एक ही निर्वाचन सीमा के अंदर 10 बूथ हैं तो पांच बूथों पर दूसरी किस्म का बैलेट पेपर था और बाकी पांच पर दूसरी किस्म का था। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए।

...**(व्यवधान)**...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : महोदय, किसी भी बूथ पर मत पत्रों की संख्या प्रीजाइडिंग ऑफिसर ने पेश नहीं की। उन्होंने खुलेआम धांधली की और यदि किसी ने कहा कि यहां गड़बड़ी हो रही है, उसने लिख कर दिया हम यह चाहते हैं कि हमारी शिकायत दर्ज कर ली जाए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब आप बैठ जाएं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : महोदय, आप हमें पूरी बात कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात हाउस में नहीं उठाई जा सकती।

...**(व्यवधान)**...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : महोदय, हमने कौन सी ऐसी बात कह दी है।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने का चांस दे दिया है और आपने बोला है। अब आप कनक्लुड कीजिए।

...**(व्यवधान)**...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने आपसे निवेदन किया था। मैंने नियमों के अंदर चांस मांगा हैं और आपने हमको दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप इस तरह चुनाव के मामलों पर चर्चा नहीं कर सकते। यदि चुनाव के विरुद्ध आपकी कोई शिकायत है तो आप न्यायालय जाएं क्योंकि यह मामला सभी से सम्बन्धित हैं। इसलिए मैं आपको इसकी अनुमति देता हूं और कृपया इसे सीमा में ही कहें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम जो नियम है उनका पालन करते हुए बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ब्लॉक पर एनाउंस किया जा रहा था कि कौन जीता, कौन हारा। ब्लॉक पर एनाउंस कर दिया गया कि मोहन राम जी जीत गए हैं और इसके 24 घंटे के बाद मुख्यालय पर जा करके एनाउंस कर दिया गया कि मोहन राम जी 65 वोटों से हार गए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप समाप्त नहीं करते हैं तो मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया ध्यान दें।

...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बात मैंने केवल उदाहरण के लिए रखी है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब कहानियां सुनने के लिए वक्त नहीं है, दूसरे लोगों को भी बोलना है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : महोदय, आपने अखबारों में देखा होगा, भदोही जिले में गोलियां चली, खूनखराबा हुआ। सुरयावां ब्लॉक के अतंर्गत वहां के लोगों का कहना था कि हमारी आपत्ति दर्ज कर लीजिए लेकिन वहां बहुत धांधलियां की गई।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर से पुलिस बल लगाया गया है। जो व्यक्ति चाहते थे कि हम अपने एतराज दर्ज कराएं, वहां पर उनको पीटा गया। भदोही में चार हरिजनों को गोली से उड़ा दिया गया मगर यह पता नहीं चला कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? कलक्टर कहता है कि हम नहीं थे। जांच हुई तो पाया गया कि कलक्टर वहां सात घंटे तक गायब था। जिस राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी उसको वहां सरासर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समाप्त करेंगे अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गृहमंत्री जी आएं, कानून मंत्री जी आएं और इस पर वक्तव्य दें। इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सारे चुनावो को कैंसिल करें दुबारा वहां चुनाव कराए जाएं। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के जो कमिश्नर थे उन्होंने यह बयान जारी किया है कि मैंने तो आदेश जारी किया लेकिन जिलाधीश ने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। मैं आपसे मांग करता हूं कि कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाए क्यों कि सारी धांधली उनके द्वारा की गयी। मैं मांग करता हूं कि यहां पर तुरंत बयान दिया जाए और अगर बयान नहीं दिया जाता है तो मैं यहां पर आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हूंगा।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप धमकी देंगे तो मैं एक्शन लेने के लिए बाध्य हूंगा। आप अपनी सीमा में रहें। ...**(व्यवधान)**... ठीक है उनको बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है उनको बोलने दीजिए।

श्री रामसागर (बाराबंकी) : उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव तीन महीने पहले हुए। उस समय विपक्ष के लोगों ने परिसीमन का मामला उठाया, वोटर-लिस्ट का मामला उठाया। इसके लिए तीन महीने का समय दिया गया। यह सुझाव माना गया कि जहां पर परिसीमन और मतदाता सूची में नाम नहीं हैं। तो आप अपनी राय दे सकते हैं। अध्यक्ष जी, जब चुनाव कराया गया तो यह बात उठी कि 8 बजे से 4 बजे शाम तक जो मतदान रखा गया है उसमें पूरे मतदाता मतदान नहीं कर सकेंगे। इसपर दो घंटा समय बढ़ा दिया गया जिससे पूरा मतदान हो सके। इतना ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से निष्पक्ष मतदान कराने की व्यवस्था की गई। ...**(व्यवधान)**

श्री रामनिहोर राय (रॉबर्ट्सगंज) : और उन पर गोली चलाई गयी। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये।

श्री राम सागर : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से वहां पर लोगों से सुझाव लिये गये। जो चुनाव कराये गये वे पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से हुए। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि जो पिछले चुनाव प्रदेशों में पंचायतों के हुए हैं, उनको आप देख लीजिये, उत्तर प्रदेश के चुनाव सबसे शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। ...**(व्यवधान)** यहां सदन में बहुत चिल्लाहट है और ठीक बात हमारे साथी सुनना नहीं

चाहते। असली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन पंचायत चुनावों में बुरी तरह हार गई है। इसीलिए यह मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर पंचायत चुनावों में गड़बड़ हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां सभी मतदाताओं को पूरा मौका मिला और उन्होंने शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष माहौल में अपने मत का प्रयोग किया है। उसके लिए मैं चुनाव आयोग को, भारत सरकार को और वहां की सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश में रामपुर क्षेत्र से मैं चुनाव जीतकर आया हूं। वहां पर जिला पंचायत चुनाव में मात्र दो सीटें जनता ने इनको दी जिसको, इन्होंने परिणामों में बदल कर, सात कर दिया। यह इनकी वहां पर स्थिति है। जहां तक परिसीमन की बात है। परिसीमन की स्थिति यह है कि उसमें जो नार्म्स हैं, व्यवस्थायें हैं, उनको ताक पर रख दिया गया है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक-एक ग्राम पंचायत की लम्बाई दस-दस किलोमीटर है, उसको गलत तरीके से काट दिया गया और नियमों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्त्ताओं के हाथों में वहां के अधिकारी एक यंत्र बन कर यह सारा काम कर रहे हैं। वहां पर किस प्रकार से धांधली हुई यह मैं बताना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने वार्ड संख्या 11 लिखा उसको 14 कर दिया गया और जिसने 10 लिखा उसको 16 कर दिया गया। लाखों मतपत्रों को इस प्रकार से खारिज किया गया है। वहां पर जनता की भावनाओं पर कुठाराघात करते हुए हारे हुए लोगों को चुना हुआ घोषित करा दिया। कई स्थानों पर श्री को श्रीमती कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसके पहले सुना था कि यह सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : इस प्रकार से वहां उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा किया। बैलेट पेपर के अंदर जहां सिर्फ दो प्रत्याशी थे, वहां 25 प्रत्याशियों के सिम्बल दिये जा रहे हैं, जबकि प्रत्याशियों के नाम नहीं हैं। ऐसा संसार में कभी नहीं हुआ होगा। वहां सारा काम असंवैधानिक रूप से हो रहा है। मतदाता सूचियों में सैंकड़ों की संख्या में विरोधियों के नाम को समाप्त कर दिया गया। परिणामों की घोषणा ब्लाक स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन तीन-तीन दिन तक घोषणा नहीं की गई। उनकी घोषणा जिला स्तर पर की गई। अब मैं मूल बात बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, : तो अभी तक क्या हो रहा था?

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : वहां पर ब्लाक समिति और जिला समितियों के लिए तिथियों की घोषणा नहीं की जा रही है।

सब जगह जोड़-तोड़ की राजनीति चलायी जा रही है। आज पुलिस और पैसे के माध्यम से हमारी सीटों के लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है और आतंकित किया जा रहा है और उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, इसलिये मैं लोकसभा के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किये जाने की मांग करता हूं। ...(**व्यवधान**)

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारे लोगों को जेलों में डाला जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह ज्युडिशियल मैटर है, पार्लियामेंटरी मैटर नहीं है।

...(**व्यवधान**)...

डा. जी.एल. कनोजिया (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, 5 अप्रैल को लखनऊ में बैलट पेपर्स इकट्ठे किये थे और हमने डी.एम. को दिये हैं। हमने फैक्स दिया है, उसका रिकार्ड है और जो लोग वहां पर उपस्थित थे, उनको दिखाया और लिखकर दिया। तब डी.एम. ने कहा कि दुबारा चुनाव करवायेंगे लेकिन वहां पर चुनाव नहीं हुये हैं। चार जगह पर हमारे कैंडीडेट्स को 19, 17, 12, 200 से जीता हुआ डिकलेयर किया गया लेकिन उनको जिला स्तर पर हराया हुआ दिखाया गया, उसका फैक्स किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब चर्चा हो रही है, इससे और कुछ ज्यादा नहीं कहना है। आपने अपना लक्ष्य केन्द्रित कर दिया है, अब बैठ जाएं। ज्यादा डीटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। जो सरकार स्वंतत्र निष्पक्ष पंचायत चुनाव नहीं करा सकती है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम केन्द्र से कहते हैं कि वह उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करे और स्थिति को सुधारे। यह मांग करने का हमारा अधिकार है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं। आप अपने अधिकार में हैं।

[हिन्दी]

मगर बाकी चीजों की बारीकियों में नहीं जाना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बारीकियां ऐसी जरूरी नहीं हैं लेकिन हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके खिलाफ और केन्द्र की उत्तर प्रदेश के बारे में जो नीति है तथा उत्तर प्रदेश की सरकार जिस नीति पर चल रही है, उससे कांग्रेस का सफाया हो जायेगा। हमारा कहना यह है कि उनका सफाया हो या न हो, हम अपना रोष व्यक्त करते हुये सदन से बाहर जा रहे हैं।

12.28 म.प.

तत्पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायणन, मैंने आपको अनुमति दी है और फिर भी इससे पहले कि आप अपनी बात आरम्भ करें मैं कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिनका आपको अपने वक्तव्य के दौरान पालन करना होगा। एक नियम यह है कि सदस्य अपने भाषण में उच्च पदस्थ व्यक्ति के व्यवहार पर टिप्पणी नहीं करेगा जब तक कि चर्चा ठोस प्रस्ताव पर आधारित न हो। और ऐसा आपने अब तक नहीं किया है और फिर भी मैं आपको अनुमति दे रहा हूं यदि आप चाहें तो आपको यह बात ध्यान में रखकर अपना वक्तव्य देना होगा अन्यथा मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो सवाल उठाया था, उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें यह हुआ कि आप बैठ जाएं या फिर कोर्ट में जाएं, आपको न्याय मिलेगा।

12.30 म.प.

तमिलनाडु के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच कथित तनाव के बारे में

[अनुवाद]

श्री पी.जी. नारायणन (गोबीचेट्टीपालयम) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु के राज्यपाल के माध्यम से डा. पुराची थलायवी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित तमिलनाडु सरकार को अस्थिर बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसा दुर्भावना पूर्वक तथा व्यक्तिगत बदले की भावना से किया जा रहा है।...*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा।

श्री पी.जी. नारायणन : वहां संवैधानिक प्राधिकारी ने मुख्य मंत्री तथा तमिलनाडु सरकार से खुला युद्ध आरम्भ कर दिया है। पिछले 2 वर्ष से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री से उनके सम्बन्ध बिगड़े हुए हैं और ऐसा व्यक्ति हमारी मुख्यमंत्री, जो राज्य की निर्वाचित नेता हैं, पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे रहा है। वहां बिल्कुल सुरक्षा नहीं है।...(व्यवधान)...**

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : महोदय, यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो बातें रिकार्ड में नहीं जा सकती वे रिकार्ड में नहीं जाएंगी।

...(व्यवधान)...

श्री पी.जी. नारायणन : महोदय, सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री जो राज्य का निर्वाचित नेता होता है, के परामर्श से की जानी चाहिए, लेकिन गृह मंत्रालय इस सिफारिश की अनेक वर्षों से उपेक्षा करता आ रहा है। अब मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल की नियुक्ति की मात्र सूचना दी जाती है जो लोकतांत्रिक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को पहले ही सतर्क कर चुका हूं कि आप नियमों के अनुसार ही बोलें।

...(व्यवधान)...

श्री पी.जी. नारायणन : महोदय, प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास राज्य सरकार द्वारा जो भी फाइलें भेजी जाती हैं, वह उन्हें निकालने में विलम्ब करते हैं...(व्यवधान) महोदय, हम संवैधानिक प्राधिकारी अर्थात राज्यपाल का बहुत आदर व सम्मान करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझ लें कि उन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आपको ठोस प्रस्ताव पेश करना होगा। अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा।

श्री पी.जी. नारायणन : ...*

अध्यक्ष महोदय : कृपया नियमों के अनुसार चलें।

श्री पी.जी. नारायणन : महोदय..." अब राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए अपनी मांग पर जोर देने हेतु हमने आज संसद भवन के बाहर प्रदर्शन दिया। तमिलनाडु के राज्यपाल को वहां बनाये रखने के केन्द्रीय सरकार के रवैये पर मुझे आपत्ति है। हम पिछले एक वर्ष से राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। जब प्रधानमंत्री ने पांडिचेरी के मुख्यमंत्री के अनुरोध का आदर किया है और वहां नया राज्यपाल नियुक्त किया है तो हमारी मांग का अभी तक आदर क्यों नहीं किया गया है ?..."

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माईक काम नहीं कर रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्री पी.जी. नारायणन सभा में ए.आई.ए.डी.एम. के नेता हैं। वह बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं इस मामले के विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं ऐसी बात भी नहीं कहना चाहता, जिससे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता हो। यह चिन्ता का विषय है कि पिछले एक वर्ष से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा तमिलनाडु के राज्यपाल के बीच खुला टकराव चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

यह संसदीय लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि इस खुले टकराव के प्रति केन्द्रीय सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। यह अच्छी बात नहीं है। दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने की स्थिति में पहुँच गए हैं। तमिलनाडु का प्रशासन पूर्णतः ठप्प हो गया है। अनेक मुख्यमंत्रियों ने अपने वक्तव्यों में खुलकर चिंता व्यक्त की है। यह बहुत की चिंता का विषय है। एक गम्भीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में पहल करे तथा हस्तक्षेप कर समुचित हल निकाले। यदि राज्यपाल को स्थानान्तरित करना पड़े, तो स्थानांतरित किया जाए। यदि कोई हल निकालना है तो निकाला जाए। परन्तु मेरी रुचि है कि इसका कोई समाधान निकालना होगा। प्रशासन को दण्ड क्यों मिले।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, अभी जो मामला माननीय सदस्य ने सदन में उठाया वह गंभीर है। तमिलनाडु में पिछले एक वर्ष से जिस तरह से राजप्रमुख और चुने हुए चीफ मिनिस्टर के बीच में जो तनाव है, सरकारिया कमीशन ने जो रिकमण्डेसंस की थी यदि हमने उनका पालन किया होता, जो लोकशाही और लोकतंत्र है, चुने हुए लोग हैं यदि उनका पालन किया होता तो आज यह अप्रिय और जिस तरह का तनाव और राजनैतिक वातावरण बना हुआ है यह नहीं बनता। हमारी सरकार के जमाने में हम लोकपाल बिल लाये थे। इसे कमेटी ने पास कर दिया, बिल इंट्रोड्यूस भी हो गया लेकिन जबसे यह सरकार आयी है उस बिल का विदड्रा कर लिया। भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उसके लिए लोग कहां जायें यह एक संकट का सवाल है।

मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जितने लोग हैं, उनके बारे में यदि किसी को कोई शिकायत है तो लोकतंत्र की सीमाओं में रहते हुये कैसे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये, इस बारे में हमे सोचना है। यदि लोकपाल बिल की व्यवस्था हमने लोकसभा में की होती, सूबों में की होती तो आज जो समस्या हमारे सामने आयी है, वह समस्या न आयी होती।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में गवर्नर महोदय के कारण जो स्थिति आज पैदा हुई है, उसे हम सब जानते हैं। हर स्टेट में गवर्नर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, यह सर्वविदित है और सबको इसकी जानकारी है। अध्यक्ष जी, उनकी किसी रिकमेंडेशन पर यदि कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो तो वह ठीक नहीं लगता, दुरुस्त नहीं लगता।

इसलिये अंत में, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और विनती करता हूं कि यहां पहले जो लोकपाल बिल सलैक्ट कमेटी द्वारा लाया गया था, उसे फिर से लाकर पास कराना चाहिये, ताकि प्रधानमंत्री से लेकर, सभी मंत्री-गण और जितने हम चुने हुये प्रतिनिधि हैं, चाहे लोक सभा में हैं या सूबों में हैं, उनके बारे में स्पष्ट व्यवस्था को लागू किया जा सके और देश के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, उसका निदान हो सके, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य का विषय है कि समय-समय पर हमारे देश में ऐसे विवाद पैदा हो जाते हैं जिससे हमारी संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति पर तनाव पैदा होता है। मैं किसी विशेष मामले की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही किसी व्यक्ति का नाम ले रहा हूं। लेकिन महोदय यह ऐसा मामला है जिससे परिहार्य तनाव पैदा होता है। अतः जब सरकारिया आयोग ने कुछ सिफारिशें की थी, उचित तो यह था कि सरकार उन सिफारिशों पर समुचित कार्यवाही करती।

महोदय विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति के समय से ही कुछ प्रश्न पैदा होते हैं। हमारे जैसे देश में सम्भावनाएं ही नहीं, अपितु विभिन्न राज्यों में केन्द्र में भिन्न अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें है। राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक तथा व्यक्तिगत वैमनस्य पैदा हो रहा है, जिससे उच्च पदों की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। त्रिपुरा में ऐसे मानले हुए है। वहां निर्वाचित सरकार के कार्यकरण में हस्तक्षेप की गम्भीर शिकायतें पाई गई हैं। अब समय आ गया है कि इन मामलों पर सरकार विचार करे, अध्ययन करे और चर्चा करे। इस सम्बन्ध में सरकारिया आयोग की कुछ सिफरिशें तो ध्यान देने योग्य है। उन सिफारिशों को विचार कर उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

फिर हम पाते हैं विभिन्न राज्यों में कई राज्यपालों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। एक सम्मान्नीय राज्यपाल-महोदय ने मुझे बताया कि वह अब दैनिक मजदूरी पर हैं। उन्हें कल पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। वह कहते है : "मैं नहीं कह सकता कि क्या मुझे अपना सूटकेस पैक करके तैयार रखना चाहिए अथवा नहीं।" क्योंकि यदि कल किसी अन्य की यहां नियुक्ति हो जाती है तो इस राज्यपाल को तुरन्त राजभवन छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार की गम्भीर परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। प्रश्न यह है कि जब सेवामुक्ति की तिथियों का पता है तो नियुक्तियां क्यों नहीं की जाती है ? कम से कम यदि किसी व्यक्ति को अपने पद पर बनाए रखना है तो उसे यह तो बताया जाना चाहिए कि वह वहां एक वर्ष या 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। ऐसे अनावश्यक और परिहार्य तनाव इस प्रणाली में व्याप्त हैं। भ्रष्टाचार तथा ऐसे गम्भीर चिंता के मामले हो सकते हैं। इस मामले में क्या रवैया अपनाया जाना चाहिए कोई नहीं जानता। सरकार कोई वक्तव्य नहीं देती है। केन्द्रीय सरकार के मत की किसी को जानकारी नहीं है। आरोप, और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, मामले सड़कों पर पहुंच जाते हैं। संसद भवन के समक्ष प्रदर्शन किए जाते

है। ये सभी परिहार्य बातें हैं। मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री महोदय इस मामले पर ध्यान दें। इसकी उपेक्षा या अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए लोग सोचते हैं कि क्या देश में कोई सरकार है भी या नहीं। गम्भीर मामलों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इन मामलों को प्रेस में और सड़कों पर उछाला जाता है। इन बातों से हमारा संवैधानिक ढांचा, हमारा संसदीय लोकतंत्र सशक्त नहीं होगा। अतः इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन मामलों पर निर्णय देने की मेरी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि ये विवादग्रस्त मामले हैं। किसी राज्य के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच सम्बन्ध बहुत ही गम्भीर मामला है और इसे किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष सरकार की बात पर नहीं छोड़ना चाहिए। देश में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध होने चाहिए। अतः सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार कर उन्हें लागू किया जाना चाहिए। श्री शरद यादव ने लोकपाल विधेयक के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। जब आरोप लगाए गए हैं तो उनकी जांच करने के लिए कोई प्राधिकारी या कोई एजेंसी होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि इस बारे में कुछ किया जाए देश में व्याप्त तनाव को कम करने के लिए कम से कम कुछ प्रयास तो किए जाने चाहिए।

श्री एस.पी. सिदनाल (बेलगांव) : महोदय, बेलगांव, कर्नाटक में दस से पंद्रह लोगों की हत्या कर दी गई है।...**(व्यवधान)**

श्री पी.जी. नारायणन : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? यह बहुत ही गम्भीर मामला है?

श्री एस.बी. सिदनाल : कर्नाटक, विशेषकर बेलगांव जिले के गोकक तालुका में कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। इससे घटी अनेक घटनाओं के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी घटनाओं की पुलिस केवल मात्र चश्मदीद गवाह है। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार ने भी कोई कार्यवाही नहीं की है। घटना कोन्नूर गांव में घटी है। एक भूतपूर्व विधायक के मकान को आग लगा दी गई है।...**(व्यवधान)**

श्री पी.जी. नारायणन : हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री एस.बी. सिदनाल : मेरा माननीय गृहमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां शांति स्थापित करने के लिए न्यायिक जांच कराई जाए और तदनुसार पुलिस को निर्देश दिया जाए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप क्या चाहते हैं? मैं भी तो जानूं आप क्या चाहते हैं। (मुझे सोचने दें) इस मामले में क्या किया जा सकता है।

श्री पी.जी. नारायणन : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। इसके लिए वहां के राज्यपाल को बदलना है। इस पर सरकार का क्या उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामले सदन में नहीं उठाए जा सकते है। मैं नहीं समझता कि सरकार इसका उत्तर देगी।

...**(व्यवधान)**...

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से एक अनुरोध है। श्री शरद यादव के कुछ टिप्पणियां की है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने अपनी शंका व्यक्त की है। इस मामले की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। राज्य में सम्पूर्ण प्रशासन ठप्प हो गया है। यह भी सच है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल लड़ते हुए सड़कों पर आ गए है। तमिलनाडु में प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर यह बात है। कल मैं मद्रास में था। वहां सम्पूर्ण वातावरण पूरी तरह दूषित हो गया है। हम आपसे केवल यह चाहते हैं कि भारत सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे क्योंकि प्रेस रिपोर्टों के अनुसार राज्यपाल ने ऐसा निर्णय प्रधानमंत्री से सलाह किए बिना किया है। माननीय सदस्य कहते है राज्य सरकार को अस्थिर बनाने में प्रधानमंत्री की राज्यपाल से सांठ-गांठ है। क्या ऐसा है ? अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा वहां कुछ नहीं हो रहा है। भारत सरकार को कम से कम अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जिससे केन्द्र और राज्य के बीच अनावश्यक तनाव पैदा न हो और लोगों के मन में अनावश्यक शंका पैदा न हो।

श्री शरद यादव तथा श्री सोमनाथ चटर्जी ने अत्यंत मौलिक प्रश्न उठाए हैं। मैं नहीं जानता सरकार कब निर्णय लेगी। लेकिन मामूली से मामलों पर सरकार तमिलनाडु की घटनाओं को टाल सकती थी। मैं भारत सरकार के मनोविज्ञान को नहीं समझा पा रहा हूं। कृपया हमारी सहायता करें और ऐसे मामलों पर भारत सरकार को अपना मत व्यक्त करने के लिए कहे।

जन संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं इस आरोप का पुरजोर खण्डन करता हूं कि भारत सरकार अथवा प्रधानमंत्री का इस मामले से कोई लेना देना है। हमारा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। जो कुछ भी घटा है वह स्थानीय स्तर पर हुआ है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है।...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। क्या कोई मंत्री और वह भी संसदीय कार्य मंत्री यह कह सकता है कि, जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपस में लड़ रहे हैं, भारत सरकार को इसमें कोई लेना देना नहीं है ? मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि यदि भारत सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करने का प्रयास किया होता तो यह दुखद स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरा वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम ऐसी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हम इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यह मामला भड़काया है। हमारे इससे कोई सरोकार नहीं है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप लोग बार-बार क्यों उठ रहे हैं ? लोकनाथ जी आप बैठ जाइये। मेरे खड़े होने पर आपको बैठना पड़ता है।

[अनुवाद]

पहले आप बैठ जाइये। लोकनाथ जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया पहले आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मामला बहुत नाजुक है। और बहुत गम्भीर भी है तथा श्री चन्द्र शेखर जी और अन्य सदस्यों ने इस मामले को सदन में बड़े सही तरह से प्रस्तुत किया है। किन्तु मैं नहीं समझता जब ऐसे मामले शून्य काल में उठाये जाते हैं तो सरकार उन पर कोई ध्यान देगी। उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा अथवा गृह मंत्रालय से संबंधित मांगों पर चर्चा के दौरान सरकार इस मामले पर कुछ कहेगी। यह बात गलत होगी कि पीठीसीन अधिकारी मंत्री को निर्देश दें कि इस मामले पर विचार करे। लेकिन साथ ही स्थान और मामला इतना अधिक गम्भीर है कि हमें इस पर ध्यान देना ही चाहिए। मैं आशा करता हूं सदस्य अब शान्त हो जाएंगे।

...(व्यवधान)...

श्री पी.जी. नारायणन : यह अनेक महीनों से चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री शरद यादव : मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। आपने अभी ठीक कहा कि जीरो आवर में जो सवाल उठाए जाते हैं। उस पर सरकार विस्तार से जवाब दे या न दे यह उनकी मर्जी है। इस बात पर उन्होंने रिसपोंड किया व चन्द्रशेखर जी ने भी इंटरवीन किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो क्राइसिस वहां बनी हुई है, उसके बाबत जिस तरह की हालत वहां है, उसके बारे में सरकार अपने पक्ष को स्पष्ट करे व उस समस्या का समाधान निकाले।

दूसरा, मैंने जो अंत में कहा कि ये समस्यायें और ज्यादा न बढ़े, इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए। यह जो, लोकपाल वाला मामला है या जो भ्रष्टाचार का मामला है...

अध्यक्ष महोदय : आपने कह दिया है उसका जवाब आपको मिल जायेगा। बार-बार रिपीट करने से क्या फायदा।

श्री शरद यादव : ऐसा नहीं है कि यहां जो समस्या उठायी गयी है, उसके बारे में मंत्री जी ने रिसपोंड नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला उनके हाथ में नहीं है।

श्री शरद यादव : इससे तो किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। अगर आप इस जवाब से सेटिसफाईड हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शरद जी आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। मैंने कहा है कि मामला बहुत नाजुक है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह मामला उठाया है। उचित समय पर इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। यह एक तरह का निर्देश है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : इससे तो किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। अगर आप इस जवाब से सेटिसफाईड हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से आता हूं। अभी हिंदु चेतना मंच की तरफ से मेरे देवास जिले के उदयनगर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें साध्वी ऋतंभरा का भाषण था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह मामले कैसे उठा सकते हैं?

...(व्यवधान)...

श्री पी.जी. नारायणन : चूंकि हम सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं हैं, अतः हम सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

12.54 म.प.

इस समय श्री पी.जी. नारायणन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।

श्री एच.आर. कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : उनका कहना है कि वह जिम्मेदार नहीं है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : उनके भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन उसके दूसरे दिन रात के तीन बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मध्यप्रदेश में इस तरह एक साधु महिला का अपमान किया गया है। महिलाओं के साथ जो भी अपमान हो रहे हैं, उस पर इस सदन में भी चर्चा हुई है..**(व्यवधान)** आज उनकी गिरफ्तारी को लेकर पूरा मध्यप्रदेश बंद है।...**(व्यवधान)** उनके गुरू को भी गिरफ्तार किया गया है ...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में राजनैतिक दुर्भावना को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया है ...**(व्यवधान)** राजनैतिक दुर्भावना के कारण साध्वी ऋतंभरा को रात के तीन बजे गिरफ्तार किया गया है। मैं वहां का सांसद हूं....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कोर्ट में जाइये। कोर्ट स्वतंत्र है। आप वहां जाकर शिकायत कीजिये।

...(व्यवधान)...*

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री रावत का वक्तव्य रिकार्ड में जायेगा, अन्य नहीं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, विगत 30 मार्च से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में से अधिकांश जिलों में जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिए गए सुझाव के अनुरूप आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की मांग के समर्थन में अधिवक्तागण हड़ताल पर हैं।...**(व्यवधान)** सारी न्यायिक प्रक्रिया ठप्प पड़ी है। वादकारियों को भी भारी कष्ट हो रहा है। कल दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर हजारों वकीलों ने धरना दिया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति की मांग है कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को केन्द्र सरकार अविलंब लागू कर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ आगरा में, तमिलनाडु हाई कोर्ट की खंड पीठ मदुरई में तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ रायपुर में स्थापित करें।...**(व्यवधान)** केन्द्र सरकार कहती है कि जसंवत सिंह आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए उसने संबंधित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का अभिमत मांगा है तथा प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना पर आने वाले व्यय भार को वहन करने का प्रस्ताव करें।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। लोकनाथ जी, मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। आपको समझना चाहिए कि ऐसे मामले सदन में नहीं उठाए जाते। लेकिन मैं इसे उठाने की आपको अनुमति देता हूं। बेहतर होगा यदि ऐसे मामले यहां उठाने के बजाए न्यायालय में ले जायें। यदि आप यह नहीं समझते और यदि आप सदन के समय का दरुपयोग करते हैं तो आप अन्य सभी सदस्यों से अन्याय करते हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मेरा आरोप है कि केन्द्र सरकार जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को दस साल से ठंडे बस्ते में डाले पड़ी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जसवंत सिंह आयोग की स्थापना देश में विभिन्न न्यायालयों की खंडपीठ स्थापित करने की मांग की जांच परख करने के लिए की थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने से संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों व राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श कर लिया था। ...**(व्यवधान)** उसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से भी विचार-विमर्श किया था। आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार ने खंडपीठ के निर्माण पर आने वाली व्यय राशि के वहन करने का वचन दिया था। रिपोर्ट में ही इसका उल्लेख है। फिर पुनः इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का अभिमत जानने का बहाना ढूंढकर जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने में टालमटोल क्यों की जा रही है।...**(व्यवधान)** श्रीमती इंदिरा गांधी ने आयोग के गठन के समय वायदा किया था कि आयोग की रिपोर्ट का अक्षरक्षः क्रियान्वयन होगा। अब राजनैतिक दबाव से आयोग की रिपोर्ट में सुझाए स्थान के परिवर्तन की बात भी सुनाई देती है। आगरा में हाई कोर्ट था मगर क्रान्तिकारियों का केन्द्र होने के कारण अंग्रेजों ने वहां से उसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया था।...**(व्यवधान)** आजादी के बाद आशा थी कि हाई कोर्ट आगरा को बहाल कर दिया जाएगा। वह तो हुआ नहीं लेकिन अब खंडपीठ से भी वंचित करने का षडयंत्र हो रहा है। अतः मेरी केन्द्र संरकार से मांग है कि वह राजनैतिक दांवपेचों में उलझने के स्थान पर अविलंब जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करें और आगरा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खंडपीठ की स्थापना करें। ...**(व्यवधान)**

1.00 म.प.

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : न्यूजपेपर एसोसिऐशन आफ इण्डिया ने अखबारी कागज के मूल्यों पर नियंत्रण के बारे में सरकार के निर्णय के विरोध में 27 अप्रैल, 1995 को समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं करने का आह्वान किया है। अखबारी कागज के मूल्य बढ़कर दुगने हो गए है। जिसके फलस्वरूप कोई भी समाचार पत्र अपने समाचार पत्रों का प्रकाशन जारी नहीं रख सकता। सरकार ने अखबारी कागज के मूल्य निर्धारित करने के स्थान पर स्वदेशी कागज निर्माताओं को अन्धाधुन्ध मूल्य बढ़ाने की छूट दे दी है। अतः सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए और न्यूजपेपर एसोसियेशन आफ इण्डिया को चर्चा में बुलाकर ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिससे 27 अप्रैल, 1995 को समाचार पत्रों का छपना या प्रकाशन बन्द न हो।

1.01 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

बिहार राज्य के सम्बन्ध में 28 मार्च, 1995 को पहले जारी की गई उद्घोषणा को वापस लेते हुए 4 अप्रैल, 1995 की उद्घोषणा

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : मैं श्री एस. बी. चव्हाण की ओर से बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च, 1995 को जारी की गई पूर्ववर्ती उद्घोषणा को संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत वापस लेते हुए राष्ट्रपति द्वारा 4 अप्रैल, 1995 को जारी की गई उद्घोषणा, जो 4 अप्रैल, 1995

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 327(अ) में प्रकाशित हुई थी, की संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7406/95]

भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :

(1) (एक) भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.7407/95]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप–धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) चीनी (1974-75 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश 1995 जो 22 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76(अ)/आ.व./चीनी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चीनी (1975-76 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1995 जो 22 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 77(अ)आ.व./चीनी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चीनी (1976-77 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1995 जो 22 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 78(अ)/आ.व./चीनी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) चीनी (1977-78 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1995 जो 22 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79(अ)/आ.व./चीनी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) चीनी (1978-79 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1995 जो 22 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 80(अ)/आ.व./चीनी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) चीनी (1979-80 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1995 जो 22 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 81(अ)/आ.व./चीनी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7408/95]

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लि. का वर्ष 1993-94 का वार्षिक पतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं श्री बूटा सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों के निबन्धन और सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 1994 जो 12 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बी.आई.एस./ई.सी./आर.ई.जी./3 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की शक्तियां और कर्तव्य) संशोधन विनियम, 1994 जो 23 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बी.आई.एस./ई.सी./आर.ई.जी./5 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणीकरण) संशोधन विनियम, 1994 जो 27 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बी.आई.एस./ई.सी./आर.ई.जी./6 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला तकनीकी पदों पर भर्ती) संशोधन विनियम, 1994 जो 23 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बी.आई.एस./ई.सी./आर.ई. जी./8 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 1994 जो 7 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 791 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासनिक वित्तीय और अन्य पदों प. भर्ती) संशोधन विनियम, 1994 जो 19 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बी.आई.एस./ई.सी./आर.ई. जी./9 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7409/95]

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7410/95]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजीटेबिल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित, लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.7411/95]

हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का प्रतिवेदन, तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7412/95]

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7413/95]

स्मिथ स्टनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) स्मिथ स्टनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7414/95]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : मैं श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7415/95]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(एक) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7416/95]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 3499, जो 17 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कृषि और सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव (उर्वरक) को उर्वरक नियंत्रक के रूप में नियुक्त करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 44 (अ), जो 17 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 27 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा उर्वरक निरीक्षकों की नियुक्ति के बारे में हैं।

(तीन) का.आ. 326 (अ), जो 6 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 6 अप्रैल, 1995 से 19 जनवरी, 1996 तक की अवधि के लिए भारत में यूरिया के आयात के संबंध में विनिर्देश विहित किये गये हैं।

(चार) उर्वरक (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1995, जो 17 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 34 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(पांच) का.आ. 343 (अ), जो 18 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 1995 से 30 सितम्बर, 1995 तक की अवधि (1995 का खरीफ मौसम) के दौरान घरेलू उर्वरक उत्पादकों द्वारा विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्ड को की जाने ाली उर्वरकों की पूर्ति के बारे में बताया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7417/95]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कर्नाटक मीट एण्ड पौल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक मीट एण्ड पौल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7418/95]

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :

(1) (क) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7419/95]

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7420/95]

(तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7421/95]

(ख) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7422/95]

(ग) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7423/95]

(3) (एक) महिला समाख्या सोसाइटी, कर्नाटक के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महिला समाख्या सोसाइटी, कर्नाटक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7424/95]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7425/95]

(7) (एक) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7426/95]

1-01½ म.प.

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : महोदय, 31 मार्च, 1995 को सभा को दी गई सूचना के बाद से वर्तमान सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1995

(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 1995

(3) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995

(4) विनियोग विधेयक, 1995

(5) जम्मू-कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995

(6) जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 1995

(7) बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995

(8) बिहार विनियोग विधेयक, 1995

1.02 म.प.

प्राक्कलन समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

डा. कृपा सिंधु भोई (सम्बलपुर) : मैं गृह मंत्रालय–पुलिस तथा अर्ध-सैनिक बलों के आधुनिकीकरण के बारे में प्राक्कलन समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.02-¼ म.प.

लोक लेखा समिति

95वां तथा 96वां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं लोक लेखा समिति में निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) के बारे में 95वां प्रतिवेदन।

(2) स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (1991-92) से अधिक व्यय के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 74वें प्रतिवेदन पर की गई कारवाई के बारे में 96वां प्रतिवेदन।

1.02-½ म.प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की गई कार्यवाही विवरण

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग-एक विदेशी ठेकेदार की शर्तों से हट कर 89.06 लाख रुपए का किया गया परिहार्य भुगतान के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड-दोषपूर्ण बिलेटों का आयात के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) का सोलहवां प्रतिवेदन।

(3) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड/अन्य सरकारी उपक्रमों के स्क्रैप का निप्टान के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) का छब्बीसवां प्रतिवेदन।

1.03 म.प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

चवालीसवां, पैंतालीसवां, छियालीसवां और सैंतालीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति के तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) पर्यावरण और वन मंत्रालय-वन संसाधनों पर जनजाति के लोगों के अधिकार तथा पहुंच के संबंध में वन नीति के संबंध में चवालीसवां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)-समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यकरण (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई सहायता) के बारे में पैंतालीसवां प्रतिवेदन।

(3) कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार तथा

उनके प्रति किए जाने वाले सामाजिक अपराधों के स्वरूप के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में छियालीसवां प्रतिवेदन।

(4) कोयला मंत्रालय-कोल इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सैंतालीसवां प्रतिवेदन।

1.03-¼ म.प.

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.03-½ म.प.

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

17वां तथा 18वां प्रतिवेदन

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन।

(2) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन।

1.04 म.प.

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

10वां तथा 11वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : मैं वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पूर्ति विभाग (वाणिज्य मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में दसवां प्रतिवेदन; और

(2) चाय के संबंध में ग्याहरवां प्रतिवेदन।

1.04½ म.प.

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

सत्रहवां, अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : मैं युवा कार्य और खेल, संस्कृति, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और महिला और बाल विकास विभागों की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में क्रमशः सत्रहवें, अठारहवें, उन्नीसवें, बीसवें और इक्कीसवें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

1.05 म.प.

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री सुखेन्दु खां (विष्णुपुर) : मैं परिवहन और पर्यटन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.06 म.प.

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं श्री माधवराव सिंधिया की ओर से प्रस्ताव करती हूं :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खण्ड (1) के उपखंड (चौबीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से पांच सदस्य

उक्त परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खण्ड (1) के उपखंड (चौबीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से पांच सदस्य उक्त परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं श्री माधवराव सिंधिया की ओर से प्रस्ताव करती हूं :

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31(2)(ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31(2)(ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4(2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से चार सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4(2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से चार सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) पशु कल्याण बोर्ड

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से चार सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण आधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से चार सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.08 म.प.

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1992-93

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री सी.के. जाफर शरीर की ओर से वर्ष 1992-93 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगे दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7485/95]

1.09 म.प.

राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक*

जलभूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

1.10 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) असम के धूबरी जिले में रूपसी हवाई अड्डे को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री नूरूल इस्लाम (धूबरी) : असम के धूबरी जिले के वाणिज्यिक और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस क्षेत्र के रूपसी नामक स्थान पर एक बहुत बडा हवाई अड्डा बनाया था जो 1981 तक चालू रहा था। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे आर्थिक रूप से अलाभकर करार देकर इस हवाई अड्डे को अचानक बन्द कर दिया। प्राधिकरण ने इस हवाई अड्डे को बोइंग विमानों के लिए अयोग्य बताकर इसे चालू करने से इंकार कर दिया। इस हवाई अड्डे को बोइंग उड़ानों के योग्य बनाने के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च आयेंगे। नई उदार आर्थिक नीति तथा देश के प्रत्येक पिछड़े क्षेत्रों के शीघ्र और समान विकास को ध्यान में रखते हुए हवाई संचार व्यवस्था एक अनिवार्य आधारभूत सुविधा बन गई है। रूपसी हवाई अड्डा बागडोगरा (पश्चिम बंगाल) और बोरम्यार (असम) के बीच पिछड़े क्षेत्र में स्थित है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है।

वाणिज्यिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रूपसी हवाई अड्डा बहुत लम्बे समय अप्रयुक्त पड़ा हुआ है। पता चला है इस हवाई अड्डे को सामरिक कारणों से अर्ध सैनिक बलों को सौंपने का प्रस्ताव है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसमें हस्तक्षेप करें और रूपसी हवाई अड्डे पर हवाई संचार व्यवस्था फिर से बहाल करे जिससे इस क्षेत्र का सार्वजनिक, आर्थिक तथा वाणिज्यिक विकास हो।

(दो) कर्नाटक में विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता।

श्री के.जी. शिवप्पा (शिमोगा) : महोदय, प्रसिद्ध विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने बहुत वर्ष पहले अधिग्रहण कर लिया था। इसके अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य उद्योग को आधुनिक बनाना और इसके कर्मचारियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करना तथा अधिक मुनाफा कमाना था।

किन्तु इनमें से कोई भी उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ और सभी ओर स्थिति भ्रामक बनी हुई है। इस समय जो ठेकेदार वहां ठेका ले रहे हैं। उन्हें भी अपने हितों की चिंता है।

यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो हर वर्ष घाटा बढ़ता जायेगा और एक समय आयेगा जब सरकार को इस उद्योग को बन्द करना पड़ेगा जिसकी स्थापना भारत रत्न स्वर्गीय श्री एम. विश्वेश्वरैया ने की थी।

अतः मैं उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दें और इस उद्योग को सुदृढ़ बनाएं ताकि यह पर्याप्त लाभ कमाने लगे और कर्नाटक, विशेषकर भद्रावती के लोगों का स्वप्न साकार हो जाए।

(तीन) महाराष्ट्र में पाटन में कम शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड़) : महोदय, सतारा और कराड़ में स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटर महाराष्ट्र के सतारा जिले के पश्चिमी भाग को पूरी तरह से सेवित नहीं कर पा रहे हैं। यह क्षेत्र, विशेषतया पाटन तहसील पर्वतीय क्षेत्र है तथा आर्थिक रूप से विकसित है। कोयनानगर में कोयना नदी पर एक विशाल सिंचाई परियोजना से बहुत लोग विस्थापित और बेघर हो गए हैं। यह क्षेत्र भूकम्प-प्रवण क्षेत्र है तथा हाल ही में बार–बार आए भूकम्प से बहुत अधिक हानि हुई है। यहां के बहुत से लोग बम्बई में मथाड़ी का मगार के रूप में काम करते हैं। पाटन तहसील के आसपास के लोगों को सेवित करने के लिए एक ट्रांसमीटर लगाए जाने की बहुत लम्बे समय से मांग की जा रही है।

अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि पाटन तहसील के पहाड़ी क्षेत्रों को दूरदर्शन सेवा के अन्तर्गत लाने के लिए पाटन में प्राथमिकता के आधार पर एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर लगाया जाए। इस क्षेत्र के लोगों के कष्टों को कम करने में यह सरकार की सद्भावना का प्रदर्श होगा।

---

* दिनांक 25-4-95 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खण्ड-2 में प्रकाशित।

(चार) मध्य प्रदेश के छत्तीगढ़ क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री खेलन राम जांगडे (विलासपुर) : महोदय, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ क्षेत्र के रायपुर एवं विलासपुर क्षेत्र में जो उद्योग लगे हैं। उनमें स्थानीय लोगों की प्रतिशतता कम है, जिससे यहां के स्थानीय निवासियों को दूसरे स्थानों पर नौकरी हेतु जाना पड़ता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान उद्योग और नये खोले जाने वाले उद्योगों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण देकर उन्हें नौकरी पर रखा जाये जिससे उन्हें अन्य राज्यों में नौकरी हेतु न जाना पड़े और इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों का विकास हो सके।

(पांच) **हिमालय प्रदेश में "गिरिपार क्षेत्र" को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता।**

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : महोदय, जिला देहरादून-उ.प्र. का "जौनसार बाबर क्षेत्र" जो रियासत सिरमौर का भाग था, सन् 1968 में जनजातीय क्षेत्र घोषित हो गया । इसी रियासत का दूसरा भाग "गिरिपार क्षेत्र" जो हिमाचल प्रदेश के हिस्से से लगा है, शत-प्रतिशत समान जनजातीय लक्षणों एवं जनजातीय घोषित किये जाने की पूर्ण शर्तें पूरी करने के बावजूद आज तक जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। 1953 में गठित आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जो लक्षण जनजातियों के लिए लिखे हैं वे सब गिरिपार क्षेत्र व उसके निवासी हर प्रकार से पूरा करते हैं।

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में जौनसार बाबर के लोग सिरमौर के गिरिपार के लोगों के समान है। इन दोनों क्षेत्रों में जोड़दारा (दो भाइयों की एक पत्नी), जेठोंग (ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार), काणछोंग (सबसे छोटे पुत्र का अधिकार) के मापदंड हैं तथा इन्हीं पर बंटवारा आधारित है। बाल-विवाह, पुनर्विवाह और रीति-प्रणाली आम है। बारात दुल्हन के घर से चलती है तथा दूल्हे के दरवाजे पर पहुंचती है। गिरिपार की सभी जातियों में यह रिवाज प्रचलित हैं तथा जौनसार बाबर तथा गिरिपार के अलावा देश के और किसी भी हिस्सें में यह रिवाज प्रचलित नहीं है। जिला सिरमौर के गैज़िटीवर में चेप्टर 3 पृष्ठ 43 से 71 तक में इस ऐतिहासिक तथ्य के बारे में विस्तृत उल्लेख है।

इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किये जाने के बारे में अनु. जाति एवं जन. आयोग भारत सरकार से भी हि.प्र. के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र का दौरा करने के बाद अपने द्वितीय प्रतिवेदन में सिफारिश की है। हि.प्र. विधान सभा की याचिका समिति ने भी इस क्षेत्र का दौरा करके अपनी सिफारिश की है तो प्रदेश सरकार ने भी यह प्रकरण गृह मंत्रालय को भेजा हुआ है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाये।

(छह) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य सरकारों से पर्याप्त पानी की आपूर्ति करने का निर्देश दिए जाने की आवश्यकता।

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : मान्यवर, हरियाणा सरकार एवं उत्तर प्रदेश की सरकार अदालती आदेश के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पानी देने को तैयार नहीं है। इससे दिल्लीवासियों में बेचैनी फैल रही है। अगर गर्मियों में दोनों प्रदेशों ने पानी नहीं दिया, तो हालात बिगड़ जायेंगे।

मेरा जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकार को न्यायालय के आदेश के अनुसार पानी का हिस्सा तुरन्त छोड़ने का निर्देश दें, जिससे दिल्लीवासियों की पानी की समस्या दूर हो सके।

(सात) **पूर्वी क्षेत्र में बागडोगरा विमान पत्तन का दर्जा शीघ्र बढ़ाए जाने की आवश्यकता।**

[अनुवाद]

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : महोदय पर्यटक की दृष्टि से बागडोगरा हवाई अड्डा बहुत अधिक महत्वपूर्ण अड्डा है। बागडोगरा के आसपास, दारजिलिंग, कालिमयोग गंगटोक जैसे पर्यटन स्थलों को देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री ने 1993 में स्पष्ट किया था कि बागडोगरा हवाई अड्डा का शीघ्र ही दर्जा बढ़ाया जायेगा लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

अतः मेरा नागर विमानन और पर्यटन मंत्री से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में तुरन्त आवश्यक कदम उठाएं ताकि इस कारण पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बागडोगरा हवाई अड्डे को पूर्वी क्षेत्र के अधिकांश हवाई अड्डों से जोड़ा जाए, ताकि देश के पूर्वी भाग के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का आना जाना बना रहे।

(आठ) बिहार के सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को समेकित बाल विकास तथा आंगनवाड़ी परियोजनाओं के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के प्रत्येक जिले के कुछ प्रखन्डों में बाल विकास योजना एवं आंगनवाड़ी योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को लाभ मिल रहा है,

जबकि सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत दस प्रखन्ड है। इनमें से एक भी प्रखन्ड को बाल विकास योजना या आंगनवाड़ी योजना में शामिल नहीं किया गया है। सीतामढ़ी जिले में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे ग्रामीण लोगों का प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लोगों की अधिकतम संख्या है। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से सटे अन्य जिलों में इस योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि पूरे बिहार राज्य में कुपोषण के कारण शिशु मृत्यु दर में सीतामढ़ी का स्थान सबसे ऊपर है जिसको उपर्युक्त योजना में शामिल नहीं किया गया है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के कम से कम पांच प्रखन्डों पुपरी, सुरसण्ड, परिहार, रून्नी, सैदपुर, सीतामढ़ी को समेकित बाल विकास एवं आंगनवाड़ी योजना में शामिल कर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों को लाभ पहुंचाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.20 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.19 म.म.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म.प. तक के लिए स्थगित हुई

2.26 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.26 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतराई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 13 फरवरी,1995 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं"

अध्यक्ष महोदय, 2 महीने पहले राष्ट्रपति ने हमें सम्बोधित कर अभिभाषण दिया था। लोकसभा में यह अभूतपूर्व है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करने में इतना अधिक विलम्ब हुआ है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति जी का इस विलम्ब से अनादर नहीं हुआ है। बजट सत्र की व्यवस्था करने हेतु अपनाई गई नई अनुसूची के प्रतिफलों पर विचार करना है। विपक्ष को भी यह विचार करना है कि क्या वह संसद को ऐसी चर्चा के लिए एक मंच मानता है अथवा संसदेत्तर प्रदर्शनों के लिए चौराहा मानता है।

अध्यक्ष महोदय, दसवीं लोकसभा ने अपना एक वर्ष पूरा कर लिया है। यह अवसर पिछले वर्ष की घटनाओं की समीक्षा करने का है कि हमने इस दौरान क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं और क्या क्या शेष रह गया है, क्योंकि जनता का नया जनादेश प्राप्त करने के लिए एक वर्ष का समय रह गया है।

1991 में हमारी शासन प्रणाली डगमगा गई थी, क्योंकि पिछले 18 महीनों से राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी और ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च पदों पर आसीन हो गए थे जो इसके योग्य नहीं थे। एक ऐसे युवा नेता की हत्या कर दी गई जिनका राजनीतिक शक्ति में पुनः आना निश्चित था क्योंकि अल्पसंख्यक सरकार थी उस समय।

महोदय, 1991 के ग्रीष्म मौसम में अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी, मुद्रास्फीति 17 प्रतिशत तक बढ़ रही थी, हमारा कोष खाली था, हमारा रक्षित कोष केवल एक सप्ताह के आयात मूल्य के बराबर ही रह गया था। राष्ट्र एक प्रकार से दीवालिया हो गया था। हमारा सोना विदेशों में चला गया था। हमारे ऋण दाता हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। हमारी साख विश्व में बहुत अधिक गिर गई थी। कश्मीर में पाकिस्तान सक्रिय हो गया था व तीसरे देशों में हो रहे युद्ध के दौरान हम अपनी प्रभुसत्ता को दांव पर रखकर अपने हवाई अड्डे दूसरे देश के आवागमन के लिए खोलने के लिए मजबूर हो रहे थे। हमारा परिहास हो रहा था। विश्व का हमारे प्रति न केवल विश्वास उठ गया था बल्कि हमारे प्रवासी सहयोगियों का भी विश्वास हमारे ऊपर से उठ गया था जो अपनी विदेशी मुद्रा यहां से निकालने लगे थे।

महोदय, इसके ठीक प्रतिकूल 1995 से गर्मियों में हमने वसंत का अनुभव किया और राष्ट्र ने राहत की सांस ली। हमारा लोकतंत्र इस झंझावात से उबर आया। यह सरकार अपनी 5 वर्ष की अवधि पूरी करेगी यद्यपि विपक्ष और हमारे ही कुछ साथी हमारे इस मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस सरकार ने पंचायतों और नगर पालिकाओं से सम्बन्धित संविधान संशोधनों से यह सिद्ध हो गया है हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा सशक्त लोकतंत्र है और इससे देश को नई दिशा मिली है।

महोदय, इस वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था बहुत सशक्त हो गई है जो विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण है। 1995 की इस गर्मी के मौसम में हमारा देश पुनः उस स्थिति में आ गया है जो गौरव इसे पण्डितजी, इन्दिरा जी और राजीव जी के शासन काल में प्राप्त था। हम शीत युद्ध की स्थिति से उबर कर एक नई वास्तविकता में पदार्पण कर गए हैं। महोदय, मैं चार मुख्य विषयों पर बात करना चाहूंगा। लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, शासन प्रणाली और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध हैं।

महोदय, दसवीं लोकसभा इतिहास में मदान सुनियोजित क्रान्ति के रूप में याद की जायेगी क्योंकि इससे देश में एक नई

व्यवस्था आई है। मैं उस संवैधानिक व्यवस्था का उल्लेख करूंगा जिससे पंचायत और नगरपालिकाओं को स्थानीय अधिकार प्राप्त हुए हैं। अनेक राज्यों में पंचायत व्यवस्था तथा नगरपालिकाओं का गठन हुआ है। जिन राज्यों में इनका गठन नहीं हुआ है। वहां शीघ्र ही चुनाव होंगे, यहां तक कि तमिलनाडु में भी यह संवैधानिक व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए हमें दसवीं लोक सभा के सदस्यों के रूप में स्वयं को बधाई देनी चाहिए। क्योंकि ग्राम स्वराज्य के माध्यम से गांधी जी का पूर्ण स्वराज्य का स्वप्न पूरा हुआ है। लोकतंत्र में सहभागिता से भागीदारी के विकास में पहुंचने के पंडित जी का स्वप्न पूरा हुआ है। समाज के निचले स्तर तक शासन सत्ता सौंपने का लोकनायक जय प्रकाश नारायण का स्वप्न पूरा हुआ है। हमारी शासन प्रणाली से बिचौलियों की शक्ति समाप्त कर लोगों को सत्ता सुनिश्चित करने का राजीव गांधी का स्वप्न फलीभूत हुआ है।

दुःख केवल इस बात का है कि तिहत्तरवां और चौहत्तरवां संविधान संशोधन लागू हो रहे हैं। यह हमारा दायित्व है और हमें यह देखना है कि जहां पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। वहां घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव सम्पन्न कराएं जाएं। मुझे यह कहते खेद है कि मेरे राज्य तमिलनाडु की साख इतनी गिर गई है कि मैं ए. आइ.ए.डी.एम.के. के नेता से आश्वासन चाहूंगा कि वह राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण में दिए गए वचन को पूरा करें और जून,1995 तक पंचायत चुनाव सम्पन्न कराए। यदि वहां चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार को इसके लिए स्मरण कराना चाहिए कि वह अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करे।

हमने आज सुबह ही सदन में सुना है कि एक विशेष राज्य में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। मैं विपक्ष के उस नेता को याद दिलाना चाहूंगा, जिसने यह प्रश्न उठाया है कि पंचायत चुनाव के लिए चौंसठवें संविधान सशोधन विधेयक में यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय चुनाव आयोग पंचायत चुनावों के लिए दिशा निर्देश व नियम बनाएगा। लेकिन यह प्रावधान बाद में समाप्त कर दिया गया और उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया। अतः इस अनुभव के आधार पर हमें फिर संविधान में संशोधन करना चाहिए ताकि केन्द्रीय चुनाव आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओ के चुनावों का पर्यवेक्षण करे। यही तरीका है जिससे कि स्थानीय निकायों के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

महोदय, यह भी हमारा संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि हम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को सत्ता के हस्तान्तरण की वास्तविक प्रक्रिया पर निगरानी रखें। क्या नौकर-शाही निर्वाचित स्थानीय निकायों की वास्तव में सहायता कर रही है अथवा उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है। क्या स्थानीय निकायों को अपेक्षित निधियां आवंटित की जा रही है तथा क्या उन्हें वित्तीय प्राधिकार दिया गया है? क्या ग्रामवासियों, तालुको, नगरपालिकाओं और जिलापरिषद की आवश्यकताओं को देखते हुए योजना निर्धारित की जाती है? क्या आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व वास्तव में पंचायतों और नगरपालिकाओं को सौंपा जा रहा है। जो अब संविधान में निर्दिष्ट हैं? हमें सदन के रूप में यह बात स्वीकार करनी होगी कि संवैधानिक रूप से स्वीकृत देश में पंचायती राज की स्थापना के साथ केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों के पुनर्गठन और औचित्य के मानदण्ड बदल गए हैं। अब हमें इन सम्बन्धों को स्थानीय निकायों पर आधारित केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की दृष्टि से देखना है। स्थानीय निकायों को सत्ता का हस्तान्तरण निचले स्तर से ही करना होगा। इसलिए यदि वास्तव में लोगों के हाथों में सत्ता हस्तान्तरित करनी है तो पंचायत और नगर-पालिकाओं को प्रशासनिक और वित्तीय सत्ता सौंपनी होगी। जब तक ऐसी प्रगति परिलक्षित नहीं होती मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों में 'दिल्ली से पल्ली' का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाए। हमने ऐसा 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू करते हुए किया था, लेकिन "दिल्ली से पल्ली" का सिद्धान्त वी.पी. सिंह की सरकार में समाप्त कर दिया गया था। मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि इस सिद्धान्त को बहाल करे या फिर यह संभव नहीं है तो कम से कम लोगों को यह वचन दिया जाए कि यह सिद्धान्त ग्यारहवीं लोकसभा के दौरान गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के कार्यक्रमों संबंधी सभी केन्द्रीय सहायता कार्यक्रमों द्वारा लागू किया जायेगा।

महोदय गरीबी उन्मूलन केन्द्रीय बजट का एकल वृहत्त प्रगति क्षेत्र है अर्थात एक वर्ष में 7700 करोड़ रुपये का परिव्यय वाला कार्यक्रम है और जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक परिव्यय वाला है। इतना अधिक परिव्यय एक वर्ष में रक्षा कार्यक्रमों के लिए भी नहीं है। यह केन्द्रीय परिव्यय ग्रामीण भारत में निर्धन लोगों के लिए आय तथा रोजगार सृजन के लिए ही है। यदि हम देश के सभी गरीब लोगों को शामिल करे तो यह राशि बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये हो जायेगी अर्थात 1500 प्रति परिवार प्रतिवर्ष वे परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं लेकिन इतने विशाल कार्यक्रम को महसूस नहीं किया जा रहा है। इसकी महत्ता नहीं आंकी जा रही है। इसका यही कारण है कि यह कार्यक्रम मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा बहुत ही अयोग्य ढ़ंग से चलाया जा रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को यह कार्यक्रम सौंपा जाए। ये स्थानीय निकाय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमत्री की रोजगार योजना, रोजगार (नियोजन) आश्वासन योजना तथा डी.डब्ल्यु.सी.आर. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में यर्थाथ रूप स अपनी भूमिका निभायेंगे। संसद तो खेल केन्द्र एवं राज्य सरकारों पर निगरानी ही रख सकती है और यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए ससंद ने 73 वें और 74 वें संविधान सशोधन विधेयक पास किए हैं। अब संसद का यह देखना संवैधानिक दायित्व है कि इन संशोधनों का सही ढंग कार्यान्वयन किया जाए।

महोदय 2 और कार्य हैं। पहला है समाज के सामान्य स्तर पर राजनीतिक तथा आर्थिक लोकतंत्र को अर्थपूर्ण बनाने की अनिवार्यता। यह निर्वाचित स्वशासी, और आत्मनिर्भर सहकारी आन्दोलन से संभव है। किन्तु हमारी देश के अनेक भागों में यह आन्दोलन राज्य सरकारों की अयोग्य और भ्रष्ट शाखाओं तक सीमित रह गया है। अनेक वर्षों इनमें चुनाव नहीं हुए हैं। हमें सहकारी आन्दोलन को भी संवैधानिक संरक्षण देना चाहिए जैसा कि हमने पंचायतों और नगरपालिकाओं के मामले में किया है? इस संबंध में वी.पी. सिंह सरकार ने जो सराहनीय कार्य किया वह था वर्ष 1987 की अर्धनारीश्वर समिति के प्रतिवेदन की रिपोर्ट पूरक ब्रह्म प्रकाश समिति का वर्ष 1990 का प्रतिवेदन। दूसरा कार्य इन्दिरा महिला रोजगार योजना का कार्यान्वयन जो अब अपने अन्तिम चरण में है, जब तक हम भारत की महिलाओं को मानसिक रूप से सशक्त और सुदृढ़ नहीं बनायेंगे और राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, राष्ट्र को इसकी 50 प्रतिशत शक्ति से वंचित रखेंगे। राष्ट्र को 50 प्रतिशत अतिरिक्त शक्ति प्रदान करना इन्दिरा महिला योजना का लक्ष्य है। मैं आशा करता हूं कि इस लोक सभा का पूरा अन्तिम वर्ष इन्दिरा महिला योजना वर्ष होगा।

आर्थिक पहलू पर दृष्टि डालने से यह पता चलता है कि हमारे विपक्ष का एक वर्ग स्वदेशी की दुहाई देता है। यह राष्ट्र गांधी वादी समाजवाद से लिया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी आर्थिक नीति का वर्तमान चरण हमारी असफलता का चरण नहीं है, किन्तु हमारी अतीत की सफलता का फल है। नेहरूवादी नीतियों से हम सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बने हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का चहुंमुखी विकास हुआ है। हमें बी.जे.पी. की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में अपने वित्त मंत्री को अनेक बार चेतावनी दे चुका हूं कि श्री जसवंत सिंह की प्रशंसा कभी स्वीकार नहीं करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुम्बन विषैला चुम्बन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इन 50 वर्षों में हमने जो उपलब्धि की है ये उस सबको मलिन करने का प्रयास करते हैं। बी.जे.पी. का हाल का नारा कम्प्यूटर चिप्स यस, पोटेटो चिप्स नो इसका सटीक उत्तर देने की आवश्यकता है। क्या यह सच है कि मनमोहनिक्स अब हमें उपभोक्ता समाज में परिवर्तित कर रहा है, जिससे हम बहुराष्ट्रीय निगमों और विदेशियों के अधीन हो रहे हैं क्या इससे हमारा 'स्वाभिमान स्वावलम्बन और स्वदेशी क्षीण' हो रहा है हमें इस सम्बन्ध में आंकडें देखने चाहिए। औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक जानकारी के अनुसार औद्योगिक उद्यमियों के लगभग 21000 ज्ञापन पंजीकृत किए गए हैं जिनमें निवेश के प्रस्ताव 4,30,000 करोड़ रुपये के इस राशि में से 30,000 करोड़ रुपये का सीधा विदेशी निवेश अर्थात 15 प्रतिशत से भी कम। अब तो यह 10 प्रतिशत से भी कम है, क्योंकि औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन लघु और असंगठित क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा रजिस्टर नहीं कराया जाता है। क्या इससे हमारे स्वदेशी आन्दोलन को हानि हो सकती है, जबकि सम्पूर्ण विदेशी निवेश भारतीय उद्योगपतियों के साथ विदेशी सहयोग में लगा है? क्या इससे हमारी आत्मनिर्भरता पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है? यह याद रखना चाहिए कि 80 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजीनिवेश हमारी प्राथमिकता में है। विश्व हमारी प्राथमिकता को स्वीकृत कर रहा है, जबकि हम दूसरों की प्राथमिकताओं को इससे स्वदेशी अथवा हमारे स्वावलम्बन को खतरा कैसे हुआ? शेष 20 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश सीधे गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र में है। मैं समझता हूं कि इन क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश से इंकार करके हमें लाभ ही होगा। सबसे पहला लाभ तो हमारे किसानों को, और कच्चे माल का उत्पादन करने वालों को होगा। 'फिलोंग' द्वारा दिये जाने वाले प्रीमियम से किसानों को क्यों वंचित किया जाए जो मुंह से मिलता है। चमड़े का सामान बनाने वाले अधिकतर अनुसूचित जाति और अल्प संख्यक वर्ग के लोग है। इनको अधिक लाभ होगा।

दूसरे, उपभोक्ताओं को कम दामों पर अच्छा माल मिलेगा। जब हम यह सहन कर लेते हैं कि कुछ भारतीय तो पंराठा खाकर मौज उड़ाते तो कुछ सूखी रोटियों से ही सन्तोष कर लेते हैं। ऐसी हालत में जब यह कहा जाए कि 'विडियोकोन' 'सोनी' से स्पर्धा नहीं करेगा तो बहुत ही हास्यास्पद होगा। इसी तरह स्पोर्ट शू बनाने वाले रीबॉक को क्यों न अनुमति दी जाए।

यह कौन कहता है कि भारतीय उत्पादक विदेशियों से स्पर्धा नहीं कर सकता? निरमा ने यूनीलिवर तथा प्राक्टर एण्ड गैम्बल का एकाधिकार समाप्त कर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि हमें स्वदेशी में विश्वास नहीं है। ऐसा कहने वाले वही लोग हैं, जिन्हें विदेशी सामान के आगे भारतीय स्वदेशी की क्षमता पर विश्वास नहीं है और जिनमें स्वदेशी, स्वावलंबन का अभाव है।

तीसरे विशाल निर्यात बाजार से क्यों इनकार करें जिससे कृषि उत्पादों तथा अन्य कच्चे माल का संसाधन किया जा सकता है और अन्तर्राष्ट्रीय विपणन किया जा सकता है। विदेशियों को अनुमति "लाभांश सन्तुलन" के आधार पर दी जाती है कि इससे जो भी लाभांश विदेशी निवेशक के देश में जाता है इसके बराबर ही हमें निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा में लाभ होना चाहिए अर्थात हमारा भी उतना ही माल बाहर निर्यात होगा। विदेशी मुद्रा के मामले में हमें एक खोटे पैसे की भी हानि नहीं है। लाभांश सन्तुलन की यही खासियत है। इसलिए बी.जे.पी. का स्वदेशी का राग अलापना न तो स्वाभिमान है और न ही स्वावलम्बन वह तो पूंजीपतियों का स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है।

जहां तक हमारी आर्थिक नीति के साम्यवादी आलोचना का सम्बन्ध है, हम उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि उन्होंने हमारी नीति की सराहना की है। यदि मैं धन्यवाद प्रस्ताव पुनःस्थापित नहीं करता तो मैं श्री सोमनाथ चटर्जी तथा श्री ज्योतिबासु की प्रशंसा में संशोधन पेश करता। पश्चिम बंगाल सरकार के पिछले एक वर्ष के कार्य निष्पादन को ध्यान में रखतें हुए मैं सुझाव देता हूं कि कम्युनिष्ट पार्टी सी.पी.आई. (एम.) तो रहे लेकिन अपने आप को कैपिटलिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मनमोहनिस्ट) कहलाने लगे। क्योंकि इसने

हमारे वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह के आर्थिक नीति सिद्धान्त को अपनाया है और डा. मनमोहन सिंह को वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन का महासचिव पद स्वीकार करने की पेशकश की है। अतः मेरा प्रधानमंत्री से सीधा सा आग्रह है कि श्री सोमनाथ चटर्जी को वित्त मंत्री बना दें...**(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहार) : श्री सैफुद्दीन चौधरी क्यों नहीं?

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्हें पार्टी के अपने ही पोलित ब्यूरो से अलग कर दिया गया है। इसलिए हमें किसी अन्य सम्मानीय व्यक्ति की आवश्यकता है...**(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : वह उन्हें पसन्द नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : पिछले 4 दशकों में अवादी, 1955 से बजट 1995 तक हमारी आर्थिक नीति से हमारा मध्य वर्ग का साइज बढ़ गया है जो 20 मिलियन से बढ़कर 200 मिलियन हो गया है? इस वर्ग में हमारे प्रौद्योगिकीय गहन औद्योगिक पूंजी क्षेत्र के विकास में बहुत अधिक भूमिका निभाई है। अब यह कार्य हम करोड़ों की संख्या में छोटे और लघु उद्योगपतियों और लाखों की संख्या में मध्यम दर्जे के उद्यमियों और हजारों बड़े उद्योग घरानों को वह बाजार सौंप सकते है जो नेहरूवियन समाजवाद के 40 वर्षों में बनाया है। यह ऐसा कार्य है जो स्पष्ट कम नियंत्रित, अधिक बाजारोन्मुख और लागत बहुल क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए। राज्यों को समाज सुरक्षा तंत्र को बजटीय सहायता देने के लिए ध्यान देना चाहिए और गरीबी पर प्रहार करना चाहिए तथा राष्ट्र की मानवीय पूंजी को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए हमारे आर्थिक सुधार कार्यक्रम में दो स्पष्ट तत्व हैं -(1) मार्किट सम्बन्धी मामलों के लिए बाजार निर्धारण या बाजारोन्मुखता और (2) 700 मिलियन भारतीयों के लाभ के लिए राज्य का सीधा भारी हस्तक्षेप।

3.00 म.प.

इन दोनों से ही हमारे सुधार कार्यक्रम बनते हैं। हमें नारीमन प्वायंट और दलाल स्ट्रीट में बहुत दिलचस्पी है क्योंकि तीव्र आर्थिक प्रगति से ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सुनिश्चित होते हैं। केन्द्रीय सरकार के बजट का तीव्र प्रगति क्षेत्र गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ही हैं। वित्त मंत्री ने मुद्रास्फीति की दर 17 प्रतिशत से घटा कर 8.5 प्रतिशत कर सराहनीय कार्य किया है। लेकिन इस लोकतंत्र में 8.5 प्रतिशत की दर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गरीब लोग बहुत प्रभावित हैं। अधिक मूल्य होने की वजह से उन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल पाता है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में मूल्य वृद्धि की समस्या को स्वीकार किया है। उन्होंने मुद्रास्फीति के कारणों का विश्लेषण किया है। अब विश्लेषण पर कार्यवाही को देखना है। उत्तरदायी कांग्रेस के अलावा और कोई मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर सकता है।

अब अध्यक्ष महोदय मैं आन्तरिक राजनीतिक परिदृश्य की ओर आता हूं। हमारी सरकार से पहले वाली सरकार की पंजाब की स्थिति से निपटने की क्षमता का गृह मंत्री की कार को बम से उड़ा दिए जाने से पता चलता है। जबकि वह गृहमंत्री चुनाव में स्वयं उम्मीदवार थे। इसी तरह कश्मीर की समस्या से निपटने में उनकी क्षमता का मामला है। जब उनकी सरकार के गृह मंत्री की पुत्री का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। हमें पंजाब और कश्मीर में ऐसी गडबड़ वाली अव्यवस्था विरासत में मिली थी?

पंजाब में हमारी उपलब्धियों की समस्या, जो वहां के मुख्यमंत्री सामना कर रहे हैं, वह आतंकवादियों की नहीं है, किन्तु सहयोगी श्री जगमीत सिंह बरार के बारे में है। शेष पंजाब में शांति है और भारत की अर्थव्यवस्था, और सीमा की सुरक्षा में इसके बहुमूल्य योगदान को सराहा जा सकता है।

महोदय, जम्मू और कश्मीर में अधिक व्यापक उपाय करने की आवश्यकता है। जम्मू और कश्मीर के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली मासिक पत्रिका 'प्रोफाइल आफ टैकोरिस्ट वायोलेंस इन जम्मू एण्ड कश्मीर' में प्रकाशित आकड़ों से पता चलता है कि श्री वी-पी. सिंह की सरकार के दौरान 183 उग्रवादी मारे गए थे लेकिन गत वर्ष 1596 आतंकवादी मारे गये।...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : आप बहुत कुछ बना रहे हैं। इसीलिए आप मार भी बहुत अधिक रहे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर : मुझे खुशी है श्री खण्डूरी पाकिस्तानी प्रचार में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तानी भी हमें यह कहते है ये तथ्य सही नहीं हैं।

इसी तरह पिछले वर्ष 26 सरकारी कर्मचारी मारे गए थे जबकि वी.पी. सिंह के शासन काल में 62 मारे गये थे। इसी तरह 1990 में 25 राजनीतिज्ञ मारे गए थे लेकिन 1994 में यह संख्या घट कर 12 रह गई। घाटी में जो निरीह मुस्लिम नागरिक मारे गए, पिछले वर्ष इनकी संख्या मारे गए हिन्दुओं से 8 गुना अधिक थी अर्थात वी.पी. सिंह के राज्य में 573 मारे गए जो संख्या 1994 में बढ़कर 858 हो गई। जनवरी 1988 से मार्च,1995 तक कुल 490 हिन्दू मारे गए जबकि मारे गए मुसलमानों की संख्या 3679 है अर्थात 8 गुना अधिक। लेकिन अब कश्मीर में हिन्दू मुस्लिम दंगे नहीं है। अब ठगों और विदेशी भाड़े के सैनिकों द्वारा इस्लाम के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान का हाथ है।

जब श्री जार्ज फर्नांडीज और मैंने 1990 में श्रीनगर की यात्रा की तो श्री फर्नांडीज तो उस समय मंत्री थे, ने वेश बदलकर श्रीनगर की बस्तियों का दौरा किया। आज वह खुले आम उन्हीं बस्तियों में जा सकते हैं, उन्हें नकली मूछें नहीं लगानी पड़ेगी। चरार-ए-शरीफ में भी जहां विदेशी भाड़े के सैनिक घुसे हैं, वहां से कश्मीर के आतंकवादी निकल आए हैं और हताश स्थानीय जनता चरार-ए-शरीफ को छोड़ कर बाहर जा रही है।

अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गई है। वैष्णव देवी यात्रा के लिए कोई खतरा नहीं है। हजरतबल की मस्जिद में नमाज शुरू हो गई है। लगभग सारे कश्मीर में जनजीवन सामान्य हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : चरार-ए-शरीफ के बारे में।

श्री मणि शंकर अय्यर : क्योंकि सवाल आपने हिन्दी में किया है, इसलिए हो सकता है कि जो मैंने चरार-ए-शरीफ के बारे में कहा, वह आपके कानों तक नहीं पहुंचा हो। मैं दोबारा आपको बताऊं कि मैंनें चरार-ए-शरीफ के बारे में क्या कहा और क्योंकि हिन्दी अनुवाद आपके कानों में सीधा पहुंच रहा होगा, इसलिए मैं अंग्रेजी में कहूंगा, आप जरा गौर से सुनिए। मैंने कहा है

[अनुवाद]

चरार-ए-शरीफ में भी जहां विदेशी सैनिक भाड़े के घुसे हैं, वहां से कश्मीर के आतंकवादी निकल आए हैं और हताश स्थानीय जनता चरार-ए-शरीफ को छोड़कर बाहर जा रही है।

[हिन्दी]

खुश रहो अब मैं आगे बढूं।...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में नहीं जायेगा। आप अपनी बात कहें श्री अय्यर।

श्री मणि शंकर अय्यर : जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पुनः बहाल की जा रही है। कृषि कार्य, बागवानी, तथा हथकरघा उद्योग आतंकवाद के पूर्व के दिनों की स्थिति में आ गए हैं। पर्यटन, उद्योग आदि को अपनी पूर्ववत स्थिति में लाना है। इसके लिए हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि वार्षिक योजना के 950 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को राज्य विकास पर ही खर्च किया जाए। हमने यह सीमा और सुरक्षा व्यय के लिए गृह मंत्रालय के बजट से 973 करोड़ और 100 करोड़ की राशि में से विशेष केन्द्रीय सहायता लेकर राज्य सरकार के घाटे को पाटा है। अधिकतम बल ग्रमीण आधारभूत ढांचे को पुनः बहाल करने दिया गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्कूल, अस्पताल तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करे। मैं सरकार को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि उसने कश्मीरियों का प्रिय चावल उपयुक्त मात्रा में उचित दर दुकानों पर उपलब्ध करा दिया है तथा हस्पतालों में कर्मचारियों एवं उपकरणों आदि की कमी दूर हो गई है।

मैं सरकार को इस बात की भी बधाई दूंगा कि वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बना दिया गया है। रोजगार गारंटी योजना राज्य में और अधिक 23 इलाकों में लागू कर दी गई है। यह प्रगति का मार्ग है वहां और इसके वहां परिणाम आ रहे हैं। वहां लोगों का आतंकवाद से भ्रम दूर हो गया है तथा उग्रवादियों का मनोबल इतना गिर रहा है और गिर गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. को विदेशी भाड़े के सैनिकों का सहारा लेना पड़ा, जिनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी गई, ताकि '**प्राक्सीवार**' जारी रखे। इन सैनिकों की संख्या में वृद्धि का यह प्रमाण है कि 1994 में 109 सैनिक मारे गए और 32 सैनिक पकड़े गये। अब यह स्पष्ट हो गया है कि घाटी में जो युद्ध चलाया गया वह विदेशियों द्वारा चलाया गया था और उनका प्रमुख लक्ष्य स्वयं कश्मीरी वह भी कश्मीर मुस्लिम ही थे।

हमें वहां राजनीतिक प्रक्रिया बहाल के लिए मूल्यांकन करना होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पांच लम्बे वर्ष के पश्चात राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया धीरे-धीरे आ रही है। नेशनल कांफ्रेंस ने कई वर्षों में राज्य में वर्किंग कमेटी की पहली बैठक की है। अन्य प्रमुख राजनीतिक दल भी हरकत में आने शुरू हो गए हैं। अर्थात, 1994 में जे.के.एल.एफ. के यासीन मलिक को रिहा कर दिया गया, पीपल्स कांफ्रेंस के अब्दुल गनी लोन और एस.ए. गिलानी के सितम्बर तथा पीपल्स लीग के शब्बीर शाह को अक्टूबर में रिहा कर दिया गया। इससे अधिक वे जो कह रहे हैं हमें स्वीकार्य नहीं है। लेकिन यह सच है पाक समर्थकों और पाक विरोधी तत्वों में दरार पड़ गई है। यह भी नहीं कि 'हुर्रियत' 30 विरोधी शक्ति केन्द्रों का पुंज रह गया है। अब उनमें भी दरार पड़ गई है। हम उन सभी ग्रुपों के साथ बात करने के लिए तैयार है। इससे राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने के आन्दोलन में शक्ति आयेगी। अब देखना यह है कि क्या जुलाई 95 तक राज्य विधान सभा के चुनाव कराये जा सकते हैं अथवा नहीं। लेकिन राष्ट्रपति शासन के प्रथम दौर समाप्त होने से पहले वहां चुनावों की सम्भावना के बारे में राज्यपाल के वक्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। अब प्रश्न रह गया है वहां आतंकवाद पर नियंत्रण पाने के सरकार की सफलता का तथा यह वर्ष समाप्त होने से पहले जम्मू और कश्मीर में शांति की स्थापना तथा लोकतंत्र को बहाल किए जाने की वास्तविक सम्भावना पर पहल करने का।

महोदय मैं जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवाद की समस्या को 'टाडा' के मामले का उल्लेख किये बिना नहीं समाप्त कर सकता। 'टाडा' के अपने लाभ हैं। किन्तु 'टाडा' का दुरुपयोग किया गया है और बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया है। इस दुरुपयोग का ज्वलन्त उदाहरण गुजरात जहां 77500 में से 18600 लोगों को 'टाडा' में बन्द किया गया है। गुजरात आतंकवाद से प्रभावित राज्य नहीं है। यहां टाडा की धारा 3 का गलत अर्थ लगाया है। जिसकी वजह से अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट और अन्य स्थानों पर 1991-93 के दौरान सांप्रदायिक दंगों के दौरान पकड़े गए लोगों को 'टाडा' में नजरबन्द किया गया। ये दंगे बी.जे.पी. की

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

रथयात्रा के दौरान हुए थे। अतः 'टाडा' पर विचार करने का क्या महत्व है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : आप यह बताएं कि इस मामले में कुल कितने मुस्लिम और कितने हिन्दू गिरफ्तार हुए हैं और क्या चिमन भाई की सरकार कांग्रेस के समर्थन से थी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी, यह भी स्पष्ट कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मेरी दिक्कत इसमें यह है कि मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं। आप अपना ईयर फोन नहीं लगा रहे हैं, आप अब अपना ईयर फोन लगाइए। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं, मैंने खुद कहा कि इसका दुरुपयोग हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान का उत्तर नहीं दें।

...**(व्यवधान)**...

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं कह रहा था कि 'टाडा' में गुजरात में जो 18600 लोग नजबन्द किए गए थे, उनमें से 18300 लोगों को न्यायालयों में जमानत पर रिहा कर दिया गया। न्यायालय ने इस बात को माना है कि 'टाडा' की धाराओं का मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया गया है।

टाडा के मामले में गुजरात और महाराष्ट्र में की गई गलतियों के लिए हमने राजनीतिक कीमत चुका दी है। 'टाडा' की 84 प्रतिशत गिरफ्तारियां आतंकवाद से ग्रस्त राज्यों पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर तथा आंध्रप्रदेश में की गई हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गत कुछ वर्षों में भारत में आतंकवादियों ने 30,000 बेकसूर लोगों की हत्या की है। जबकि आयरलैंड में जो यूनाइटेड किंगडम का एक भाग है, पिछले 8 दशक में आतंकवादी हिंसा में केवल 30,000 लोग मारे गए। इससे हमारे देश में व्याप्त आतंकवाद की गम्भीरता को आंका जा सकता है। यह कहना बहुत सरल होगा कि 'टाडा' को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हमें उच्च स्तरीय और देश में व्याप्त आंतकवाद का मुकाबला करने के लिए विशेष कानून की आवश्यकता है 'टाडा' का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें आमूल संशोधन करने होंगे। गृह मंत्री पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में एक विधेयक लायेंगे। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों पर ध्यान दिया जा रहा है। जिसमें राज्यों के स्तर तथा केन्द्रीय स्तर पर संवैधानिक पुनरीक्षा समितियों का गठन किया जाना शामिल है।

महोदय आतंकवाद से हमें विदेशी मामलों को देखना है। यहां हम यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के इरादों को ध्वस्त करने में विपक्ष के नेता की सराहना करता हूं। मैं उन्हें श्रेष्ठ विदेश मंत्री मानता हूं और वह है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें मैं श्रेष्ठ विदेश मंत्री मानता हूं। ये विदेश मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के समापति भी हैं, लेकिन वह बाबरी मस्जिद को बरबाद करने वाले तत्व की हिमायत भी करते हैं। श्री सलमान खुर्शीद और श्री वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को राजनयिक विजय प्राप्त कराई। मैं इन दोनों की प्रशंसा करता हूं और पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाना चाहता हूं कि जब हिन्दू और मुस्लिम एक हो जायें तो वे क्या कर सकते हैं।

महोदय, यह संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी बार-बार विजय का परिणाम है कि आरगेनाइजेशन इस्लामिक कांफ्रेंस और इकानामिक्स कोआपरेशन आरगेनाइजेशन में जहां हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, पाकिस्तान को भारत के मामले में मुंह की खानी पड़ी जो एक बहुत बड़ी बात है और यह हमारी विदेश नीति के ही कारण है कि हम इस शीत युद्ध के खतरों से उबर कर आए हैं। यहां तक कि प्रमाण शस्त्र वाले देश 'नाटो' भारत के उभरते हुए बाजार के लाभ से हमारी ओर आकृष्ट है। लेकिन इन देशों का अपरिपक्व अपना ही एजेंडा है। जिससे हमारी हैसियत को सीधा खतरा है। इन देशों का परमाणु शस्त्रों पर अपने एकाधिकार का प्रभुत्व जमाना अथवा एकाधिकार पाने का हट करना और अपने परमाणु अप्रसार कार्यक्रम पर मौन स्वीकृति देने के लिए विश्व के दूसरे देशों पर जबरन प्रभाव डालना सभ्यता के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा है। यह हमारी विदेश नीति को सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान में परमाणु अस्त्र नहीं होने चाहिए। क्या हम ऐसा मानने के लिए बाध्य हैं कि वे हम पर हावी होना चाहते हैं और हमारा राष्ट्रीय हित हमारी विदेश नीति है। यह कार्य हमारी सरकार बहुत तत्परता से कर रही है। हमने बहुत ठोस ढंग से परमाणु अप्रसार संधि के विस्तार और उसकी पुनरीक्षा रहने में सहभागी होने से इनकार कर दिया है। अब वे हमसे निरस्त्रीकरण सहयोग की आशा करते हैं कि हम परमाणु निरस्त्रीकरण एजेंडा स्वीकार करें, जिसे भारत 1988 की राजीव गांधी की परमाणु शस्त्र मुक्त और हिंसक विश्व व्यवस्था की कार्य योजना के रूप में अपनाया है। इनमें से दो मुद्दे–व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि तथा खण्डनीय द्रव्य विच्छेद जनेवा में विचाराधीन हैं। इन प्रस्तावों को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्षों पहले रखा था, जिस पर अमरीका तथा दूसरे देश अब विचार करने जा रहे हैं। यह हमारी विदेश नीति की उपलब्धि है। इसके साथ मेरी यह चेतावनी भी है हमारी कार्ययोजना इन्ही दोनों मुद्दों से सम्बन्धित है कि परमाणु अस्त्रों को निश्चित समय सीमा में समाप्त कर दिया जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने श्री क्लिंटन से मई में यह आग्रह किया था। अब हमें इसी पहलू पर जोर देना चाहिए कि हम अब ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय करार के पार्टी नहीं बनेंगे, जो परमाणु अस्त्रों के उन्मूलन से संबद्ध न हो।

इसी तरह हम अमरीका या किसी अन्य देश को हमारे प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे और ना ही उन्हें कोई प्रतिबन्ध

लगाने देंगे। हमारे पास लम्बी रेंज वाली 'अग्नि' और छोटी रेंज वाली 'पृथ्वी' मिसाइलें हैं। जब 22 मई, को 1989 को 'अग्नि' का पहला परीक्षण किया गया था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था कि यह सफल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है। उन्होंने आगे कहा था कि 'अग्नि' परमाणु अस्त्र प्रणाली नहीं है लम्बी रेंज वाले अपरमाणु अस्त्रों का विकसित विकल्प है। हमने अपनी परमाणु क्षमता को परमाणु अस्त्रों में परिवर्तित करने से इंकार कर समस्त विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। 1989 में आरंभ किए गए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन 1994 में पूरे हो गए। कोई भी परीक्षण वी.पी. सिंह तथा चन्द्रशेखर के शासन काल में नहीं हुआ। यह श्री पी.वी. नरसिम्हाराव के प्रधानमंत्री काल में संभव हो पाया है।

'पृथ्वी' के विकास परीक्षण और प्रयोगकर्ता परीक्षण के दोनों चरण पूरे कर लिए हैं। लेकिन बी.जे.पी. यह नहीं चाहती है। वह चाहती है कि हम विदेशी नीति के हाथों में आ जाएं।

हमारी विदेश नीति की दूसरी प्रमुख सफलता ईरान के राष्ट्रपति महामहिम श्री रफसनजानी की हाल ही की भारत यात्रा है। हमने उनसे वह उद्घोषणा सुनी जो श्री जवाहर लाल नेहरू ने एशियाई संबंध सम्मेलन में मार्च 1947 में की थी कि अब एशिया के पुनरुत्थान का समय आ गया है, क्योंकि 21 वीं सदी एशिया की होगी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एशियायी संबंध सम्मेलन मार्च 1997 में बुलाया जाए जो इस सम्मेलन की 50 वीं वर्षगांठ होगी और भारत स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती।

माननीय सदस्य गण मुझसे सहमत होंगे कि हमें हाल में हुए विधान सभा चुनावों के परिणामों की समीक्षा किए बिना आगे बढ़कर नहीं देखना चाहिए। मैं गुजरात में बी.जे.पी. की सफलता के लिए उसे बधाई देता हूं और साथ ही यह भी आशा करता हूं कि वे हमें भी बधाई देंगे। मणिपुर में हमने सरकार बनाई है। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना-बी.जे.पी. की सरकार की तरह नहीं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के चुनावों में 30.3 प्रतिशत वोट प्राप्त किए जबकि शिवसेना और बी.जे.पी. ने मिलकर कुल 29.28 प्रतिशत। यह दूसरी बात है कि हमें कम स्थान प्राप्त हुए। हम हार मानते हैं, लेकिन आशंका इस बात की है, कि लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल पर महाराष्ट्र में एडोल्फ हिटलर के प्रशंसक का "रिमोट कंट्रोल" से दबाव है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि संघ परिवार पर नाथूराम गोडसे का रिमोट कंट्रोल था, तो इसने कई दशक तक राष्ट्र का विश्वास खो दिया था। जब बी.जे.पी. नेतृत्व ने स्वयं को विध्वंसक तत्वों के रिमोट कंट्रोल के अधीन कर लिया था, तो बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। इसका उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सफाया हो गया। यह उल्लेख करने का विषय नहीं है। जिस ढंग से इसने इस सदन का विश्वास खोया, न्यायालयों का विश्वास खोया उन पर महाराष्ट्र में उस व्यक्ति का रिमोट कट्रोल है जो अपने आप को भारतीय नहीं कहलाना चाहता और उसने अपनी पार्टी के एजेंडे में सबसे उन पर गरीबी उन्मूलन नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थानों से विश्वास उन्मूलन सर्वोपरि रखा है। अर्थात

"भीख के चांद में, मांगे के उजाले में,

यही मलवूसे-उरूसी है यही उनका कफन है।"

मैं सदन को अक्टूबर/नवम्बर, 1989 के भागलपुर के दंगों की न्यायिक जांच के निष्कर्षों की सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि उस समय बी.जे.पी. और वाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय मोर्चा ने मिलकर चुनाव गठजोड़ बनाया था ठीक उस समय, अक्टूबर 1988 के अन्त में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट है...*

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

प्रो. रीता वर्मा : न्यायिक आयोग की रिपोर्ट अभी तक विधान सभा में पेश नहीं की गई। श्री मणि शंकर अय्यर को उसके निष्कर्षों की जानकारी कैसे हुई?

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं यह मानता हूं कि यह रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है। मैं उससे लिए गए उद्धरण वापस लेता हूं। जब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट बिहार विधान सभा पटल पर पेश हो गई तो क्या प्रो. रीता वर्मा यह स्वीकार करेंगे कि ये न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से उद्धरण है।

प्रो. रीता वर्मा : यह बहुत बड़ा 'यदि' है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं समझता हूं आप ऐसा सोच रही है...**

प्रो. रीता वर्मा : मैं केवल बड़ा 'यदि' कहा है। यह क्या है?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय श्रीमती वर्मा कह रही हैं...

अध्यक्ष महोदय : यह भाग कार्यवाही रिकार्ड में नही जायेगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : कौन सा भाग, महोदय?

अध्यक्ष महोदय : 'उद्धरण' के भाग के बारे में

श्री मणि शंकर अय्यर : मेरे न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का उद्धरण नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भरोसा नहीं है मैं इसे देखूंगा कि क्या न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेज है अथवा नहीं। मैं इसे देखूंगा। मैं न तो आपके पक्ष में अथवा ना ही महिला सदस्य के पक्ष में अपना विनिर्णय दे रहा हूं। मैं उस मुद्दे के बारे में आश्वस्त नहीं हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : ठीक है, महोदय मैं अपनी इस बात को इस तरह कहना चाहूंगा। इसकी मुझे अनुमति दें।

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : वह पहले ही अपने उस बात को वापस ले चुके हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं उसे वापस लेता हूं। मैं उसे इस तरह से कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि...

अध्यक्ष महोदय : हमें न्यायिक रिपोर्ट के बारे में एक बात समझ लेनी चाहिए। क्या यह लोक वाद है अथवा गुप्त वाद?

प्रो. रीता वर्मा : नहीं, वह ऐसा नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर : यह एक न्यायिक जांच है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सभी बातों को देखूंगा और तभी बाद में इन बातों पर अपना अन्तिम विनिर्णय दूंगा। यह व्यवस्था का प्रश्न है। इस सुनते हैं।

प्रो. रीता वर्मा : जांच आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी गई है, लेकिन उसे अभी सभा पटल पर नहीं रखा गया है उन्होंने इस पर चर्चा की है उसे किसी ने नहीं पढ़ा है। श्री मणि शंकर अय्यर यह कैसे जानते हैं कि उसमें क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मैं बताऊंगा विनिर्णय दिए गए हैं कि यदि कोई सदस्य किसी दस्तावेज से उद्धरण देता है तो उस पर प्रश्न नहीं किया जाता है। हम जानते है। कि चीनी के विवाद पर चर्चा चल रही थीं तब रिपोर्टो पर भी चर्चा की गई तब भी ऐसा नही हुआ...

लेकिन मैं अपना कोई अंतिम विनिर्णय नहीं दे रहा हूं मैं सिर्फ इसे देखूंगा।

प्रो. रीता वर्मा : लेकिन इस दस्तावेज का किसी ने भी अध्ययन नहीं किया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यदि वह किसी दस्तावेज से उद्धरण दे रहे हैं तो उन्हें उसे प्रमाणित करना होगा। तभी उसकी वैधता सामने आयेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है। लेकिन फिर भी मैं अपना अन्तिम विनिर्णय नहीं दे रहा हूं। और इस सदन में सभा पटल पर प्रस्तुत किए बिना ही रिपोर्टों का उद्धरण दिया गया है और जब प्रश्न उठा कि उन्होंने यह सूचना कहां से ली तो उसने उसे प्रमाणित किया।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं इसे दूसरे रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कोई आवश्यकता नहीं है। इसे यहां छोड़ दीजिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : उस समय जब पुलिस और बी.जे.पी. के बीच घृणित गठजोड़ था, जिसे न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट उजागर करेगी। यह उस विशेष समय पर था...**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप यह नहीं कह सकते। आप इसे प्रमाणित करिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं इसे प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, बल्कि दूसरे रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हर समय वहां पुलिस और बी.जे.पी. के बीच गठजोड़ था, जिसे न्यायिक जांच उजागर करेगी। उस विशेष समय ...**(व्यवधान)** जब सब लोग यह विश्वास करते थे कि इस निकाय जिसे 'संघ परिवार' कहा जाता है भागलपुर दंगों में लिप्त था जब सघ परिवार का तंत्र "दि आर्गेनाइजर" में यह बढ़चढ़ कर लिख रहा था इन मौतों के पीछे मुसलमानों का हाथ था, मानो मुस्लिम ही मुसलमानों की हत्या कर रहे थे जब राष्ट्रीय मोर्चा ने बी.जे.पी. के साथ चुनावी सहयोग किया और वाम मोर्चा ने उसका समर्थन किया...**(व्यवधान)**

प्रो. रीता वर्मा : मैं आपको सुपर न्यायाधीश होने के लिए बधाई देती हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : इसको ध्यान में रखते हुए मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं। ...

श्री भोगेन्द्र झा : श्री अय्यर ने इसे तोडा-मरोड़ा है एक बात उन्होंने कही है कि राष्ट्रीय मोर्चा ने बी.जे.पी. के साथ सहयोग किया लेकिन वाम मोर्चा ने बी.जे.पी. के साथ किसी सहयोग से इनकार कर दिया था। उस समय मैंने यह जोर दिया कि न तो बी.जे.पी. ना ही कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार में सहयोग दिया। मैं इस पर जोर देता हूं और हम इस पर अटल रहे।

श्री मणि शंकर अय्यर : इसे समर्थन देने के अलावा यदि आपका समर्थन नहीं होता, तो वहां सरकार बिल्कुल नहीं बनती। बी.जे.पी. के श्री हरिन पाठक द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर दिए गए संशोधन संख्या 389 से मैं बहुत खुश हूं, जिसमें कहा है "साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध छेड़ने की आवश्यकता" इन राजनीतिक शक्तियों का राजनीतिक नेतृत्व उन राजनीतिक दलों में ही निहित होता है। मेरा सदन में सभी से अनुरोध है कि बी.जे.पी. तथा इसके सहयोगियों के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध शुरू करें। लेकिन हमें अपने राष्ट्र की विचार धारा के प्रति निष्ठावान रहना है। मैं अपील करूंगा कि ...**(व्यवधान)** हमें राष्ट्र की विचार धारा लोकतंत्र राष्ट्रवाद, धर्म निरपेक्षता के आंदोलन के मूल सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान होना है। मानवता के इतिहास में सभ्यता का मूलाधार अनेकता में एकता है जो सर्वोपरि है। यह ऐसा मूलाधार है जहां हिन्दू विश्व भर में सब से अधिक हैं, और मुस्लिम विश्व भर से यहां संख्या में दूसरे दर्जे पर हैं। यहां हिन्दुत्व अकल्पनीय है और इस्लाम भी अकल्पनीय है। अर्थात भारत में

इस्लाम के बिना हिन्दुत्व अकल्पनीय है और हिन्दुत्व के बिना इस्लाम अकल्पनीय है। ईसाई धर्म, जोरोस्ट्रियन, न्यू धर्मों का भी समान रूप से आदर होता है। यह भारत महावीर, गौतम बुद्ध तथा दास गुरुओं की पुण्य भूमि है। हमारी संस्कृति और सभ्यता कश्मीर से कन्याकुमारी, तक फैली हुई है। भारत धार्मिक, सांस्कृतिक, और भाषायी अल्पसंख्यकों और माइक्रो अल्पसंख्यकों, दलित वर्गों तथा पीड़ित वर्गों, विकलागों तथा महिलाओं को समग्र रूप से एकल शक्ति के रूप देखता है। 'हिन्दुत्व' के हिमायतियों के तुच्छ समुदायवादी या साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से भारत की यह छवि बेमेल है। हमारी सरकार ने कुशलता से कार्य किया है। ज्वलंत राजनैतिक समस्याओं का समाधान किया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर तीन गुना किया है। अर्थव्यवस्था को स्थिर किया है इसे प्रगति की ओर अग्रसर किया है गरीबों का दुख दर्द बांटा है। भारत की मान प्रतिष्ठा को चार चांद लगाए हैं। राजीव गांधी इस मानव समाज को 21 वीं शताब्दी में ले जाना चाहते थे, राष्ट्र के इस कार्य में लोगों का सहयोग और इस सदन का समर्थन अनिवार्य है। मेरा आप से अनुरोध है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव का सभी समर्थन करें।

[अनुवाद]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछली 13 फरवरी, 1995 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने कृपापूर्वक दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण दिया, जिस पर अभी श्री मणि शंकर अय्यर जी ने धन्यवाद के लिये इस सदन में समावेदन प्रस्तुत किया, मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जो आज आपने मुझे दिया है। इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं। विगत 13 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने तीन प्रमुख बातें कही थीं। पहली बात यह थी कि उदार आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप देश में भारी बदलाव आया है।

महोदय, दूसरी बात राष्ट्रपति जी ने कही थी कि विश्व समाज में हमारी स्थिति आज काफी दृढ़ हुई है। तीसरी बात जोर देते हुए राष्ट्रपति जी ने कही थी कि जनता ने सामाजिक स्थिरता के प्रति खुलकर अपना विश्वास व्यक्त किया है। वास्तव में यह अक्षरशः सत्य है। राष्ट्रपति जी की इस भावना के लिए हमें इस सदन की ओर से अवश्य धन्यवाद देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, 1991 से पहले हमारे देश के वित्तीय अनुशासन की स्थिति काफी दयनीय थी। इसे सब लोग जानते हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग समाप्त हो चुका था। दुनिया में हमारी साख तेजी से गिरती जा रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता निभाने में हम असमर्थ हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में यह भी हो रहा था कि दूसरी ओर दुनिया के वित्तीय संगठन हमारे देश को ऋण देना भी जोखिमपूर्ण मान रहे थे। हमारा दुर्भाग्य यह था कि उस समय हम अपने सोने को भी दूसरे देशों में गिरवी रखने के लिए बाध्य हुए। हमारे देश की मुद्रास्फीति की दर लगातार आगे भाग रही थी। हमारा भुगतान संतुलन रिकार्ड स्थिति में पहुंच गया था। ऐसी स्थिति में सरकार बनाने और चलाने का अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला और हमने इस तात्कालिक संकट को तेजी के साथ समाप्त किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अत्यन्त समझ-बूझ से उस ध्वस्त अर्थव्यवस्था को तेजी प्रदान की और रोजगारप्रद बनाने की दिशा में प्रयत्न करने आरंभ कर दिए।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में अनेक आलोचनाएं भी हुईं। दूसरे दल के लोगों ने आलोचनाएं भी कीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कठिन परिस्थितियों में अनेक निर्णय भी लिए। लोगों ने इन निर्णयों की आलोचना भी की, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था इस बात की गवाही है कि इन निर्णयों के काफी अच्छे परिणाम भी निकले और हम सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ते गए। आज हमें यह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था सन् 1990-91 की तुलना में काफी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। 1991-92 में हमारे सकल घरेलू विकास की दर एक प्रतिशत से भी कम थी और 1992-93 में यह 4.3 प्रतिशत हो गई। 1994-95 में यह 5.3 प्रतिशत हो गई है। दुनिया का कोई भी मुल्क आज ऐसा नहीं है, जिसने इतनी भयंकर खराब आर्थिक स्थिति में इतनी जल्दी उबरने का दावा किया हो। यह हमारी गवर्नमेंट का रिकार्ड रहा है। 1991 में हमारी मुद्रास्फीति की दर 17 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई थी, किन्तु यह दर आज घट कर 9 प्रतिशत पर बरकरार है। दो-तीन माह में यह और भी घटेगी। वित्त मंत्री जी ने जो गत मास बजट पेश किया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि तीन महीने के अंदर हमारी मुद्रास्फीति की दर घटकर आठ प्रतिशत पर आ जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस सरकार के माध्यम से काम करना आरंभ किया, तब हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार 1.2 अरब डालर था।

1994 में 15.8 अरब डालर हो गया और आज हमारा भंडार साढ़े सत्रह अरब डालर से ऊपर है। 24 जुलाई, 1991 को इस सभा में आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। हमारी सरकार ने इस मोर्चे पर भी कई उपलब्धियां हासिल की। बिजली, कोयला, इस्पात, सीमेंट, कच्चा तेल आदि उत्पाद क्षेत्रों में तो हमारी सरकार ने काफी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य किए। 1991-92 में हमारी औद्योगिक वृद्धि काफी गिर गई थी, उद्योग जगत घोर निराशा में डूबा हुआ था, आज भारतीय उद्योग व्यापक सुधारों के कारण उत्साहित है। श्री मणि शंकर अय्यर ने इसे अनेक उदाहरणों के साथ यहां पर सिद्ध भी किया है। 1994 में हमारी औद्योगिक वृद्धि 8.7

प्रतिशत तक पहुंच गई थी, आज निर्माण क्षेत्र में 9.2 प्रतिशत है, पूंजीगत माल के क्षेत्र में हमारी औद्योगिक वृद्धि 24.7 प्रतिशत तक रिकार्ड की जा रही है। ऐसे ही खाद्यान के क्षेत्र में भी हमने आशातीत प्रगति की है। 1991-92 में हमारा खाद्यान उत्पादन गिरकर 168 मीट्रिक टन हो गया था। इस दिशा में भी हमारी सरकार ने काफी क्रान्तिकारी परिवर्तन किए। इस वर्ष हमारा उत्पादन 185 मीट्रिक टन होगा, ऐसा अनुमान है। इसमें हमारे किसानों को भी काफी लाभकारी मूल्य मिले हैं, उनको भी लाभ हुआ है। इस क्षेत्र में हम और भी प्रगाति करते जा रहे हैं और विश्वास है कि इस नीति की बदौलत भविष्य में कुछ ही दिनों में हमारी खेती दुनिया में उन्नतशील और प्रगातिशील खेती के रूप में पहचानी जाएगी।

हम विदेशी ऋण के बारे में भी विचार करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिन्दुस्तान में जो परिस्थितियां कायम हो गई थीं, उन परिस्थितियों में विदेशी ऋण सीने में एक दर्द था। यह प्रति वर्ष 8 मिलियन डालर कम की दर से बढ़ रहा था। 1993-94 में काफी प्रयासों के बाद यह वृद्धि एक मिलियन डालर कम हुई, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने जो 2-3 बजट पेश किए, उनमें हमने देखा कि 1994-95 की प्रथम छमाही में विदेशी ऋण के स्टॉक में 300 मिलियन डालर की कमी अंकित की गई। जनवरी 1994 में 143 अरब डालन के विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई। जैसा कि अभी अय्यर जी ने कहा, हमारे उद्योग जगत की स्थिति काफी बेहतर हुई है। जुलाई 1991 से अब तक 19 हजार से भी अधिक के निवेश संबंधी ऑफर हमारी सरकार के सामने हैं। इसमें 3 लाख 90 हजार करोड़ से भी अधिक विदेशी पूंजी का निवेश होने जा रहा है। आज तक प्रत्यक्ष विदेशी संचयी निवेश की अनुमोदित राशि 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।

हम अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसे देखने से ऐसा लगा कि हम इस वर्ष 14 लाख लोगों को इसके माध्यम से रोजगार देने जा रहे हैं। इस नीति के द्वारा व्यापारिक हल्के में काफी उत्साह पैदा हुआ है और आज हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के बाहर का व्यापारी, उद्योमपति यहां उद्योग लगाने को आतुर है और हमारी जो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, वह उसके प्रति आकर्षित है। हमारी अयात-निर्यात नीति भी बहुत मजबूत हुई है, यह सराहना योग्य है। हमारी नई आयात-निर्यात नीति ने देश की व्यापरिक गतिविधि का ऊर्ध्वमुख झटका दिया है। हम आगे बढ़े हैं, निर्यात में 21 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में सुदृढ़ होने से हमारे देश का 23.9 प्रतिशत आयात बढ़ा है। सरकार ने व्यापार व विनियम दर नीतियों में अनेक परिवर्तन किए हैं।

1.00 म.प.

लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से, उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर, आयात नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है। पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल को केवल सीमा शुल्क भुगतान के अधीन मुक्त रूप से आयात की अनुमति दी गई है। स्वर्ण और चांदी के आयात को उदार बनाया गया है।

हमारे कुशल वित्त मंत्री ने, कर सुधारों के जो प्रणेता कहे जाते हैं, करों के संबंध में ऐसे कुछ प्रावधान किये हैं, जिनसे करों की चोरी रुकी है।

4.01 म.प.

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

वैयक्तिक आयकर सीमा को 35,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए अनुमानित कराधान प्रणाली लागू की गई है। बैंकों को अपना पूंजीकरण करने के लिए इक्विटी निधि प्राप्त करने हेतु खुले बाजार में सीधे सम्पर्क की अनुमति दी गई है।

सरकारी क्षेत्र को कारगर और क्षमतापूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं। घाटे वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बन्द कर दिया गया है। लगातार घाटा उठाने वाले सरकारी उपक्रमों को गैर योजना ऋणों के रूप में दी जाने वाली बजटीय सहायता को भी क्रमिक रूप से समाप्त किया जा रहा है।

इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों को देखने से प्रतीत होता है, हमारा विश्वास दृढ़ होता है कि हमारे आर्थिक जगत में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ठीक ही कहा है कि उदार आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप देश में अपेक्षित बदलाव आया है।

हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या रही है। श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 1994-95 में देश की बेरोगारी वृद्धि दर देश की जनसंख्या और रोजगार वृद्धि दर से ऊंची रही। 1981 से 1991 के बीच, यानि 10 वर्षों के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत थी। यह कहा गया है, अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है कि रोजगार वृद्धि दर, रोजगारों की संख्या और रोजगार के अवसरों में बिल्कुल तादात्मय होना चाहिए। लेकिन हमने यह देखा कि इन दस वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि दर तो 2.1 प्रतिशत थी, लेकिन बेरोजगारों की वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इसके साथ ही साथ 1992 के अन्त तक देश में रोजगारों की संख्या केवल 2.30 करोड़ थी। हमारी सरकार सन् 2002 तक देश में रोजगारों के अवसर अनुमानतः 9.40 करोड़ पैदा किये जाने की क्षमता की ओर बढ़ रही है। ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार और वेतन रोजगार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और देहातों में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, स्वरोजगार स्कीम से गांवों में बेरोजगारी दूर करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा तेजी से किया जा रहा है। रोजगार अवसरों में भी

काफी वृद्धि की गई है। 1991-92 में रोजगार के अवसरों में तीन मिलियन की वृद्धि हुई थी। 1993-94 में छह मिलियन नौकरियां हमारे देश में बढ़ी। 1994-95 में सात मिलियन तक बढ़ोतरी हुई। आठवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 8-9 मिलियन प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी होगी, ऐसा विश्वास है।

महिला रोजगार की दिशा में भी हमारी सरकार ने आशातीत प्रगति की है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में महिला रोजगार की वृद्धि 150 प्रतिशत थी और निजी क्षेत्र में 86 प्रतिशत थी। आज सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में इसमें काफी इजाफा हुआ है। यह 150 से बढ़कर 353 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

निजी क्षेत्र की इकाइयों में भी 86 प्रतिशत की जगह 273 प्रतिशत तक महिला रोजगार की स्थिति बढ़ी और मजबूत हुई है। निजी क्षेत्र के बारे में तरह-तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन यह निजीकरण का ही प्रभाव रहा है कि महिला रोजगार की स्थिति बढ़ी।

उद्योग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक औद्योगिक नीति लागू किये जाने के बाद निर्माण क्षेत्र में रोजगार में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारी सरकार का संकल्प है कि सन् दो हजार तक सबको जरूर रोजगार मुहैया होगा।

आर्थिक उपलब्धि की ओर भी ध्यान दें। हमें गर्व है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में लिये गये ऋण से 140 करोड़ की अदायगी समय से पहले हमारी सरकार ने कर दी। गत वर्ष 2 करोड़ 30 लाख टन अन्न का उत्पादन हुआ। भारत आर्थिक प्रगति के मार्ग पर पिछले दशकों की तुलना में तेजी के साथ आगे बढ़ा है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण की बात कही। वास्तव में आज मूल्य वृद्धि एक चुनौती है। यह चुनौती तेजी से बढ़ती जनसंख्या और कानून की बिगड़ती स्थिति से निकलती है। इसको रोकना होगा। यदि हमने मूल्य वृद्धि रोकनी है तो परिवार नियोजन, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण, चुस्त शासन व्यवस्था, उत्पादन वृद्धि, प्रशासकीय मितव्ययिता पर चलना होगा। तभी हम मूल्य वृद्धि पर काबू पा सकते हैं। हमें गर्व है कि वर्तमान सरकार इस दिशा में तेजी के साथ प्रयास कर रही है।

वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्रों में अमेरिका हमारा सहयोगी हैं। जापान और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को लेकर गम्भीर मतभेद हैं। जापान की अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर है। इसलिये उसकी आखें एशिया और यूरोप के बाजार पर लगी हुई है। यूरोपीय साझा बाजार जिसमें जर्मनी की निर्णायक भूमिका है, अमेरिका के लिये जबर्दस्त चुनौती बना हुआ है।

चीन की बढ़ती आर्थिक सख्ती से सभी परिचित हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। निश्चय ही इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी नीति बहुत ही सफल और सही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के मार्ग पर ऐसे ही बढ़ता रहा, राजनीतिक स्थिति ऐसे ही बनी रही तो भारत को विश्व के विकसित और शक्तिशाली राष्ट्रों का अग्रिम पंक्ति में गर्व के साथ सिर उठा कर खड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता।

सभापति जी, गैट व डंकल प्रस्ताव के बारे में कभी-कभी चर्चा की जाती है। कुछ संशोधन भी इस संबंध में हमें देखने को मिले। विपक्ष का काम सरकार की भूलों और त्रुटियों को सरकार के सामने लाना है। गैट और डंकल का भारी विरोध बहुत पहले से किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से इसको लेकर रैलियां भी आयोजित की गई लेकिन हम इस बारे में बहुत दूर तक न जाकर केवल इतना ही कहेंगे कि गैट का लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को संरक्षण मुक्त करना है। डंकल प्रस्ताव का लक्ष्य कृषि के लिये सस्ते बीज, अच्छे उर्वरक उपलब्ध कराने की दिशा में उसकी व्यवस्था में एकमात्र परिवर्तन लाना है।

सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ग्रामीण विकास को समस्त विकास का केन्द्र कहते हुए इसे काफी महत्व दिया है। वास्त में यह सही है। आज 85 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। गांवों के ऊपर ही हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। खेद है हमारे गांव की निर्धनता, बेरोजगारी, पिछड़ापन, कुरीतियां, अशिक्षा एवं ऐसी ही विविध विषमताओं से बुरी तरह पीड़ित है। ग्रामीण विकास का अर्थ इन्हीं कमियों को दूर करना है। 1961 में गरीबी रेखा के नीचे 57 प्रतिशत लोग थे। 1990 में यह संख्या घट कर 30 प्रतिशत तक हुई। छठी योजना में 4762.78 करोड़ रुपये, सातवीं योजना में 8668.29 करोड़ रुपये, आठवीं योजना में 30 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण विकास के लिये निर्धारित किये गये।

हमें गर्व के साथ कहना है कि हमारा कृषि विकास मंत्रालय विगत तीन वर्षों में जिस ढंग से काम किया है, वह निश्चय ही एक अनुकरणीय उदाहरण है। प्रधानमंत्री, श्री नरसिह राव जी, का मानना है कि यदि भारत के गांव मजबूत होंगे, तो देश मजबूत होगा। श्रीमन्, आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य गांवों में पर्याप्त रोजगार का सृजन, आठवीं वृद्धि पर नियन्त्रण, प्राथमिक शिक्षा, निरक्षरता उन्मूलन, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, सर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने, खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता, निर्यात हेतु अधिक उत्पादन, कृषि विकास ऊर्जा के स्रोत्र बढ़ाना,परिवहन का विस्तार, सिंचाई का विस्तार, संचार की सुविधाओं का विस्तार - ये हमारे लक्ष्य हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को पूरा नही कर लेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि इस सब सपनों को साकार करने में कठिनाई होगी। हम चाहते हैं कि सब लोगों को मिलकर, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सब को एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए।

हमारी सरकार की मंशा ग्रामीण जीवन को विशेष सुरक्षा प्रदान कर उनका स्तर उठाना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लक्ष्य गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठा कर उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना। लेकिन हमें यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि अभी हमें काफी कुछ इस देश में करना है। हमारी सरकार अच्छी तरह से जानती है कि कुछ राज्यों द्वारा लम्बे चौड़े तथ्य पेश किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्यों में काफी हेरा-फेरी होती है। अभी-अभी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, राज्य का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं! 465 हैंडपम्प एक जगह के लिए स्वीकृत हुए, वाराणसी कमिश्नरी में। तीन जिलों के लिए यहां से रुपया भी चला गया। उसके पीछे मंत्री जी का कार्यक्रम वहां चला गया। वहां से रिपोर्ट आई है कि 80 हैंड पम्प लगा दिए गए। मैंने वहां के जिला अधिकारी और लोगों से पूछा कि हैंड पम्प कहां लगाए गए हैं, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं। इस प्रकार नीयत भी, हमारे अच्छे कामों में नेक-नीयती बाधा बनती जा रही है। राज्यों को इस दिशा में बराबर चेतनशील होना चाहिए और हम सब को इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए। इसमें राज्य सरकारों का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वे इसे देखें और नियन्त्रण करें।

आज ग्रामीण विकास का सच बहुत खेदपूर्ण है। विकास कार्य इस प्रकार संपन्न किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। अभी चार करोड़ से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार गांवों में है, 20 करोड़ आंशिक या मौसमी रूप से नियोजित दो लाख से अधिक ऐसे गांव हैं, जहां पर पीने का पानी नहीं हैं। 55 प्रतिशत गांवों में सड़क सुविधा नहीं है। परिवार नियोजन के सारे प्रयास असफल हैं। हमें इस पर एक साथ मिलकर विचार करना होगा और इस कठिनाई को दूर करना होगा।

हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। खाद्यान्न उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 1991-92 में खाद्यान्न उत्पादन 16 करोड़ 83 लाख मीट्रिक टन, 1992-93 में यह बढ़ कर 18 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन, 1993-94 में लगभग 18 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन और अब 1995 में 19 करोड़ मीट्रिक टन हुआ है। किन्तु हम एक सच्चाई से इन्कार नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारी सरकार पूरी तरह से अवगत है।

भारतीय कृषि में एक क्रान्ति है, तो दूसरी ओर कुपोषण है। पंजाब में हम देखते हैं कि हरितक्रान्ति पैदा हो गई है और बिहार के पलामू क्षेत्र में लोग घोर अकाल से पीड़ित है। एक जगह गेहूं का उत्पादन रखने की जगह नहीं है और दूसरी ओर कुछ जगहें ऐसी है, जहां लोग अन्न के एक दाने के लिए तरस रहे हैं और बैल के गौबर से दाना निकाल कर खाने को मजबूर हैं। कहीं पर श्वेत-क्रान्ति है यानि दूध का सरप्लस है।

कहीं श्वेत क्रान्ति है, कहीं मिल्क सरप्लस हो गया है, तो कहीं मिल्क की एक बूंद भी नहीं है। 40 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 70 फीसदी जनता खेती पर निर्भर है, परंतु आधे से ज्यादा लोगों के पास आज खेत नहीं है। हरित क्रांति और रिकार्ड उत्पादन के बावजूद विदेश में गेहूं खरीदने की मजबूरी है, हमें इस पर विचार करना होगा। खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस विषमता से पूरी तरह अवगत हैं और वह इस दिशा में काफी प्रयास कर रहे हैं। भारतीय कृषि की इन विषमताओं को नजरअंदाज कर ग्रामीण पुनर्निर्माण की बात सोची भी नहीं जा सकती। ग्रामीण पुनर्निर्माण राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की पहली शर्त है। ग्रामीण पुनर्निर्माण का अर्थ है 70 फीसदी जनता को सुखी और सम्पन्न बनाना, बाकी शेष 30 फीसदी लोगों को संपन्नता न सही, पर विषमता से मुक्ति दिलाना आवश्यक है। हम जब भी ग्रामीण पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले इसी तबके के विकास को भी हमें सोचना होगा। जब तक इस बड़ी आबादी को खेती-बाड़ी से अलग कोई बेहतर विकल्प नहीं मिलता तो इन्ही खेतों और खलिहानों में हमें विकल्प ढूंढना होगा।

सभापति महोदय, हम सब चौधरी चरण सिंह जी के शिष्य हैं। हम लोगों को उनके साथ, उनके निर्देशन में काम करने का अवसर मिला है। उन्होंने कई बार कहा था, उनका एक सिद्धान्त था कि देश की खुशहाली का रास्ता इन्हीं खेतों और खलिहानों से होकर गुजरते हैं, वह अक्सर कहा करते थे। इस बात से प्रधानमंत्री जी वाकिफ हैं, वह इस बात के समर्थक हैं। इस दिशा में कृषि मंत्री जी भी प्रयत्नशील हैं, सरकार का मस्तिष्क काफी साफ है। हमें नयी कृषि नीति बनानी होगी और बनी है। कृषि को उद्योग का दर्जा देना है और दिया गया है। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इसका बखूबी उल्लेख किया है। हम चाहते हैं कि सदन को अवश्य राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहिए।

सभापति जी, हम संक्षिप्त में कानून और व्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे। 4 वर्ष पूर्व कानून और व्यवस्था की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस दिशा में धन्यवाद के पात्र हैं। इस पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया है। जिस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को विवाद का विषय बना कर सन् 1990 में अस्थिरता का माहौल पैदा किया गया था अब आज वह समाप्त हो गया है। सड़कों, बाजारों और कॉलेजों में जो छात्र-छात्राएं जल रहे थे, आज उनका जलना बंद हो गया है। आंदोलित हो रहे समाज की दिशा बदल गई हैं, इसे सभी जानते हैं। उस समय वी.पी. सिंह सरकार इस आंदोलन में बुरी तरह जल चुकी थी। उस समय देश का सभी राजनीतिक समीकरण छिन्न-भिन्न हो चुका था। प्रधानमंत्री श्री राव ने इस चुनौती को स्वीकार किया, मंडल कमीशन का विवाद समझदारी से हल किया गया। नफरत और आलोचना के दायरे से पिछड़े वर्ग को निकाल कर एक दूसरे रूप में ढाला

गया। हमें इसमें कतई संकोच नहीं करेंगे, हमारे वर्तमान समाज कल्याण मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। एकता और अखंडता के लिए संकट पैदा करने वालों से भी हमारी सरकार आज पूर्णतः सतर्क है। आज से 4 वर्ष पूर्व आतंकवाद की छाया छाई हुई थी और पंजाब बूचड़खाना बना हुआ था। आस-पास की धरती मासूम लोगों के खून से लाल हो चुकी थी। असम में बोड़ो समस्या पहाड़ बन गई थी। वहां के सीधे-साधे निवासी उद्वेलित थे। पाकिस्तान और कुछ अन्य मुल्क कश्मीर विवाद की आग में निरंतर घी डालते जा रहे थे। प्रधानमंत्री श्री राव ने अपनी कुशलता से पंजाब को नयी जिंदगी दी। वहां जनतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई, विधानसभा चुनाव हुए और लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। पंजाब में अमन-चैन कायम हुआ। यह वर्ष पंजाब के लिए ऐतिहासिक वर्ष हुआ है। वहां कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी। आज पंजाब का किसान खेतों, खलिहानों में निर्भय होकर काम करता नजर आ रहा है। वहां कारखानों की चिमनियां धुआं उगल रही हैं।

व्यापारिक केन्द्र काम करने लगा है। जो वहां व्यापार पंगु हो चुका था वह कुशलतापूर्वक चल रहा है। विघ्नकारी तत्वों ने जो हिंसा का रास्ता अपनाया था, उसको वह छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो, ऐसा अवसर उन्हें दिया गया। सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन उन्हें मिला। यह बात बिल्कुल सत्य है कि इसी नीति के तहत असम शांति की ओर बढ़ रहा है। असम में भी परिवर्तन हुआ है। वहां की घाटी में जनजीवन सामान्य हो चुका है। उल्फा उग्रवादियों ने समर्पण कर दिया है। मिजोरम की सरकार ने कुछ कंडीशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। परिणामस्वरूप वहां के उग्रवादी समर्पण कर रहे हैं। उधर भी जनजीवन सामान्य बनाने की दिशा में सरकार की काफी सराहनीय भूमिका रही है। हमारे साथी अय्यर जी ने जम्मू-कश्मीर का भी वर्णन किया। उसके बारे में भी सरकार का दृष्टिकोण साफ रहा है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री के अधीन एक अलग विभाग का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद हजरत बल दरगाह से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा-बलों की कार्रवाई जारी रखी गयी। सभापति जी, पाकिस्तानी खुफिया विभाग वहां सांप्रदायिक संघर्ष भड़काना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री की कुशलता से हमारी सरकार की चौकसी से उनका यह मनसूबा विफल हो गया। उनके हौसले पस्त हो गये और किसी प्रकार का नुकसान उसे नहीं पहुंचा तथा कार्रवाई भी हुई। सभापति जी, जब कोई राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक क्रांति की ओर कदम बढ़ाता है तो यथास्थिति नहीं रह सकती, परिवर्तन होना ही होता है। हां, इस परिवर्तन में समय की कसौटी पर खरी उतरती मान्यताएं कहीं न बिखर जाएं–इस बात का ध्यान हमें रखना होगा। हमें विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस बात का ध्यान रखेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने बखूबी इस पर ध्यान रखा है। सोवियत रूस का उदाहरण हमारे सामने है। हमें उससे सबक लेना चाहिए। आर्थिक और राजनीतिक क्रांति के अतिवादी रूप से बचने की हमें आवश्यकता है। इस पर हमें ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव आधुनिक नीतियों को ऐतिहासिक अनुभवों की कसौटी पर कसने तथा उसका समाधान ढूंढने में लगे हैं और उसमें वह सफल भी हैं। आज हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ राजनैतिक दल परंपरा से हटते जा रहे हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब ऐतिहासिक पुरुषों और ऐतिहासिक प्रतीकों पर प्रहार किए गये। यह देश को विखंडित करने की एक कुचेष्टा है। आश्चर्य की बात है कि हमारे ही साथी इसे क्रांति कहते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि यह कैसी क्रांति है। हमारी परम्परा इस प्रकार की क्रांति को स्वीकार नहीं कर सकती। बहुजन समाज पार्टी के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन बताकर सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं। हम नहीं समझते कि इससे सामाजिक क्रांति होगी। लगता है कि सत्ता के नशे में वे संत और शैतान में अंतर करने में असफल हो गये हैं।

आज कुछ लोग अम्बेडकर का दुश्मन गांधी और गांधी का दुश्मन अम्बेडकर कहते हैं। यह कहकर नफरत की खाई लोगों में पैदा की जा रही है। यह सर्वसत्य है कि गांधी और अम्बेडकर की मंजिल एक थी, लेकिन रास्ते अलग-अलग थे।

हम समझते हैं कि अलग-अलग रास्ता होना कोई आलोचना का विषय नहीं हो सकता, न इसकी कोई नजीर दी जा सकती है। हमारी समझ में नहीं आता कि कौन-सी राजनीति ऐसे कुतर्क पेश करके की जा रही है। देश और समाज इससे मजबूत नहीं हो सकता। खेद है कि आज भारतीय राजनीति का लक्ष्य केवल वोट बैंक का निर्माण करना ही रह गया है। मतदाता समूहों को हर कीमत पर अपने साथ लेना ही भारतीय राजनीतिज्ञों का एक विशेष कर्त्तव्य रह गया है। यही कारण है कि अनेक राज्यों में जतिवाद और साम्प्रदायवाद के खेल खेले जा रहे हैं। इसी आधार पर आज सरकारें भी बनती जा रही हैं। स्वाभाविक है इसी कारण इन सरकारों का पतन भी होगा। हमने अनेक संशोधन पाठ देखे हैं। हमारे साथ बसुदेव आचार्यजी हैं, भोगेन्द्र झा जी बैठे हैं, चित्त बाबू भी हैं, बीजेपी के मित्र भी हैं, इन सबके हमने संशोधन पाठ देखें हैं। हमें खेद है कि इनमें इस दिशा में कुछ भी नहीं कहा गया है।

आज न्यायालय की गरिमा घटाई जा रही है। उसका स्तर गिराया जा रहा है। मैं न्यायालय की थोड़ी सी बात करूंगा। 1981 में इस सदन में बड़ी तेजी के साथ हम लोगों ने बहमई हत्याकांड का मामला उठाया था। फूलन देवी उसमें मुख्य अभियुक्ता थीं। उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फूलन देवी डाकू हैं, हत्यारिणी है या समाज सुधारक है, इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला केवल न्यायमूर्ति करेगा, न्यायालय करेगा और न्याय का मंदिर करेगा। इसका निष्कर्ष तभी निकलता जब मुकदमे का फैसला हो जाता। कुछ राज्यों में पचास-पचास हत्याओं के आरोपित व्यक्तियों के मुकदमें वापस लिये गये हैं। फूलन देवी का मुकदमा भी जनहित बताकर वापस लिया गया है। प्रश्न फूलन देवी या बड़े अपराधियों का नहीं है। प्रश्न जनहित की परिभाषा का है आज क्या जनहित

एक संप्रदाय विशेष की तुष्टि करना ही है? जनहित और नीतिहित बहस का विषय हो सकता है। फूलन देवी अत्याचारी थी या अत्याचार का शिकार बनी, यह बहस का विषय बन सकता है। पर न्याय व्यवस्था के सर्वमान्य सिद्धांत पर कोई बहस नहीं की जा सकती। किसी राजनैतिक दल के हितों के आधार पर इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती।

सभापतिजी, कानून के हाथ काफी लम्बे होते हैं। इनको छोटा करना एक बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। हमें खेद है कि आज कुछ सरकारें इस कानून के हाथों को कतरने में या छोटा करने में काफी दिलचस्पी ले रही है। इसका जवाब राजनैतिक दल या राजनीतिज्ञ या शासन सत्ता को चिरकाल में देना ही होगा।

हम अपनी इस संक्षिप्त तकरीर में थोड़ी सी बात अयोध्या के ऊपर भी करना चाहेंगे। हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। हम तो केवल ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। राष्ट्रपतिजी ने भी अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है। 9 जनवरी, 1950 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री गोविन्दवल्लभ पंत को एक पत्र लिखा था। मैं उसका एक भाग अक्षरशः पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"मुझे पता है कि कुछ दिन पहले अयोध्या में जो घटना घटी है, वह भावनाजन्य है, लेकिन इस तरह के कदम के लिए मुस्लिम सम्प्रदाय की सहमति जरूरी है। बल प्रयोग द्वारा इस प्रकार की घटनाओं का हल किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। यदि ऐसा होता है तो प्रत्येक कीमत पर कानून व्यवस्था हमें बनानी ही होगी।"

सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने यह सलाह दी थी। प्रत्येक परिस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था को जरूरी बनाना होगा। कानून को अपनाया जाना चाहिए, यही हमारा कहना है।

हमें दुख है कि अयोध्या मन्दिर का मामला अपने हाथों में ले लिया। हमने भी वहां जाकर देखा था। हम एक बात माननीय वाजपेयी जी से कहना चाहते हैं क्योंकि हम उनका बहुत आदर करते हैं और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि डेढ़ साल पहले मैं वहां एक शादी में गया था। मन्दिर के बगल में हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं। मैं वहां 3-4 घंटे वहां रहा। लोगों की बहुत बड़ी आबादी है। उन लोगों ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि जो कुछ भी मामला हो, जैसे भी हो, गिराया गया हो या गिरा हो, यह देश का विषय है। लेकिन पिछले चार साल से हमारी आत्मा का विषय यह है कि हम सब लोग आर्थिक अवस्था में पंगु हो गये हैं। हम न सब्जी बो सकते हैं, न फल तोड़ सकते हैं, बाजार नहीं जा सकते हैं और अपनी बेटी-बेटे की बारात नहीं मंगा सकते हैं। दुख होता है कि यदि बारात आये तो पता नहीं क्या होगा? इस प्रकार वे बारात वहां से 50-100 किलोमीटर दूर लाते हैं, जहां उनकी रिश्तेदारियां होती हैं। अब आप ही जरा सोचिये। यह सिक्के का दूसरा पहलू है। आप कहते हैं कि काशी और मथुरा में वही होगा। आपने अयोध्या तो नष्ट कर दिया। क्या काशी और मथुरा भी नष्ट कर देंगे? क्या वहां के लोगों के लिये भी आपने सोचा है?

श्रीमन्, हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम जानते हैं कि यदि बी.जे.पी. में कोई आदमी है तो वह अटल जी हैं।

कई माननीय सदस्य : हम भी उनके चेले हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इतना ही नहीं, उनके जो चेले हैं, उनके पीछे जो जमात है कालका दास जी, वे गुरुमार चेले साबित हो रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है। वे ऐसे चेले की स्थापना करें जो गुरुमार चेले न हों।

श्री कालका दास (करोलबाग) : यह तो आपकी चाल ही बता रही है कि कभी इधर और कभी उधर चले गये हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : एक कहावत है—नया मुल्ला ज्यादा बांग देता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, 6 दिसंबर, 1992 की घटना घटी, वह बहुत ही अशोभनीय घटी है और अब काशी, मथुरा की बात की जाती है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जरा सोचें, इस पहलू पर सोचें कि क्या उन लोगों को रोक नहीं सकते हैं? वे चाहे जो करें लेकिन उन गरीब लोगों के बारे में तो सोचें जो बनारस और मथुरा में इस बात को सुनते हैं तो उनके हृदय कांप जाते हैं। अभी बनारस में शिवरात्रि के पर्व पर कुछ चुनौतियां दी गयी थीं। यदि वहां अंदर जाकर देखा जाये तो समझेंगे कि लोग कितने भयभीत थे, इसका अंदाजा हमारे मित्र लगा सकते हैं। इस धर्मनिरपेक्ष समाज में किसी भी समस्या का समाधान संविधान के अंतर्गत ही हो सकता है। न्यायालय में किसी मंदिर को नीचा दिखाने का किसी को अधिकार नहीं हैं मंदिर-मस्जिद का विवाद पिछले 430 वर्षों से न्यायालय में रहा है। नयी परिस्थितियां और नये कारण उत्पन्न होते गये हैं, लेकिन विवाद का निष्पादन नहीं हो सका।

वास्तविकता तो यह है कि विवाद में बहुत सारे जटिल मुद्दे जुड़ गए हैं। कानून का कहीं सवाल नहीं रह गया है। इतिहास, उत्खनन, धर्म, आस्था, विश्वास, सभी कुछ अयोध्या मन्दिर विवाद के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। इसे समझदारी से हल करना होगा। उत्तेजना और भावुकता सर्वनाश का कारण हो सकती है। हम निवेदन करेंगे कि उत्तेजना और भावुकता से इन समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ठीक कहा है कि एक स्वच्छ वातावरण बन गया है, विश्वास की भावना

लोगों में पैदा हुई हैं। प्यार और मुहब्बत से इन समस्याओं का हल करना चाहिए।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उल्लेख किया है। इस दिशा में राज्यों के उत्साहजनक प्रयासों का भी जिक्र किया गया है। हमारी सरकार भी इसके बारे में सचेत है। अनुसूचित जाति विकास के लिए इस वर्ष 273 करोड़ 85 लाख रुपए राज्यों को आबंटित किये गए हैं। केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के अलावा और भी बहुत से काम किये गए हैं। समाज के पिछड़े वर्ग की सुरक्षा, उनके आर्थिक विकास की योजना, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति हेतु विशेष संगठित योजना, अनुसूचित जाति हेतु आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बच्चों के लिए छात्रावास, अस्वस्थ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति, आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, आदिवासी लड़कों के लिए विद्यालय, वित्तीय विकास निगम आदि योजनाएं उनके लिए चलायी गई हैं।

श्री कालका दास : आप उपलब्धियां भी बता दें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारे साथी कालका दास बहुत उत्तेजित होते जा रहे हैं। मैं इनसे यह कहूंगा कि हम क्या कह रहे हैं और ये क्या सुन रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि जिन योजनाओं के नाम मैंने लिये, ये सब अनुसूचित जातियों के विकास के लिए ही बनी हुई हैं।

श्री कालका दास : उनकी उपलब्धियां क्या हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप उनको सुनिए और फिर अपने मुद्दे बनाएं। मैं आपको अनुमति दूंगा। उनके बीच में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारे साथी उपलब्धियां जानना चाहते हैं। हम समय को देखते हुए ये उपलब्धियां नहीं बताना चाहते, लेकिन यदि वह चाहते हैं तो सुनें कि इनके लिए पिछले 15 वर्षों में जो उपलब्धियां हुई हैं, वह अब पांच वर्ष में हुई हैं। उदाहरण के लिए आप सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करते हैं। आज से चार साल पहले सरकारी नौकरियों में आरक्षित पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते थे। जब योग्य उम्मीदवार मिलने लगे तो कहा जाने लगा कि नोट सूटेबल। जब सूटेबल लोग मिलने लगे तो कहा जाने लगा कि नोट कैपेबल। जब कैपेबल होने लगे तो कहा जाने लगा कि नोट ट्रस्टेबल। आज की स्थिति में सरकार ने उस नौट ट्रस्टेबल को खत्म करके ऐवेलिबल की परिभाषा में लाकर हमको रख दिया है और आज शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में ए क्लास की नौकरियों में कोटा तीन वर्षों में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गया है। आप इसको देखें।

श्रीमन्, अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम की इस वर्ग के उत्थान में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आज के पहले उद्योग लगाना मुश्किल था, पैसे नहीं थे लेकिन आज मार्जिन मनी की व्यवस्था की गयी है। यह जरूर है कि बैंकों के द्वारा कुछ कमियां हैं उन कमियों पर आपको नियंत्रण करना होगा। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की समितियों में हम और आप थे। आपने बहुत से प्रश्न किए और बैंकों तथा अन्य लोगों की चोरियों को पकड़ा, हमने भी पकड़ा। इन सब पर हमको नियंत्रण करना होगा।

अभी पिछले दिनों इस सदन में बिजली पर चर्चा चल रही थी। कालकादास जी ने अच्छे मुद्दे उठाये, हमने भी उनका समर्थन किया। हम सबको मिलकर इस दिशा में काम करना होगा और आप पूछते हैं कि क्या प्रगति हुई, क्या उपलब्धि रही, इस आलोचना से काम नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने इस दिशा में काफी प्रभावशाली कदम उठाये हैं। इसके विस्तार का प्रयास तेज हुआ। अनुसूचित जाति विकास निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 125 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दी गयी। अनुसूचित जाति और जनजाति के विकलांगों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये गये हैं। महिलाओं का भी जिक्र राष्ट्रपतिजी ने अपने भाषण में किया है। महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों को सक्षम बनाने के लिए सरकार ने अनेक प्राथमिकताएं सृजित की हैं। राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय शिशु गृह निधि, महिला समृद्धि योजना, बाल विकास सेवा कार्य जैसे कार्यक्रम है। रोजगार और जोखिमपूर्ण उद्योगों में बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार कृत-संकल्प है। इसके लिए एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। इसके लिए कुछ एकीकृत कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं जिससे बालकों को रोजगार से निकालकर उन्हें निश्चित रूप से स्कूलों में दाखिला दिया जा सके।

पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान सरकार ने भारी गंभीरता दिखाई है। 27 प्रतिशत आरक्षण सरकारी सेवाओं में कर दिया गया है। इस वर्ग को पूरा लाभ मिले इसके लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों की तरह मानकों में ढील दिये जाने के नियम बनाये जाने चाहिए और बनाये जा रहे हैं। 1994 की सिविल सेवा परीक्षा में 1873 अतिरिक्त उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की, यह भी एक उपलब्धि है। तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट देना और तीन अतिरिक्त प्रयासों को भी मानक बना देने का विचार किया गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए अनेक कार्यक्रम बनाये गये हैं। उनके विकास के लिए 500 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की स्थापना की गयी है। मौलाना आजाद प्रतिष्ठान को 25 करोड़ रुपए दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां साक्षरता कम है वहां अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय स्कूल खोलने की योजना है।

राष्ट्रपतिजी ने अपने भाषण में मानवाधिकार की चर्चा की है। राष्ट्रीय मानवाधिार आयोग का गठन हुए डेढ़ वर्ष हो गया और इस अवधि में इस आयोग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। मानवाधिकार हनन के कारण पुलिस और सेना के अधिकारियों को भी दण्डित किया गया। बड़ी संख्या में झूठी शिकायतों का पर्दाफाश हुआ। अब तक 4500 से अधिक शिकायतें इस आयोग को प्राप्त हुई हैं। आम जनता और स्वयंसेवी संगठनों ने इसमें काफी दिलचस्पी ली है। इलाहाबाद जिले के दौना गांव में हरिजन महिला को निर्वस्त्र घुमाने, मुजफ्फरनगर के उत्तराखण्ड के मामले पर पुलिस द्वारा महिलाओं पर हुए अत्याचार जैसे प्रश्नों पर आयोग ने पहल की है। इस संदर्भ में लोगों में जागरूकता आयी है, विश्वसनीयता: बढ़ी है।

सभापतिजी, हमारे साथी अय्यरजी ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बात की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज अग्रिम पंक्ति में है। उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम तथा विनाश संबंधी चेतावनी जैसी सेवाओं के विस्तार में हम अत्यंत विकसित देशों के बीच आज गौरव के साथ खड़े हैं।

राष्ट्रपति जी ने हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी जिक्र किया है। विदेशी मित्रों, हमारी विदेश नीति, थल, वायु और नौ सेना की उन्होंने अपने अभिभाषण में प्रशंसा की है।

वास्तव में यह हार्दिक धन्यवाद का विषय है। हमारी वर्तमान सरकार की सफलता आज विदेशों में चर्चा का विषय है और दुनिया के देशों में भारत की भूरि-भूरि सराहना की जा रही है।

इसके साथ ही अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की नीतियों पर हमें खेद है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ठीक ही कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ टकराव के मार्ग पर चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में पंजाब में 12,000 से अधिक निर्दोष नागरिक मारे गये और अपना कर्तव्य निबाहते हुए 1700 पुलिस कर्मचारी मारे गये। चार वर्षों के दौरान कश्मीर में 5,500 निर्दोष नागरिक मारे गये, 1500 स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुईं और 2500 स्थानों पर बम-विस्फोट हुये। यदि इन सब घटनाओं के मूल कारण को खोजा जाए तो उसमें पाकिस्तान की साजिश सामने आती है जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुईं। वह निरंतर हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है। पाकिस्तान द्वारा बम्बई में अपना कार्यालय और कराची में महाकांसुलावास बंद करने का एकतरफा कदम आश्चर्य का विषय है जिस पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा।

सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त करते हुये, पुनः कहना चाहूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण दिया, जिस पर धन्यवाद देने के लिये मणि शंकर अय्यर जी ने अभी प्रस्ताव किया, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं कि इस सदन में हमें भारत के 90 करोड़ लोगों की भावनाओं को देखना चाहिये, हमें आपसी वैमनस्य और कटुता की राजनीति को भूलकर, देश के विकास की दिशा में चलना होगा। विकास का रास्ता आलोचनाओं से नहीं बनेगा, बल्कि समालोचनाओं से बनेगा। हमें चाहिये कि आलोचनाओं के जगत से निकलकर समालोचनाओं की तरफ बढ़े और सभी लोगों को एकसाथ लेकर देश को प्रगति की ओर ले चलें। इन शब्दों के साथ, मैं पुनः सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सर्वसम्मति से राष्ट्रपति महोदय के प्रति सदन में लाये गये समावेदन को पारित करने में अपना सहयोग प्रदान करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए"

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 13 फरवरी, 1995 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

माननीय सदस्य गण, मुझे एक घोषणा करनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सभी संशोधन परिचालित कर दिए गए हैं। जिन सदस्यों के संशोधन परिचालित हो रहे हैं, यदि वे अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट में पटल पर अपनी स्लिपें भेज दें, जिसमें उन संशोधनों की क्रम संख्या का उल्लेख करें, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं संशोधनों को प्रस्तुत हुआ माना जायेगा। प्रस्तुत किए गए माने गए संशोधनों के क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची शीघ्र ही नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई त्रुटि दिखाई दे तो वह अविलम्ब पटल अधिकारी के ध्यान में लाए। संशोधनों के बारे में हम यह प्रक्रिया अपना रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदय, पिछले लगभग ढाई घंटे से हम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर

सत्ता-पक्ष के दो माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहे थे। दो घंटे का समय काफी लंबा होता है। मैं आशा करता था कि वर्तमान सरकार भले ही ख्यालों की दुनिया में रहती हो, मगर हमारे सत्ता-पक्ष के सदस्य, जि हें कुछ ही महीनों में हमारे साथ जनता के द्वारा पर जाकर दस्तक देनी है, थोड़ा यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर अपनी बात कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सरकार ने राष्ट्रपति महोदय के मुंह से कहलवाया है कि पिछले वर्ष की हमारी आशावादिता और विश्वास सहीं सिद्ध हुए। हमारी कल्पनाएं काफी हद तक साकार हुई हैं और अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि देश में अपेक्षित बदलाव आने लगा है। देश में बदलाव तो आ रहा है। देश और भी बदलाव के लिए अपने को तैयार कर रहा है, मगर वह सरकार द्वारा अपेक्षित बदलाव है, यह कहने वाली सरकार के बारे में अब मैं क्या कहूं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रदेशों में चुनाव हुए थे और उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की है कि चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में हुए, लेकिन उन चुनाव परिणामों से सरकार क्या नतीजे निकाल रही है, सत्ता पक्ष ने कौन से निष्कर्ष निकाले हैं, इसका संकेत न तो राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में है, जो सरकार द्वारा लिखा गया एक प्रबन्ध है और न अभी जो हमारे मित्र बोले, इतने लम्बे भाषण किए, उनके भाषणों में भी कोई संकेत आए। एक के बाद एक प्रदेश ने सत्ता पक्ष को क्यों अस्वीकार कर दिया? कर्नाटक और महाराष्ट्र कांग्रेस के गढ़ समझे जाते थे।

प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश से आते हैं। संसद में कांग्रेस का बहुमत. जब चार साल पहले सरकार बनी, तो दक्षिण के प्रदेशों से आए हुए संसद-सदस्यों के बल पर बनी, जो अल्पमत में आए थे बाद में, वे किस तरह से बहुमत में परिवर्तित हो गए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन एक के बाद एक प्रदेश का चले जाना, क्या इसके पीछे मतदाता कोई इशारा नहीं दे रहा है? क्या मतदाता सत्ता पक्ष से कुछ कहना नहीं चाहता? अगर आर्थिक सुधारों में सब कुछ ठीक है, तो फिर लोग क्यों बिगड़ रहे हैं? सत्ता पक्ष से क्यों दूर जा रहे हैं?

फिर सत्ता पक्ष में यह चर्चा क्यों चल पड़ी है कि हमें आर्थिक सुधारों को मानवीय चेहरा पहनाना होगा। तो अभी तक कौन-सा चेहरा था? मानवीय चेहरे का अभिप्राय क्या है? तो क्या नीतियों में कोई दोष था या कार्यान्वयन में गलतियां हुईं? कोई आत्म-मंथन नहीं है। कोई गिरेवान में मुंह डाल कर देखने का प्रयास नहीं है। अगर सत्ता पक्ष इस स्थिति से संतुष्ट है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर मेरे मित्र श्री अय्यर उड़ीसा और मणिपुर की विजय पर अपनी पीठ थप-थपाना चाहते हैं, तो मुबारक, लेकिन जो प्रदेश सत्ता पक्ष के प्रभाव से मुक्त हो गए, उनकी जनता क्या कहना चाहती है?

यह ठीक है कि कांग्रेस को जहां तक वोटों का सवाल है, महाराष्ट्र में अधिक वोट मिले। लेकिन सीटें कम मिलीं। हमारे चुनाव की पद्धति ऐसी है कि इसमें कभी सीटें बढ़ जाती हैं तो वोट घट जाते हैं और कभी वोट बढ़ जाते हैं तो सीटें घट जाती है। मगर इस क्रम को हम झेल रहे हैं। पिछले 50 साल से हम इसी के भीतर रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात की जनता ने कांग्रेस को क्यों अस्वीकार किया, क्या विरोधी दोषों के कारण? बिहार में कांग्रेस की जो हालत हुई है, वह बहुत दयनीय है। हम बिहार में कांग्रेस से आगे बढ़ गये। कर्नाटक में कांग्रेस इतनी घट गयी कि हमारे सदस्यों की संख्या उससे ज्यादा है। लोगों ने मानो कह दिया कि हमें यह पार्टी नहीं चाहिए।

कांग्रेस का इतना पुराना इतिहास है। अब क्या अवसान का काल आ गया है? अगर अवसान का काल आ गया है तो जो सत्ता में बैठे हैं और सत्ता का समर्थन कर रहे हैं, क्या वह नहीं समझ पा रहे हैं। क्या चुनाव की पराजय एक गहरे आत्म-मंथन के लिए प्रेरित नहीं करनी चाहिए। मैं फिर उसी शब्द को दोहसना चाहता हूं कि क्या चुनाव परिणाम गहरे आत्म-मंथन के लिए प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। अगर देश में सब कुछ ठीक है और हर बाग में हरियाली है, चारों तरफ फूल खिले हैं, कोयल कूक रही है तो फिर सत्ता पक्ष में यह जो मतभेद उभर रहा है, जो गृह कलह हो रहा है, जो कल गृह युद्ध में बदल सकता है और जिसका परिणाम गृह दाह हो सकता है, उसका क्या कारण है? उसका औचित्य क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़िये। आप हमें जितना समुदायवादी कहेंगे, हम जनता का उतना ही ज्यादा विश्वास प्राप्त करते जायेंगे क्योंकि साम्प्रदायिकता की परिभाषा बदल रही है। इसको आप समझिये। एक तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर आप दूसरी तरह की सांप्रदायिकता से नहीं लड सकते।

हमने शिवसेना से गठबंधन क्यों किया? इस पर आपत्ति है और आप मुस्लिम लीग के गले में बरसों से जो गलबईयां डाले बैठे हैं उस पर कुछ नहीं। अब अय्यर जी कहेंगे कि क्या मतलब है, शिवसेना और मुस्लिम लीग का क्या मुकाबला आप रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे हैं। मैं स्वर्गीय संजय गांधी का नाम नहीं लेना चाहता। स्वर्गीय संजय गांधी के रिमोट कंट्रोल को जिन्होंने बर्दाशत किया, वह आज महाराष्ट्र के तथाकथित रिमोट कंट्रोल पर अंगुली उठा रहे हैं। हम सब कांच के घर में बैठे हैं। मगर इस स्तर पर आलोचना क्यों होनी चाहिए? मुझे गोडसे का नाम लेने में आपत्ति है। श्री अय्यर विद्वान आदमी हैं। उन्हें सारे देश के इतिहास का पता होना चाहिए। गोडसे की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए। गोडसे आर.एस.एस. का विरोधी था। गोडसे आर.एस.एस. की अपने अखबार में आलोचना करता था। गांधी जी की हत्या की जांच हुई और दो-दो बार हुई। सब जांचों में यह निकला कि उस हत्या में

आर.एस.एस. का कोई हाथ नहीं था। क्या आप दुनिया को यह कहना चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे अब भारत में सत्ता में आ रहे हैं। अभी हम गुजरात में जीते हैं, कल नई दिल्ली में भी जीत सकते हैं।

हम गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हैं। आप कहेंगे कि यह आदर नहीं दिखावा है तब तो फिर किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं है। तब तो हमारे और आपके बीच में कोई मिलन भूमि ही नहीं है। अगर यह अविश्वास इतना गहरा है तो फिर काहे की आम सहमति? ब्रॉड कंसेसेज का क्या मतलब है। ब्रॉड कंसेसेज इसी आधार पर हो सकता है कि भले ही विचारों में मतभेद हो, मगर ईमानदारी पर अंगुली न उठाई जाये।

मैं 1957 से इस पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ हूं। मैंने नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव तक सभी प्रधानमंत्री देखे हैं।

5.00 म.प.

आज सत्ता पक्ष जिस संकट में है, उस संकट से उबरना मुश्किल है। जरूरत है कि आज सही ढंग से आत्मनिरीक्षण किया जाए और देश की समस्याओं के बारे में एक सही दृष्टिकोण अपनाया जाए। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक कैटलॉग मालूम होता है। सरकार ने यह किया, सरकार ने वह किया, यह योजना है, इसके लिए यह किया। ठीक है, अगर आपने यह सब कुछ किया है तो फिर चुनाव में आपकी हालत खराब क्यों हुई। अब आप कहेंगे इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, हम चुनाव में भले ही हारें मगर हम जो सही बात समझते हैं, करते जाएंगे। यह भी आत्मविश्वास के साथ नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गड़बड़ है, नेतृत्व का परिवर्तन होना चाहिए, झगड़े हो रहे हैं।

कट मोशन-कहां हैं रंगा जी-वह कट मोशन नहीं है, क्विट मोशन है। हम नरसिंह राव से इस्तीफा मांगे, समझ में आ सकता है। अब सत्ता पक्ष के सदस्य शामिल हो गए, बहुत अच्छी बात है। अगर नाव के खिवैया ही नाव को डुबाने में तुले हुए हैं तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आइए, पूरी तरह डूबने से पहले जरा कुछ साफ बातें हो जाएं, स्पष्टवादिता की बातें हो जाएं। नहीं हो रही हैं। हम बहस के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में आप किस तरह की सरकार का समर्थन कर रहे हैं, किसलिए कर रहे हैं? नारायण दत्त तिवारी को आप न छोड़ने के लिए तैयार है, न बलि चढ़ाने को तैयार हैं, क्योंकि आपको मुलायम सिंह सरकार का समर्थन करना है।

हमें खुशी है ईरान के राष्ट्रपति हमारे देश में आए थे। ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, ये संबंध और भी दृढ़ होने चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रपति रफसंजानी लखनऊ गए, आपको मालूम है लखनऊ में क्या हुआ। उन्हें लखनऊ भेजने का फैसला किसने किया, क्यों किया, मैं नहीं जानता। लखनऊ मेरा चुनाव क्षेत्र है मगर ईरान के राष्ट्रपति मेरे चुनाव क्षेत्र में जाएं, उनका वहां सार्वजनिक सम्मान किया जाए और मुझे उसके लिए निमंत्रण न दिया जाए, यह कौन-सा लोकतंत्र है? क्या यह सारा मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया था? मगर मुझे नहीं बुलाया गया। मुलायम सिंह की सरकार का प्रदर्शन था। हवाई अड्डे से लेकर इमामबाड़े तक झंडे लगाए गए, लेकिन केवल ईरान के झंडे थे, भारत का झंडा नहीं था। इमामबाड़े में ईरान के झंडे लगे थे, हमारा तिरंगा नहीं लगा था। वहां एक सज्जन ने भाषण दिया। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के सामने मुलायम सिंह को कहा कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये हमारे होने वाले प्रधानमंत्री हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा : जहां तक तथ्य का मामला है, जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे, वे हमारे अतिथि थे। लेकिन वाजपेयी जी ने जो कहा कि ईरान का झंडा था, भारत का झंडा नहीं था, क्या सरकारी पक्ष इस तथ्य को मान लेता है या खंडन करता है? ...**(व्यवधान)** तथ्य के बारे में जो हो, हां या नहीं, कह दें। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : इनको देश की कहां चिंता है, ये तो अपनी चिंता में लगे हुए हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वहां मौलाना कल्बे सादिक मौजूद थे। वे शियाओं के बड़े नेता हैं और उनका सम्मान है, इज्जत है। मेरा उनके साथ कई बार मिलना हुआ है। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के सामने यह कहा कि हमारे यू.पी. के चीफ मिनिस्टर 'डायनामाइट' हैं, जो न केवल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मगर हिन्दुस्तान के भावी प्रधानमंत्री भी हैं। समारोह में कांग्रेस के नेता गए थे। ईरान के राष्ट्रपति के साथ गए थे, उनमे से किसी को नहीं बोलने दिया गया। सलमान खुर्शीद थे। अभी हमारे मणि शंकर जी सलमान खुर्शीद के साथ मुझे मिलाकर बड़ा तारीफ कर रहे थे, सलमान खुर्शीद एक तो मुझे छोड़ गये, मेरे बिना ही लखनऊ चले गये, मगर वहां उनकी ऐसी इज्जत अफजाई हुई कि उन्हें ईरान के राष्ट्रपति के सामने बोलने ही नहीं दिया गया। सैयद सिब्ते रजा थे, वह नहीं बोल पाये; अम्मार रिजवी थे, हमारे सहयोगी, साथी हैं, वह उनके साथ जहाज में गये थे और मुलायम सिंह ने कहा कि आप अलग बैठिये। वहां धक्का-मुक्की भी हुई, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। यह क्या है? और सबसे आपत्ति की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति के सामने खुले रूप से कहा कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है और एक पार्टी है, जो अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करना चाहती है और इस बात में हम आपकी मदद मांगते हैं। इसका क्या मतलब है? हम ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रण दे रहे हैं, हमारे घरेलू मामलों में दखल देने के लिए। इसलिए उनको लखनऊ भेजा गया था? क्या लखनऊ के कार्यक्रम पर केन्द्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था? विदेश मंत्रालय ने कुछ भी नहीं देखा था? क्या वह राजकीय समारोह नहीं था। क्या इसकी लखनऊ के लोगों पर

क्या प्रतिक्रिया हुई होगी लखनऊ के लोगों पर, बाहर के लोगों पर इसका आपने अंदाजा लगाया है। मैं नहीं समझता कि आपको इसका अंदाज है, यही रोना है।

इस चुनाव के दौरान जो परिणाम आये, उनका अयोध्या से तो कोई संबंध नहीं था। अयोध्या तो मुद्दा नहीं था, मुद्दा था भ्रष्टाचार, मुद्दा था राजनीति का अपराधीकरण, मुद्दा था महंगाई। राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने अभिभाषण में माना है, सच्चाई को मानना पड़ा है। हमारे मित्र ने भी उल्लेख किया है कि महंगाई बढ़ रही है। 25 प्रतिशत महंगाई बढ़ गई, खाद्यान्न वस्तुओं में महंगाई 100 फीसदी तक बढ़ गई।

लेकिन अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं है, भ्रष्टाचार के बारे में, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या है ही नहीं। क्यों और कैसे भ्रष्टाचार का निवारण होगा? सार्वजनिक जीवन में शुद्धता कैसे आयेगी? लोग भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं, लोग अस्थिरता का खतरा मोल लेंगे, मगर बेईमानों को अब सत्ता में नहीं रहने देंगे और यह होना भी चाहिए। यही जापान में हुआ, यही इटली में हुआ है। इटली में भ्रष्ट मंत्री जेल में पड़े हैं, कुछ जहर खाकर मर गये। जापान में वहां की जनता ने अस्थिरता का खतरा मोल लिया है, मगर ईमानदार सरकार को उन्होंने वोट दिया है। हमें दोनों का समन्वय करना है। सरकार स्थिर भी होनी चाहिए और जवाबदेह भी होनी चाहिए। मगर स्थिरता अनैतिकता पर टिकी नहीं होनी चाहिए। जवाबदेही का तो कोई निशान नहीं दिखाई देता। क्या भ्रष्टाचार समस्या नहीं है, क्या उसको दूर नहीं किया जाना चाहिए?

अभी बोफोर्स की रिपोर्ट आनी बाकी है। शुक्ला जी हैं या नहीं? विरोधी दलों की बैठक बुलाकर उन्होंने कहा कि सारा मामला पक गया है, रिपोर्ट आने वाली है। कहां है रिपोर्ट? मगर रिपोर्ट आयेगी। नये आर्थिक सुधारों के साथ जो भ्रष्टाचार के आरोप जुड़ रहे हैं, आखिर बैंकिंग स्कैम हुआ आर्थिक सुधारों के जमाने में। चीनी का स्कैंडल हुआ है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स के शेयर्स जिस तरह से बेचे जा रहे हैं, वह क्या है? पब्लिक अंडरटेकिंग्स किसी सेठ या पूंजीपति द्वारा खड़ा किया हुआ उद्योग नहीं है, यह भारत की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। नेहरू जी पब्लिक उद्योग के कारखानों को नये मंदिर कहा करते थे और अब उनके शेयर गलत ढंग से बेचे जा रहे हैं। जो उद्योग थोड़ी-सी पूंजी लगाने के बाद ठीक ढंग से चल रहे हैं, उनको भी बेच दो। अब पैण्डुलम दूसरी तरफ घूम गया है।

मैं लखनऊ से निर्वाचित हुआ हूं। लखनऊ में इस तरह के कारखानों का सौदा किया जा रहा है। जिन प्राइवेट हाथों में कारखाने बेचे जा रहे हैं, उससे धन कमाया जा रहा है। मजदूर कहां जायेगा, मजदूर सड़कों पर निकलेगा।

गरीबी बढ़ी है। गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी बिताने वाले बढ़े हैं, विषमता बढ़ी है, भारत और इण्डिया की खाई बढ़ी है। इसलिये आपको चिंता हो रही है कि गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजनायें अपनायी जायें। 8-9 योजनाओं का उल्लेख है। योजनायें अपनी जगह पर हैं। वे कागज पर बहुत अच्छी हैं। उनके लिए हाथ में पूंजी नहीं है। वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं। वित्त मंत्री जी ने इस बार बजट पेश करने में कमाल कर दिया। उस पर अलग चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि यह अर्थ विशेषज्ञ डाक्टर मनमोहन सिंह का बजट नहीं है, यह तो कांग्रेस की डूबती हुई नैया को बचैया चाहिए, इसलिये ऐसा बजट लाया गया है। ठीक है, चुनाव का साल है लेकिन समस्यायें इतनी सरल नहीं हैं। देश में यह धारणा होने देना कि वह विदेशी दवाब में काम कर रही है, बहुत घातक है।

जब नई लोक सभा चुनी गई थी और प्रारम्भ में चर्चा हुई थी तो उस दिन मैंने अपने भाषण में यही कहा था कि देश में अगर यह भावना पैदा हो गई कि इसके स्वाभिमान को ठेस लग रही है तो यह देश के लिये अच्छा नहीं होगा और यह भविष्य के लिये भी अच्छा नहीं होगा। राज्य सभा में आपका बहुमत नहीं है। पेटेंट बिल अटक गया। प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि यदि आपका विधेयक अटक जाये तो आपकी मदद करे। अब राज्य सभा में क्या करेंगे? श्री चिदम्बरम यहां बैठे हुए हैं। वह अपने विषय के अच्छे ज्ञाता हैं। मुझे जानकार लोग बताते हैं कि पेटेंट बिल को पास करने में इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। कई देश अपनी कठिनाइयां बता रहे हैं। इस मामले में सरकार द्वारा बुलायी गई बैठक में मैं नहीं गया था। उस बैठक में सरकार का कहना था मि हमारा ऑबलिगेशन है। हमने तय किया है कि अभी पास होना चाहिए। यह अच्छा ऑबलिगेशन है। किस का दबाव है, क्यों ऑबलिगेशन है? इसके क्या परिणाम होंगे, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन देश में यह भावना पैदा हो रही है कि इतना सब होने के बाद हमारी हालत सुधर नहीं रही है। यह आपको ठीक करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आत्ममंथन की सच्ची प्रक्रिया अगले चुनाव के बाद शुरू होगी, लेकिन मुझे इसके साथ देश की भी चिंता है। भारतीय जनता पार्टी को आप जो चाहें कह सकते हैं। सबको बोलने की आजादी है लेकिन अगर देश में विचारों की उग्रता पनपने लगी है तो उसके मूल कारण कहां है, यह भी सोचा जाना चाहिए।

अभी शास्त्री जी अयोध्या के बारे में बात कर रहे थे। अब तो कोई आंदोलन नहीं है। आप अयोध्या की समस्या बातचीत से हल करिये। यदि कोई और रास्ता है तो उससे हल करिए। मामला लटका हुआ है। उसे कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया है। पहले भी छोड़ दिया था। किसी किस्म के फैसले नहीं हो रहे हैं। इस सरकार की विशेषता है, अनिर्णय, शान्तता, कोर्ट चालू आहे, यह मराठी का एक नाटक है, ज्यादा बात मत करो, अदालत जारी है। मामले लटके

हुए हैं। पेटेंट बिल लटक गया है या गले में अटक गया है। अयोध्या का मामला लटक रहा है। अब उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। फिर कोई उपद्रव हो जायेगा तो दोष दिया जायेगा और बलि के बकरे ढूंढे जायेंगे। केवल अयोध्या का मामला लटका नहीं है, झारखंड स्वायत्त परिषद का मामला लटका हुआ है। वह कहां तक बनी है, कितनी बनी है, बनेगी या नहीं बनेगी, क्या अधिकार होंगे, वित्तीय व्यवस्था क्या होगी, इनका कोई उत्तर नहीं है। लद्दाख का मामला बरसों से लटक रहा है। सारा चिंता कश्मीर घाटी की है। लद्दाख की उपेक्षा, जम्मू का तिरस्कार, इससे भी साम्प्रदायिकता पनपती है। लद्दाख में जो बौद्ध हैं, जम्मू में हिन्दू हैं, इन शब्दों में बात करने का वक्त आ गया है, दोनों उपेक्षित हैं उनको यह लगता है कि सारी चिंता कश्मीर घाटी के मुसलमानों की है, हमारी नहीं है। किसी सरकार के बारे में इस तरह के संदेह पैदा हों, यह ठीक नहीं है। मगर लद्दाख में आपने मान लिया है कि वहां एक परिषद होगी-बनाने में देरी क्या है? जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है। उसके निराकरण में विलम्ब क्यों होना चाहिए। मैं मानता हूं कि कश्मीर की घाटी की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। अंत में आतंकवाद को परास्त होना पड़ेगा। अंत में पाकिस्तान के बहकावे में आए उन नौजवानों को समझना होगा कि उनका हित भारत के साथ रहने में है। भारत के अभिन्न भाग के रूप में जम्मू-कश्मीर विकसित हो सकता है। जम्मू-कश्मीर आगे बढ़ सकता है। दुनिया के मुस्लिम देशों की समझ में यह बात आ रही है, लेकिन हम अपनी राजनीति यहां कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के चुनाव की बातें हो रही हैं, हम भी चुनाव चाहते हैं। हम तो 1952 से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार हम ऐसा चुनाव लड़े थे, जिसमें हमारे उम्मीदवारों की नामजदगी के पर्चे रद्द कर दिए गए थे। अब ऐसा काम नहीं चलेगा। 1977 में जनता की सरकार थी, तो सब लोगों ने माना कि कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए। किसी ने पाकिस्तान में जाने की बात नहीं की, किसी ने भारत से अलग होने की बात नहीं की। अगर हम स्वतंत्र चुनाव कराते रहते, तो कश्मीर में जो परिस्थिति पैदा हुई है, वह परिस्थिति पैदा न होती। पाकिस्तान लाख प्रयत्न करता और सिर पटक के मर जाता, लेकिन कश्मीर के नौजवानों को गुमराह नहीं कर सकता था। जो धन गया है, वह ठीक तरह से खर्च नहीं हुआ। सरकारें यहां से बदली गईं, हस्तक्षेप किया गया। मगर अब चुनाव की तैयारी है। क्या ये राज्यपाल रहेंगे, अगर चुनाव कराना है तो पहले उन्हें बदलें। चुनाव से पहले एक जनरल एमनैस्टी होनी चाहिए। एक आम रिहाई होनी चाहिए। चुनाव से पहले जो लोग गलत रास्ते पर चले गए थे, उनको बसाने की तैयारी होनी चाहिए। आज प्रशासन कहां है? कौन मतदान केन्द्रों की रक्षा करेगा? कौन मतदाता को घर से निकाल कर सुरक्षा का आश्वासन देगा। इसके बारे में सभी को विश्वास में लेने की जरूरत नहीं है। मगर चव्हाण साहब और पायलट साहब की पटती नहीं थी, तो प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर का विभाग अपने पास ले लिया। हम तो समझते थे कि पूरी सरकार प्रधानमंत्री जी के पास है। विशेष रूप से कश्मीर का विभाग लिया है, नई बात कौन सी हुई है। वही आफिसर चला रहे हैं। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने से इन्कार कर देना चाहिए। कहिए कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। सारे देश में चुनाव हुए है। बिहार में थोड़ी सी गड़बड़ी के बावजूद चुनाव हुए है। हम कश्मीर में भी चुनाव चाहते हैं। मगर पाकिस्तान अगर हथियार के बल पर कश्मीर में गड़बड़ी करना चाहता है, तो चुनाव कराना मुश्किल होगा, जब भी चुनाव होगा, बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आयेंगे। पारदर्शी प्रामाणिकता का परिचय देना पड़ेगा। लेकिन घोषणायें की जा रही हैं, तैयारी है। उसके बारे में हमें विश्वास में लेने की आवश्यकता नहीं है, तो अच्छा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कश्मीर में चुनाव की परिस्थिति है। यह समस्या का हल करने का तरीका नहीं है।

चरार-ए-शरीफ में आतंकवादी बैठे हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। कब से बैठे हैं? उनमें कुछ विदेशी भी हैं। मर्सिनरीज हैं। हमने उनको घुसने कैसे दिया और बैठने कैसे दिया। सरकार कहती है, अगर सीमा पार चले जायें छोड़ कर, तो हम उन्हें सीमा पार करा देंगे, जैसे तड़ी पार होता है। आंतकवादी के साथ यह व्यवहार है? सुरक्षा बल का क्या मनोबल है। आतंकवादी भीतर हैं और सुरक्षा बल बाहर है। ठीक है, चरार-ए-शरीफ की रक्षा होनी चाहिए। मगर यह तरीका नहीं है। कश्मीर के मामले में भारत का पक्ष बहुत सबल है। मगर जिस सबलता के साथ उसे अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में रखना चाहिए, हम रख नहीं रहे हैं। हमारे मन में कहीं न कहीं अपराध बोध है। कहीं न कहीं यह भावना है कि कश्मीर में मुसलमान ज्यादा हैं और कश्मीर का कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा कि जो हमें भी पसन्द हो, पड़ौसी को भी पसन्द हो, कश्मीर की घाटी के लोगों को भी पसन्द हो। मुझे खुशी है कि यह धारणा अब बदल रही है। देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए तैयार बैठे थे। राष्ट्र की एकता, अखंडता के साथ समझौता नहीं हो सकता, यही राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में भी कहा है। लेकिन बातें व्यवहार में आनी चाहिए, बातें व्यवहार में नहीं आ रही हैं। श्री अय्यर ने भारतीय जनता पार्टी की आणविक हथियारों के संबंध में जो नीति है उसकी बड़ी कठोर आलोचना की है। उन्हें अपना दृष्टिकोण रखने का पूरा अधिकार है, उन्हें हमारे दृष्टिकोण से असहमत होने का पूरा हक है। लेकिन हम समझते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए, विशेष कर हमारे पड़ोस में जिस तरह की हथियारबंदी हो रही है उसमें भारत एटमी हथियार बनाने के अपने विकल्प को नहीं छोड़ सकता और हम इसी आधार पर एनपीटी पर दस्तखत करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि यह भेदभाव पर आधारित संधि है। फिर मिसाइलों का क्या होगा? अग्नि और पृथ्वी का क्या होगा? अब अगर वांशिगटन में स्टेट डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी कहता है कि चिंता मत करो, भारत का जो अग्नि और पृथ्वी का प्रोग्राम है वे दोनों प्रोग्राम हाइबरनेशन में हैं यानी निद्रा में निमग्न हैं, तो क्या स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री

जी लाल किले पर खड़े होकर कहते हैं कि हम एक का प्रोडक्शन करेंगे, पृथ्वी को डिपलॉय करेंगे। कहां डिपलॉय करेंगे, क्या हैदराबाद में करेंगे? हैदराबाद में नहीं जालंधर में डिप्लॉय करने की जरूरत है। अब पाकिस्तान मारक शस्त्र ले रहा है, मिसाइल्स ले रहा है। हमारा पडौसी चीन है। उसके साथ भी हमारे विवाद हैं। हम आत्मरक्षा के मामले में अपने पैरों पर खड़े न हों, यह कैसे हो सकता है? हम एटमी युद्ध नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सारे एटमी हथियार बर्बाद कर दिये जाएं, खत्म कर दिए जाएं। हम ऐसा विश्व चाहते हैं जिसमें एटमी हथियार न हों, मगर क्या ऐसे विश्व की रचना भारत से शुरू होगी? या जिनके पास हथियारों का अम्बार लगा है उनसे शुरू होगी? वे अपने हथियार हटाने या घटाने को तैयार नहीं हैं।

डियगोगार्शिया में अब अमेरिका को अपना अड्डा रखने की क्या जरूरत है। वे अपना अड्डा नहीं हटाएंगे, उन्हें अपने तेल के रास्तों की सुरक्षा करनी है। वे अपने हथियारों के प्रति सजग हैं और अपनी सुरक्षा के तकाजे के प्रति भी सजग हैं। वार्सा संधि भंग हो गई, एटलांटिक संधि कायम है। उसमें रशिया भी शामिल हो रहा है, उसको भंग नहीं किया जा रहा है। हमें उपदेश दे रहे हैं जिनके पास पहले से एटमी हथियार नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ भी हथियारों की दौड़ में नहीं पड़ना चाहते लेकिन अगर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री एटमी हथियारों की धमकी दें तो क्या हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें। स्वदेशी का, स्वालम्बन का संकुचित अर्थ मत लीजिए और परमात्मा के लिए इन शब्दों का मजाक न उड़ाइए। क्या यह 90 करोड़ का देश विदेशी मदद से ही आगे बढ़ सकता है, अपने बल पर आगे नहीं बढ़ सकता है। कल अगर मदद कम हो गई, बंद हो गई तो क्या होगा? वे हमारे लाभ के लिए नहीं आ रहे हैं बल्कि अपने मुनाफे के लिए आ रहे हैं। इसमें हमारा भी लाभ है। लेकिन देश के भीतर यह भाव बना रहना चाहिए कि हम अपने बल पर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास साधन हैं, लोग हैं। हमारे पास योग्य वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं और हम अपने बल पर भी आगे बढ़ सकते हैं। यही स्वावलम्बन की भावना है इससे किस का विरोध हो सकता है? लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं स्वावलम्बन, इसलिए अय्यर साहब इस तरह से स्वावलम्बन और स्वदेशी शब्दों का उच्चारण कर रहे थे कि जैसे उनके लिए सब कुछ विदेशी ठीक है। हमारे लिए ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले से कंट्रोल और परमिट हटाने की बात करती रही है। मैंने वे दिन देखे हैं जब पब्लिक सैक्टर को कमांडिंग हाइट पर ले जाने की बात करते थे। इस सदन में मैंने अशोका होटल बनाए जाने का समर्थन सुना था। तब मैं पीछे बैठता था। कहा गया था कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र में होटल बनाया जाएगा तो उससे मुनाफा होगा और वह मुनाफा जनता की भलाई की योजनाओं में लगाया जाएगा। वह होटल घाटे में चल रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई का और पैसा खा रहा है। लेकिन पब्लिक सैक्टर को मैं अभी भी महत्व का स्थान देता हूं क्योंकि कुछ पब्लिक सैक्टर बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनकी पीठ थप थपाने की ज़रूरत है।

एक गरीब देश में, एक विकासशील देश में राज्य की एक भूमिका होगी। हरेक को बाजार के भरोसे नहीं छोडा जा सकता। बाजार की शक्तियां बड़ी कठोर शक्तियां होती हैं, बेरहम शक्तियां होती हैं। गरीब का क्या होगा, बेरोजगार का क्या होगा, विधवा का क्या होगा, वृद्ध का क्या होगा, छोटे किसान का क्या होगा, जिसका छोटा उद्योग बंद हो गया है उस कारीगर का क्या होगा? क्या उसके लिए राज्य की भूमिका नहीं चाहिए? हां, राज्य ऐसा चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और जो करुणा की भावना से भरा हो–ऐसा राज्य चाहिए। आप न भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकते हैं न शासन में करुणा ला सकते हैं, दया ला सकते हैं। मानवीय चेहरे से नहीं मानवीय अंतःकरण से प्रारम्भ करना पड़ेगा और इसकी कमी है। आवश्यकता इस बात की है कि आत्ममंथन हो और इसके लिए अधिक समय नहीं है, कुछ ही महीने बाकी हैं। एक लहर चल रही है और वह परिवर्तन की लहर है। वह तर्क नहीं मान नही, वह तथ्य नहीं मान रही। कहीं-कहीं हमें आशा से अधिक सफलता मिली है और आपको आशा से अधिक विफलता मिली है। लोकतंत्र की चक्की धीमे चलती है, लेकिन बारीक पीसती है और वह पीस रही है, उसको समझना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण इस अनुभूति का कोई प्रमाण नहीं देता, कोई संकेत नहीं देता। इसलिए राष्ट्रपति के प्रति गहरा आदर रखते हुए भी हम धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते। सभापतिजी, वैसे मैं श्री अय्यर की इस बात से मैं सहमत हूं कि भाषण हुआ था फरवरी 13 को और बहस हो रही है अप्रैल 25 को। अगर इस तरह भाषण होना है और इसी तरह का भाषण होना है तो इससे न तो संसद की गरिमा बढ़ती है और न राष्ट्रपति को संतोष होता है। यह कर्मकांड अगर ठीक तरह से हम नहीं कर सकते हैं तो इसे बंद कर दें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

संशोधन की सूची

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बनाये रखने तथा उनको कम करने के लिए कोई विशेष कदम उठाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रा स्फीति की दर, जो बढ़कर दहाई के अंकों तक पहुंच गई है, के कारणों तक उसको इकाई के अंक तक कम करने के लिए उठाये जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (2)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में पंचायतों, राज्य विधान सभा और लोक सभा के चुनाव तत्काल कराए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (311)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हमारे हित के विरुद्ध परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अमरीका द्वारा भारत पर दबाव डालने के प्रयास को रोकने के भारत के संकल्प के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (312)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में नेपाल के सुझाव के अनुसार बराह क्षेत्र में सप्त कोशी पर बहु उद्देशीय बांध तथा सुन कोशीपुर में दिमर्सन बांध का निर्माण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (313)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उत्तराखंड और झारखंड राज्यों के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (314)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मैथिली, राजस्थानी और भोजपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (315)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अयोध्या के मंदिर-मस्जिद विवाद के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े सभी मामलों को अंतिम निर्णय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को सौंपने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (316)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में भूमि सुधारों, विशेषकर अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के वितरण, भूमि पर कृषि करने वालों को ही उसके स्वामित्व का अधिकार देने तथा भूमि की चकबन्दी करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (317)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिहार तथा खनिज उत्पादक अन्य राज्यों को खनिजों पर रायल्टी का संदाय मात्रा के आधार पर, जैसा कि इस समय किया जा रहा है, कि बजाय उनके मूल्य के आधार पर किये जाने के लिए कोई नीति निर्धारित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (318)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विशाल युवा शक्ति का विभिन्न स्व-रोजगारोन्मुख योजनाओं हेतु सदुपयोग करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (319)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से थोक व्यापार का राष्ट्रीकरण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (320)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में स्वदेशी और विशेषकर लघु और कुटीर उद्योगों को बहुराष्ट्रिक कम्पनियों से बचाने के लिए संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (321)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

श्री सुधीर गिरी (कंटाई) :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों विशेषकर खाद्यान्न तथा कपड़ा को कम करने के बारे में उठाये गये कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (3)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अविवेकपूर्ण उदारीकरण की नीतियों के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दुष्परिणामों को कोई उल्लेख नहीं है।" (4)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पूरे वर्ष मुद्रा स्फीति की दर में हुई लगातार वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (5)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (6)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में समाज में सक्रिय साम्प्रदायिक शक्तियों को रोकने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (7)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों का शोषण रोकने के लिए विश्व में गुट

निरपेक्ष शक्तियों को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा पहल न करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (8)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों को नाममात्र के मूल्यों पर बेचे जाने के सरकारी प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं है।" (9)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने में विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (10)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का कोई उल्लेख नहीं है।" (11)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की जम्मू-कश्मीर के लोगों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करने में विफलता तथा जम्मू में 26 जनवरी, 1995 को हुए बम विस्फोट के दोषी लोगों को दण्ड देने की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (12)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (13)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूति घोटाले में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सम्बद्ध दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उठाये जाने वाले प्रभावी कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (14)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, हरिजनों, तथा पिछड़े वर्गों के ऊपर अत्याचारों को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (15)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश किये जाने की जरूरत के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (16)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अवैज्ञानिक तरीकों से कोयला खनन को रोकने तथा खान मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (17)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उर्वरक उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए उठाये गये कदमों तथा देश में बन्द पड़ी उर्वरक इकाइयों विशेषकर हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की इकाइयों को पुनः चालू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (18)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा 'इसको' के आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित धन उपलब्ध कराए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (19)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूति घोटाले में शामिल विदेशी बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (20)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी गावों के कुटीर उद्योगों के उत्पादों की आसानी से ढुलाई की सुविधा के लिए उनको बारामासी सड़कों से जोड़ने की जरूरत के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (21)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई आवास की समस्या के प्रभावी समाधान की जरूरत के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (22)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (23)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते हुए विदेशी ऋणों के परिणामस्वरूप देश के ऋण जाल में फंसने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (24)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में आम जनता को कम-से-कम चौदह आवश्यक वस्तुएं रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (25)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उर्वरकों का भारी मात्रा में आयात करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (322)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम तथा भारतीय खाद्य निगम के संयंत्रों द्वारा क्षमता से कम उत्पादन करने के बंद रहने के फलस्वरूप उर्वरक के उत्पादन में हुई क्षेत्रीय असमानता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (323)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में नाईट्रोफास्फेट तथा पोटास उर्वरकों पर से नियंत्रण हटाये जाने के कारण उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप उर्वरकों के कम प्रयोग के कारण भूमि की पोषक क्षमता पर आए असंतुलन का कोई उल्लेख नहीं है।" (324)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम तथा भारतीय खाद्य निगम के संयंत्रों को फिर से चालू करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (325)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को फिर से चालू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (326)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी नीति के फलस्वरूप स्वदेशी पूंजीगत माल उद्योग में उत्पन्न भारी संकट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (327)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा गैस पर आधारित ऊर्जा संयंत्र तथा उद्योग स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (328)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कोयले की रायल्टी दर में संशोधन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (329)

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृषनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के सरकार के वायदे का कोई उल्लेख नहीं है।" (26)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाये रखने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (27)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में "प्रतिभूति घोटाले" संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पहचाने गए आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (28)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं विशेष रूप से खाद्य पदार्थो के मूल्यों में भारी वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (29)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश की आर्थिक संप्रभुता, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अन्य साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाओं के आदेशों के कारण खतरे में है, को बहाल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (30)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने हेतु उपयुक्त उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (31)

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन और मजदूरी के भुगतान में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (32)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण

प्रणाली के माध्यम से जनता को चावल, गेहूं, चीनी आदि की नियमित आपूर्ति बनाए रखने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (33)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश के वैगन निर्माण उद्योगों हेतु रेलवे वैगनों के पर्याप्त क्रयादेश सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (34)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रा स्फीति रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (35)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई निर्धनता और बेरोजगारी को समाप्त करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (36)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हमारी संस्कृति पर भीषण साम्राज्यवादी आक्रमण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (37)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और दूर संचार क्षेत्र को मुक्त करने के खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (38)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर में सशस्त्र सेनाओं द्वारा नागरिकों के विरुद्ध की जा रही ज्यादतियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (51)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अप्रत्याशित विदेशी ऋण संचय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (52)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मूल्यवृद्धि रोकने में सरकार की अयोग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (53)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में व्याप्त संकट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (54)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की विशाल समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (55)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों में कमी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (56)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रसार भारती अधिनियम, 1990 को कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (57)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी सरकार द्वारा इस्पात पर शुल्क में वृद्धि के कारण भारतीय इस्पात उद्योग को होने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (58)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रचार माध्यमों के वाणिज्यिकरण से राष्ट्रीय संस्कृति को उत्पन्न खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (59)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में दूरदर्शन पर विज्ञापनदाता कंपनियों द्वारा अपनाए जा रहे अनुचित हथकंडों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (60)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल गैस पीड़ितों को समुचित मुआवजा सुनिश्चित करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (61)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में 1992-93 के दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (62)

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में जम्मू-कश्मीर से आये लोगों के पुनर्वास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (63)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान की सहायता और दुष्प्रेरणा से अद्धितत्वमान आतंकवादी क्रियाकलापों को नियंत्रित करने हेतु किसी ठोस योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (64)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों को मिला कर एक उत्तरांचल राज्य का गठन किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (65)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर में आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा दिए जाने वाले समर्थन पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (700)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली को और अधिक स्वायत्तता दिये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (701)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार की चिंता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (702)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 370 का निरसन किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (703)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (704)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को रोकने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (705)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने से संबंधित सरकार की किसी नई नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (706)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र चुनाव सुधार कार्यान्वित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (707)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित करने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (708)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशियों की घुसपैठ रोकने और उन्हें देश से बाहर निकालने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (709)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में सूखे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किन्हीं निवारक उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (710)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी कर्ज और इसके ब्याज की अदायगी जिसके परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा है के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (711)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रा स्फीति की बढ़ती दर को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (712)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (713)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक विकास की धीमी प्रगति और लगातार मंदी पर काबू पाने के लिए प्रभावी उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (714)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में निर्यात और आयात के बीच संतुलन बनाये रखने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (715)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश से स्वदेशी कम्पनियों पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (716)

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश की बेरोजगारी समस्या को एक निर्धारित समय-सीमा में सुलझाने हेतु किसी ठोस कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (103)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (104)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उपज की लागत में कमी करने वाली नीति अपनाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (105)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीन मजदूरों को पूरे वर्ष काम प्रदान करने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (106)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के छोटे और सीमान्त किसानों को कृषि क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का लाभ उठाने हेतु शिक्षित करने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (107)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए सरकार और प्रशासनिक व्यय में कमी करने की योजनाओं को कार्यान्वित करने ताकि गैर विकास कार्यों पर खर्च कम किया जा सके, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (108)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की एक समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (109)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में कृषि मजदूरों में पूर्ण साक्षरता का प्रसार करने की योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (110)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुएं राजसहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (111)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदाचारों को रोकने के लिए स्थानीय उपभोक्ताओं के सहयोग से वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने की योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (112)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश पर बढ़ते हुए विदेशी ऋण को ध्यान में रखते हुए श्रम प्रधान योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (113)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे की सुविधाएं उपलब्ध कराने की किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (114)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में घाटे में चल रहे सार्वजनकि क्षेत्र के औद्योगिक एककों को अर्थक्षम बनाने के किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (115)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासन में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (116)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पैसे की शक्ति के प्रभाव को समाप्त करने तथा सभी को

शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हेतु देश में एक योजना बनाये जाने के बारे में उल्लेख नहीं है।" (117)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (118)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूति घोटाले में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (119)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाने की एक योजना कार्यान्वित किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (120)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर के लोगों में व्याप्त असन्तोष को समाप्त करने हेतु कोई ठोस उपाय किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (121)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न क्षेत्रों में लंबित जल-विवादों को सुलझाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (122)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान धीमी और खर्चीली न्यायप्रणाली को बदलने और उसे कम खर्चीला बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (123)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के हरिजन और गिरिजन आबादी वाले क्षेत्रों में शिक्षा के प्रभावी ढंग से व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु कारगर प्रबंध किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (124)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु शिक्षा के प्रसार के लिए प्रभावी व्यवस्था करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (125)

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में साम्प्रदायिक ताकतों से प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (330)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कतिपय वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि तथा तीव्र गति से बढ़ रही मुद्रा स्फीति को रोके जाने हेतु किसी सुधारात्मक कदम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (331)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मैक्सिको की आर्थिक पराजय से उचित सबक लेने तथा जून, 1991 से जारी अपनी नई आर्थिक नीति को तदनुसार बदलने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (332)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (333)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार द्वारा पर्याप्त बजट समर्थन देने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (334)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (335)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में सैन्य बलों द्वारा नागरिकों पर की जा रही ज्यादतियों का कोई उल्लेख नहीं है।" (336)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋण में अभूतपूर्व वृद्धि होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (337)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रसार भारती अधिनियम, 1990 को लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (338)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बन्द पड़े

मिलों/कारखानों को फिर से चालू करने के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (339)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जीवनरक्षक औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण करने तथा उसे सस्ती दरों पर बाजार उपलब्ध कराने में हुई सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (340)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न कोयला खानों में दुर्घटना की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (341)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कोयला खनिकों के लिए अपेक्षित सुरक्षोपायों के साधन के अभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (342)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आसनसोल तथा रानीगंज के आसपास अवैज्ञानिक तरीके से कोयला खनन के कारण भारी पैमाने पर उत्पन्न हुई धसकन को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (343)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में धसकन वाले क्षेत्रों में दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (344)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न कोयला खानों में लगी आग को बुझाने में तथा ऐसा करके कोयले को जलने से बचाने में हुई सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (345)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार लोगों को बेराजेगारी भत्ता दिये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (346)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में रसोई गैस कनैक्शन के लिए विद्यमान प्रतीक्षा सूचियों के तत्काल निपटान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (347)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय तेल निगम तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा रसोई गैस सिलेंडरों की अनियमित रूप से आपूर्ति किए जाने के कारण पश्चिम बंगाल के लोगों को हो रही कठिनाइयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (348)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय तेल निगम के हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार तथा वहां शीघ्र एक दूसरा तेलशोधक कारखाना स्थापित किए जाने की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (349)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में भारतीय तेल निगम के विद्यमान बाटलिंग संयंत्रों के विस्तार की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (350)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में भारतीय तेल निगम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा अधिक संख्या में रसोई गैस वितरकों की नियुक्ति, जिससे कि प्रतीक्षा सूची को निपटाया जा सके, की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (351)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में एच.एफ.सी.और एफ. सी.आई. संयंत्रों की क्षमता का इष्टतम उपयोग करके उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (352)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा, करने के लिए सरकारी क्षेत्र की रुग्ण उर्वरक इकाइयों का सुदृढ़ स्थिति वाली कम्पनियों के साथ विलय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (353)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में औद्योगिक तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए गैस पाइप लाइन स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (354)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में त्रिपुरा के विकास के

लिए वहां गैस आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (355)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (356)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार फिर से चालू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (357)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को पश्चिम बंगाल में उसके कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (358)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के बारे में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (359)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों और विभागों में सभी रिक्तियों को भरने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (360)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सड़क परिवहन का भार कम करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (361)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल स्थित 'इस्को' का आधुनिकीरण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (362)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय राजमार्गों की उचित मरम्मत और रख-रखाव की अविलम्ब आवश्यकता के बारे में काई उल्लेख नहीं है।" (363)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों/खाद्य तेलों और लेवी चीनी का अधिक आवंटन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (364)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्थित में सुधार करने के लिए उठाये जाने वाले कमदों के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (365)

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण मेंक्यूबा के साथ अच्छी समझ-बूझ और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (373)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए किये जाने वाले प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (374)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य वृद्धि रोकने के लिए पूरे देश में निर्धारित मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (375)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में फैली बेरोजगारी की गम्भीर समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (376)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (377)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में "काम का अधिकार", "रोजगार का अधिकार," "शिक्षा का अधिकार" और "आवास का अधिकार" को भारत के संविधान में मूल अधिकारों के रूप में सम्मिलित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (378)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में कालाधन का पता लगाने के किसी तंत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (379)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (380)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सभी बच्चों को वर्दी और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (381)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को अधिक शक्तियां दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (382)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल की लम्बित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (383)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में सरकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों को फिर से चालू करने के किन्हीं प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (384)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में 'टाडा' का दुरुपयोग किये जाने संबंधी हाल की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए 'टाडा' का निरसन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (385)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल सरकार को विभिन्न जिलों में भू-कटाव रोकने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (386)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में निरक्षरता दूर करने के लिए सामूहिक साक्षरता अभियान तेज करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (387)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए कठोर उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (388)

श्री सुब्रत मुखर्जी (राजगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश की साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध राजनैतिक लड़ाई जारी रखने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (433)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में चिकित्सा क्षेत्र में आर्थिक पराजय से सबक सीखने और जून, 1991 से लागू नीति समाप्त करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (434)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की राज्यों को अधिक धन देने संबंधी सिफारिश को लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (435)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सीमा सुरक्ष बल के जवानों द्वारा पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के ग्रामवासियों पर की गई ज्यादतियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (436)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋणों में अभूतपूर्व वृद्धि होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (437)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रसार भारतीय अधिनियम लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (438)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने तथा बाजार में उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (439)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में कोयला खान दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (440)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आसनरोल-रानीगंज में और उनके आसपास्स अवैज्ञानिक ढंग से किये जा रहे खनन

कार्यों के कारण बड़े पैमाने पर जमीन धसकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (441)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में उल्लेख नहीं है।" (442)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में रसोई गैस बॉटलिंग प्लांटों की वर्तमान क्षमता बढ़ाकर पश्चिम बंगाल में रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (443)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय तेल निगम के हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (444)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल की सभी लम्बित परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने और इसके लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (445)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम और भारतीय खाद्य निगम के संयंत्रों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करके उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और इस प्रकार भारी मात्रा में उर्वरकों का आयात कम करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (446)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरकों का उत्पादन करने वाली रुग्ण इकाइयों का अच्छी आर्थिक स्थिति वाली कम्पनियों के साथ विलय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (447)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम और भारतीय खाद्य निगम की इकाइयों को फिर से काम करने लायक बनाने की योजना को अंतिम रूप देने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (448)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माण उद्योगों में व्याप्त संकट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (449)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल स्थित "इस्को" के आधुनिकीकरण के बारे में उल्लेख नहीं है।" (450)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सड़क पर वाहनों की संख्या कम करके प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (451)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि को सरकार द्वारा नियंत्रित किये जाने के बारें में कोई उल्लेख नहीं है।" (452)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में, विशेषकर जम्मू-कश्मीर जैसे उत्तरी राज्यों में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. की विघटनकारी गतिविधियों में हुई वृद्धि के बारें में कोई उल्लेख नहीं है।" (453)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर, नागालैण्ड, मणिपुर, असम तथा अन्य स्थानों से आतंकवाद को समूल उखाड़ने तथा जम्मू-कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों का घाटी में पुनर्वास कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (454)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता के बारे में उल्लेख नहीं है।" (455)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में लोकपाल की नियुक्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (456)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त असंतोष तथा बेरोजगारी को दूर करने हेतु किसी ठोस कदम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (457)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते हुये विदेशी ऋण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (458)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने वाले लोगों को नियंत्रित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (459)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उपभोक्ता क्षेत्र में बढ़ते वर्चस्व को रोक जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (460)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (461)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (462)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधार हेतु ठोस कदम उठाने तथा चुनाव में आचार संहिता को कठोरता से लागू किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (463)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महामारी के फलस्वरूप भारी संख्या में लोगों की मौत होने तथा स्वास्थ्य नीति की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (464)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पकिस्तान तथा चीन द्वारा उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए देश में परमाणु हथियार निर्माण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (465)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में समाज के सभी वर्गों के लिए एक समान आचार संहिता लागू करने तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से 'वंदेमातरम्' तथा 'जन गण मन' को अनिवार्य रूप से बजाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (466)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (467)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में गो-हत्या पर शीघ्र पाबंदी लगाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (468)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में समान कार्य के लिए समान मजदूरी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (469)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (470)

कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में न्याय प्रक्रिया को कम खर्चीला बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (471)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में वनों के विनाश को रोकने तथा प्रदूषण को नियंत्रित कर पर्यावरण को बचाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (472)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में और अधिक क्षेत्रों के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (473)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करना तथा किसानों को सस्ती-दर पर तथा नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (474)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उर्वरकों की कीमतों में कटौती करने तथा किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक, बीज तथा उपकरण की आपूर्ति करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (475)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती लालफीताशाही को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (476)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध करने के लिए उठाये गये ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (477)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियां देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (478)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अपनी जान दांव पर लगाकर आतंकवाद से लड़ने वाले जवानों को विशेष रूप से सम्मानित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (479)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा प्रणाली को अधिक वस्तुपरक बनाने की दृष्टि से उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए उठाये गये ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (480)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सभी भारतीय भाषाओं के समग्र विकास के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (481)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आय में असमानता दूर करने के लिए किए जाने वाले ठोस उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (482)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं पर अत्याचार रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (483)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में स्वर्ण तथा मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी रोकने के लिए किये जाने वाले ठोस उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (484)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में विभिन्न भागों में भारतीय नागरिकों के रूप में रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (485)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के प्रयासों के बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।" (486)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर के बारे में पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले दुष्प्रचार का मुकाबला करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (487)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने तथा आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (488)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में लाटरी कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (489)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बाल विवाह और दहेज आदि जैसे विभिन्न सामाजिक बुराइयों को दूर करके महिलाओं की दशा सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (490)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (491)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (492)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सीमावर्ती राज्यों में आतंकवाद' उग्रवाद और पृथकतावादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (493)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अजमेर में उच्च शक्ति टी.वी. ट्रासमिशन केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (494)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिलासपुर पेय जल योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (495)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को शीघ्र पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (496)

श्री निर्मल कान्त चटर्जी (मडम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में टैरिफ कम करने पर बल देते हुए इस्पात आयात पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाये जाने पर अमरीका से विरोध प्रकट करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (497)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कोई कर अदा न करने वाली सैकड़ों लाभ कमाने वाली कम्पनियों द्वारा राजस्व की हानि किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (498)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी पूंजी द्वारा भारतीय कम्पनियों का अधिग्रहण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (499)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी निवेश संस्थाओं द्वारा शेयर बाजार मूल्यों को प्रभावित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (500)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त संसदीय समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू नहीं किये जाने तथा प्रतिभूति घोटाले में सम्मिलित पाये गये शीर्ष अधिकारियों को अभी तक दण्ड न दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (501)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में तत्काल चुनाव सुधार लागू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (502)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बैंकों की नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (503)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हाल के सप्ताहों के मूल्य के स्तर में निरंतर वृद्धि होने और बढ़ती मुद्रस्फीति को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (504)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मैक्सिको की आर्थिक असफलता से उचित सबक सीखने तथा जून, 1991 से शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीति को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (505)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को धन देने के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (506)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (507)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी में हो रही निरंतर वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (508)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बलों द्वारा नागरिकों पर की गई ज्यादतियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (509)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋणों में अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (510)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रसार भारती अधिनियम, 1990 लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (511)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने और बाजार में उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (512)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान विलम्ब से करने और भुगतान नहीं करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (513)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को फिर से चालू करने संबंधी निर्णय में विलम्ब के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (514)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा बकाया राशियां जमा करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (515)

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हमारी अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के कसते शिकंजे जिसके परिणामस्वरूप हमारे आर्थिक ढांचे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और अखंडता को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (516)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि "गैट" पर हस्ताक्षर करने से हमारे देश के स्वतंत्र, आर्थिक विकास के मार्ग में अनेक भारी कठिनाइयां आएंगी।" (517)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि 'सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुद्रा स्फीति की दर अभी भी अपनी औसत दर से अधिक और मुद्रा स्फीति के दर में किसी प्रकार की कमी आने की कोई उम्मीद नहीं है।" (518)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि बजट घाटा सरकार के अनुमानित बजट घाटे से कहीं ज्यादा है और यह हमारे वित्तीय क्षेत्र में विद्यमान गलत नीतियों और कुप्रबंध को दर्शाता है।" (519)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूति घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (520)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण मे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव सुधारों के अविलम्ब कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (521)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कि व्यापक भ्रष्टाचार के कारण हमारे शासनतंत्र की विश्वसनीयता डगमगा रही है और इससे हमारे देश की विकास प्रक्रिया संकट में पड़ गई है।" (522)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के समुदायों से संबंधित महिलाओं पर निरन्तर अत्याचार उनके साथ अमानवीय व्यवहार, किया जा रहा है।" (523)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में पर्यावरण को खतरा पहुंचाने वाले उद्योगों, जबकि इस प्रकार के उद्योग विश्व में बंद हो चुके हैं, को चलते रहने देने में सरकार के उदासीन रवैये के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (524)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में हमारी उपलब्धियां लगभग नाममात्र की हैं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"- (525)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए उठाए जाने वाले प्रभावी कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (526)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारत में अभी भी व्यापक निरक्षरता विद्यमान है और सरकार सभी को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में असफल रही है।" (527)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान के उपाय करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (528)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने और लगातार बढ़ रही कीमतों पर रोक लगाने के बारे में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (529)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि एन.इ.पी. ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और साम्राज्यवादी देशों हेतु भारत के संसाधनों का उपयोग करने के लिए भारत के द्वार खोल दिए हैं और इससे विकास की भावी संभावनाएं खतरे में पड़ गई हैं।" (530)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए कोई कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (531)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है नई कृषि नीति में अधिकांश किसानों और कृषि कर्मकारों के हितों की अनदेखी की गई है।" (532)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पुरुषों और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने के लिए कोई कानून बनाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (533)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (534)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में गुर्दों की व्यापक गैर-कानूनी बिक्री और बंगलौर, मुम्बई, हैदराबाद और अन्य स्थानों में गुर्दा गिरोह द्वारा गरीब और अनपढ़ लोगों के शोषण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (535)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में स्वदेशी को प्रोत्साहन देने और उपभोक्ता क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश पर रोक लगाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (536)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में गरीब लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने हेतु किए जाने वाले प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (537)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि निर्यात में वृद्धि का एक बढ़ा भाग कृषि उत्पादों से संबंधित है जो आम आदमी के लिए कठिनाई का कारण बना हुआ है।" (538)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में किसानों को उनके उत्पादों का लाभप्रद मूल्य न दिये जाने के कारण हो रहे नुकसान से उनको बचाने के लिये उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (899)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में किसानों और औद्योगिक क्षेत्रों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न किये जाने के कारण तथा अधिक विद्युत उत्पादन के लिए प्रभावी उपाय न किये जाने के कारण उनमें व्याप्त निराशा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (900)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में नर्मदा सागर बांध के निर्माण के कारण विस्थापित व्यक्तियों की दयनीय दशा को सुधारने तथा इस बांध के कारण पर्यावरण को होने वाले खतरे का सामना करने के लिये उपाय किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (901)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में लगातार वृद्धि तथा उसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (902)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान चीनी संकट को देखते हुए चीनी नीति में आमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता तथा चीनी के आयात को हतोत्साहित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (903)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में हरिजनों, आदिवासियों और महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकने हेतु किये जा रहे प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (904)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूति घोटाले में लिप्त अधिकारियों और अन्य लोगों को दंडित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (905)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों, विशेषरूप से आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों, में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (906)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में पेयजल की अत्यधिक कमी की समस्या को सुलझाने हेतु प्रभावी कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (907)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (908)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अफीम उत्पादों की समस्याओं का समाधान करने हेतु किए गए प्रयास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (909)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु किए गए उपाय करने के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (910)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को रोकने तथा हाल ही में हुई बम विस्फोट की घटनाओं को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (911)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने हेतु किये गये प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (912)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों के उत्थान के लिए कारगर कदम उठाने और सामाजिक आर्थिक उपाय करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (539)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (540)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में 'काम के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (541)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी गांवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (542)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में आवास की समस्या को हल करने के लिए उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (543)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में मलेरिया उन्मूलन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (544)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मूल्यों में चिंताचनक वृद्धि को रोकने के लिये उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (545)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधो पर सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिशों को शीघ्र लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (546)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ किये

जाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (547)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश से निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (548)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों की निष्पक्षता बनाये रखने के उद्देश्य से उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (549)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्रों में तेल के लिए गवेषण गतिविधियां आरम्भ करने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (550)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कलकत्ता में टेलीफोन क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (551)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्यक्ष करों से राजस्व बढ़ाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (552)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने के लिए ठोस कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (553)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (554)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया आरम्भ करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (555)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मुर्शिदाबाद, नदिया, हुगली और वर्द्धमान जिलों में गंगा, पद्मा, भागीरथी और हुगली नदी के कारण तेजी से हो रहे भूमि कटाव को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (556)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों को पूरा करने की अविलम्बनीयता और आवश्यकता के आरे में कोई उल्लेख नहीं है।" (557)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में 'टाडा' का निरसन किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (558)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध राजनैतिक युद्ध जारी रखने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (559)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मैक्सिको के आर्थिक पतन से सबक लेकर जून, 1991 से आरम्भ की गई आर्थिक नीति को त्यागने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (560)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋण भार में अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (561)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रसार भारती अधिनियम, 1990 को लागू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (562)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (563)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल की सभी लम्बित परियोजनाओं को आरम्भ करने और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (564)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में माल डिब्बा निर्माण उद्योगों में संकट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (565)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के प्रमुख नगरों में पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (566)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को फिर से चालू करने के लिए किन्हीं प्रयत्नों का कोई उल्लेख नहीं है।" (567)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी सरकार द्वारा इस्पात पर टेरिफ बढ़ाये जाने के कारण भारतीय उद्योग को होने वाली कठिनाई के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (568)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में क्यूबा के साथ अधिक आपसी सूझबूझ और सहयोग की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (569)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि पिछले दो बजटों के दौरान बड़े उद्योगों को आठ हजार करोड़ रुपये की कर राहत दी गई थी किंतु उपभोक्ताओं को इसका पर्याप्त लाभ नहीं मिला।" (570)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि यद्यपि कृषि और लघु उद्योग सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाते हैं और रोजगार पैदा करते हैं किंतु मुख्य राहत बड़े उद्योगों को दी जाती है।" (571)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि बड़े पैमाने पर कर अपवंचन, धन का विपथन, काले धन का सृजन और अपमिश्रण हो रहा है किंतु सरकार इसे रोकने के लिये उपयुक्त उपाय नहीं कर रही है।" (572)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि नई आर्थिक नीति के कारण धन कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो गया है और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।" (573)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि लम्बित मामलों के भारी बोझ के नीचे न्यायालयों की कमी के करण न्यायपालिका चरमरा गई है।" (574)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि व्यापक चुनाव सुधारों के अभाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना कठिन होता जा रहा है।" (575)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग पांच दशक बाद भी भारत में निरक्षरों, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, बाल मृत्यु और निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों का प्रतिशत पाकिस्तान और श्रीलंका से भी अधिक है।" (576)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अभाव में वृद्ध लोगों की तकलीफों का कोई उल्लेख नहीं है।" (577)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में 3 लाख औद्योगिक एककों के बंद होने जिसमें औद्योगिक विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (578)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में देश में नागरिक प्रशासन चरमरा गया है जिसका ज्वलन्त उदाहरण गुजरात और मुम्बई आदि में हाल ही में फैली प्लेग की बीमारी है।" (579)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि पुरानी वित्तीय व्यवस्था के ढांचे में नई आर्थिक नीति के कारण बहुत सी राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है।" (580)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीरी शरणार्थियों जो भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं कि पुर्नवास में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (581)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अयोध्या का मामला गलत तरीके से उच्चतम न्यायालय को सौंपे जाने के कारण सरकार इसे हल नहीं कर पाई है। (582)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती हुई घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।" (583)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात को कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार ने पुरानी शिक्षा प्रणाली जो चरमरा रही है में उपयुक्त परिवर्तन किये बिना नई आर्थिक नीति लागू कर दी है।" (584)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात को कोई उल्लेख नहीं है कि खाद्यान्न के भारी भंडार होने के बावजूद अर्द्ध-भुखमरी और भूख से होने वाली मौतें जारी हैं।" (585)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में धागे के ऊंचे मूल्यों के कारण बुनकरों को होने वाली अत्यधिक कठिनाइयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (586)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कपास के ऊंचे मूल्यों के कारण खादी उद्योग के चरमरा जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (587)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वी भारत के उर्वरक एककों के वास्तव में चरमरा जाने से उत्पन्न चिंताजनक स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (588)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बंधुआ श्रम और बाल श्रम का पूर्णतः उन्मूलन करने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (589)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रम और राष्ट्रीय प्रसूति लाभ के बारे में एक केन्द्रीय कानून बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (590)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक व्यापक योजना प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (591)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिगड़ते भारत-पाक संबंधों जिसके कारण दक्षिण एशिया का विकास रुक गया है, को सुधारने के लिए ताजा पहल किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (592)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि प्रशासन में सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण होने के कारण हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव डगमगा रही है।" (593)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि आर्थिक सुधार इस ढंग से किए जा रहे हैं कि आम आदमी और विशेषकर कृषि श्रमिकों के लिए मूल्यों में असामान्य रूप से वृद्धि हो रही है और सरकार विदेशी कम्पनियों का पक्ष ले रही है, तथा विदेशी माल हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रखी गयी हमारी स्वदेशी की नींव को नष्ट कर रही है।" (594)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार द्वारा विदेशी संस्कृति के हमले को आमंत्रित किये जाने के कारण हमारे पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को ही गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया और इसका हमारे पारिवारिक संबंध, विवाह, रिश्तों और यौन संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।" (595)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि यदि आर्थिक सुधार के क्षेत्र में तत्काल सावधानी नहीं बरती गई तो भारत की स्थिति मैक्सिको जैसी हो जाएगी।" (596)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि सामाजिक शिखर सम्मेलन, 1995 की प्रारूप उद्घोषणा से आर्थिक अधिकार और कर्तव्य संबंधी संयुक्त राष्ट्र की उस उद्घोषणा को ढांचागत समायोजना के नाम पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जिसमें कहा गया है कि "प्रत्येक राष्ट्र को अपनी आर्थिक प्रणाली तथा राजनीतिक व सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का चयन करने का प्रभुतासम्पन्न और अहरणीय अधिकार है।" (597)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विकसित राष्ट्रों द्वारा विदेश व्यापार में "सामाजिक शर्त" जोड़ने के कारण हमारे विदेश व्यापार के लिए उत्पन्न गम्भीर खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (598)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारत, चीन, मलेशिया और अन्य देशों के विरुद्ध आर्थिक रतिबंध लगाने की धमकी देकर अमरीका द्वारा विश्व व्यापार संगठन का मख़ौल बनाने के प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (599)

कि प्रस्ताद के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका द्वारा पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध लड़ने के लिए संरक्षण प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (600)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करनें सें रोकने के लिए अमरीका द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने के प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (601)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में रूस द्वारा भारत को क्रायोजनिक प्रौद्योगिकी अंतरित करने के बारे में अमरीका के अनुचित दृष्टिकोण के कारण भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लगे धक्के के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (602)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नीति के कारण सरकारी क्षेत्र की दुर्दशा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (603)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारत के लगभग 75 हजार करोड़ वर्षों से चले आ रहे एकपक्षीय विदेशी ऋण से हमारे संसाधनों पर पड़ रहे भारी दबाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (604)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में और अधिक गिरावट आने के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन के कमजोर पड़ने तथा अमरीकी दबाव के आगे झुककर जी-15 की बैठकें करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (605)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋण की समयबद्ध अदायगी के लिए निर्यात बढ़ाने हेतु कृषि वस्तुओं के उत्पादन को स्थिर रखने के लिए विशेषकर गरीबी जोन के छोटे और मंझोले किसानों पर आधारित हरित क्रांति लाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (606)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश की एकता के लिए खतरा बनी सांप्रदायिकता और जातिवाद के प्रति सरकार की ढुलमुल नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (607)

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (799)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुर राज्य में शांति बहाल करने के उद्देश्य से भूमिगत संगठनों को आम माफी दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (800)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में 1947 में मणिपुर के भारतीय संघ के साथ विलय के करार की शर्तों की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (801)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में लोकटक डाउन स्ट्रीम पनबिजली परियोजना को मंजूरी दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (802)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में 'टाडा' का निरसन किये जाने की आवश्यकता के बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।" (803)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में दल-बदल की स्थिति से पूरी तरह से निपटने के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (804)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (805)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में समानता के सिद्धांत पर आधारित पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (927)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में लोक सभा हेतु चुनाव के लिए मणिपुर में तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (928)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मणिपुर घाटी को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (929)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अनुचित बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाकर माल का बेरोकटोक और उचित अंतर्राज्जीय आवागमन सुनिश्चित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (930)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट खिलाड़ियों को तुरन्त रोजगार देने हेतु किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (931)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामों में निर्धनता के प्रसार को रोकने और समृद्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपाय करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (806)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्येक खेत को पानी, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा और प्रत्येक रोगी को औषधि देने के संकल्प के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (807)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में 'काम करने के अधिकार' को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (808)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों के उत्थान के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (809)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऋण तथा उसके हानिकारक प्रभावों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (810)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि पर चिंता व्यक्त करने तथा उसे रोकने के लिए किए जाने वाले प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (811)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में गलत आर्थिक नीति तथा उसके परिणामस्वरूप चावल, गेहूं, चीनी, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थ, रसोई गैस आदि और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (812)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा नई औद्योगिक आर्थिक और व्यापारिक नीतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के समक्ष आत्मसमर्पण कर देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (813)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

पर गैट समझौते का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (814)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या पर चिंता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (815)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (816)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के अनेक राज्यों में भूमि सुधार तथा भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम लागू न किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (817)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रतिभूति और बैंकिंग संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में की गई प्रमुख सिफारिशों को लागू करने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (818)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए किसी ठोस कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (819)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश भागों में पेयजल की आपूर्ति के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (820)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विस्तृत और योजनाबद्ध चुनाव सुधार के लिए विधान बनाने के किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (821)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उच्च स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (822)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विफल हो जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (823)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम वेतन के संदाय का प्रावधान करने वाले विस्तृत विधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (824)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में नई आर्थिक नीति के कारण गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (825)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीरी प्रवासियों का पुनर्वास करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (826)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में लोकपाल की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (827)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के उपभोक्ता क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आधिपत्य रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (828)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (829)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन के लिए सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिशों के कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (830)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों में बढ़ती क्षेत्रीय और आर्थिक विषमताओं तथा इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (831)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में, विशेषकर

उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (832)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उसे विशेष सहायता प्रदान करने के बारे में उल्लेख नहीं है।" (833)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, और मध्य प्रदेश में स्थायी आर्थिक विकास के लिए इन राज्यों को कोयले पर देय रायल्टी का पुनरीक्षण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (834)

श्री मोहन रावले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कपड़ा मिलों के छंटनी किये गये मजदूरों को विशेषकर मुम्बई शहर में सहायता देने तथा उन्हें अन्यत्र नियोजित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (846)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान द्वारा विदेशों में किये जा रहे भारत विरोधी प्रचार का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए किये गये अथवा प्रस्तावित उपाय का कोई उल्लेख नहीं है।" (847)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं तथा जीवनरक्षण औषधियों की कीमतों को नियंत्रित करने तथा इनकी जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सरकार द्वारा किसी ठोस कदम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (848)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में एक समान आचार संहिता लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (849)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जाति, वंश और धर्म का भेदभाव किये बिना देश में सभी नागरिकों के लिए परिवार नियोजन के उपाय किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (850)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (851)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मुम्बई के लोगों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु महाराष्ट्र सरकार को दी जा रही केन्द्रीय सहायता में वृद्धि किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (852)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (853)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा खेलों के स्तर में सुधार करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (854)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान द्वारा पहले ही परमाणु बम का निर्माण कर लिये जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा परमाणु बम बनाये जाने के आशय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (855)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विशेष मामले के रूप में मुम्बई की मलिन बस्तियों में सुधार करते हेतु केन्द्रीय सहायता को बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (856)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मुम्बई की तरह अधिग्रहीत कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण किये जाने के सरकार के आशय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (857)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र-कर्नाटक के बीच गत 36 वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद का समाधान करने के सरकार के आशय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (858)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में 1994 के दंगों के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही अथवा प्रस्तावित

कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (859)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय खेलों जैसे कबड्डी, खो-खो, मलखम्ब इत्यादि को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (860)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में 1984 के दंगा पीड़ितों को 1992 और 1993 में हुये सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को दिये गये मुआवजे की तरह मुआवजा दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (861)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में नकली दवाइयों के निर्माण तथा बिक्री को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए उठाये गये अथवा प्रस्तावित कदमों तथा इन दवाइयों के निर्माताओं को दंडित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (862)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारत के औषध नियंत्रक द्वारा प्रतिबंधित औषधों को बाजार से वापिस लेने के लिए उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले कदमों तथा दोषी व्यक्तियों को दंड देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (863)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अमानवीय तथा दयनीय दशा में रह रही अधिकांश जनता का प्राथमिकता के आधार पर उत्थान करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (864)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षित तथा अशिक्षित युवाओं के बीच में बढ़ती बेरोजगारी तथा उन्हें काम अथवा बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (865)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में न्याय, समानता तथा परस्पर सम्मान के आधार पर एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (866)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में गांवों के समग्र विकास तथा किसानों, श्रमिकों तथा बुनकरों को न्याय प्रदान करने तथा उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर में तेजी से सुधार करने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (867)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं की दयनीय सामाजिक तथा आर्थिक दशा में सुधार करने तथा उन्हें समाज में सम्मान और बराबरी का दर्जा दिलाने तथा देश के प्रशासन में उनकी पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (868)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (869)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में सांप्रदायिक तथा आतंकवादी ताकतों से निपटने की किसी ठोस योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (870)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सामंती भूमि प्रथा के उन्मूलन तथा देश में अभी तक विद्यमान सामाजिक अन्याय को दूर करने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (871)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के प्रशासन में दलितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा उच्च वर्ग के निर्धन लोगों की जनसंख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तथा आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (872)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हमारी आर्थिक तथा राजनैतिक प्रभुता को मजबूत बनाने तथा देश की एकता तथा संप्रभुता को कमजोर करने में जुटी बाहरी ताकतों से निपटने की किसी राष्ट्रीय नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (873)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में नई चुनौतियों का

सामना करने की दृष्टि से सेना तथा अन्य रक्षा बलों को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने, उन्हें सशक्त तथा सक्षम बनाने के लिये आवश्यक संसाधन प्रदान करने की किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।" (874)

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश के दमोह, पन्ना तथा छतरपुर जिलों के 'कृषि विज्ञान केन्द्रों' को सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (887)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में नवोदय विद्यालयों में प्रवेश हेतु निर्धारित मानदण्ड में, उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न खेलों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी दक्षता और कार्यकुशलता का परिचय दिया है, छूट देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (888)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षित बेरोजगार युवकों को और अधिक रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (889)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को कृषि पर आधारित उद्योग लगाये जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (890)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में रुग्ण मिलों जो बंद होने के कगार पर हैं, को फिर से चालू करने में कोई उल्लेख नहीं है।" (891)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को रोके जाने हेतु किसी ठोस कदम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (892)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारत में लाखों एकड़ बंजर पड़ी भूमि का समतलीकरण करके कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (893)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (894)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से राजस्थान में उपलब्ध विशाल खनिज सम्पदा और प्राकृतिक गैस का दोहन करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (942)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के न होने कारण वृद्ध लोगों को हो रही कठिनाइयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (943)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (992)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में 'काम का अधिकार' को संविधान मे मूल अधिकार के रूप में शामिल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (993)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में लोकपाल की स्थापना की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (994)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं और हरिजनों पर बढ़ते हुए अत्याचारों पर रोक लगाने हेतु उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (995)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अखबारी कागज की कीमतों में कमी करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1094)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को पाठ्य पुस्तकों और कापियों के लिये कागज की पूर्ति के लिये कोटा प्रणाली पुनः चालू किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1095)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये राजस्थान सरकार के वार्षिक राशि आवंटन में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता।" (1096)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान में खनिजों के दोहन पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1097)

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्त् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिशों को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1052)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु उठाये जाने वाले किन्हीं प्रभावी कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1053)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1054)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण के अलावा उन्हें लघु या कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1055)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के केवल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए योजना आयोग में एक अलग सेल स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1056)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु समुचित आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए पर्याप्त धन आवंटिन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1057)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सिक्किम स्थित धार्मिक बौद्ध स्थलों को देश के पर्यटन मानचित्र में दर्शाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1058)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सिक्किम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1059)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सिक्किम की लिम्बो, तमंग गुरंग और सुनुवर (मुखिया) को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1060)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सिक्किम विधान सभा में सिक्कम के सभी जनजातीय समुदायों के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण किये जाने की सिक्किम के लोगों की काफी समय से चली आ रही मांग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1061)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सिक्किम के नागरिकों वाले सभी समुदायों को सरकार द्वारा आयकर/प्रत्यक्ष करों से छूट दिये जाने के प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1062)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सिक्किम राज्य में बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या और वहां उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की कमी को देखते हुए सिक्किम के विद्याथियों के लिए अन्य राज्यों में स्थित उच्चतर और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में सीटों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1063)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सिक्किम के युवा प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें धन तथा दिशानिर्देश उपलब्ध कराकर और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षित करने हेतु उक्त राज्य के प्रत्येक जिले में एक एस.ए.आई. छात्रावास स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1064)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सिक्किम में आरकिड

प्रजातियों की बड़ी संख्या को देखते हुए सिक्किम में एक आरकिड अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने तथा बहुमूल्य जड़ी-बूटियों के संरक्षण के लिए वनस्पति उद्यान बनाये जाने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1065)

कि प्रस्ताद के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सिक्किम के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की खाद्य राज्य सहायता योजना के अंतर्गत लाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1066)

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधारों के बारे में किसी विशिष्ट कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1084)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य वृद्धि को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1085)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1086)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पुनः आरंभ करने के लिये उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1087)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश को जल विद्युत परियोजनाओं पर रायल्टी दिये जाने के आश्वासनों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1088)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों को वापस लिये जाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1089)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1090)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश के विलयित क्षेत्रों के गद्दी और गुजरों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1091)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र को वापस लिये जाने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1092)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे का सामना करने के लिये भारत द्वारा परमाणु बम बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1093)

सभापति महोदय : श्रीमती शीला गोपालन-अनुपस्थित हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या आप आज भाषण देंगे?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयनगर) जी, नहीं श्रीमान, धन्यवाद।

सभापति महोदय : प्रो. के.पी. थामस-अनुपस्थित।

श्री विजय कृष्ण हाणिक-अनुपस्थित।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : हमने दो प्रमुख भाषण सत्ताधारी दल के दो माननीय सदस्यों से सुनी है, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया है कि धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया जाए। विपक्ष के नेता ने अपना भाषण दिया है। सदन का रुख क्या यह विदित है हम किसी अन्य माननीय सदस्य पर बोलने के लिए दबाव नहीं डालना चाहते। बेहतर तो यही होगा कि सदन की बैठक स्थगित कर दी जाए और वादविवाद कल चालू रखा जाए।

सभापति महोदय : कई सदस्य रह गए हैं और अभी आधा घण्टा शेष है। हम बोलने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि आज उनकी बारी नहीं आने वाली है।

श्री के. प्रधान-अनुपस्थित।

अब श्री कृष्ण दत्त सुलतान पुरी।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण संसद के दोनों सदनों के सामने दिया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी तरफ से पहले सदस्य ने प्रस्ताव को रखा और दूसरे सदस्य ने इसका अनुमोदन किया। मेरे पूर्व विपक्ष के नेता ने अपना भाषण दिया। मैंने सारी [illegible] कि जैसे देश [illegible]

सारा का सारा निज़ाम धर्म से गर्क हो गया है। उनको इस बात की खुशी होगी कि हम बिना मुकाबले के ही जीत जायेंगे। जैसे चुनाव उनके पक्ष में जा रहा हो जहां तक उन्होंने कांग्रेस की मुखालफत की है और कहा है कि उसका कर्मकांड होने वाला है, मैं समझता हूं कि इन शब्दों का प्रयोग जो उन्होंने किया है, वे उन्हीं को मुबारक हो।

राष्ट्रपतिजी द्वारा देश के लोगों का आह्वान किया गया है उसमें पचास बिन्दु रखे गये हैं और एक-एक बिन्दु पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। जैसे आर्थिक नीति को लें। उसमें सरकार ने काबू पाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किये हैं, यह बताया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी विपक्ष के लोग केन्द्र में सत्तारूढ़ होते हैं तो तब-तब यह देश आगे नहीं बढ़ पाता। इनको आज इस बात की खुशी है कि वे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों में अपनी सरकारें बनाने में सफल हुए हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये इतने से ही न फूलें, क्योंकि सरकारें केवल शोशाबाजी से ही नहीं चलती हैं। ठीक है कि हमारे समय में विपक्ष की अनेक राज्यों में सरकारें बनी हैं, लेकिन लोकतंत्र में यह सब होता है। कभी किसी के कम लोग जीतते हैं और किसी के ज्यादा जीतते हैं, लेकिन यह खुशी की बात है कि इस देश के लोगों ने इस बार काफी संख्या में अपने मत का प्रयोग किया। महाराष्ट्र में देखा जाये तो वोटों के लिहाज से हमें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन वहां हमारे बारे में यह कहना उचित नहीं है कि वहां हमारी साख कम हो गई है। अब देखना है कि वहां की सरकार क्या करती है। जब इंदिराजी थीं तो पूरे उत्तर भारत में हमारा एक भी सदस्य नहीं आया था, लेकिन अगले चुनाव में ये लोग पूरी तरह से साफ हो गये। जब इनकी सरकार बनी तो कोई गाड़ी को खींचकर कलकत्ता ले जाने लगा, कोई मद्रास ले जाने लगा तो कोई मिजोरम की तरफ ले जाने लगा। विपक्ष की सदैव यही आदत रही है कि वह कांग्रेस की आलोचना करे और कहे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने ही देश को आगे बढ़ाया है, उसने ही देश को आजादी दिलाई थी। आज इस पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, वे अपने उसूलों के मुताबिक इस देश की सेवा करते हैं आप हमारी पार्टी को कमजोर बताते हैं और उसको जनता में आलोचना करते हैं। होना यह चाहिए कि आप जनता में अपनी उपलब्धियां गिनवायें। लोगों को बतायें कि आप क्या करने जा रहे हैं।

हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मैं समझता हूं कि वहां पर हमारे पहाड़ी लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। हमारी माताओं और बहनों के साथ ज्यादती हो रही है। यही नहीं, हाई कोर्ट के जजों का भी अनादर किया गया है। मैं समझता हूं उसके बारे में हमारी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए आज जो नेता यहां पर विभिन्न दलों के बैठे हैं, उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि वे क्या करना चाहते हैं। एक जनता दल बना तो उसके दो जनता दल हो गये, फिर दो से चार जनता दल बन गये। जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके नेता समझते हैं कि हम ही राम के पुजारी हैं और इसीलिए हम जनमानस से जुड़े हुए हैं। यह इनकी गलत सोच है। इनकी सिर्फ मंदिर और मस्जिद की लड़ाई है। ये लोग पूंजीपतियों के समर्थक हैं और सिवाय ड्रामे के कुछ नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत देश के लोगों ने भी देखा है उनको इस बात की खुशी हो रही है कि हम बहुत तादाद में जीत गये हैं और आगे बड़ी उपलब्धि होगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है।

वह यह है कि इन लोगों ने गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में अपनी सरकारें बना ली लेकिन यह नहीं सोचा कि किस आधार पर बनायी । केवल धर्म के आधार पर बना पाये। कुछ साल पहले श्री वी.पी. सिंह के समय भी यह विचार यहां आया कि सब पार्टियां मिलकर सरकार बनायें, लेकिन हमारे नेता स्व. राजीव गांधी थे, जिन्होंने बोफोर्स के बारे में सही बात कही और ये नहीं चाहते थे कि वह रिपोर्ट आये, क्योंकि यह रिपोर्ट पेश नहीं होने से उनको सत्ता में आने का अवसर मिलता। हमारी कांग्रेस पार्टी का इतिहास 109 साल पुराना है और तब से आगे बढ़ती जा रही है। यहां तक कि सीपीएम में भी आपसी लड़ाई शुरू हो गई है और बंगाल में कटाई-छंटाई शुरू हो गयी है। ये पार्टियां कभी मन्दिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, जाति के आधार पर इस देश को छिन्न-भिन्न करना चाहती हैं। इस शक्ति को खत्म करने के लिये हम सब को इकट्ठा होना पड़ेगा हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आर्थिक स्थिति को गुलाम होने से बचाया। हमारे नेता श्री नरसिंह राव हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बहुत कम बोलते हैं लेकिन काम अधिक करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि श्री राव से जल्द से जल्द छुटकारा मिल जायेगा तो वे गलत सोचते हैं क्योंकि अगले साल होने वाले चुनावों में भी हमारी पार्टी का नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। हम उनको यहां लाये हैं और उनके आने की जरूरत थी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है। जितने भी चुनाव लड़े यहां बहुमत के साथ आये हैं। आपका सोचना बेकार है कि आप लोग इसमें आएंगे। आप यह सोचते हैं कि भारी तादाद में आपके स्टेटों में एम.एल.ए. आ गये हैं। यहां तो वास्तव में साधु-महात्माओं की जमात आ गयी है। कोई हाथ में लोटा लेकर आ रहे हैं, कोई कमंडल। इन लोगों को तो गांव में जाकर मन्दिर बनाना चाहिये न कि राजनीति में आना चाहिये। यहां राजनीति के साथ कानून भी चलता है। नियम भी बने हुए हैं और उसके मुताबिक चलना चाहिये।

सभापति महोदय, मुझे इस बात की हैरानी हुई कि यहां सैशन के खिलाफ नारे लगते थे, इधर-उधर शोर था। मैं समझता हूं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस तरह का शोर करो और सारे देश को डिस्टर्ब करो। आप देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों की बातें इनके सामने आनी चाहिये, ऐसा अन्याय क्यों करते हैं, इन लोगों के साथ इस बात को सोचना चाहिये। ऐसी पार्टियां हैं, जो ऐसी कारगुजारियां करती हैं, मैं समझता हूं यह अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार केन्द्र में आयी थी तो सरकारी भंडारण खत्म हो चुका था। हमारी आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी लेकिन हमारे नेता श्री राव के आने के बाद नयी पालिसी आयी, उससे सुधार हुआ। जब कश्मीर का मामला सामने आया तो बी.जे.पी. के लोगों ने कन्याकुमारी से चलकर लाल चौक पर झंडा फहराने का निश्चय किया यह भी कहा कि 26 जनवरी को झंडा फहराते हुये लाल चौक तक जायेंगे।

लाल चौक में तो 1947 के बाद इन्होंने झंडा नहीं देखा... **(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : जब माननीय सदस्य नहीं मान रहे हैं तो कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : इनको पता नहीं है कि कश्मीर का मौसम कैसा है। ये भाई तो दिल्ली में रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से आते हैं, इनको पहाड़ी इलाके के बारे में कुछ पता नहीं। ये हिमाचल, कश्मीर और गढ़वाल के पहाड़ों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमारे खण्डूरी जी बार–बार खड़े होकर बोलने लगते हैं। इनको पता नहीं हैं पहाड़ी आदमी की क्या समस्या होती हैं मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग कश्मीर के ऊधमपुर में आ गए और वहां आकर इनकी रथगाड़ी सब रुक गई क्योंकि आगे बर्फ पड़ गई थी बर्फ पड़ने की वजह से सरकार ने इंतजाम किया और ये लाल चौक में झंडा फहराने पहुंच गए।

इनकी पार्टी के लोग बहुत शोर करते हैं। गरीबों का शोषण सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होता है। वहां सबसे ज्यादा हरिजनों पर अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, माइनॉरिटीज के लोगों पर सबसे ज्यादा जुल्म होते हैं। मैं आपकी सरकार पर यह इल्जाम लगाता हूं। आप कुछ नहीं करते तो यहां शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि फलां राज्य की सरकार बर्खास्त करें वह ठीक काम नहीं कर रही हैं ये बातें जो आपकी पार्टी में है, उनको आप साफ करें। आपकी आत्मा साफ नहीं है। आप क्या मंदिर के पुजारी बनेंगे जब आप देश में इस तरह की अनार्की पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपकी पार्टी के लोग देश को चलाने की बात करते हैं। वाजपेयी जी क्या जानें कि देश को कैसे चलाते हैं। इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा भी आपकी पार्टी का ही था। यहां चौधरी चरण सिंह जी बैठते थे, यहां बाबू जगजीवन राम जी बैठते थे, यहां इंदिरा जी बैठती थीं और यहां अटल जी बैठते थे और आडवाणी जी भी बैठते थे। इंदिरा जी ने कहा कि इस देश को हम सबने मिलकर चलाना है और यह भारत देश सबका है। मैं आप लोगों के खिलाफ इस तरह नहीं कहूंगा जिस तरह आपने हमारी पार्टी के नेता पर ज्यादती की और इस सदन में सजा दी और वह जेल गईं। हमारी पार्टी ने कभी इस तरह का हथियार इस्तेमाल नहीं किया। आप उनको जेल भेजना चाहते थे। बाद में वह इलेक्ट हुईं तो इसी सदन में उन्होंने कहा कि मैं आपसे मदद चाहती हूं। लेकिन आप लोगों ने हमेशा यह काम करने की कोशिश की कि इस देश के अंदर जो गरीब हैं उनको दबाकर रखा जाए। इस तरह का वातावरण आपने पैदा किया है। आज आप कहते हैं कि आपकी सरकार अच्छी है। वहां आपकी सरकार द्वारा शासित राज्यों में बस्तियों में आग लगा दी जाती है, औरतों के साथ बलात्कार होते हैं। इसका सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है और आप देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे सात मेम्बर आए थे और वहां आपने नमक चार आने किलो कर दिया था, चीनी का भाव दो रुपए किलो कर दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि आटा डेढ़ रुपये किलो कर देंगे। ये सारा आटा, दाल-चावल किसी को नहीं मिला। फिर इन्होंने अंत्योदय कार्यक्रम बना दिया कि जो गरीब आदमी है जिसकी आमदनी ढाई हजार रुपए है, उसको इसका लाभ होगा। आज कल तो मांगने वाले भी ढाई हजार रुपये से ऊपर कमाते हैं। बिजली जलाओ या न जलाओ लेकिन टैक्स लगा दिया। ये सारे देश को बरबाद कर देंगे अगर इनकी सरकार आ गई। मैं नहीं समझता कि इनकी सरकार आ जाएगी। अगर सभी पार्टियां तय कर लें कि जो खून-खराबा करने वाली पार्टियां है इनको देश में आगे नहीं बढ़ने देना, तो देश तरक्की कर सकता है। पहले इनकी पार्टी जनसंघ थी। उसके बाद यूनाइटेड मोर्चा बना और 1982-83 में ये भारतीय जनता पार्टी बन गए।

सारे राष्ट्र के मालिक बन गये और सारे देश में लड़ाई पैदा करें, हिन्दु-मुस्लिम लड़ेंगे तो हमारा लाभ होगा यह लक्ष्य लेकर ये चले हैं।

राष्ट्रपतिजी का यह अभिभाषण एक ऐतिहासिक भाषण है। एक लम्बा अरसा हो गया, कमेटियां बढ़ गयीं, आप भी मीटिंगों में जाते हैं, सारी कमेटियों का काम हो रहा था और राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी कोई पाबंदी नहीं लगा रही थी। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा यह चाहती है कि इस देश में प्रजातंत्र कायम रहे, जम्हूरियत आये और जो कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाये हैं उससे देश आगे बढ़ा है।

जहां तक आरक्षण की बात आती है तो हमारी पार्टी ने उसका हमेशा पालन किया है। लेकिन आपकी पार्टी में यह कभी नहीं हुआ कि हरिजन को अध्यक्ष बनाया गया हो। हमने तो जगजीवनराम जी को अध्यक्ष बनाया था। आपकी पार्टी हरिजनों और मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। आपकी पार्टी में वही पुराने बूढ़े लोग हैं जो पार्टी को चलाते हैं। कालकादास जी आप तो हरिजन हैं, आपको तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। यदि आपको मुख्यमंत्री बना दें तो दिल्ली में सारे हरिजन बी.जे.पी. में आ जायेंगे, लेकिन खुराना जी आपको मौका नहीं देते।

श्री कालकादास (करोलबाग) : हरिजन तो सब हमारी पार्टी में आ गये। आपने देखा कि महाराष्ट्र में 14 शेड्यूल्ड कास्ट्स के

मेम्बर्स में 13 बी.जे.पी. के आये हैं और दिल्ली में 13 में से 8 बी.जे.पी. के ही हैं। कांग्रेस का तो सफाया हो रहा है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : आप हरिजनों का सफाया कर रहे हैं। हमें खुशी है, लेकिन आपको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मैं पार्टी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वक्त है कि हमारी पार्टी में बहुत झगड़े हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। कोई भूला हुआ शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। किसी को जाना हो तो चला जाये उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जहां पार्टी का सवाल है वहां पार्टी एक होकर इस देश को मार्गदर्शन देगी और देश को आगे ले जायेगी।

आरक्षण के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को यह करना है कि जहां-जहां अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में कमियां हैं उनको दूर करना है। हमारी पार्टी महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीवजी के सपनों को साकार करती है और उनके द्वारा दिये गये मार्गदर्शन पर आगे बढ़ती है। उद्योगों के क्षेत्र में भी हमारी पार्टी ने रोजगार के साधन दिये हैं। यह कहना गलत है कि बाहर के लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है। अगर कोई दोषी होगा तो उसको हम पनिश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह इल्जाम लगाना गलत है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ समझौता कर रही है। मुलायम सिंह जी और आपके मुख्यमंत्री जोशीजी हैं वे भी बाहर जायेंगे।

हमने देश में उदारता की नीति को अपनाया, ताकि हमारे उद्योग पनप सकें, लेकिन इसके साथ-साथ हमें इस बात की निगरानी भी रखनी पड़ेगी कि हमारे उद्योग भी लाभ कमा सकें। देश को बचाने के लिये हमारी पार्टी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है।

मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने जिस ढंग से दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण दिया, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। हमारे नेताओं ने जिस खूबी से देश का मार्गदर्शन किया, उसका जिक्र राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में आया है। उन्होंने कहा है सरकार जो कहती है, वही करती है। आज महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, जो स्वयं विद्वान हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी भी बहुत विद्वान हैं ऐसे नेताओं के बारे में भी आप कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के पास क्या उनके बराबर का कोई नेता नहीं है। आप लागों की जमात इस देश का क्या करेगी, कहां ले जायेगी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। देश के बारे में सोचने का काम केवल हमारी पार्टी करती है। आज यदि कुछ स्थानों पर आप जीत गये तो आप गलतफहमी में हैं कि आपको देश में पीपुलेरिटी मिल गयी। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में आपको कुछ सीटें ज्यादा मिल गयीं लेकिन यू.पी. में क्या हो रहा है, जिसके कारण उनके सामने बहुत सी मुश्किल आ रही हैं। वहां जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, क्या उन्हें आप ठीक मानते हैं। जहां आप अपने को कमजोर देखते हैं, वहां दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हैं ...**(व्यवधान)** उनके मंत्री ने की है, आप गलतबयानी कर रहे हैं। विपक्ष के मंत्री ऐसा ही करते हैं। कल आपने भी उन्हें आशीर्वाद देना है।

जहां तक कश्मीर का मामला है, मैं मानता हूं कि वहा कुछ ज्यादतियां ज्यादा हुई हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुये हैं, दूसरे लोगों पर अत्याचार हुये हैं और वहां ज्यादातर माईनारिटी के लोगों को मारा गया है, उन के ऊपर ज्यादतियां हुई है। मैं यहां उसे किसी दूसरे नजरिये से नहीं देखता हूं। यदि वहां कोई आदमी मरता है तो चाहे वह कश्मीर का हो, मुसलमान हो, हिन्दू हो, किसी का खून अलग नहीं है। हम सबका खून एक जैसा है, क्योंकि किसी की नाक पीछे नहीं लगी हुई है, जिसके आधार पर उनमें भेद किया जा सके। यदि उनमें किसी आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसे मैं ठीक नहीं मानता। हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक जैसे हैं और हमें सबको एकता के सूत्र में बांधकर रखना है। इसके साथ हमें अपने देश की संस्कृति को भी कायम रखने का प्रयत्न करना है। योजनाओं के सहारे हमें पूरे देश को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। यदि हम लोग आपस में बैठकर कोई बात तय नहीं कर सकते तो यहां किसी तरह का प्रदर्शन भी हमें नहीं करना है। यदि हम प्रदर्शन करके हाउस की कार्यवाही को दो दिन या चार दिन न चलने दें तो उससे पूरे देश का नुकसान होता है, क्योंकि हर एम.पी. को सैलरी मिलती है और जितने लोग यहां गैलरी में देखने आते हैं, टी.वी. में जिस तरह प्रतिदिन की कार्यवाही को सीधे दिखाया जाता है, उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है कि हमारे सांसद यहां बैठकर क्या बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरफ हमें तवज्जोह देनी होगी। यदि हमने पूरे राष्ट्र को मजबूत करना है, यहां सभी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करनी है तो हमें साम्प्रदायिकता के नजरिये से ऊपर उठकर बात करनी होगी। मन्दिर और मस्जिद तो हमारे दिल में हैं, पहले हम उसकी पूजा करें। हिन्दू, मुसलमान, सिख आदि के नारे हमेशा के लिये इस देश से मिटाने होंगे। इसके लिये यदि हमें सख्त से सख्त कानून भी बनाना पड़े तो बनाना चाहिये।

जहां तक कहा जाता है कि इतने लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया, उसका हम रोज क्यों इतना शोर मचाते हैं।

अगर एक मिनट के लिए मान ले कि कोई बंगला देशी बंगाल में आ कर गड़बड़ करता है और बंगाल में अपने जासूस भेजता है, तो हमें टाडा कानून का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस कानून का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है कि हम इस देश में वैसा कानून बनाना चाहते वरन इसलिए कि हमारे देश को कोई छिन्न-भिन्न न कर दे। चाहे बम्बई हो, गुजरात हो, कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो, आतंकवाद और उग्रवाद को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि हमें कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला करना चाहिए कि देश में जहां पर भी गड़बड़ होती है वहां हमें सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि राष्ट्र ठीक ढंग से चले।

सभापति महोदय, अभी जो बातें यहां हुईं और जो यहां कहा गया, बेगुनाह लोगों को नहीं मारना चाहिए। देश का चाहे कोई भी प्रदेश हो, उसमें मजलूम और बेगुनाहों पर ज्यादती नहीं होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हमारे प्रदेश की सरकारें इस राष्ट्रीय सरकार का समर्थन करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पहले हमारे अनुसूचित जाति के लोग आइडेंटिफाई इससे होते थे कि उसने कैसी कटिंग करवा रखी है या गांव में कैसी टोपी पहन कर आया है या नंगे सिर जाता है, यह हमारे सामने की बात है और उनको कहीं पर पानी नहीं भरने नहीं दिया जाता था और कहीं पर मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, लेकिन आज कांग्रेस के कारण ही आजादी मिली है। उन लोगों को समाज से ऊपर उठने का अवसर मिला है। यह सब कांग्रेस की वजह से हुआ है।

परमाणु शक्ति के प्रसार के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह शक्ति दुनिया से समाप्त होनी चाहिए। वाजपेयी जी ने कहा कि खत्म होनी चाहिए, मगर यह सारी दुनिया से समाप्त होनी चाहिए। ऐसा एटमास्फीयर क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए, कि हम भारत में न जाने कितनी परुमाणु शक्ति का विकास कर रहे है। और उसका मसाला बना रहे हैं। हमें अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और देश की सुरक्षा के प्रोग्रामों के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए जिससे हमारा देश स्थिर रह सके, कायम रह सके और हम इस देश को आगे बढ़ा सकें।

हमारे देश मे जो बैंकबर्ड लोग हैं उनके कल्याण के लिए हमारे कल्याण मंत्री श्री सीता राम केसरी जी ने बराबर का दर्जा दिया है, यह बड़ी अच्छी बात है, उनका भी फायदा हुआ, लेकिन जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं जिनको क्रमशः 15 और साढ़े 7 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, उनके आरक्षण को जो हमारे देश में बाहर से आकर कारखाने लगा रहे हैं, उनमें भी इस आरक्षण को बरकरार रखा जाए, तभी हमारी गरीब और हरिजन भाई तथा पिछड़े लोगों का उद्धार हो सकेगा। वह निर्धारित कोटा हमें विदेशियों द्वारा इस देश में लगाए जा रहे कारखानों में भी बदस्तूर मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी बैंकों की बात हुई। बैंकों में अभी तक कोटा पूरा नहीं किया गया है जहां-जहां बैकलाग है, वह भरना चाहिए। बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र हो, सब जगह पूरा होना चाहिए। इसी प्रकार से देश के अनेक प्रदेशों में हमारे गरीब लोगों को भूमि दी गई है, उन राज्यों की मानिटरिंग होना चाहिए और जो राज्य इस काम को नहीं करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज सबसे बड़ा काम यह है कि उनको पट्टे मिल गए हैं। इंदिरा जी ने पट्टे दे दिए और हमारे नेता ने भी काफी कोशिश की तब उनको जमीन मिली।

श्री कालकादास : आप ठीक कह रहे हैं। पट्टे जरूर मिले हैं, लेकिन जमीन नहीं मिली है।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : मैं समझता हूं कि कनाट प्लेस और करोलबाग में नहीं मिली होगी, वहां सिर्फ आपको मिलेगी। आज के युग में जब इनको आगे बढ़ना है, तो सब लोग समाज के साथ जुड़ गए हैं। पढ़े-लिखे लड़के हो गए हैं। आज आप अगर रोजगार कार्यालय में जाएंगे।

6.00 म.प.

वहां पर हरिजन लोग, बैंकवर्ड लोगों की हजारों व लाखों की तादाद में व पढ़े लिखे लोगों के नाम दर्ज हैं। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या युवकों में बेरोजगारी की है। उनके लिए रोजगार के साधन देने के लिए सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है कि हम इन लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन बात यह है कि हमने इसे कार्यान्वयन करना है और यह कार्यान्वयन तभी हो सकता है जब इस सदन की राय एक हो। हम सब अच्छी से अच्छी बुद्धि रखते हैं। जो भी लोग यहां बैठते हैं, उन सबका फर्ज है कि वह कम से कम यह तो देखें कि किस तरह हम गरीबी दूर कर सकते हैं और इस गरीबी दूर करने के लिए हमें प्रधानमंत्री को सहयोग देना पड़ेगा यह नहीं कि अपोजिशन वाले यह कहें कि कांग्रेस वाले गलत कर रहे हैं और दूसरे यह कहें कि हमें अपनी पार्टी को जिताने के लिए यह बात करते हैं तो यह खत्म होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सुलतानपुरी, 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें। यदि आप अपना भाषण समाप्त करना चाहते हैं तो सदन आपकी बात सुनेगा यदि आप कुछेक मिनट में अपनी बात समाप्त करें तो हम प्रतीक्षा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : सभापति महोदय, बाकी मैं कल बोलूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है। आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि वे सदन में उपस्थित रहे और अपना योगदान किया।

अब सभा 26 अप्रैल, 1995 के ग्यारह बजे म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.02 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 26 अप्रैल, 1995/6 बैशाख, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।